एकादश माला, खंड 10, अंक 13

मंगलवार, 11 मार्च, 1997
20 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग-I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 11 मार्च, 1997/20 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
54	12	(क)	(क) और (ख)
132	1	श्री नीतिश भारद्वाज	श्री नीतीश भारद्वाज
249	नीचे से 11	(छ) से (ज)	(छ) से (च)
281	28	(जमशेपुर)	(जमशेदपुर)
284	28	(हावड़)	(हावड़ा)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 10, चौथा सत्र (भाग-I), 1997/1918 (शक)]

अंक 13, मंगलवार, 11 मार्च, 1997/20 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
	*तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 224, 226, 227 और 229	2—34
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
	तारांकित प्रश्न संख्या 221, 225, 228 और 230 से 240	35—53
	अतारांकित प्रश्न संख्या 2440 से 2644	54—263
सभा पटल पर रखे गए पत्र		264—267
याचिका समिति		
	पहला और दूसरा प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	267
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
	तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	267
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
	क्षेत्रीय सहयोग संबंधी हिन्द महासागर रीम संगठन (आई॰ओ॰आर॰ए॰आर॰सी॰) का उद्घाटन	
	श्री इंद्र कुमार गुजराल	270—273
नियम 377 के अधीन मामले		288—292
(एक)	सरदार सरोवर परियोजना में भागीदार राज्यों द्वारा देयों के भुगतान में चूक को रोकने के लिए क्रियाविधि तैयार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री काशीराम राणा	288—289
(दो)	उत्तर प्रदेश में गोंडा में रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती केतकी देवी सिंह	289
(तीन)	महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में रसोई गैस की कमी दूर किए जाने की आवश्यकता	
	डा॰ जी॰आर॰ सरोदे	289—290
(चार)	महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए महाजन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के॰एच॰ मुनियप्पा	290
(पांच)	बिहार में सहरसा में उच्च शक्ति के टी॰वी॰ ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री दिनेश चन्द्र यादव	290—291
(छः)	तमिलनाडु में मदुरै में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन	291
(सात)	पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिवंश सहाय	291—292

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(आठ) उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों के समुचित संरक्षण और परिरक्षण के लिए उनका अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के॰पी॰ सिंह देव	292
रेल बजट—1997-98—सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (रेल)-1997-98	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)-1994-95	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)-1996-97	292—348
श्री नीतीश कुमार	293—309
श्री इलियास आजमी	309—313
श्री प्रमथेस मुखर्जी	314—318
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया	318—323
कुमारी सुशीला तिरिया	323—330
श्री डी॰पी॰ यादव	330—332
श्री टी॰ नागरत्नम	332—338
श्री जय प्रकाश	338—341
श्री हरिवंश सहाय	341—342
श्री एन॰एन॰ कृष्णादास	343—347

लोक सभा

मंगलवार, 11 मार्च, 1997/20 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : अध्यक्ष महोदय आज प्रसन्नचित्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब सारा सदन प्रसन्न हो, तो अध्यक्ष को प्रसन्न होना ही है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशों के साथ सहयोग

+

*222. **श्री शिवराज सिंह :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने वाले/सहयोग का इरादा रखने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ऐसे देशों के साथ करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जो सहयोग के लिये तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

क्र॰सं॰	देश का नाम	समझौता/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख	सहयोग के क्षेत्र
1	2	3	4
1.	**जिन देशों के साथ समझौतों/ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए**		
1.	आस्ट्रेलिया	2.2.1996	भारत और आस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षात्मक उपायों के अन्तर्गत, भारत और आस्ट्रेलिया में कृषि अनुसंधान में सहयोग तथा मृदा प्रबन्ध, पशु चिकित्सा सेवाएं तथा वर्षासिंचित स्थितियों में सौरघम में उत्पादन संबन्धी कठिनाइयों पर काबू पाना आदि जैसे विषयों में सहयोगी परियोजनाओं का प्रावधान है।
2.	बंगलादेश	15.6.83	इस समझौते के अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन, शिक्षा, अनुसंधान में सहयोग करना तथा इनके व्यावहारिक उपयोग आदि का प्रावधान है।
3.	चीन	11.4.1992	इस समझौता ज्ञापन में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सामग्री के आदान-प्रदान, जर्म प्लाज्म, बीज, पौदों के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना आदि के आदान प्रदान के जरिये कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
4.	क्यूबा	16.9.88	इस समझौते के अन्तर्गत 22.11.96 को हस्ताक्षरित कार्य योजना में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान किया गया है।
5.	साइप्रस	19.2.1992	सहयोग कार्यक्रम में बागवानी, कृषि फसलों, मृदा उर्वरता, उर्वरक उपयोग तथा सिंचाई प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
6.	फ्रांस	6.2.1994	इस समझौते के तहत कृषि, मात्स्यिकी, वानिकी, ग्रामीण विकास तथा कृषि-खाद्य उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

1	2	3	4
7.	इंडोनेशिया	19.12.1992	इस समझौता ज्ञापन में खाद्य फसलों, गौण फसलों, वर्षासिंचित खेती, संकर चावल, मात्स्यिकी, पशुधन आदि सहित कृषि में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
8.	ईरान	11.11.1991	इस समझौता ज्ञापन में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, ग्रामीण विकास, पशु पालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी, वानिकी, जल प्रबन्ध आदि के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है।
9.	ईज्राईल	24.12.1993	इस समझौते के अन्तर्गत जल तथा मृदा प्रबन्ध, शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क फसल उत्पादन, फल तथा सब्जियों का उत्पादन, पशु विज्ञान, पौध-रक्षण, कृषि अनुसंधान, कृषि वानिकी आदि के क्षेत्रों को कवर किया गया है।
		30.12.1996	यह समझौता ज्ञापन, प्रथम चरण में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के परिसर में एक प्रदर्शन फार्म यूनिट स्थापित करने से सम्बन्धित है जिसका उद्देश्य छोटे किसानों तथा निजी क्षेत्र के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकीय पैकेजों का विकास करना तथा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण करना है।
10.	मॉरिशस	3.6.1993	इस समझौता ज्ञापन में कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन तथा कृषि प्रसंस्करण एवं आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
11.	मंगोलिया	16.9.1996	इस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, जैव-प्रौद्योगिकी की आधुनिक विधियों का विकास, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के निरूपण और कार्यान्वयन तथा खाद्य परिसंस्करण, लघु उद्योगों आदि की स्थापना करके कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
12.	नेपाल	6.12.1991	इस समझौता ज्ञापन में खाद्य एवं नकदी फसलों के उत्पादन और परिसंस्करण, बहु-फसल प्रणाली, फल तथा सब्जियों का विकास, डेयरी विकास आदि सहित कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन तथा कृषि परिसंस्करण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
13.	ओमन	5.10.1996	इस समझौता ज्ञापन में कृषि अनुसंधान, बागवानी, डेयरी विकास, पशुधन, मृदा-संरक्षण, सिंचाई आदि के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यकलापों तथा आदान-प्रदान सहित कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
14.	पाकिस्तान	4.7.1985	इस समझौते में अनुसंधान और शिक्षा के साथ कृषि के विकास के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है।
15.	फिलिपाइन्स	1.11.1976	सहयोगी कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने फिलिपाइन्स कृषि अनुसंधान तथा ग्रामीण विकास परिषद् (पी॰सी॰ए॰आर॰आर॰डी॰) के साथ एक समझौता ज्ञापन तैयार किया है।
		28.4.1991	फिलिपाइन्स सरकार के साथा किए गए समझौता ज्ञापन में चावल उत्पादन तथा परिसंस्करण, बहु-फसल प्रणाली, बारानी खेती प्रणाली, जल प्रबन्ध, कृषि मशीनरी, बागवानी, डेयरी, पशुधन सुधार आदि के क्षेत्रों सहित कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है।

1	2	3	4
16.	सिनेगल	16.2.1997	इस समझौता ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा सिनेगल में कृषि विकास परियोजना शुरू करने का प्रावधान है।
17.	सीरिया	19.6.1994	सहयोग के कार्यक्रम में पौध उत्पादन अनुसंधान, बागवानी, खाद्य परिसंस्करण उद्योग, पौध संरक्षण, पशु उत्पादन तथा स्वास्थ्य, मृदा एवं जल प्रबन्ध आदि के क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
18.	त्रिनिदाद तथा टोबागो	24.1.1997	इस समझौता ज्ञापन में कृषि के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है। सहयोग के क्षेत्रों में पशुधन, कृषि संबंधी कार्यों के लिए जल प्रबंध, गन्ने की खेती तथा चीनी उद्योग, फसल सुधार आदि शामिल है।
19.	संयुक्त राज्य अमेरिका	27.1.1996	इस समझौते के तहत कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण परस्पर हितों और लाभों अर्थात् सूचना, विचारों, दक्षताओं तथा तकनीकों का आदान-प्रदान के क्षेत्रों में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के बीच अतिरिक्त सहयोग हेतु कृषि विज्ञानों में विकास का प्रावधान किया गया है ताकि कृषि से संबंधित आम हितों की समस्याओं को सुलझाने में सहयोग के अवसरों को बढ़ाया जा सके।
20.	वियतनाम	31.12.1992	इस समझौता ज्ञापन में, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है और फसल विज्ञानों, वैज्ञानिक अनुसंधान, पशु विज्ञान, डेयरी विकास, वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान आदि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
21.	यमन	7.12.1996	इस समझौता ज्ञापन में कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन तथा कृषि प्रसंस्करण आदि को शामिल किया गया है।
22.	रूस	5.10.1995	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा रूसी कृषि विज्ञान ऐकेडमी (आर॰ए॰एस॰एस॰) के बीच किए गए समझौते के तहत कृषि तथा सम्बन्धित विषयों के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है।

II. जिन देशों के साथ समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं

1.	अल्जीरिया	पौध आनुवांशिक संसाधनों तथा जैव-प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुसंधान; समेकित कृमि प्रबन्ध तथा नियंत्रण, डेयरी उत्पादन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, लवणीय मृदा का उपयोग तथा प्रबन्ध आदि जैसे अभिज्ञात क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शरू करने के लिए कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत तथा अल्जीरिया के बीच एक समझौता ज्ञापन विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।
2.	बुर्किना फासो	बुर्किना फासो में भारतीय किसान परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग के संबंध में बुर्किना फासो की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य :- (क) बुर्किना फासों में परस्पर स्वीकृत फसलों के उत्पादन को तेज करना; (ख) कृषि तथा कृषि-उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में बुर्किना फासों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा (ग) प्रदर्शन परियोजना के रूप में कार्य करना तथा भारत से बुर्किना फासो में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण में सहायता करना, होगा।
3.	ग्रीस	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए ग्रीस की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

1	2	3	4
4.	जापान		कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा जापान अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में बागवानी, पशु विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, मात्स्यिकी, मृदा एवं जल संसाधान संरक्षण तथा मानव विकास शामिल है।
5.	मोरोक्को		वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मोरोक्को के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सहयोग में वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों एवं प्रजनन सामग्री के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक साहित्य प्रणाली, विज्ञानों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक उपकरणों का आयात एवं निर्यात शामिल हैं।
6.	मोजाम्बिक		कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के क्षेत्रों, जिनमें अनाज और सब्जियों, परीक्षण केन्द्रों का प्रबन्ध, पशुधन उत्पादन तथा पशुधन स्वास्थ्य, जल प्रबन्ध, कृषि इंजीनियरिंग, फसल उत्पादन, बीज उत्पादन आदि शामिल हैं, में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मोजाम्बिक दोनों देशों की सरकारों के बीच वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने हेतु एक समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए सहमति हुई है। कृषि मंत्री ने मापुटो, मोजाम्बिक में भारत के राजदूत को भारत सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है।
7.	म्यान्मार		कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु म्यान्मार संघ की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।
8.	न्यूजीलैण्ड		बागवानी तथा खाद्य अनुसंधान संस्थान, न्यूजीलैण्ड ने, जर्म प्लाज्म, वैज्ञानिक साहित्य एवं वैज्ञानिक उपकरण आदि के आदान-प्रदान के जरिये पौध विज्ञान में अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा उत्पादन तकनीकों तथा विस्तार में सुधार के क्षेत्रों में सहयोग के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ एक समझौता ज्ञापन विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इस समझौता ज्ञापन के प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न निकासियों के लिए कार्यवाही की जा रही है।
9.	दक्षिण अफ्रीका		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने दक्षिणी अफ्रीका सरकार के साथ कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है। सहयोग के संभावित क्षेत्रों में मृदा का मानचित्र तैयार करने, उर्वरकों का कुशल उपयोग, पशु रोगों का प्रबोधन एवं निगरानी, टीकों, निदानों, प्रौद्योगिकी सूची का विकास मूल्यांकन, जर्म प्लाज्म का आदान-प्रदान आदि शामिल हैं।
10.	थाइलैण्ड		संयुक्त कार्यकलापों और आदान-प्रदानों के जरिये कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए थाइलैण्ड सरकार के साथ सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है। ये संयुक्त कार्यकलाप, कृषि अनुसंधान, फसल उत्पादन, बागवानी, पशुधन उत्पादन तथा स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में होंगे।

1	2	3	4
11.	युगाण्डा		कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा उत्पादन और विस्तार तकनीकों के सुधार के क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सहयोग संगठन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
12.	लाओ जन लोकतान्त्रिक गणराज्य		कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाऐंगे। इसके तहत कृषि अनुसंधान, फसल उत्पादन, बागवानी आदि में संयुक्त कार्यकलापों का प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है लेकिन आज भी हमारे देश का कृषि उत्पादन अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यहां बताया है कि हमने कृषि के क्षेत्र में अनेक समझौते किए हैं और कुछ देशों से और आगे सहयोग के लिए समझौते करने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समझौते तो हमने किए हैं लेकिन बहुत से पुराने समझौते 1976 तक के हैं। उन समझौतों के परिणामस्वरूप हमारे देश को क्या लाभ हुआ है? यदि हां, तो क्या उनकी समीक्षा कृषि मंत्रालय करता है? यदि हां, तो इन समझौतों से हमारे देश को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : पूरे देश का यहां वर्णन करके बताने से मुश्किल हो जाएगी। कंट्रीवाइज ले मुश्किल है।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, कंट्रीवाइज रिप्लाई देने से आज का दिन खत्म हो जाएगा। मैं पहली बात माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों की विदेशों में अच्छी प्रतिष्ठा है और हमारे वैज्ञानिक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज से काफी मांग आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिकों को वहां भेजिए, उनके छात्रों को यहां शिक्षा दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और अनुसंधान केन्द्र खोल दीजिए। इससे बहुत बड़ी मदद मिल रही है। उनके साथ दोस्ताना समझौते करके सिर्फ इकॉनमिक टर्म्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनके छात्र जब यहां आते हैं तो हमें डालर के रूप में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे उन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध और भी अच्छे होते हैं। आज के युग में डिप्लोमैसी को बढ़ाने के लिए आर्थिक आधार बड़ा मददगार साबित हो रहा है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उन देशों को विकसित कर रहे हैं। हमारे पास साधान हैं। हम चाहते हैं कि भारत इसका बहुत बड़ा केन्द्र बने जो कि सिर्फ एशिया के इस भूभाग में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और अरब कंट्रीज में भी भारतीय केन्द्र स्थापित होकर उनकी मदद की जा सके। भारत कृषि के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े केन्द्र में से एक केन्द्र है, ऐसा करके हम उनकी मदद कर रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र में भारत को आर्थिक सुधार लागू करने के लिये सुझाव दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उन आर्थिक सुधारों को लागू किया है और विश्व बैंक की सहायता से कितनी परियोजनायें भारत में क्रियान्वित की जा रही हैं और इन परियोजनाओं को लागू करने की क्या शर्तें हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : यह तो दूसरी बात हुई। इसमें विश्व बैंक को लाने की क्या बात है? उसकी एक लम्बी सूची मेरे पास है। आपने पूछा कि क्या भारत उसकी मदद कर रहा है। हम तो उनसे मदद ले रहे हैं और जो आप चाहते हैं, उसकी एक सूची आपको भिजवा सकते हैं जिसके लिये हमें कोई एतराज नहीं होगा। इन परियोजनाओं पर कितना खर्चा किया है, वह भी भिजवा सकते हैं।

श्रीमती शीला गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि इस देश में राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनायें चल रही हैं जिनमें विदेशी सहयोग प्राप्त हो रहा है, वे योजनायें किस चरण तक पहुंची हैं, क्या सरकार ने उनका मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है? मेरे प्रश्न का भाग 'ख' यह है कि कृषि की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है कि देश में विदेशी सहयोग से छः परियाजनायें चल रही हैं, उन परियाजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में कितना सहयोग हुआ है? यह स्पष्ट किया जाये कि इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आई है। एक छोटा सा प्रश्न इसके साथ यह है कि वर्ष 1996 में कितने देशों ने भारत का द्विपक्षीय दौरा किया, कृषि के क्षेत्र में पारस्परिक हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और इस बात में छोटे और मंझले किसानों को शामिल किया गया, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

श्री चतुरानन मिश्र : वर्ष 1996-97 में ओमान, सेनेगल, यमन, आस्ट्रेलिया, त्रिनिडाड एंड टोबैगो, यू॰एस॰ए॰ ने दौरे किये हैं और जिन देशों में होने वाले हैं, उनकी लम्बी सूची है, यदि आप चाहें तो उनके नाम दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सब जवाब में है और उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है।

श्री चतुरानन मिश्र : पूरी लिस्ट दी हुई है।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, बाकी प्रश्नों का जवाब तो दिलवा दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही वह तो मान ली है लेकिन बाकी प्रश्नों का जवाब तो दें।

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष जी, जहां तक अफ्रीकन देशों का सवाल है तो विभाग की तरफ से 5 करोड़ रुपया तय किया है जिसके जरिये हम उनकी मदद करेंगे। बरकिना फासो में हम ट्रैक्टर भेज चुके हैं। वहां काम चल रहा है। बाकी देशों की जानकारी के लिये काफी टाईम लगेगा लेकिन यदि अपोज़ीशन सरकार के जवाब से संतुष्ट हो जाये तो इधर चलकर आ जायेगी। आप इतना मत करें, आपका अपोज़ीशन में रहना जरूरी है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कृषि के बारे में जवाब देते समय विरोधियों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं और बड़ी तीव्रता से 13 या 14 होना चाहते हैं लेकिन फिर भी एक नहीं हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इज़रायल ने मरू भूमि को हरा-भरा कर दिया, वहां हमारी राजनैतिक दोस्ती भी हो गयी और कृषि के बारे में एक संधि भी हो गयी है तो राजस्थान का थार क्षेत्र हरा-भरा करने के लिये क्या बातचीत की है या कोई योजना ली है? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि मैं गंगा क्षेत्र से आता हूं और गंगा क्षेत्र में कटाव के कारण बहुत बालू हो जाती है। इसमें उपज कैसे उपजाई जाए यह हम आपसे जानना चाहते हैं। इस्राइल से इस संधि में कोई कार्यक्रम लिया है या नहीं? लिया है तो उस योजना का कोई ब्यौरा है तो बता दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : इस्राइल के साथ हमने जो समझौता किया है, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा है। इस देश में 24 जगह हम टिशू कल्चर का केन्द्र बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में एक केन्द्र रहेगा और यहां से सेटेलाइट लिंक होगा। सारे देश में 24 क्षेत्रों में टिशु कल्चर को डेवलप करने के लिए हम ऐसा करेंगे।

जहां तक मरूभूमि के बारे में कहा है, उसके बारे में हमारा अपना इंस्टीट्यूट भी उनसे आदान-प्रदान करेगा और इसको भी हम देखेंगे। लेकिन गंगा और बालू वगैरह की इस्राइल के साथ कोई बात नहीं हुई है। उसको हम लोग खुद देख लेंगे।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, 1993 और 1996 में इस्राइल के साथ जो समझौते हुए हैं, हालांकि वहां का प्रति हैक्टेयर उत्पादन हमारे देश से बहुत ज्यादा है, उस दृष्टि से हमारे यहां खेती का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जो प्रयोग हम कर रहे हैं और मंत्री महोदय ने कहा कि टिशू कल्चर के प्रोजेक्ट बने हैं। हमारे वर्धा जिले में एक डागा जी नाम के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इसका अच्छा काम किया है, लेकिन केन्द्र से उनको सबसिडी नहीं मिली है। ऐसे में जो अच्छा काम करते हैं, उनको सबसिडी देने का काम केन्द्र सरकार का होता है। उस पर उन्होंने लिखा है, लेकिन अभी तक सबसिडी नहीं मिल रही है। इस्राइल में प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जो भी काम होता है, क्या वह अपने देश में लाने की कोशिश करेंगे और जिनको सबसिडी देनी है, जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है, जो ऐग्रीमेंट हुआ है, वह आप कब तक देंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : जहां तक सबसिडी का सवाल है, एक जिले के लिए तो उस बारे में हम तैयरा नहीं है क्योंकि इसमें सबसिडी के बारे में लिखा हुआ नहीं था। उसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे।

जहां तक कहा कि इस्राइल के साथ 24 सेण्टर्स में कर रहे हैं और इस्राइल की एक कंपनी के साथ शुगरकेन की रिकवरी के लिए भी हम तीन जगह करने जा रहे हैं। कोयम्बटूर में तथा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इंस्टीट्यूट होगा और एक और जगह हम करेंगे। इसके लिए कंपनी के साथ समझौता होगा। वह कंपनी कह रही है कि वह ऐसे बीज बनाकर देगी कि शुगरकेन की रिकवरी 17 प्रतिशत होगी। अभी 11-12 प्रतिशत से ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है। उस पहलू को हम देख रहे हैं। अगर तीन जगह यह कामयाब हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों का आयात

+

*223. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी** :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान खुली लाइसेंस नीति के अंतर्गत तेल का आयात करने हेतु सरकार के निर्यात और आयात शुल्क में कमी के कारण खाद्य तेलों और तिलहनों की कीमतें स्थिर हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1997 के दौरान खाद्य तेलों के आयात हेतु कोई ठोस नीति बनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों के आयात के बारे में सरकार द्वारा निर्णय खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच 9 से 10 लाख मी॰टन के वर्तमान अन्तर प्रति वर्ष बढ़ती हुई मांग और देश में घरेलू तिलहनों के उत्पादन में धीमी वृद्धि के आधार पर लिया जाता है। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात

से पिछले दो वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों और तिलहनों के मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिली है जैसा कि नीचे दिए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है :-

खाद्य तेल	फरवरी, 1996	फरवरी, 1997
		(15.2.97)
खाद्य तेल (उप समूह)	-1.3%	+2.2%
वनस्पति	-5.9%	-0.2%
सरसों का तेल	+0.8%	-5.6%
मूंगफली का तेल	-0.2%	-1.2%
बिनौले का तेल	-11.4%	-3.1%
चावल की भूसी का तेल	-19.4%	-2.9%
खाद्य तिलहन		
खाद्य तिलहन (उप समूह)	-5.0%	+6.2%
सरसों के बीज	-1.8%	-4.0%
खोपरा	+22.2%	-42.3%
मूंगफली के बीज	-6.0%	+15.7%
बिनौला	-7.6%	-1.9%
सोयाबीन	+0.1%	+7.7%

(ग) और (घ) इस समय खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात सरकार की आयात एवं निर्यात नीति के तहत किया जा रहा है। 1997 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पामोलीन का आयात करने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : 1994-95 में 8.32 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ और यह हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। 1995 में, यह 12 लाख टन था, 1997 में 15 लाख टन हो गया है और 1998 में 17 लाख टन आयात किया जाएगा। इस प्रकार, खाद्य तेल का आयात बढ़ता ही जा रहा है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग इस मद में खर्च हो जाएगा क्योंकि पैट्रोलियम उत्पादों के बाद आयात किया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा मद है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि खाद्य तेल का आयात कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और हमारे देश को प्रतिवर्ष खाद्य तेल के आयात पर कितना धन खर्च करना पड़ता है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल ओ॰जी॰एल॰ में है और इसमें पी॰डी॰एस॰ के लिए कुछ खास राज्यों में ही इसकी मांग अगस्त से लेकर नवंबर तक होती है। अभी 1991-92 में 183 लाख टन खाद्य तिलहन का उत्पादन हुआ था लेकिन 1996-97 में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कम से कम आयात हो। आयात कम करने की दिशा में सरकार बिल्कुल जागरूक है और अभी लगभग 230 लाख मीट्रिक टन 1996-97 में उत्पादन हुआ है। यह इन पांच वर्षों में लगभग 50 लाख टन बढ़ गया है। इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि खाद्य तेलों का देश में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, हम आत्मनिर्भर बन सकें। यह सवाल मूल रूप से कृषि विभाग से संबंधित है और इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता घरेलू उत्पादन पर निर्भर करता है और 1986-87 में हमारी खपत 69 प्रतिशत थी। इसी कारण वर्ष 1986 में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई गई। विशेष प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से तेल उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसलिए अन्ततः 1990-91 में इसमें 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या हमें 97 प्रतिशत तक आत्मनिर्भरता मिल सकती है? मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि जब 1991 में आत्मनिर्भरता मिल गई थी तो किन कारणों से यह गिरकर 83 प्रतिशत हो गई? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास आत्मनिर्भरता को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता है? सरकार खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है जिसकी वृद्धि 1991 में 97 प्रतिशत थी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने टैक्नोलौजी मिशन का जिक्र किया है। जहां तक टैक्नोलौजी मिशन ऑन आयल सीड्स प्लेसेज का संबंध है, इसके अंतर्गत उच्च किस्म के खाद्य तेलों के बीजों की खोज की जा रही है, हाई यील्डिंग वैराइटीज की खोज की जा रही है, ऐसे बीजों की खोज की जा रही है जिनमें बीमारी न लगे, टैक्नोलौजी मिशन के द्वारा इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। उत्पादन के संबंध में मैंने पहले ही कहा है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक मांग और सप्लाई के बीच गैप का संबंध है, इस समय सप्लाई एंड डिमांड में 9 से 10 लाख टन का गैप है। अभी 4 लाख टन की मांग हो रही है, जबकि हम पी॰डी॰एस॰ में डेढ़ से दो लाख टन खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं। जिस तरह देश में लोगों को खाद्य कार्ड के आधार पर गेहूं और चावल उनकी एन्टाईटलमेंट के आधार पर दिया जा रहा है, कन्ज्यूमर्स की जितनी मांग है, उसकी तुलना में खाद्य तेलों की मांग विशेष पर्वों पर ज्यादा बढ़ती है और वह भी खास राज्यों में। पूरे देश में करीब 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पी॰डी॰एस॰ के जरिए खाद्य तेल दिया जाता है। पिछले साल करीब 50 करोड़ की सबसिडी इस मद में दी गई। हम कोशिश कर रहे हैं देश में ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेलों का उत्पादन हो सके और हम इस

मामले में आत्म-निर्भर बन सकें। इसके लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : व्यवधान के लिए खेद है पर आप खाद्य तेल में 97 प्रतिशत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेंगे?

[हिन्दी]

क्या इस बारे में कोई टार्गेट है, मैं वही पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? आप किस वर्ष तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे?

[हिन्दी]

कब तक हम सैल्फ-सफीशियेंट हो जाएंगे, उसके लिए क्या कोई टार्गेट रखा गया है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने पहले ही कहा कि यह सवाल मूलतः कृषि मंत्रालय से संबंधित है क्योंकि उत्पादन बढ़ाने का संबंध कृषि विभाग से है। फूड मिनिस्ट्री का काम सिर्फ स्टेट्स को एलोकेशन करना है, जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : माननीय कृषि मंत्री सदन में उपस्थित हैं। वह जवाब दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस सवाल के बारे में मैंने कृषि मंत्रालय से जानकारी प्राप्त की थी, जो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने तथा बीज की किस्मों में सुधार लाने के लिए इन्टैन्सिव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है। कीट-नाशक दवाओं का इस्तेमाल कर, फर्टिलाजर का प्रयोग होता है। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं तथा स्प्रिंक्लर्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई टार्गेट फिक्स किया है तो वह बताइए, क्या ईयर है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : टार्गेट है, तभी कृषि विभाग उत्पादन बढ़ाने की दिशा में पहल कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा ईयर है, वह बताइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अभी एक्जैक्ट कोई साल तो नियत नहीं किया है, ऐसा प्रोग्राम नहीं है लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले 5 वर्षों में खाद्य तिलहन तेलों के उत्पादन में 50 लाख टन की वृद्धि हुई है। यदि अगले दो-तीन सालों में 9 लाख टन तेल की वृद्धि हो जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इस मामले में हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार सूरजमुखी तेल का आयात बड़े पैमाने पर क्यों नहीं कर रही है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह हमें पामोलिन से 25 रुपए कम कीमत पर मिल रहा है। क्या सरकार खाद्य तेल और तिलहन का आयात जारी रखेगी? यदि हां, तो सरकार पामोलिन तेल के बदले, विदेशी मुद्रा बचाने हेतु, सूरजमुखी तेल का आयात क्यों नहीं करती?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें मांग और आपूर्ति में 9 और 10 लाख टन का गैप है और इसके दो इफैक्ट हैं। इसका कुप्रभाव आने वाले समय में उपभाक्ताओं के ऊपर भी पड़ सकता है और जो आयल सीड पैदा करने वाले किसान हैं, उनके ऊपर भी पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बताइए कि सन फ्लावर आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं या नहीं? यही सवाल है?

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : यह सस्ते दर पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सन फ्लावर तेल आयात करने का प्रावधान ओ॰जी॰एल॰ में होता है। इस पर अभी तक 30 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी थी जिसको पिछले साल के बजट में घटाकर 22 प्रतिशत किया गया और इस साल भी बजट में, चूंकि आयात में सहूलियत हो इसलिए इसको समान कर दिया गया है। अब चाहे ओ॰जी॰एल॰ हो या पी॰डी॰एस॰ हो, दोनों में यह कस्टम ड्यूटी समानरूप से लागू होगी।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पामोलीन दिया जाता है, लेकिन वहां पर इसकी बहुत कमी है। जब हम वहां इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से बांटते हैं, तो वहां पर इसकी बहुत जबर्दस्त मांग होती है और वहां पर लोगों को महीनों तक पामोलीन आयल नहीं मिल पाता है, तो क्या भारत सरकार की ऐसी योजना है कि जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, उन्हें यह सप्लाई किया जाए और महाराष्ट्र के बारे में आपने क्या फैसला लिया है? योजना है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इससे यह प्रश्न नहीं उठता। आप वितरण की बात कर रहे हैं लेकिन प्रश्न आयात के बारे में है।

श्री मधुकर सरपोतदार : क्यों नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से वितरण के बारे में कैसे जवाब मांग रहे हैं। जबकि सवाल आयात नीति के बारे में है?

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या यह उपलब्ध कराया जायेगा?

[हिन्दी]

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

*224. **डा॰ ए॰के॰ पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे ही प्राधिकरणों का गठन करने के लिए निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन प्राधिकरणों का गठन कब तक कर दिया जाएगा और इस प्राधिकरण के कार्य का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

विवरण

सरकार मने "पुलिस शिकायत प्राधिकरण" स्थापित करने का निर्णय लिया है जसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य (अंश-कालिक सदस्यों सहित) होंगे ताकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों (निष्क्रियता, परेशान करने, दुर्व्यवहार, धन-एंठने अथवा भ्रष्टाचार, पद अथवा शक्ति का दुरूपयोग करने, प्र॰सू॰रि॰ दर्ज न करने और हिरासत में अपराध के मामलों सहित) लापरवाही अथवा ज्यादतियों के विरूद्ध जनता की शिकायतों का तेजी से निवारण किया जा सके तथा इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए यथा आवश्यक कार्रवाई करने की सिफारिश की जा सके।

पुलिस राज्य का विषय है तथा पुलिस के खिलाफ जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए उचित तंत्र की स्थापना करने राज्य का कार्य है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों को अपने-अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में पुलिस के विरूद्ध जनता की शिकायतों को दूर करने के वर्तमान तंत्र की पुनरीक्षा करने के लिए गृह मंत्री शीघ्र ही लिखेंगे। पुलिस के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के लिए उचित प्रणाली और तंत्र, जैसा वे उचित समझें, स्थापित करने की उन्हें सलाह दी जाएगी।

डा॰ ए॰के॰ पटेल : अध्यक्ष महोदय, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कानून के रक्षक ही इसका सबसे अधिक उल्लंघन करने वाले बन गए हैं। रोज हम समाचार पत्रों में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के बारे में पढ़ते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे मामलों में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध क्या कदम उठाने का विचार किया है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह प्रश्न विशेष रूप से दिल्ली में गठित किये जाने वाले पुलिस शिकायत प्राधिकरण से सम्बन्धित है। आपको याद होगा कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री ने पिछली जुलाई में राज्य सभा में शुरू की थी। तभी से पुलिस शिकायत प्राधिकरण की बात सिद्धान्ततः मान ली गई है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इसका गठन किस प्रकार किया जाए।

माननीय सदस्य ने जिन शिकायतों की बात की है उसमें अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न की शिकायतें शामिल हैं और ये महत्वपूर्ण मामले प्राधिकरण के पास जांच के लिए आएंगे और जब यह प्राधिकरण गठित हो जाएगा – मुझे आशा है कि यह ज्यादा से ज्यादा दो महीनें के अंदर गठित हो जायेगा तो उनका निवारण हो सकेगा।

डा॰ ए॰के॰ पटेल : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए और ऐसे कितने मामलों में जांच कराई गई?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न संभवतः राज्यों से सम्बन्धित है। जैसा कि आपको पता है राज्यों में कानून व्यवस्था तथा पुलिस और उनकी गतिविधियों का मामला राज्य सरकारों से संबन्धित है। इसलिए, मैं विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की संख्या अभी नहीं बता सकता।

अगर माननीय सदस्य महोदय ऐसा चाहते हैं तो मैं यह जानकारी एकत्रित करके बाद में उन्हें दे सकता हूं।

परन्तु मेरे विचार से इस समय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन जो एक स्वतन्त्र सार्वजनिक निकाय होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। दिल्ली में इसका गठन हो जाने पर हम राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में इसी तरह के प्राधिकरण के गठन का निर्देश देने की बात सोच रहे हैं।

कर्नल सोना राम चौधरी : महोदय, दिल्ली पुलिस तो विशेषरूप से बदनाम हो गई है और इसके खिलाफ अनेक शिकायतें मिली हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात मत कहिए, यह ठीक नहीं है।

कर्नल सोना राम चौधरी : कुल मिलाकर पुलिस के सिपाही बदनाम ही हैं। मैं, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में पुलिस के विरूद्ध कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं। चार माह पूर्व मैंने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी। मेरे साथ जबर्दस्ती की गई। मैंने माननीय मंत्री जी से इसकी शिकायत की। मुझे मंत्री जी की ओर से एक पत्र मिला कि जांच बैठा दी गई है और कुछ कार्यवाही की जायेगी। अब चूंकि इस मामले में सारे पुलिस अधिकारी और सिपाही शामिल हैं वे इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सदस्यों से, जो शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना हाथ न उठाएं। मैं उन्हें दोनों अवसर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं शून्य काल में अपना मुद्दा नहीं उठाऊंगा...*(व्यवधान)*

कर्नल सोना राम चौधरी : महोदय, उन्होंने आश्वस्त किया था कि कुछ कार्यवाही की जाएगी। जांच के आदेश दिए जा चुके थे। लेकिन इस बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली यह कि पुलिस के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और दूसरी यह कि मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराई गई शिकायत का क्या हुआ? इस बारे में मैंने मंत्री महोदय को लिखा भी था। अगर मंत्री महोदय, इसका जवाब नहीं देना चाहते, तो मैं इस मामले को छोड़ दूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप यही प्रश्न चार बार पूछ चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य जिस विशेष शिकायत का उल्लेख कर रहे हैं कि उन्होंने स्वयं की और जिसके बारे में वह कह रहे हैं कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, अगर वह सदन के बाहर मिलकर मुझे उसका विवरण दें तो मैं इस पर तुरन्त विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब जुलाई में फैसला कर लिया था तो उसके बाद आज तक इस प्राधिकरण को स्थापित क्यों नहीं किया गया? दूसरा आपने स्वयं कहा है कि उचित तंत्र की स्थापना करना राज्य का कार्य है और आप संघ शासित और राज्य शासित मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रकार का शिकायत प्राधिकरण स्थापित कर सकता है? आप उसको इजाजत देंगे या उसके अंदर भी रोड़े अटकाये जायेंगे क्योंकि अगर चुनी हुई सरकारें इस तंत्र को नहीं संभालेंगी तो पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें आयेंगी उसका हम निवारण नहीं कर सकते। वे पुलिस के केन्द्र के पास नहीं जाते। वे इलैक्टिड गवर्नमैंट के पास जाते हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को शिकायत केन्द्र स्थापित करने का पूरा अधिकार है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनको अधिकार तो है ही। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टेटों में जो निर्वाचित मुख्य मंत्री हैं उनको हम आदेश देने वाले हैं कि आप अपने-अपने स्टेट्स में इस किस्म की एक पब्लिक बॉडी बनायें जिसके पास वे अपनी कम्पलेंट्स ला सकें। उनको इंक्वायरी करने और रिपोर्ट देने का पूरा अधिकार रहेगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कृपया मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न त्रिपुरा पर है और मैं समझता था कि आप त्रिपुरा से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, मैं इसी प्रश्न पर अपना पूरक प्रश्न पूछूंगा।

दिल्ली उ॰प्र॰ के अत्यन्त निकट है...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपका प्रश्न त्रिपुरा के बारे में है? ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, मेरा पूरक प्रश्न, प्र॰सं॰ 224 पर है।

सभी सदस्यों ने आपकी पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अवधारणा का स्वागत किया है। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जो अपना वक्तव्य दिया था कि वहां राजनीतिक अराजकता, सामाजिक अव्यवस्था है तथा अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है, जिस पर सभी दलों को ध्यान देना होगा, को देखते हुए क्या वह समिति दिल्ली में इस स्थिति का ध्यान रखेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं पहले माननीय सदस्य से इस बारे में सुनना चाहूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि दिल्ली में हत्याओं, डकैतियों, अपहरणों तथा बलात्कारों की संख्या सर्वाधिक है। यह बात आप सभी सदस्यों से पूछ सकते हैं। अखबारों में रोज यह प्रकाशित होता है। राजनीतिक अराजकता, सामाजिक अव्यवस्था तथा छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था दिल्ली के मामले में एकदम ठीक बैठता है। इसलिए, हमें बताइये कि वह क्या कर रहे हैं?

श्री राम राईक : अगर आप यह मुद्दा नियम 184 के तहत उठाते, तो वह आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देते।

श्री संतोष मोहन देव : आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम जानते हैं कि समस्या कहां है? यह जुआ आप खेल सकते हैं। आप क्यों चिन्तित हैं, हम इसी प्रकार स्पष्ट होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य का कई बार उल्लेख कर दिया, वह वक्तव्य उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में था। यह दिल्ली या किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं था।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र को राज सहायता

***226. प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर"** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कृषि क्षेत्र को दी जा रही राजसहायता को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कृषि क्षेत्र को प्रदान की जा रही सब्सिडियों की दर बढ़ाने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि आठवीं योजना 31.3.1997 को समाप्त होने जा रही है। बहरहाल, किसानों को उर्वरकों, बिजली, सिंचाई तथा ऋण आदि जैसे आदान मूल्यों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें अन्य प्रकार से जैसे बीज-मिनिकिटों, मशीन औजारों, पौध संरक्षणद्व मृदा-संरक्षण ड्रिप तथा छिड़काव सिंचाई एवं विभिन्न प्लान योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण पर कई तरह की रियायतें, प्रोत्साहन तथा सहायता भी प्रदान की जाती है।

"किसानों को विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री" नामक चालू योजना के अन्तर्गत पोटाशयुक्त तथा फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर दी जाने वाली रियायत की दरों का ब्यौरा, हाल ही में 20.2.97 को घोषित रियायतों सहित, नीचे दिया गया है :

फोस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों पर रियायत की दरें

(रु॰ प्रतिटन)

उत्पाद	5.7.96 तक	6.7.96 से 31.3.97	1.4.97 से
स्वदेशी डी ए पी	1000	3000	3750
आयातित डी ए पी	–	1500	2250
म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एम ओ पी)	1000	1500	2000
एस एस पी (16% पी)	340	500	600
स्वदेशी मिश्रण	435-999	1304-2633	1149-3320

विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही अन्य राजसहायताओं का ब्यौरा संलग्न अनुबंध पर दिया गया है।

अनुबंध

कृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अधीन दी गई सब्सिडी का ब्यौरा

मद	सब्सिडी का प्रतिमान
1	2
1. ट्रैक्टर और इसके उपयुक्त उपकरण, इसमें ट्रेलर और बीज सह उर्वरक ड्रिल शामिल है	लागत के 30% की दर से सब्सिडी जो कृषकों, उनके समूहों पंजीकृत सहकारी समितियों, कृषि ऋण समितियों और बहृद्देशीय कृषि समितियों हेतु 30 हार्स पावर के टेक तक के ट्रैक्टर की खरीद के लिए 30,000 रुपये तक सीमित होगी।
2. ड्रिप सिंचाई	
(क) ड्रिप संस्थापना	अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰/छोटे/सीमान्त/महिला किसानों हेतु प्रणाली की कुल लागत का 90% सब्सिडी या 25,000/-रु॰ प्रति है॰/अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 70% जो उसी परिसीमा के अधीन होगी। है॰ की क्षेत्र सीमा में ड्रिप सिंचाई की संस्थापना के लिए लागत का 75% सब्सिडी अथवा 22,500/-रु॰ प्रति है।
(ख) प्रदर्शन	

1	2
समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	
3. स्प्रिंकलर सिंचाई	25,000 रु॰ प्रति है॰ जो कुल लागत के 90% के अधीन होगी
(क) छोटे और सीमांत किसान अ॰जा॰/ अ॰ज॰जा॰ और महिला कृषक	
(ख) अन्य किसान	25,000/-रु॰ प्रति है॰ जो कुल लागत के 70% के अधीन होगी
4. **बीज वितरण** (निर्मुक्ति के 15 वर्ष तक)	
(क) चावल, गेंहू और जौ	200 रु॰ प्रति कुंतल
(ख) संकर चावल	500 रु॰ प्रति कुंतल
(ग) ज्वार, बाजरा और अन्य कदन्न (गैर संकर)	400 रु॰ प्रति कुंतल
(घ) संकर ज्वार और बाजरा	1000/-रु॰ प्रति कुंतल
(ङ) कपास	400/-रु॰ प्रति कुंतल एसिड डिलिंटेड
(I) निर्मुक्ति के 10 वर्ष तक	300/-रु॰ प्रति कुंतल (यांत्रिक रूप से डिलिटेड)
(II) 10-15 वर्ष तक	250/-रु॰ प्रति कुंतल
(च) पटसन	600/-रु॰ प्रति कुंतल
(छ) प्रमाणित बीजों और दलहनों का वितरण	300/-रु॰ प्रति कुंतल (सभी प्रमाणित बीजों के लिए)
5. **गन्ना का स्थायी विकास उपकरण**	
(क) बैल वाहित	प्रति यूनिट 1,500 रु॰ की रकम जो कुल लागत के 50% के अधीन होगी
(ख) ट्रैक्टर चालित	10,000 प्रति यूनिट जो कुल लागत के 25% के अधीन होगी।

[हिन्दी]

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं और वह इसलिए कि भारतवर्ष में जो भी सरकार आती है, वह किसानों की और गांवों की बड़ी चिन्ता करती है। आजकल तो सौभाग्य से गरीब किसान प्रधान मंत्री हैं तो इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वैसे विश्वास तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब वरिष्ठ मंत्री बयान बदल देते हैं तो इस सरकार पर विश्वास करना गलती होगी।...(व्यवधान) थोड़ी सी नैतिकता जब होती है तो विश्वास किया जाता है, लेकिन आंखों का पानी जब बिल्कुल मर जाये तो विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए मेरा पहला सवाल यह है कि जो राज्य सहायता किसानों को देश में मिलती है, वह पूरी किसानों तक पहुंचे, उसका लाभ किसानों को मिले, क्या शासन कोई ऐसी व्यवस्था कर रहा है, या उसके पास है?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो सिस्टम है, उसमें सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को दे दी जाती है और मैन्युफैक्चरर उसे फार्मर्स को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को सर्टिफाई करके देती हैं कि इतना पहुंचा है, इस मूल्य पर यह बेचा गया है। इसके अतिरिक्त अगर माननीय सदस्यों का कोई ऐसा सुझाव हो, जिसमें सीधे फार्मर्स के पास पहुंच सके तो हम इसका स्वागत करेंगे। कम से कम सब्सिडी पर तो विश्वास है, सरकार पर रहे न रहे, नहीं तो उसको बता दीजिए।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि राज्य सहायता के आधार पर हमारे किसानों को अब तक माली स्तर पर काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हम यह देखते हैं कि किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा कार्यक्रम है कि किसानों की क्रय-शक्ति बढ़ जाये?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सबसे पहला काम तो करना पड़ेगा कि उनके पास

जो खेत हैं, उस खेत में उपज और उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : मैं कार्यक्रम पूछ रहा हूं, केवल सुझाव तो सभी दे सकते हैं। मैं कार्यक्रम पूछ रहा हूं, क्या कोई कार्यक्रम है?

श्री चतुरानन मिश्र : हम बता देते हैं, अगर आप धैर्य रखेंगे। हमने कहा कि उत्पादन और उत्पादकाता बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है, उसमें उनको सस्ती दर पर सब्सिडी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनके यहां सिंचाई की व्यवस्था की कोशिश की जा रही है, हाईब्रीड सीड उनको उपलब्ध हो सकें...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सस्ती दर की सब्सिडी क्या होती है? आपने कहा कि सस्ती दर की सब्सिडी पहुंचा रहे हैं।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अगर भारतीय किसानों का गेहूं 4.15 रुपये खरीदा जायेगा और विदेशी पूंजीपतियों का गेहूं 6.35 रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा तो भारतीय किसानों का कोई भला नहीं होगा, यदि ऐसा किया जायेगा तो यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। या तो यह कहें कि हम असत्य बोलते हैं, किसानों के नेता हैं ही नहीं, या हमारी बात का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : सुन लीजिए। प्रो॰ साहब, पहले जवाब सुन लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने माननीय सदस्य को कभी नहीं कहा कि असत्य बोलते हैं, वे एकदम सत्य बोलते हैं। हम क्यों कहेंगे कि असत्य बोलते हैं? ऐसा तो हमने आपको कहा नहीं है। किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं।

इसलिए गेहूं का दाम 35 रुपये बढ़ा दिया है। लेकिन हम उतना ही बढ़ाते हैं जिससे हमारे देश के गरीब उपभोक्ता भयंकर संकट में न आ सकें। जो भी मूल्य बढ़ाया गया है उससे सरकार बहुत ज्यादा चिन्तित है इसलिए दोनों का समन्वय करके मूल्य निर्धारित करते हैं।

[अनुवाद]

श्री॰ पी॰ कोदंड रमैया : राजसहायता प्रणाली अन्यायपूर्ण है क्योंकि छोटे और बड़े दोनों किसानों को एक जैसी राजसहायता मिलती है। किसी छोटे किसान के पास अगर दो एकड़ जमीन है तो उसे एक बोरा यूरिया मिलता है और अगर बड़े किसान के पास 200 एकड़ जमीन है तो उसे 20 या 30 बोरी यूरिया मिलता है। इस तरह धनी किसान ही फायदे में रहता है। मेरे विचार से तो राजसहायता प्रणाली तो धनी किसानों के हित में तथा अन्यायपूर्ण हैं। क्या सरकार ने गरीब किसानों के हित में राजसहायता की दर में वृद्धि करने या अलग-अलग दर निर्धारित करने पर विचार कर रही है?

श्री चतुरानन मिश्र : मैं इस पर विचार कर सकता हूं परन्तु इस देश में समस्या यह है कि लघु और सीमान्त कृषक अच्छी तरह संगठित नहीं हैं। उनके लिए जो भी चीजें भेजी जाती हैं, उन्हें अन्य लोग हड़प जाते हैं। अगर संसद सदस्य गारंटी दें, तो मैं अलग-अलग दर निर्धारित करने के लिए तैयार हूं लेकिन वांछित समूह लाभान्वित होना चाहिए तथा लघु और सीमान्त कृषकों के नाम पर अन्य लोग सुविधाएं न हड़प जायें।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय मंत्री ने उचित मूल्य के बारे में बताया। आप शोध करेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी किसान को अपने किसी भी उत्पाद का समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जबकि किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिलना चाहिए। जवाब में बताया गया है कि सीमांत किसान, छोटे किसान और महिला किसान हेतु प्रणाली की कुल लागत का 90 प्रतिशत अर्थात 25000 रुपये सब्सिडी है। इसमें महिलाओं की बात कही गई है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि कौन-सी महिलाओं को कितना मिलेगा, क्या ऐसा कुछ सोचा है? क्योंकि इसमें महिला किसान भी जुड़ी हुई हैं और उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं, जिससे वे अच्छी तरह कृषि कर सकें इसलिए क्या महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : महिलाओं के बारे में क्राइटेरिया महिलाएं ही हैं, दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी हमने 90 प्रतिशत शुरू किया है, 100 प्रतिशत का सोचा नहीं है। 90 प्रतिशत में भी रुपये का प्रावधान हो जाए, सदन ज्यादा रुपया दे दे, तो हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित कर सकेंगे। अभी हमें दुःख है कि हम बहुत कम को लाभान्वित कर रहे हैं, जबकि हम ज्यादा को करना चाहते हैं।

श्री दिलीप संघानी : किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले इसके लिए खाद, बीज और बिजली जैसी आवश्यक चीजों को भी उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वाजिब रेट पर कराना चाहिए। जबकि हम उनके दाम बढ़ाते जा रहे हैं और उसके उत्पाद के दाम उस रेशों में नहीं बढ़ रहे। 1950 में खाद, बिजली और बीज के जो दाम थे और उत्पादन का जो दाम था, अब इनके क्या दाम हैं और उसे अपने उत्पादन का क्या दाम मिल रहा है, इसमें जो रेट का अंतर है, क्या उसका सर्वे करके आप कोई स्थाई समिति का गठन करेंगे जिससे किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, क्या इस बारे में सरकार कुछ कर रही है?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे गरीब उपभोक्ता हैं, उनको ध्यान में रखकर भी हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। एक ही फैक्टर से नहीं कर सकते। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हम दूसरी तरह से किसानों की मदद करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जैसे सब्सिडी के रूप में हम मदद दे रहे हैं। चाहे फर्टिलाइजर हो, देश या विदेश की हो, उसमें सब्सिडी लगातार बढ़ाते हैं और प्राइस कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से बिजली और इरीगेशन पर भी हम सब्सिडी देते हैं।

अगर माननीय सदस्य चाहें तो हम कुछ आंकड़े आपको दे देते हैं। आयातित फर्टिलाइजर्स पर 1350 करोड़ रुपए, डोमेस्टिक फर्टिलाइजर्स पर 4743 करोड़ रुपए, कंट्रोल फर्टिलाइजर्स पर 1674 करोड़ रुपए और इलैक्ट्रीसिटी सब्सिडी पर 15329 करोड़ रुपए तथा इरीगेशन सब्सिडी पर, उसकी लेटेस्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन वर्ष 1994-95 में 6828 करोड़ रुपए हम उनको सब्सिडी देते हैं। यह भी एक तरीका है जिससे उनके उत्पादन के खर्च को पूरा किया जा सके।

श्री दिलीप संघानी : मैंने पूछा था कि 1950 में खाद का जो भाव था, आज गेहूं का भाव उनका डिफरेंस ऑफ रेट तब से आज तक जो बना हुआ है, उसमें संतुलन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समय कहां है? इस प्रश्न पर हमने अधिक समय ले लिया।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मंत्री जी का उत्तर इस प्रश्न के अत्यन्त निकट है। राजसहायता, बजट का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। सामान्यतः कहा जाता है कि गरीबों को ही राजसहायता मिलती है। वास्तव में, हम जानते हैं कि कर का भुगतान न करके निर्यातक तक उद्योगपति राजसहायता का लाभ उठाते हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र और मुख्यतः धनी वर्ग निर्यात में रियायत तथा पिछड़ा जिला रियायत के रूप में राजसहायता का लाभ उठाते हैं। इसलिए, गरीब वर्ग तथा कृषि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी राजसहायता दी जाती है, इसका पता नहीं। मैं माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि कृषि के लिए कुल कितनी राजसहायता दी जाती है? क्या वह गरीब और अमीर में अन्तर कर सकते हैं? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले के बजट में प्रस्ताव था कि यदि सीमान्त कृषक ट्रैक्टर खरीदता है, तो उसे भारी राजसहायता दी जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी जी, आप सीधे पश्न के अपने वायदे से आगे बढ़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, भूमि का बंटवारा पहले से ही असंतुलित है। जो छोटे और मध्यम किसान हैं, उनके पास टोटल क्रॉप एरिया 32 प्रतिशत है और बाकी जमीन दूसरे के पास है। जिनके पास ज्यादा खेत हैं, वे ज्यादा फर्टिलाइजर्स लेंगे और अगर आप संतुलित जमीन का कहना चाहते हैं तो हम कम्युनिस्ट पार्टीज से अपील करेंगे कि वे उसके लिए और ज्यादा प्रयास करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा पहलू यह है कि टारगेटेड ग्रुप को ज्यादा दिया जाए, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और पहले भी कहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है कि हम उनको पहुंचा सकें। अगर कम्युनिस्ट लोग उसमें मदद करेंगे तो हम और भी ज्यादा मदद कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ असीम बाला : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर एकदम स्पष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने लघु और सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली राजसहायता के प्रतिशत का उल्लेख किया है, पर उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को भी आने वाली राजसहायता का प्रतिशत नहीं बताया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

कपास उत्पादक

+

*227. **श्री दिनशा पटेल** :

श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात के विभिन्न भागों में कपास की अपर्याप्त बिक्री तथा इसके गिरते हुए मूल्य के कारण कपास उत्पादकों को होने वाली परेशानी से अवगत हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा अपने वायदे के मुताबिक कपास उत्पादकों की सहायता करने हेतु सहकारी कपास समितियों को 100 करोड़ रुपए की धनराशि भी नहीं उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात के कपास उत्पादकों की परेशानी कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ख) वर्तमान वर्ष में गुजरात में कपास के मूल्य विगत वर्ष की तुलना में कम हैं लेकिन ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक हैं। फिर भी, राज्य सरकार ने गुजरात राज्य सहकारी संघ लि॰ को किसानों से कपास की खरीद की गति तेज करने को कहा है और यदि आवश्यक हुआ तो हानियों का वहन करने को वचनबद्ध है। राज्य सरकार के आश्वासन पर राज्य सहकारी बैंक ने 28 करोड़ रु॰ का ऋण दिया है और इसके अलावा 25 करोड़ रु॰ के ऋण को नाबार्ड का अनुमोदन मिलने की प्रतीक्षा है। गुजकाट ने संस्थाओं के लिए ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था करके अब तक 1.38 लाख कपास की गांठो की खरीद की है जिसका मूल्य 129.50 करोड़ रु॰ है।

(ग) कपास उत्पादकों की मदद करने के लिए सरकार निम्नलिखित विभिन्न उपाय करती रही है :-

1. मौसम की शुरूआत के पहले ही विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये गये थे।

2. इस वर्ष के दौरान कपास की 12.20 लाख गांठों का निर्यात कोटा जारी किया गया है जिसमें से एक लाख गांठों का आबंटन "गुजकाट" को किया गया है। इसके अलावा, 1995-96 के मौसम के निर्यात कोटा से 6.30 लाख गांठों (लगभग) की शेष बची मात्रा का भी 28.2.97 तक निर्यात किये जाने की अनुमति दी गई है।

3. भारतीय कपास निगम कपास उत्पादकों को मदद देने के लिए बहुत अधिक मात्रा में खरीद करता रहा है। 23.2.97 की स्थिति के अनुसार वर्तमान मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम की खरीद 7.81 लाख गांठें थी जबकि पिछले वर्ष में इसी तारीख की स्थिति के अनुसार निगम की खरीद 6.14 लाख गांठें थी। वर्तमान मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम तथा "गुजकाट" ने गुजरात से 3.55 लाख गांठों की खरीद की है तथा 1.69 लाख गांठों का निर्यात किया है। राज्य विपणन संघ तथा "नेफेड" को भी निर्यात के लिए कोटा जारी किया गया। ये दोनों संस्थाएं भी कपास खरीदती रही हैं।

4. 1996 में 41 एस से कम के काउण्ट के कपास के धागों के निर्यात की अधिकतम सीमा 80 मिलियन किग्रा से बढ़ाकर 110 मिलियन किग्रा हो गई थी। वर्ष 1997 में 41 एस से कम के काउण्ट के कपास के धागों के निर्यात की सीमा बढ़कर 120 मिलियन किग्रा हो गई है।

5. कपास को चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण से हटा दिया गया है।

6. कपास के लिये इस समय कोई स्टाक सीमा नहीं है।

7. वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में गिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरी अधिनियम, 1925 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है तथा सुस्पष्ट आयात कालीन स्थिति में ही कपास नियंत्रण आदेश, 1986 लागू किया जायेगा। कताई किये गये तथा गांठ के कपास के मामले में भविष्य में घरेलू व्यापार किया जायेगा।

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष जी, मोर्चा सरकार किसानों की बात करती है और मिनिस्टर साहब भी किसान हैं। लेकिन जब किसान की बात आती है तो मोर्चा सरकार मुंह मोड़ लेती है। उत्पादक किसानों को प्रोटेक्ट किया जाता है लेकिन कपास के उत्पादक जो किसान हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। उसका क्या करण है? सैन्ट्रली स्पोनसर्ड स्कीम में इंसेंटिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा गुजरात स्टेट को पिछले तीन सालों में कितनी रकम दी गई और अगर दी गई तो कम रकम क्यों दी गई?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार कॉटन की खरीद के लिए जो दाम निर्धारित करती है, अगर उससे कम दाम पर बाजार में बिकने लगता है, तो कॉटन खरीदने के लिए आदेश दे देते हैं। कॉटन के क्षेत्र में ऐसा होता है कि अगर एक साल दुनिया में उत्पादन कम हो गया, तो कॉटन का दाम बढ़ जाता है और दूसरे साल उत्पादन ज्यादा हो गया, तो दाम उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। फ्लक्चुएशन के मुताबिक दाम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सपोर्ट प्राइस तय करते हैं, उससे अगर कम दाम होता है, तो उसकी खरीद के लिए आदेश दे देते हैं। अभी जो आंकड़ा दिया गया है, उसमें दोनों बातें हैं। एक्सपोर्ट में भी हम पहले से ज्यादा मात्रा दे रहे हैं। हम माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहेंगे कि 1994-95 में 1.8 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट हुआ था, 1995-96 में इसको बढ़ाकर 15.90 लाख बेल्स किया गया है और 1996-97 के लिए जो आदेश दिया गया है, वह 12.20 लाख बेल्स का है। यह भी कोशिश होती है कि प्रदेश में भी बेचें। हमारी तरफ से जो मिनिमम सप्रोट प्राइस होती है, उससे दाम कम न आए, इसका प्रयास करते हैं। फिर भी मिल-मालिक कुछ ऐसा मैनेज कर लेते हैं, जिससे किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक कमेटी बैठी हुई है, हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री दिनशा पटेल : पिछले तीन सालों में गुजरात को इन्सैन्टिव स्कीम के तहत कितना पैसा दिया गया है?

श्री चतुरानन मिश्र : किस चीज का इन्सैन्टिव?

श्री दिनशा पटेल : कॉटन डवेलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत गुजरात को पिछले तीन सालों में कितना पैसा दिया गया है?

श्री चतुरानन मिश्र : मेरे पास स्टेटवाइज फीगर हैं, आप कहें तो अलग से दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से दे दें।

श्री दिनशा पटेल : महोदय, जवाब में बताया गया है कि उत्पादकों की मदद के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं। न्यूनतम मूल्य कितना घोषित किया गया है? इन्डस्ट्रीज अधिनियमन, 1925 को निरस्त कब किया गया और 1996 में जो लागू किया गया, उसका क्या फायदा हुआ है?

श्री चतुरानन मिश्र : फायदा यह होगा कि किसान उत्पादन को बेच सकेंगे और विदेश ले जा सकेंगे, लेकिन पूरी फीगर्स हमारे पास नहीं हैं।

श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने फैक्स मैसेज द्वारा किसानों के बारे में बताया था, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं दिया है। मेरा प्रश्न है, जवाब क्यों नहीं दिया गया? दूसरे, हर वक्त सरकार किसानों की बात करती है, मैं आपको तीन साल के आंकड़े देना चाहता हूं। 1992-93 में एक करोड़ देने की बात थी। बाद में इस राशि को कम कर दिया गया और 45 लाख रुपए दिए गए। तीसरे साल यह राशि और कम कर दी गई और 11 लाख रुपए दिए गए। तीन सालों में पैसा बढ़ाने के बजाए कम करना गलत बात है। सरकार को देखना चाहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और भारत में अन्य राज्यों में कॉटन ग्रोअर्स की हालत क्या है। अभी जो कॉटन सैमीनार हुआ था, उसमें आप आए थे और वहां आपने अच्छी तरह से समझाया था। मैं इसकी कद्र करता हूं। मैं आपसे

जानना चाहता हूं, कॉटन ग्रोअर्स के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और तीन साल में जो भाव गिरते जाते हैं, इसकी सुनवाई के लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि उस सदन के अपर हाउस में जो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था उस पर इसी पहलू पर जांच करने के लिए कमेटी बैठ गई है। हमने कान्फ्रेंस में भी कहा था कि कमेटी की ज्यों ही रिपोर्ट आ जाती है तो तुरंत उसके अनुकूल हम काम करेंगे। हमने तो आपको यह कहा है और अभी भी कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट आने दीजिए उसको देख कर हम आपको बताएंगे।

श्री नंदकुमार सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विगत दो वर्षों में कपास के दाम कम होते रहे हैं। 1994-95 में 2500 रुपए क्विंटल का हिन्दुस्तान में कपास का दाम मिला, पिछले साल 2100-2200 रुपए क्विंटल तक का दाम मिला और इस साल 1500 रुपए क्विंटल का दाम मिल रहा है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र इस वर्ष भी 2100 रुपए क्विंटल में कपास खरीद रही है, क्या इस प्रकार से सारे देश में केन्द्र सरकार 2100 रुपए क्विंटल के हिसाब से कपास खरीदने के लिए कोई कार्यक्रम सीसीआई के माध्यम से बनाएगी?

श्री चतुरानन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमने तो एक बार कह दिया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम में जब मार्केट में आएगा तो हम इंटरविन करेंगे और बाकी महाराष्ट्र में जो परचेज में मनोपली है उसको वे करते हैं। गुजरात में भी कार्पोरेशन है वह उसे करता है उसके बारे में तो हमने आंकड़े दे ही दिए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नंदकुमार सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर महाराष्ट्र में 2100 रुपए क्विंटल में खरीदा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : पंजाब राज्य में भी कपास की खेती होती है। गत वर्ष किसानों को भारी घाटा हुआ क्योंकि बाजार में कपास की कीमत में भारी गिरावट आ गई और भारतीय कपास निगम तथा 'नेफेड' ने समय पर खरीद नहीं की। जब किसानों ने इसकी फसल बेच दी तब जाकर ये एजेंसियां आईं। मंत्री महोदय ने कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी दिया जाता है, जब कीमतों में गिरावट आ जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल एक काल्पनिक मूल्य है और कहीं भी कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा जाता। क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि भारतीय कपास निगम तथा नेफेड पंजाब के बाजार में कपास के आने पर समय पर उसकी खरीद करेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : पंजाब तथा अन्य स्थानों पर भी ये एजेंसियां तभी खरीद का कार्य करती हैं जब इनका मूल्य बाजार में समर्थन मूल्य से भी कम होता है। मैं अपने जवाब में आंकड़े दे सकता हूं। भारतीय कपास निगम कपास उत्पादकों की सहायता के लिए भारी मात्रा में कपास खरीदती रही है। 23.2.97 की स्थिति के अनुसार, पिछले वर्ष 6.14 लाख गांठ की तुलना में चालू मौसम में भारतीय कपास निगम ने 7.81 लाख गांठें खरीदी। मैं आपको बता चुका हूं कि हम और खरीद कर रहे हैं परन्तु अगर आप चाहते हैं कि हम और कपास खरीदें, तो इस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात उनसे कह दूंगा। माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि भारतीय कपास निगम देर से खरीददारी करता है और इसकी कीमत गिरती जा रही है। अगर निगम खरीददारी जल्दी शुरू करे, तो किसानों को अधिक कीमत मिल सकती है।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। मेरे विचार से सरदार सुरजीत सिंह बरनाला भी यह जानना चाहते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : यदि समय की बात है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सनत मेहता : मंत्री महोदय ने कहा है कि नियंत्रित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय किसानों को कपास के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या उपाय करेंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका केवल एक ही तरीका है कि 40 प्रतिशत खरीद संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिए। यदि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे केवल तब ही किसानों को सही मूल्य मिलेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि मिलों अथवा व्यापारियों के बजाए संस्थाओं द्वारा 40 प्रतिशत खरीद के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वह इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं उन्हें पुनः बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हमारे यहां लाखों हथकरघा बुनकर हैं। यदि कपास के मूल्य बढ़ जायेंगे तो वे भूखे मर जायेंगे। मेरे दिमाग में यह बात भी है।

श्री पी॰ उपेन्द्र : महोदय, भारत सरकार इन मामलों में विशेषतः कपास, तम्बाकू और अन्य फसलों के संबंध में हमेशा तदर्थ निर्णय लेती है। उन्हें कताई मिलों की जरूरत और निर्यात की जरूरतों का पता है। लेकिन उसके बावजूद भी वे पहले से योजना तैयार नहीं करते हैं। वे पहले से इसके लिए योजना क्यों नहीं बनाते और यह क्यों नहीं बताते कि इतनी मात्रा में निर्यात की अनुमति दी जाएगी और इतनी मात्रा में राज्य व्यापार निगम, नेफेड और भारतीय कपास निगम को उपलब्ध कराई जाएगी? वे किसानों को इसके बारे में पहले से क्यों नहीं बताते ताकि किसान इसकी मजबूरन बिक्री न करें?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, जब तक उत्पादन का पता नहीं चलता तब तक ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री पी॰ उपेन्द्र : आपको उत्पादन का पता होता है। पिछले वर्ष के उत्पादन के आधार पर आप यह सब कुछ कर सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, प्रत्येक वर्ष का उत्पादन अनुमान सही नहीं होता है। उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध होने पर ही हम मिलों की जरूरत और घरेलू जरूरत के बारे में बता सकते हैं। मैं आंकड़े पहले ही बता चुका हूं। हम निर्यात बढ़ा रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मेरा प्रश्न न्यूनतम समर्थन मूल्य के फार्मूला के बारे में हैं जो कि मूल आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय योजना आयोग की सलाह से औद्योगिक उत्पादन फार्मूला की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य फार्मूला की समीक्षा करेंगे? औद्योगिक उत्पादन के मामले में जो फार्मूला अपनाया जाता है उसके अंतर्गत लागत में 10 प्रतिशत लाभ को जोड़ा जाता है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसी प्रकार क्या कृषि उत्पादन के मामले में भी हम यह फार्मूला नहीं अपना सकते कि कुल लागत में 10 या 15 प्रतिशत लाभ को जोड़ दिया जाए? क्या औद्योगिक उत्पादन की तरह कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु यह फार्मूला नहीं अपनाया जा सकता है?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, यही फार्मूला अपनाया जा रहा है। हम 10 प्रतिशत सीमांत लागत के रूप में दे रहे हैं। माननीय सदस्य इसकी जांच कर सकते हैं और यदि इस संबंध में कोई सुझाव है तो मैं उस पर गौर करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं मंत्री जी से सहमत हूं। यह फार्मूला पहले से ही अपनाया जा रहा है। मेरे विचार से यदि आप सी॰सी॰आई॰ के प्रवेश के संबधं में श्री बरनाला के सुझाव पर विचार कर सकते हैं तो उन्होंने सबसे बढ़िया सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

+

*229. **श्री एन॰ डेनिस** :

श्री के॰सी॰ कोंडय्या :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हेतु कितना बजट आबंटन किया गया है;

(ख) आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है;

(ग) उपर्युक्त आयोग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या आयोग ने मैला ढोने वाले कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थितियों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस आयोग ने बंगलौर में तथा देश के अन्य स्थानों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए बजट आबंटन 70 लाख रुपए है। तथापि, संशोधित अनुमान 1996-97 में इसे बढ़ाकर 78.50 लाख रुपए तक कर दिया गया है।

(ख) यदि आयोग लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली के विंग "बी" में स्थित है।

(ग) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में 43 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तथापि, आयोग के कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 46 है। जिसमें से 3 पद (2 निजी सचिव तथा एक अनुसंधान सहायक के पद) रिक्त पड़े हैं। इसके अतिरिक्त 10 समूह "घ" कर्मचारी दैनिक मजदूरी के आधार पर लगाए गए हैं।

(घ) और (ङ) इस आयोग ने नवम्बर, 1996 के दौरान वर्ष 1994-95 के लिए प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयोग का कार्यकाल तथा दर्जा, वित्तीय स्वायत्ता, सफाई कर्मचारियों की परिभाषा, सर्वेक्षण, स्टाइपेंड, प्रशिक्षण, पुनर्वास की परियोजना लागत, योजना का प्रचार, सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना, मानीटरिंग, सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं, सफाई कर्मचारियों के लिए अनन्य रूप से वित्त निगम आदि से संबंधित सिफारिशें शामिल हैं।

(च) इस आयोग ने बेंगलूर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एन॰ डेनिस : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास, उनके आर्थिक, सामाजिक विकास तथा जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है? क्या सरकार सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग की गतिविधियां बढ़ाने के लिए दक्षिण में क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगी?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, सरकार ने सफाई करने वाले लोगों की मुक्ति, उनके पुनर्वास और उनकी आत्म-निर्भरता के लिए राष्ट्रीय योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले हमने उन लोगों की संख्या का पता लगाया है जो सिर पर मैला ढोते हैं और उन लोगों की संख्या का भी पता लगाया है जो सफाई कार्य में लगे हुए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

पूरे भारत में 7,50,000 सफाई कर्मचारी हैं। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने अनेक योजनाएं चलाई हैं। हम उन्हें वैकल्पिक रोजगार दे रहे हैं और हमें विश्वास है कि 2002 तक सरकार इस कुप्रथा को समाप्त कर देगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चल चिड़ियाघर

***221. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान पंजीकृत और गैर-पंजीकृत चल चिड़ियाघरों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश में गैर पंजीकृत चल चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे पंजीकृत चल चिड़ियाघरों को सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता, यदि कोई हो, क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) देश में चलते-फिरते चिड़ियाघरों जिन्होंने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को स्वीकृति के लिए आवेदन दिया है, की संख्या 25 है। ये बिहार में 11, तमिलनाडु में 1, उत्तर प्रदेश में 9 और पश्चिम बंगाल में 4 हैं। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2 चिड़ियाघर और राजस्थान से 1 चिड़ियाघर जिन्होंने स्वीकृति के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को कोई आवेदन नहीं दिया है, ने अपनी कार्रवाई चालू रखने की अनुमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय से सम्पर्क किया है।

(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में व्यवस्था है कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी चिड़ियाघर नहीं चलाया जाएगा। तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ग) अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल स्थिति मिलने को सुनिश्चित करने के विचार से बनाया गया था।

(घ) केन्द्र सरकार ने चलते-फिरते चिड़ियाघरों को कोई सहायता नहीं दी है।

त्रिपुरा में विद्रोह

***225. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी के "स्टेट्समैन" से "रिबेल्स किल 24 इन त्रिपुरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार स्थिति से कारगर ढंग से निपटने में असफल रही है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य में इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (च) राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों ने, गहन तालमेल के साथ, अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ सम्मिलित हैं :—पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सेना की टुकड़ियों को तैनात करना, समन्वय में सुधार और आसूचना का आदान-प्रदान करना, बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना, राज्य पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण और विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत करना।

[हिन्दी]

मूंगफली का उत्पादन

***228. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में मूंगफली के कुल अनुमानित उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान कुछ राज्यों में मूंगफली के उत्पादन में कमी आई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और 1994-95 की तुलना में इसके उत्पादन में कितनी कमी आई हैं;

(घ) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) मूंगफली के उत्पाद को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) रबी 1996-97 के मौसम के लिये देश में मूंगफली के उत्पादन के संबंध में अनुमानित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। फिर भी, खरीफ 1996-97 के दौरान मूंगफली का राज्यवार विवरण-I पर प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) जी हां, उत्पादन में 2.48 लाख मीटरी टन तक की कमी आयी है जो कि मुख्यतया 1995-96 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में उत्पादन कम रहने के कारण हुई है। 1994-95 और 1995-96 के दौरान हुए मूंगफली के उत्पादन के प्राक्कलन का एक तुलनात्मक विवरण जिसमें वर्ष 1994-95 की तुलना में कुछ राज्यों में उत्पादन में हुई कमी को दर्शाया गया है, विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मूंगफली के उत्पादन में आयी यह कमी मौसम संबंधी गड़बड़ी के कारण हुई है। मानसून के आने में विलम्ब हो गया जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा में बुआई पर प्रतिकूल असर पड़ा। उसके बाद पड़े लम्बे सूखे के कारण नमी कम पड़ गयी जिसका उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा।

(ङ) देश में मूंगफली तथा अन्य तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 22 राज्यों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बीजों के उत्पादन तथा वितरण, मिनी किटों के वितरण, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम/चाइराइट, उन्नत फार्म उपकरणों, पौध रक्षण उपस्करों, कृषक प्रशिक्षण तथा छिड़काव सेटों आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण निवेश सामग्री के लिये राजसहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिये किसानों के खेत पर प्रमुख तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

विवरण-I

खरीफ 1996-97 के मौसम के लिये मूंगफली के उत्पादन का राज्यवार अग्रिम अनुमान

(हजार मी॰टन)

राज्य	खरीफ 1996-97
आन्ध्र प्रदेश	1665.0
बिहार	4.0
गुजरात	2159.0
हरियाणा	3.0
कर्नाटक	955.0
केरल	12.0
मध्य प्रदेश	310.0
महाराष्ट्र	506.0
उड़ीसा	39.0
पंजाब	12.0
राजस्थान	247.0
तमिलनाडु	1100.0
उत्तर प्रदेश	110.0
अन्य	5.0
अखिल भारत	7127.0

विवरण-II

1994-95 तथा 1995-96 के दौरान मूंगफली के उत्पादन का राज्यवार तुलनात्मक विवरण

उत्पादन (हजार मी॰ टन)

राज्य	1994-95	1995-96	1994-95 के दौरान उत्पादन में कमी की सीमा
आन्ध्र प्रदेश	1670.7	2426.2	
बिहार	4.8	4.3	-0.5
गोवा	2.1	1.9	-0.2
गुजरात	2380.1	1028.3	-1351.8
हरियाणा	1.8	1.7	-0.1
हिमाचल प्रदेश	0.4	0.4	
जम्मू व कश्मीर	0.1	0.1	
कर्नाटक	945.5	1156.0	
केरल	12.8	12.5	-0.3
मध्य प्रदेश	214.3	290.6	
महाराष्ट्र	629.2	576.4	-52.8
नागालैंड	0.5	1.0	
उड़ीसा	90.2	92.3	-5.9
पंजाब	8.0	8.0	
राजस्थान	197.5	163.6	-33.9
तमिलनाडु	1762.4	1911.6	
त्रिपुरा	1.9	1.3	-0.6
उत्तर प्रदेश	101.6	107.2	
पश्चिम बंगाल	26.3	26.6	
पांडिचेरी	3.4	3.6	
अखिल भारत	8061.6	7813.6	-248.0

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधेयक

***230. कुमारी उमा भारती :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इस विधेयक को कब तक पेश किए जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) जी हां, मानसिक अवरुद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1995 को संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस न्यास के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों की देखभाल तथा पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना, उनकी देखभाल में लगे संगठनों को अनुदान तथा सहायता देना तथा इस उद्देश्य के लिए दान कर दी गई सम्पत्तियों को प्राप्त और उनका प्रबन्ध करना होगा।

हथियारों के लाइसेंस हेतु सरलीकृत प्रक्रिया

*231. **श्री परसराम मेघवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा बसों में लूटपाट तथा डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों की सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस देने संबंधी प्रक्रिया को सरलीकृत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, उसका पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी प्रमुखतः राज्य सरकारों की है। बसों में लूटपाट और डकैती के बारे में विशिष्ट आंकड़े, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। जिन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है उन राज्यों में हुई डकैती और लूटपाट की घटनाओं के बारे में वर्ष 1994 के लिए नवीनतम सूचना जिला-वार उपलब्ध है और उसे इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न किया गया है। यह महसूस किया गया कि शस्त्र लाईसेंस देने के बारे में वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

विवरण

वर्ष 1994 के दौरान गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के जिलों में डकैती और लूटपाट की घटनायें।

क्र॰सं॰	राज्य/जिला	डकैती 1994	लूटपाट 1994
1	2	3	4
I.	**गुजरात**		
1.	अहमदाबाद कॉम	118	134
2.	अहमदाबाद ग्रामीण	50	54
3.	आहवा-डंस	1	0
4.	अमरेली	29	15
5.	आनंद	35	37
6.	बनसकांठा	96	88
7.	भडौच	52	39
8.	भावनगर	44	42
9.	गांधी नगर	6	7
10.	जामनगर	41	37
11.	जूनागढ़	43	44
12.	खेदा उत्तरी	30	36
13.	कच्छ	19	24
14.	मेहसाना	61	87
15.	पंचमहल	112	111
16.	पाटन	34	44
17.	पोरबंदर	10	11
18.	राजकोट कॉम	19	39
19.	राजकोट	44	36
20.	सबरकांठा	14	24
21.	सूरत कॉम	60	66
22.	सूरत ग्रामीण	21	20
23.	सुरेन्द्र नगर	15	25
24.	यादोनगर कॉम	21	26
25.	यादो नगर ग्रामीण	37	35
26.	यलसाड़	17	34
27.	उत्तरी रेलवे	24	38
28.	**कुल**	**1053**	**1153**
II.	**जम्मू और कश्मीर**		
1.	अनंतनाग	7	16
2.	बदगाम	1	1

1	2	3	4
3.	बारामुल्ला	17	21
4.	डोडा	19	10
5.	जम्मू	13	10
6.	कारगिल	0	0
7.	मथुवा	2	4
8.	कुपवाड़ा	3	3
9.	लेह	0	0
10.	पुलवामा	4	15
11.	पूंछ	1	0
12.	राजौरी	0	0
13.	श्रीनगर	12	21
14.	उधमपुर	17	10
15.	रेलवे	0	0
16.	**कुल**	**96**	**111**
III.	**पंजाब**		
1.	अमृतसर	10	7
2.	बरनाला	0	3
3.	बटाला	0	1
4.	भटिंडा	1	4
5.	फरीदकोट	1	2
6.	फतेहगढ़ साहिब	2	2
7.	फिरोजपुर	0	2
8.	गुरदासपुर	1	2
9.	होशियारपुर	0	2
10.	जगरांव	1	1
11.	जालन्धर	14	5
12.	कपूरथला	1	0
13.	खन्ना	1	1
14.	लुधियाना	4	7
15.	मजीठा	0	2
16.	मनशा	0	1
17.	पटियाला	5	1
18.	रोपड़	0	1
19.	संगरूर	0	0
20.	तरनतारन	3	2
21.	**कुल**	**44**	**46**

1	2	3	4
IV.	**राजस्थान**		
1.	अजमेर	40	50
2.	अलवर	61	38
3.	बांसवाड़ा	40	59
4.	बारान	47	45
5.	बाडमेर	38	33
6.	भरियोर	47	58
7.	भीलवाड़ा	34	31
8.	बीकानेर	8	10
9.	बुन्दी	42	49
10.	चित्तौड़गढ़	59	70
11.	चूरू	10	10
12.	दौसा	11	26
13.	धौलपुर	18	25
14.	डूंगरपुर	21	13
15.	गंगानगर	33	13
16.	हनुमानगढ़	*	14
17.	जयपुर	98	93
18.	जैसलमेर	13	10
19.	जालौर	26	24
20.	झालावाड़	40	52
21.	झुनझुनु	10	11
22.	जोधपुर	62	67
23.	कोटा	49	92
24.	नागौर	26	24
25.	पाली	22	18
26.	रायसानंद	12	18
27.	सवाई माधोपुर	31	38
28.	सीकर	22	20
29.	सिरधी	16	15
30.	टोंक	13	10
31.	उदयपुर	70	93
32.	जी॰आर॰पी॰	19	8
33.	**कुल**	**1038**	**1137**

*उस समय यह जिला नहीं था।

[अनुवाद]

पशुपालन और डेरी योजनाएं

*232. **श्री के॰पी॰ सिंह देव :**
डा॰ असीम बाला :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पशुपालन और डेरी विकास से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य क्षेत्र और कार्यक्रम कौन से हैं जिन पर सरकार का ध्यान देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि नवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, वे मुख्य क्षेत्र तथा क्रियाकलाप जिन पर सरकार द्वारा मुख्य रूप से ध्यान देने का प्रस्ताव है, ये हैं-किसानों को गृह सेवा प्रदान करने के लिए 60 हजार अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, दूध के उत्पादन तथा अधिप्राप्ति को बढ़ाने के लिए एक लाख अतिरिक्त सहकारी समितियां का सृजन, जिला मिश्रित पशुधन विकास तथा विस्तार केन्द्रों की स्थापना, गोपशु बीमा तथा भेड़, बकरी और खरगोश विकास के लिए सहकारी परिसंघों का गठन।

[हिन्दी]

कृषि विकास के लिए धनराशि

*233. **श्री सोहन वीर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कृषि के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कृषि विकास के लिये विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 110 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। 1995-96 के दौरान राज्य सरकार को दिए गए धन में से वास्तव में प्रयोग में लाई गई राशि और पूर्व वर्षों में खर्च न की गई राशि 108 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) राज्यों को दिया जाने वाला धन उनसे प्राप्त प्रस्तावों, विभाग के बजट में कुल आवंटन तथा पहले दिए गए धन में से संबंधित राज्य द्वारा खर्च न की गई राशि को ध्यान में रख कर दिया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान, राज्य सरकार ने बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में कृषि संरक्षण की योजना, गहन कपास विकास कार्यक्रम, छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि इन्जीनियरिंग को सुदृढ़ बनाने, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ङ) इन पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

"नदी घाटी परियोजनाएं"

*234. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन के अनुसार गत दो दशकों के दौरान मंजूर की गई 200 नदी घाटी परियोजनाओं में से 80 प्रतिशत परियोजनाएं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करके मंजूर की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) जी नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करके किसी नदी घाटी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

विकलांग बच्चे

*235. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :**
श्री एस॰ अजय कुमार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूल जाने वाले सामान्य बच्चों की तुलना में स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों का प्रतिशत क्या है;

(ख) विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996 के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं जिनके अंतर्गत विकलांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है :—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता;

(2) विदेश स्कूलों की स्थापना एवं विकास; तथा

(3) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।

(ग) राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, 1995-96 के दौरान 68.69 लाख रु॰ की राशि महाराष्ट्र राज्य में विकलांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई।

विवरण

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों का शैक्षिक स्तर निम्नलिखित है :

अनपढ़ (प्रति हजार जनसंख्या)

	अनपढ़	प्राइमरी स्तर तक	मिडिल	सेकेंडरी स्तर तथा उससे ऊपर
ग्रामीण	701	203	53	35
शहरी	462	298	110	123

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सेलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स, 1995-96 के अनुसार वर्ष 1994-95 के लिए समस्त दाखिला अनुपात निम्नलिखित है :—

प्राइमरी	(1 से 5)	104.3
अपर प्राइमरी	(5 से 8)	67.6

नोट :— सकल दाखिला अनुपात को तद्नुरूप आयु समेहों में अनुमानित बाल जनसंख्या के प्रति संबंधित कक्षाओं में दाखिले के प्रतिशतता अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

[अनुवाद]

भूकम्प पीड़ित

*236. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लातूर-उस्मानाबाद क्षेत्र के भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या पीड़ितों के पुनर्वास हेतु बनाये गये अधिकांश मकान इस आशंका से खाली पड़े हैं क्योंकि उस क्षेत्र में प्रायः भूचाल आते रहते हैं और वहां भूचाल के झटके आमतौर से महसूस किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्र में ऐसे रिक्त मकानों की संख्या कितनी है तथा ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र में 1993 में आए भूकम्प से प्रभावित लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार "महाराष्ट्र आपात भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम" चला रही है। इस कार्यक्रम में पुनर्निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत आधारभूत ढांचे के विकास, आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक पुनर्वास एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अब तक बनाए गए 16963 मकानों में से 5566 मकान खाली पड़े हैं क्योंकि गांवों में नागरिक सुविधाओं तथा आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य पूरा न हो पाने के कारण ये मकान अभी लाभानुभोगियों को सौंपे नहीं जा सके हैं। बहरहाल ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि फिर से भूकम्प आने की आशंका के डर से कोई मकान खाली पड़ा हो।

विवरण

महाराष्ट्र आपात भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम
31 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार

क्र॰सं॰	घटक/उप-घटक	क्रियान्वयन एजेंसियां	परिमाण	लक्ष्य पूरा करने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	**आवास**				
1.1	दानकर्ता गांवों सहित आवास एवं सुविधाएं	पीएमयू/डोनो/ एनजीओ	52 गांवों में 26,954	जून-97	कार्य पूरा-16963, प्रगति पर-9785

1	2	3	4	5	6
1.2	मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण	मालिक/पी एम यू	2,14,502	दिसम्बर–97	1,95,672 गांवों के लिए अनुमान तैयार, कार्य पूरा–76,592/प्रगति पर–83,901
1.3	आदर्श घर/इमारतें	पी एम यू	475	मार्च–97	कार्य पूरा–450, प्रगति पर–25
1.4	पाइलट सुदृढ़ीकरण	पीएमयू/जेड पी	4,898	जून–97	4,647 मकान पहचाने गए, 4202 मकानों के लिए अनुमान तैयार किया गया, 995 मकान पूरे कर लिए गए हैं और 1920 मकानों में कार्य चल रहा है
2.	**अवसंरचना**				
2.1	आगमन मार्ग निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण		269 कि॰मी॰ 17 पैकेज	मार्च–97	8 पैकेज पूरे 1 अन्य सभी 9 पैकेज प्रगति पर
2.2	कल्वर्ट एवं छोटे पुल		131 सं॰	कार्य पूर्ण	सभी 131 कार्य पूरे
2.2क॰	छूटे कल्वर्ट का निर्माण	पीडब्ल्यू/ जैड पी	10 पैकेज (166 सं॰)	मार्च–97	6 पैकेज (142 सं) पूरे। शेष 4 पैकेज (24 सं॰) प्रगति पर
2.3	60 मी॰ से ज्यादा लंबे पुलों का सुदृढ़ीकरण	लो॰नि॰ वि/जैड॰ पी॰	लातूर एवं उस्मानाबाद में 14 पैकेज (18 सं॰) एवं शोलापुर में 13 पैकेज (15 सं॰)	दिसंबर–97	8 पुलों (5 पैकेज) का कार्य पूरा एवं 10 पुलों (9 पैकेज) का कार्य प्रगति पर एवं शोलापुर में 15 सं॰ का कार्य टेंडर की अवस्था में है।
2.4	सार्वजनिक इमारतें		26 पैकेज (209 इमारतें)	कार्य पूर्ण	सभी 209 इमारतों का कार्य पूरा, मौलिक 210 इमारतों में से 1 इमारत को हटाया गया
2.5	विद्यालय भवन/जैड पी भवन	पीएमयू/ जैड पी	5403 इमारतें (3797 विद्यालय 1606 जैड पी)	जून–97	3052 इमारतों का कार्य पूरा (1786 विद्यालय+1266 जैड पी) 1376 भवनों पर कार्य प्रगति पर (1097 विद्यालय+279 जैड पी)
2.6	जल आपूर्ति	एमडब्ल्यूएस एस ई॰	57 गांव (52 पुनःस्थापित) 4 स्लाइस	मार्च–97	वर्तमान योजनाओं का मरम्मत कार्य पूरा, अंतरिम जल आपूर्ति कार्य पूरा, सभी गांवों में स्थायी जल आपूर्ति कार्य प्रगति पर
2.7	सिंचाई				
2.7.1	निचले तेमा की मरम्मत	सिंचाई विभाग	1 मद	जून–98	निको तेमा बांध पर विशेष समिति का पुनरीक्षण कार्य हो रहा है। रिपोर्ट के फरवरी में आने की संभावना है।
	तालनी जलसेतु की मरम्मत		1 मद	जून–97	जलसेतु की मरम्मत प्रगति पर
2.7.2	कोल्हापुर टाइप वीयर		218 सं॰ 11 पैकेज	कार्य पूर्ण	सभी कार्य पूरे
2.7.3	परिस्रवण तालाबों का		125 सं॰	जून–97	123 परिस्रवण टैंकों पर कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
2.7.4	10 मी॰ से ज्यादा ऊंचाई वाले बांधों का सुदृढ़ीकरण	सिंचाई विभाग	94 सं॰	जून–97	89 बांधों का कार्य प्रगति पर, 5 पर कार्य शुरू होना है।
2.7.5	कार्यालय भवनों की मरम्मत/पुनःनिर्माण		293 इमारतें	जून–97	164 इमारतों का कार्य पूरा, 118 भवनों में कार्य प्रगति पर एवं 11 पर कार्य आरंभ नहीं हुआ है।
2.8	ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत/ पुनःस्थापना	संस्कृति विभाग	16 स्मारकें	जून–98	4 स्मारकों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं एवं अन्य पर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
3.	**आर्थिक पुनर्वास**				
3.1	उपकरणों का प्रति-स्थापन	कृषि विभाग	37002 लाभ-भोगी	कार्य पूर्ण	प्रतिस्थापन कार्य पूरा
3.2	कुओं की मरम्मत/ पुनःनिर्माण		389	मार्च–97	302 पूरे, 87 प्रगति पर
3.3	बैलों का प्रतिस्थापन		829	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
3.4	दुधारू पशुओं का प्रतिस्थापन	पुशपालन एवं डेयरी विभाग	1551 गाय एवं 1836 भैंस	मार्च–97	1529 गायें एवं 1771 भैसें वितरित। शेष के वितरण के लिए लाभभोगी उपलब्ध नहीं
3.5	भेड़, बकरी का प्रतिस्थापन		8478 बकरियां एवं 1358 भेड़ें	मार्च–97	8269 बकरियां एवं 1342 भेड़ें वितरित। शेष के वितरण के लिए लाभभोगी उपलब्ध नहीं।
3.6	काश्तकारों/व्यापारी समुदाय का पुनर्वास	उद्योग विभाग	979 लाभभोगी	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण

[हिन्दी]

आयातित गेहूं का मूल्य

***237. श्री सुरेन्द्र यादव :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं आयात करने संबंधी निर्णय गेहूं के अत्यंत अभाव तथा इसके मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश में आयातित गेहूं पहुंच जाने के पश्चात् इसका कुल अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) देश में इसके मूल्य को कम करने के लिए इस आयातित गेहूं पर सरकार द्वारा कितनी राशि की राज सहायता दी गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय पूल में रखे स्टाक में वृद्धि करने और देश में गेहूं तथा गेहूं उत्पादों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए गेहूं आयात करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) भारतीय पत्तनों पर पहुंचने पर गेहूं का औसत लागत और भाड़ा मूल्य लगभग 173 अमरीकी डालर अथवा 6227 रुपए प्रति टन है।

(ग) आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल का हिस्सा होगा। इसका वितरण विभिन्न योजनाओं के अधीन किया जाएगा तथा इसके लिए उन योजनाओं के अधीन लागू मूल्य ही लागू होंगे। इसमें अंतग्रस्त सब्सिडि का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब विभिन्न योजनाओं के अधीन केन्द्रीय पूल से आयातित गेहूं का वितरण पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

योजना उन्मुखी प्रस्ताव

***238. श्री पृथ्वी राज दा॰ चौहान :**

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने योजना उन्मुखी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजे हैं जिसके कारण कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी अनेक योजनाओं का निष्पादन कुप्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का भी उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर पाए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उन राज्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिन्होंने पहली अप्रैल, 1996 तक अप्रयुक्त धनराशि के साथ-साथ इस धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है। इस राशि का उपयोग न होने के मुख्य कारण योजना स्कीमों की स्वीकृति में प्रक्रिया संबंधी/प्रशासनिक विलम्ब और उन्हें कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों को धनराशि देने में हुआ विलम्ब है।

राज्य सरकारों को कृषि मंत्रियों और मुख्य सचिवों के स्तर पर सलाह दी गई है कि वे योजना का कार्यान्वयन करने वाले संबंधित विभागों द्वारा योजना धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करें।

विवरण

कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी गई धनराशि में से उनके पास पहली अप्रैल, 1996 को बची अप्रयुक्त धनराशि

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	धनराशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3945.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	510.18
3.	असम	2483.44
4.	बिहार	4013.28
5.	गोवा	328.45
6.	गुजरात	3152.53
7.	हरियाणा	1019.45
8.	हिमाचल प्रदेश	812.69
9.	जम्मू व कश्मीर	938.84
10.	कर्नाटक	2547.46
11.	केरल	1547.46
12.	मध्य प्रदेश	3367.39
13.	महाराष्ट्र	1772.28
14.	मणिपुर	401.46
15.	मेघालय	324.34
16.	मिजोरम	195.32
17.	नागालैण्ड	678.22
18.	उड़ीसा	5439.94
19.	पंजाब	1082.11
20.	राजस्थान	1951.25
21.	सिक्किम	376.71
22.	तमिलनाडु	2344.16
23.	त्रिपुरा	399.68
24.	उत्तर प्रदेश	3479.26
25.	पश्चिम बंगाल	2762.79
	योग	45873.94

[हिन्दी]

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल करना

***239. श्री विजय गोयल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार क्या है; और

(ग) क्या आयोग को किसी समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित करने की शक्ति प्राप्त है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जिस आधार पर जैनियों को अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल करने की सिफारिश की है, वे निम्नलिखित है :—

1. जैन धर्म के सिद्धांत इसका दर्शन तथा नीति शास्त्र इसके उद्देश्य तथा उपासना का तरीका हिन्दुओं से बिल्कुल भिन्न हैं।
2. यह तथ्य कि जैन धर्म अपने धार्मिक रिवाज में हिन्दुत्व से अलग है।
3. अनुच्छेद 25 (2) (ख) के स्पष्टीकरण (2) के अंतर्गत, संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत अनुच्छेद (25)(2)(ख) के प्रयोजन के लिए जैन धर्म को सिख तथा बौद्ध धर्मों के साथ-साथ रखता है।
4. विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म से अलग एक भिन्न धर्म है।
5. 1971 तथा 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आंकड़ों के अनुसार बौद्धों तथा पारसियों की तुलना में जैनियों की जनसंख्या पर्याप्त है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

"कृषकों द्वारा भूमि का उपयोग करना"

*240. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों द्वारा ताज महल के आसपास के क्षेत्रों में भूमि का उपयोग करने के बारे में आंदोलन किया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार के प्राधिकारी मौजूदा कृषकों को वैकल्पिक भूमि देने में असफल रहे हैं और इसके बजाए उन्होंने कुछ भागों में भूमि के पट्टे की अवधि भी बढ़ा दी है;

(ग) क्या सरकार ने उन दोषी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विश्व व्यापार संगठन का कार्य

2440. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि के कुछ विशेषज्ञों ने विश्व व्यापार संगठन संधि के कार्यकरण के कुछ पहलुओं को इंगित किया है जिनकी वजह से यह समझौता भारतीय किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) नये गैट समझौते के सम्भावित प्रभाव, जहां तक भारतीय कृषि तथा किसानों से इसका संबंध है, के संदर्भ में भारतीय कृषि के बहुत से विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं। सरकार नये समझौते को कार्यान्वित करते समय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये सभी उपाय करेगी।

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि॰

2441. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वीरभद्र (ऋषिकेश) स्थित आई॰डी॰पी॰एल॰ कारखानों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस कारखाने में अक्टूबर, 1996 से कोई उत्पादन नहीं हुआ है;

(ख) आई॰डी॰पी॰एल॰ के उक्त एकक के बंद होने के कारण कितने मजदूर/कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार इन प्रभावित मजदूरों/कर्मचारियों के पुनर्वास और आजीविका के लिए तत्काल कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) वीरभद्र (ऋषिकेश) स्थित आई॰डी॰पी॰एल॰ कारखाने में वित्तीय कठिनाइयों के कारण अक्टूबर, 1996 से उत्पादन बंद है। हालांकि, इस यूनिट को बन्द नहीं किया गया है। यूनिट के किसी भी मजदूर अथवा कर्मचारी को निकाला नहीं गया है।

[अनुवाद]

टाडा मामले

2442. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए 2000 व्यक्तियों को छोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) मार्च, 1994 में करतार सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में लिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में टाडा मामलों की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्तर पर भी पुनरीक्षा समितियां गठित की गई थी और इन समितियों द्वारा की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप 11899 मामलों की समीक्षा की जा चुकी है और 28502 व्यक्तियों पर से टाडा के उपबंध वापस ले लिए गए हैं तथा 20037 व्यक्तियों को अदालतों द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि शेष टाडा मामलों का त्वरित अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए तथा मामूली आधारों पर कार्यवाही स्थगित न कराने के लिए वे अपनी अभियोजन शाखाओं के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करें। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए एकाग्र प्रयासों का ही परिणाम है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल 1664 व्यक्ति ही निरूद्ध हैं। तथापि, इन निरूद्ध व्यक्तियों को रिहा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन्हें जमानत पर या अन्यथा रिहा किए जाने का विशेषाधिकार नामित टाडा अदालतों का है।

"गंदे पानी में पारा का संकेन्द्रण"

2443. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 के "द-हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों ने दिल्ली में क्लोर-अलकायी संयंत्र से निकलने वाले गंदे पानी में पारा के अधिक मात्रा में संकेद्रण के बारे में हाल की ग्रीनपीस रिपोर्ट की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीनपीस रिपोर्ट की समीक्षा की थी। दिल्ली में स्थित क्लोर-अलकायी संयंत्र से निकलने वाले गंदे पानी में पारे का अधिक मात्रा में जमाव होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि संयंत्र डायाफ्राम सैल प्रौद्योगिकी पर आधारित है और इसकी प्रक्रिया में पारा कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पद

2444. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या खाद्य मंत्री भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पद के बारे में 3 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1709 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक सूचना एकत्र कर ली जाएगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) सभा पटल पर रखने के लिए दिनांक 3.12.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1709 के संबंध में दिनांक 3.3.1997 को भेजे गए उत्तर की प्रति विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

दसवीं लोक सभा का 15वां सत्र, 1996

आश्वासन को पूरा करने की तारीख : 3.3.1997

खाद्य मंत्रालय, खाद्य प्रापण और वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

प्रश्न संख्या, तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री अशोक कुमार प्रधान द्वारा 3.12.1996 को पूछा गया	भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पद (क) क्या पिछले कई वर्षों से भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पद रिक्त पड़े हुए हैं;	(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है।	(क) : जी, हां।	

1	2	3	4	5
अतारांकित प्रश्न संख्या 1709	(ख) यदि हां, तो रिक्त पद किस श्रेणी के हैं और कौन सी तारीख से रिक्त हैं और उन रिक्त पदों में से कितने पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और इन पदों की श्रेणीवार स्वीकृत संख्या कितनी है;		(ख) : इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।	
	(ग) इन पदों को कब तक भर लिए लिए जाने की आशा है और इन्हें भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और (घ) संघ सरकार द्वारा विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?		(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भर लिए जाने की आशा है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पिछली बची रिक्तियों और सीधी भर्ती कोटे के अधीन श्रेणी-I की रिक्तियों का संबंध है, निगम ने इन रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है। मितव्ययता के उपाय के रूप में सरकार ने सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि निश्चित की है। इस कार्यविधि के अनुसरण में, निगम आवश्यकता के आधार पर इन रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर रहा है।	

विवरण-II

जोन का नाम	पद की श्रेणी	स्वीकृत संख्या			रिक्त पदों की सं॰		जिस वर्ष के दौरान रिक्तियां हुई	
		नियमित	तदर्थ	जोड़	सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अखिल भारत	1.	937	13	950	197	67	अधिकांश रिक्तियां वर्ष 1990 और उसके बाद हुई। तथापि तीन रिक्तियां 1980 से 1989 के बीच हुई। आठ रिक्तियां वर्ष 1976 में हुई।	1988-1996*
	2.	4268	166	4434	257	216	1992 से। एक रिक्ति 1990 में हुई	1989-1996*
	3.	33970	6420	40390	4336	1416	ये रिक्तियां 1978 और उसके बाद विभिन्न वर्षों में हुई।	1987-1996*
	4.	21806	6254	28060	5667	910	ये रिक्तियां 1976 और उसके बाद विभिन्न वर्षों में हुई।	1989-1996*
जोड़		60981	12853	73834	10457	2609		

आरक्षण स्थिति										अभ्युक्ति
अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित		जोड़		
सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	सीधी भर्ती	पदोन्नति	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	7	29	11	30	–	96	39	197	67	* अधिकांश रिक्तियां मौजूद हैं। रिक्तियों को न भरने का कारण सामान्यतया अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है।
56	61	32	50	78	–	91	105	257	216	
887	258	471	105	911	–	2067	1053	4336	1416	
1129	163	430	95	1230	–	2828	652	5667	910	
2114	499	962	261	2299	–	5062	1849	10497	2609	

[अनुवाद]

त्रिपुरा में मत्स्यन महाविद्यालय

2445. श्री बाजू बन रियान :

श्री बादल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में एक मत्स्यन महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय,, इम्फाल, मणिपुर के तहत अगरतला के नजदीक लेम्बूचेरा में एक मात्स्यकी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के अनुमोदन से 13.4.1996 को मात्स्यकी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। त्रिपुरा सरकार ने इस उद्देश्य के लिए जनवरी, 1996 में 45 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की थी। महाविद्यालय परिसर का नियोजन तथा निर्माण कार्य मेसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को "टर्न-की" के आधार पर सौंपा गया था जोकि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इस आशय के एक समझौते पर विश्वविद्यालय तथा मेसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के बीच 31.1.1997 को हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में अनुसूचित जनजातीय जिलों संबंधी योजनाओं के लिए सहायता

2446. श्री एन॰एन॰ कृष्णादास : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अट्टापाडी जनजातीय खण्ड, पालाकाड जिला, केरल को जनजातीय खण्ड घोषित करने के बाद विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है;

(ख) क्या अट्टापाडी में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) -तदैव-

(ग) -तदैव-

[हिन्दी]

संकर प्रजाति के बीज

2447. श्री राजकेशर सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न फलों, सब्जियों और खाद्यान्नों के संकर प्रजाति के बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1996 के दौरान उपलब्धि क्या रही; और

(ग) सरकार द्वारा छोटे किसानों को इन संकर प्रजाति के बीजों के लाभ का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1996 के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा फलों, सब्जियों तथा खाद्यान्नों में निम्नलिखित संकर विकसित किये गये थे।

(क) सार्वजनिक क्षेत्र :

(i) फल

आम	–	अर्का नीलकिरण, एच-13-1
अन्नोना	–	अर्का सहन
अनन्नास	–	एच 7
पपीता	–	सी पी 81
अनार	–	मृदुला

(ii) सब्जी :

बैंगन छोटे गोल	–	ए बी एच-2
कद्दू	–	पूसा संकर-1

(iii) खाद्यान्न :

चावल	–	सी एन एच आर-3, डी आर आर एच-1, सी ओ आर एच-1, कर्नाटक चावल संकर-1
मक्का	–	आई सी 1705, के एच-5991, पारस, राजेन्द्र संकर मक्का-2, के एच-5981
बाजरा	–	पूसा बाजारी 226
ज्वार	–	सी एस एच 13-आर, सी एस एच-4, सी एच एस 15-आर (एस पी एच-677)

(ख) निजी क्षेत्र :

(i) फल : शून्य

(ii) सब्जियां

टमाटर	–	बी एस एस 20

(iii) खाद्यान्न

मक्का	–	पी ए सी 9112 (पी ए सी 91 पी-12), पी ए सी 9735 (पी ए सी 35003) तथा पी ए सी 9703, 755 (एफ 720)
बाजरा	–	एम एल बी एच-285 (एम एच 518), नन्दी-30(एम एच 515), सबूरी (एम एच 483 आर एच आर बी एच 8924) एक्स-6 (एम एच 140)

(ग) संकरों की पैतृक वंशावली एफ संकरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, एस एफ सी आई तथा एन एस सी जैसे केन्द्रीय बीज उत्पादक संगठनों, बीज उत्पादक जैसे राज्य बीज तथा फार्म निगमों, कृषि विज्ञान केन्द्र सहित गैर सरकारी संगठनों तथा निजी संगठनों को सप्लाई की जाती है। इस प्रकार उत्पादित संकर बीज किसानों को सप्लाई किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सातवीं योजना अवधि के दौरान मंजूर की गई चीनी मिलें

2448. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई चीनी मिलें धन के अभाव में भारी वित्तीय कठिनाई में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कुछ नई चीनी फैक्ट्रियां कोष की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

(ख) जहां तक वित्तीय संकट का सामना कर रहे मामलों का संबंध है, सरकार अलग-अलग फैक्ट्रियों के स्रोतों तथा निधि के उपयोग के आंकड़े नहीं रखती।

(ग) आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस का कार्यान्वयन उद्यमी की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई ऋण प्रदान नहीं करती। हालांकि इस प्रकार के ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीधे उद्योग को प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी राज्य सरकार को चीनी फैक्ट्रियों की शेयर पूंजी में सहयोग के लिए ऋण प्रदान करता है।

"मालखाना से चुराई गई वस्तुऐं"

2449. श्री रामसागर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के दौरान समाईपुर बादली पुलिस स्टेशन के "मालखाने" से अत्याधनिक विदेशी रिवाल्वर चुरा ली गई तथा इसके स्थान पर देसी रिवाल्वर रख दी गई;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने और मामले पकड़े गये;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) "मालखाना" में रखी गई वस्तुओं की नियमित जांच हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के मालखाने में एक देशी रिवाल्वर के बदले एक अन्य पुरानी एवं टूटी हुई रिवाल्वर रख दिए जाने की एक घटना हुई थी। इस अदला-अदली का पता 1994 में चला और इस मामले से जुड़े दो पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी प्रकार का कोई अन्य मामला सूचित नहीं किया गया है। तथापि, इसी अवधि में मालखाने से सामान उठा ले जाने/गड़बड़ी करने के आठ मामले दर्ज किए गए जिनमें 5 पुलिस कर्मियों तथा एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

(च) इस मामले में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(i) वस्तुओं को अभिरक्षा में लेते समय तैयार किए जाने वाले जब्ती मीमो में, जब्त वस्तु का पूरा विवरण दिया जाता है और जब्ती मीमो पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी होते हैं। इस जब्ती मीमो की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।

(ii) जब्ती की गई मदों की प्रविष्टि, केस प्रापर्टी के लिए बनाए गए मालखाना रजिस्टर में भी की जाती है और इस प्रकार की गई प्रविष्टियों पर संबंधित थाना प्रभारी/जांच अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर भी किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी, थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल पर मालखानों का मौके पर निरीक्षण करते हैं।

(iii) अर्द्ध वार्षिक आधार पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा औपचारिक निरीक्षण भी किया जाता है।

कृषि के लिए केन्द्रीय हिस्सा

2450. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 के लिए कृषि हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता का अंश निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार केन्द्रीय सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के लिए राज्य-वार इस तरह से प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी विशिष्ट मानदंड के तहत राज्यों को निवेश का हिस्सा दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, विभाग के बजट में किये गये कुल आबंटन और पहले की गई निर्मुक्तियों में से किसी विशेष राज्य में उपयोग ने की गई शेष राशि पर आधारित विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को धन की निर्मुक्ति की जाती है।

वर्ष 1992-93 से 1996-97 (दिसम्बर, 96) तक के दौरान विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को दी गई राशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

कृषि के विकास के लिए वर्ष 1992-93 से 1996-97 (दिसम्बर, 1996 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि।

(करोड़ रुपये में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	308.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.16
3.	असम	41.63

1	2	3
4.	बिहार	55.20
5.	गोवा	8.17
6.	गुजरात	176.61
7.	हरियाणा	106.38
8.	हिमाचल प्रदेश	58.83
9.	जम्मू व कश्मीर	38.79
10.	कर्नाटक	271.80
11.	केरल	172.96
12.	मध्य प्रदेश	232.38
13.	महाराष्ट्र	374.46
14.	मणिपुर	25.98
15.	मेघालय	9.16
16.	मिजोरम	21.70
17.	नागालैंड	23.41
18.	उड़ीसा	182.54
19.	पंजाब	142.18
20.	राजस्थान	323.29
21.	सिक्किम	17.64
22.	तमिलनाडु	260.72
23.	त्रिपुरा	12.71
24.	उत्तर प्रदेश	415.40
25.	पश्चिम बंगाल	73.81
	कुल	3368.45

[हिन्दी]

उर्वरक एकक की क्षमता

2451. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली के आंवला स्थित "इफको" उर्वरक कारखाने की क्षमता को बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी क्षमता कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) इफ्को की आंवला विस्तार परियोजना में 25.12.1996 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया। इस परियोजना की स्थापना 955 करोड़ रुपए की लागत से 7.26 लाख मीटरी टन यूरिया प्रतिवर्ष का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए की गई है।

[अनुवाद]

केरल में मछली पालन केन्द्र

2452. डा॰ रमेश चेन्नित्तला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने मछली पालन केन्द्र मंजूर किए गए;

(ख) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) सरकार द्वारा किन नए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कायमकुलम में एक छोटे मत्स्यन बन्दरगाह तथा पन्नपरा और कत्तूर-पोलाथई में दो मछली उतारने के केन्द्रों और केरल में कोचिन में प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह के चरण-II के विस्तार को मंजूरी दी है। उपर्युक्त के अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान 6 छोटे मत्स्यन बन्दरगाह तथा 11 मछली उतारने के केन्द्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस अवधि के दौरान मंजूर किये गये/निर्माणाधीन मत्स्यन बन्दरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार को 2523.00 लाख रुपये की राशि तथा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को 100.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। ऐसे मत्स्यन बन्दरगाहों/मछली उतारने के केन्द्रों तथा भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण में रूप के संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित कोई अन्य प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान केरल में निर्माणाधीन/मंजूर किये गये मत्स्यन बन्दरगाह/मछली उतारने के केन्द्र

(लाख रुपये में)

मत्स्यन बन्दरगाह		1992-93	93-94	94-95	95-96	96-97
	1	2	3	4	5	6
1.	मुनाम्बम	65.00	125.00	192.50	-	100.00
2.	पुथिअप्पा	100.00	33.50	100.00	100.00	17.75

	1	2	3	4	5	6
3.	थंगासरी	50.00	117.00	260.00		
4.	मोपला खाड़ी	–	15.00	100.00	75.00	–
5.	चोम्बल	–	40.00	30.00	75.00	–
6.	विजिंजम	–	–	–	100.00	150.00
7.	कायमकुलम	–	–	–	–	200.00
	मत्स्य अवतरण केन्द्र					
1.	तोट्टापल्ली	2.955				
2.	चत्तुवई	8.75				
3.	कासरगोड	1.32				
4.	क्विलान्डी	5.00	6.50			
5.	नेल्लास्वरम	2.865				
6.	धरमडम	1.695				
7.	पलाकोड	1.25				
8.	मुन्नकडावु	0.417	4.675			
9.	न्यू माहे	–	7.215			
10.	अर्थुंगल			11.11		
11.	पुन्नपरा	–	–	–	–	
12.	चलिल गोपलपेटै	–	–	9.40	–	
13.	कत्तू स्पोलार्थ	–	–	–	–	15.00
		239.252	348.89	703.01	550.00	682.75

कुल रु॰ 2523.90 लाख

प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह

1.	कोचिन चरण–II		40.00	–	60.00	–

कुल : 100.00 लाख

[हिन्दी]

मछुआरों को सुविधाएं

2453. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों को जीवन-निर्वाह में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) उन्हें कुछ सुविधाएं कब तक मुहैया करा दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मछुआरों/मत्स्य पालकों की ताजा मछली पालन विकास के लिये नये तालाबों के निर्माण, तालाबों और पोखरों के सुधार नवीकरण, पहले वर्ष के मछली पालन के लिये आदानों, बहते पानी में मछली पालन, आदि के रूप में मछली पालन हेतु सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं। साथ ही, मकानों, पेय जल, सामुदायिक हाल तथा सक्रिय मछुआरों के लिये बीमा कवर भी सुलभ कराया जा रहा है।

[अनुवाद]

असम समझौता

2454. श्री केशव महन्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1985 में किए गए असम समझौते को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस समझौते के कितने प्रावधान कार्यान्वित किए गए हैं और कितने प्रावधान अभी कार्यान्वित किए जाने हैं; और

(घ) इस समझौते के सभी प्रावधानों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) असम समझौते के सभी उपबन्धों को लागू करने के लिए कार्रवाई की गयी है। तथापि, समझौते के कुछ उपबन्धा सतत चलने वाले कार्य स्वरूप के हैं जैसे असम का त्वरित सर्वांगीण आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले या पार करने की कोशिश करने वाले घुसपैठियों को रोकना, इत्यादि और इसलिए सभी उपबन्धों को पूरी तरह लागू करने के बारे में कोई विशिष्ट समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

विवरण

भारत सरकार, असम समझौता, 1985 को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

विदेशियों का मामला

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिक नियम, 1956, और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया गया।
2. 1966-71 की धारा के विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए असम में विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत ग्याहर न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।
3. विशेष पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम करने की योजना के तहत 1280 अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए स्वीकृति भी प्रदान की गई थी।
4. अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत असम में सोलह न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।

सुरक्षा उपाय और आर्थिक विकास

5. श्रीमंत शंकरादेव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी, को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। 8.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
6. गुवाहाटी में ज्योति चित्रबन (फिल्म) स्टूडियो को आधुनिक बनाया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है।
7. राज्य को आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नूमालीगढ़ स्थित तेल शोधन कारखाने का कार्य प्रगति पर है। कथालगुड़ी में गैस-आधारित विद्युत परियोजना का कार्य कार्यान्वयन अधीन है।
8. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में और दूसरा सिलचर में, स्थापित किए गए हैं।
9. गुवाहाटी में एक आई आई टी स्थापित की गई है।

अन्य मामले

10. नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास हैं।
11. भारत-बंगलादेश सीमा पर 2784 कि॰मी॰ सीमा सड़कों के निर्माण और 896 कि॰मी॰ में बाड़ लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 1729.67 कि॰मी॰ सीमा सड़क तथा 652.43 कि॰मी॰ में बाड़ लगाने का कार्य 31.1.1997 तक पूरा कर लिया गया है।
12. आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।
13. आन्दोलन के संबंध में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा की गई।
14. नियुक्तियों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा उन अभ्यर्थियों के मामले में जो असम राज्य में 1.1.1980 से 15.8.1985 तक की अवधि में सामान्य तौर पर रहे हों, के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छह वर्ष तक की छूट देने के आदेश जारी किए गए थे।
15. आन्दोलन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन॰एस॰ए॰) के अधीन निरूद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

हिरासत में मौतें

2455. श्री सुशील चन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में पुलिस अर्द्धसैनिक बलों तथा सेना की हिरासत में 1996-97 के दौरान कितनी मौते हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पुलिस अथवा सैनिक हिरासत में कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

असम में गोदाम

2456. श्री प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भंडागार निगम के कार्यालय तथा गोदाम कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक गोदाम की क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा असम में कितने गोदामों का निर्माण किया गया तथा इसकी भंडारण क्षमता में अतिरिक्त कितनी वृद्धि की गई;

(ग) असम में कहां-कहां नए गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है तथा चालू वर्ष के दौरान इसमें कितना निवेश किया जायेगा;

(घ) इस समय तथा अगले पांच वर्षों में असम में भंडारण हेतु वास्तविक रूप से कितने गोदामों की आवश्यकता है; और

(ङ) इसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) असम में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के कार्यालयों और गोदामों के स्थान और उनकी क्षमता क्रमशः विवरण-I, II और III पर दी गई है।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने असम में किसी गोदाम का निर्माण नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय भण्डारण निगम निकट भविष्य में झालूकबाड़ी, नोगांव और करीमगंज में भंडागार स्थापित करने की योजना बना रहा है जो भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

1.1.1997 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम की 2.85 लाख टन भण्डारण क्षमता में से केवल 49 प्रतिशत का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अतः भारतीय खाद्य निगम का विचार है कि मौजूदा भंडारण क्षमता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन, आदि को ध्यान में रखते हुए असम में अतिरिक्त क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं है।

1.12.1996 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम की 0.45 लाख टन भण्डारण क्षमता में से केवल 69 प्रतिशत का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।

विवरण-I

असम क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक/क्षेत्रीय/जिला कार्यालयों को बताने वाला विवरण

आंचलिक कार्यालय (उत्तर पूर्वी सीमांत)

1. भारतीय खाद्य निगम,
   आंचलिक कार्यालय (उत्तर पूर्वी सीमांत)
   चौथा तल, जी॰एस॰ रोड, उलूबारी,
   गुवाहाटी-7

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्वी सीमांत)

1. भारतीय खाद्य निगम
   क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्वी सीमांत)
   जी॰एस॰ रोड, उलूबारी,
   गुवाहाटी-710007

जिला कार्यालय

1. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   गुवाहाटी (असम)
2. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   जोरहाट (असम)
3. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   कोकराझार (जिला गोलपाड़ा)
   (असम)
4. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   उत्तर लखीमपुर (असम)
5. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   सिलचर (असम)
6. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   नोगांव (असम)
7. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   तेजपुर (असम)
8. भारतीय खाद्य निगम,
   जिला कार्यालय,
   न्यू बोंगईगांव (असम)

9. भारतीय खाद्य निगम,
जिला कार्यालय,
डिब्रूगढ़ (असम)

10. भारतीय खाद्य निगम,
जिला कार्यालय,
बुंदरदेवा (असम)

विवरण–II

1.1.1997 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास असम में उपलब्ध केन्द्र–वार/स्थिति–वार भंण्डारण क्षमता (ढकी और कैप) बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	भण्डारण क्षमता		
		अपनी	किराये की	जोड़
1	2	3	4	5
कामरूप	गुवाहाटी	27.96	14.18	42.14
नालबाड़ी	नालबाड़ी	–	2.77	2.77
	तिहू	9.14	–	9.14
गोलाघाट	देरागांव	–	2.50	2.50
	गोलाघाट	–	2.50	2.50
जोरहाट	सिन्नमरे	13.84	–	13.84
सिवसागर	सिवसागर	–	3.47	3.47
कोकराझार	फकीरागढ़	–	1.89	1.89
	गोसीगांव	6.92	–	6.92
	कोकराझार	–	5.68	5.68
धुरी	गौरीपुर	–	3.90	3.90
उत्तर लखीमपुर	धेमाजी	5.64	–	5.64
	नारायणपुर	15.00	–	15.00
	उत्तर लखीमपुर	8.98	–	8.98
कारबियांलोंग	दीफू	5.00	–	5.00
	इटाचली	–	5.00	5.00
	होजई	14.56	–	14.56
	सांचोवा	6.92	–	6.92
	हैबरगांव	–	7.60	7.60
	हैलाकांडी	–	1.00	1.00
	रामनगर	15.00	–	15.00
करीमगंज	बदरपुरघाट	5.00	–	5.00
उत्तर काचर	हफलोंग	–	1.87	1.87
गोवालपाड़ा	बोंगईगांव	–	5.40	5.40
	गोवालपाड़ा	–	1.50	1.50
	जोगीगोप्पा	5.00	–	5.00
	बारपेटा रोड	–	5.00	5.00
डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	11.28	–	11.28
	बेरिया	–	3.34	3.34
	दिकोम	–	5.00	5.00
	गोशाला	–	5.00	5.00
	लायपुली	–	10.00	10.00
	मानोटा	–	5.00	5.00
	तिनसुकिया	9.42	–	9.42
दारंग	टांगला	15.00	–	15.00
सेनितपुर	बिंदुकुरी	12.50	–	12.50
तेजपुर	भालुकपोंग	5.00	–	5.00
	असम का जोड़	192.16	92.60	284.76

विवरण–III

1.1.1997 को स्थिति के अनुसार असम राज्य में उपलब्ध केन्द्र–वार क्षमता

(आंकड़े टन में)

क्र॰सं॰	केन्द्रीय भंडागार और कार्यालय का नाम	क्षमता		
		निर्मित	किराये की	जोड़
1.	गुवाहाटी–मालीगांव	8600	–	8600
2.	धुबरी	10100	–	10100
3.	जोरहाट–1	10500	–	10500
4.	जोरहाट–2	5000	–	5000
5.	सोरभोग	10000	–	10000
6.	सिपाझार	–	627	627
	जोड़	44200	627	44827

नोट : इसके अलावा गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक निर्माण प्रकोष्ठ कार्यालय स्थित है।

[हिन्दी]

बेतला राष्ट्रीय पार्क से जानवरों की खाल की तस्करी

2457. श्री ललित उरांव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्थित बेतला राष्ट्रीय पार्क में कितने बाघ, चीते और हिरण हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में इनकी संख्या निरन्तर घटती जा रही है;

(ग) क्या इन वन्य पशुओं की संख्या में निरन्तर गिरावट का प्रमुख कारण इन जानवरों की खाल की तस्करी है;

(घ) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान उपरोक्त पार्क से बहुमूल्य वस्तुएं चुराई गई थीं और वे तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार की सूचना के अनुसार वर्ष 1993 और वर्ष 1996 में बाघ, चीतों और हिरणों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1993	1996
बाघ	44	41
चीते	60	60
हिरण	15232	13014

वर्ष 1996 में बाघों और हिरणों की संख्या में वर्ष 1993 में उनकी संख्या के मुकाबले में कमी आई है।

(ग) यद्यपि, खालों की तस्करी इन पशुओं की आबादी में आई कमी का एक कारण हो सकता है। तथापि मुख्य कारण पारि-संरक्षण पर बढ़ते दबाव के कारण बफर क्षेत्र का अवक्रमण है।

(घ) से (च) 28 जुलाई, 1995 को अपराधियों ने प्राकृतिक व्याख्या केन्द्र से 4 हाथी दांतों और एक चीते की खाल को लूटा, जिनको बाद में 14 सितम्बर, 1995 को पुनः प्राप्त किया गया। जैसाकि राज्य सरकार ने और आगे सूचित किया है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान वनयजीव में चोरी छिपे शिकार/व्यापार के लिए 90 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया।

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, गश्त लगाए जाते हैं और प्रदर्शन के लिए रखी गई बहुमूल्य वस्तुओं का बीमा किया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"परमाणु ऊर्जा केन्द्र"

2458. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की परियोजना के अन्तर्गत नागार्जुन सागर में 1000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बी अवधि से मंत्रालय के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में आन्ध्र-प्रदेश सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या अपेक्षित जानकारी हो गई है; और

(ङ) पर्यावरण की दृष्टि से इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ङ) नागार्जुन सागर में 1000 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना किए जाने वाले प्रस्ताव पर सभी दृष्टिकोणों से इस मंत्रालय में जांच की गई थी। इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो पाई।

राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी धनराशि का उपयोग

2459. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि गैर सरकारी संगठनों को मिल रही विदेशी धनराशि का उपयोग राष्ट्र विरोधी तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में कितने गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धनराशि की सहायता प्राप्त हो रही है;

(ग) यदि हां, तो जिले वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) विभिन्न राष्ट्र विरोधी और उग्रवादी संगठनों को गुप्त चैनलों और कानून की अवहेलना करते हुए अवैध धन राशि प्राप्त होने के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें मिलती रही हैं। सरकार तथा सभी संबंधित सुरक्षा और प्रवर्तन एजेन्सियां देश के विभिन्न भागों में ऐसे संगठनों के विरूद्ध सतत सतर्कता, पूछताछ, जांच-पड़ताल और अभियान चला कर ऐसी संभावनाओं को रोकने के लिए लगातार सभी प्रयास करती आ रही हैं।

एक निश्चित सांसकृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम रखने वाली एसोसिशनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पहले पंजीकरण करवाना अथवा इसके लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस प्रकार के पंजीकृत अथवा अनुमति प्राप्त एसोसियशनों को निर्धारित प्रपत्र में अपना वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है जिसमें विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इस्तेमाल संबंधी ब्यौरे देने होते हैं। इन एसोसियशनों से मिली सूचना के आधार पर सरकार द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाली एसोसियशनों के (राज्यवार) नाम और विदेशी अभिदाय की राज्य-वार प्राप्ति के ब्यौरे भी दर्शाए जाते हैं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 की रिपोर्ट पहले ही संसद की लाईब्रेरी में रखी जा चुकी है। 1995-96 की वार्षिक रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है।

अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग

2460. श्री गिरिधर गमांग : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 के अधीन अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब लिया गया था और निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) आयोग के महत्व को देखते हुए यह आयोग अपना कार्य कब तक शुरू करेगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) इस आयोग को आरंभ करने के लिए अगस्त, 1995 में एक साथ निर्णय लिया गया जो सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट

2461. डा॰ राम विलास वेदान्ती : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों के कम उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में रसायन और उर्वरकों की मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है और देश में उर्वरकों का वर्षवार उत्पादन कितना हुआ है; और

(घ) क्या सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) देश में खाद्यान्नों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)
1993-94	184.26
1994-95	191.50
1995-96	185.04
1996-97 (अनुमानित)	191.10

किसी विशेष फसल मौसम में स्वदेशी उर्वरक उत्पादन की मात्रा से खाद्यान्न के उत्पादन पर अपने आप प्रभाव नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि उर्वरकों की समग्र उपलब्धता क्या है जो उर्वरकों के संचलन तथा सामयिक वितरण के लिए उचित व्यवस्थाओं के अलावा अथशेष भण्डार, स्वदेशी उत्पादन और आयातों पर निर्भर करता है।

यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सरकार के सांविधिक मूल्य एवं संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अधीन यूरिया का वर्षवार आबंटन तथ गत तीन वर्षों के दौरान इसकी उपलब्धता एवं बिक्री नीचे दी गई है। इसमें यह देखा जा सकता है कि यूरिया की उपलब्धता, बिक्री के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं है।

वर्ष		ईसीए	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता की तुलना में बिक्री की प्रति-शतता
1993-94	खरीफ	77.89	86.16	72.97	85%
	रबी	95.44	96.54	85.03	88%
1994-95	खरीफ	83.81	84.42	77.86	92%
	रबी	101.09	102.75	92.65	90%
1995-96	खरीफ	96.61	97.27	89.22	92%
	रबी	107.82	112.99	92.86	82%

नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। गत तीन वर्षों के दौरान एन॰पी॰के॰ के रूप में

उर्वरकों की उत्पादन और खपत नीचे दिए गये हैं :—

(लाख टनों में)

वर्ष	खपत				उत्पादन		
	एन	पी	के	कुल	एन	पी	कुल
1993-94	87.89	26.69	9.08	123.66	72.31	18.16	90.47
1994-95	95.07	29.32	11.25	130.64	79.46	24.93	104.39
1995-96	98.23	28.98	11.56	138.77	87.77	25.58	113.35

स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए एक समुचित नीति योजना का निर्धारण किया गया है। इस योजना के मुख्य तल निम्नानुसार हैं :—

1. घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-व-राज सहायता योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है।
2. उर्वरक उद्योग को फीड स्टाक, ईंधन और रेल परिवहन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।
3. उर्वरक संयंत्रों में फीड स्टाक तथा ईंधन के रूप में उपयोग किये जा रहे तरल पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।
4. सरकार की उदारीकरण नीति के एक अंग के रूप में अब उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
5. उर्वरक क्षेत्र में निवेश को अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत माल की आपूर्तियों पर आयात शुल्क में छूट और सम निर्यात लाभों में रियायत, उर्वरक संयंत्रों द्वारा लिए गये दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज दर में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।
6. स्वदेशी डी॰ए॰पी॰ पर विशेष रियायत की दर को दिनांक 6.7.1996 से 1000 रु॰ प्रति टन से बढ़ाकर 3000 रु॰ प्रति टन कर दिया गया है। अन्य कम्पलेक्स उर्वरकों के संबंध में रियायत की दर में आनुपातिक बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी गई है। एस॰एस॰पी॰ के संबंध में विशेष रियायत की दर को 340 रु॰ प्रति टन से बढ़ाकर 500 रु॰ प्रति टन कर दिया गया है। इन रियायतों को 1.4.1997 से फिर से बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों ने निम्नलिखित रणनीति अपनायी है :—

1. वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रिट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।
2. नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाकर तथा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन संयंत्रों और परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीड स्टाक सुविधायें स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना।
3. प्रचुर तथा सस्ती कच्ची सामग्री स्त्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों को बजटीय सहायता भी दी गई है ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

लगभग 5771.03 करोड़ रु॰ की अनुमानित पूंजी लागत से अनेक उर्वरक परियोजनाएं देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। जब इनका आरम्भण हो जाएगा तो इनसे 32.23 लाख मी॰ टन प्रति वर्ष यूरिया और 7.81 लाख मी॰ टन कम्पलेक्स उर्वरकों का अतिरिक्त उत्पादन किये जाने की आशा है। इसके अलावा, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रों के प्रवर्त्तकों द्वारा उर्वरक उत्पादन हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक निवेश पहल की गई है।

"बूचड़खाने"

2462. श्री एस॰पी॰ जायसवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बूचड़खानों की स्थापना के लिए अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हरेक राज्य को कितना अनुदान दिया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेरी विभाग) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को बूचड़खाने

स्थापित करने के लिए दिए गए अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रु॰ में)

राज्य का नाम		1993-94	1994-95	1995-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.00	-	230.00
2.	असम	42.60	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश	-	40.75	-
4.	केरल	45.00	79.80	40.75
5.	मध्य प्रदेश	-	148.00	-
6.	महाराष्ट्र	-	148.01	-
7.	पंजाब	-	-	19.52
8.	सिक्किम	22.24	-	-
9.	तमिलनाडु	98.00	-	-
10.	त्रिपुरा	46.00	-	-
11.	उत्तर प्रदेश	81.01	78.75	335.48

[अनुवाद]

डल तथा वूलर झीलें

2463. श्री मुख्तार अनीस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में डल तथा अन्य वूलर झीलों में से मिट्टी निकालने तथा इन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाने हेतु कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) झील के क्षेत्रफल तथा गहराई तथा पानी की शुद्धता के संबंध में योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो योजना की कुल लागत क्या है तथा इस योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु अब तक कितनी धनराशि खर्च तथा केन्द्रीय राशि जारी की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वूलर झील की पुनः पुनर्स्थापना की एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। डल झील की पुनर्स्थापना का प्रस्ताव राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत किया गया है। वूलर झील की पुनर्स्थापना का क्षेत्र 3232.5 हैक्टर है। डल झील की मिट्टी निकालने तथा पुनर्स्थापना का क्षेत्र 150 हैक्टर है।

(ग) और (घ) वूलर झील के लिए 46.28 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। डल झील की पुनर्स्थापना की अनुमानित लागत 334.00 करोड़ रुपये है। इस लागत में केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच बराबर की भागीदारी होगी।

[हिन्दी]

अवैध अतिथि गृह

2464. श्री जयसिंह चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फरवरी, 1997 तक कितने अनधिकृत अतिगृह और होटल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लम्बित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने मामलों का निपटान किया जा चुका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 407 होटल/गैस्ट हाऊस अनधिकृत रूप से चल रहे थे जिनमें से 404 स्थापनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर लम्बित पड़ी है और शेष तीन बंद हो चुके हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादन

2465. श्री विजय पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादन में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, और फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा नामक उत्तर-पूर्वी राज्यों में उगाई जाने वाली विभिनन प्रमुख फसलों के उत्पादन में वर्षा, मौसम तथा अन्य सस्य-जलवायुवीय स्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहा है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिये खाद्यान्न फसलों, जूट/मेस्ता, गन्ना, अदरक तथा तिलहनों के उत्पादन तथा 1991-91, 1992-93 तथा 1993-94 (अद्यतन उपलब्ध) के लिये फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न फसलों का उत्पादन

(हजार मी॰ टन में)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1.	**चावल**			
	अरुणाचल प्रदेश	144.0	105.8	140.0
	असम	3361.1	3309.1	3390.0
	मणीपुर	348.8	478.3	338.1
	मेघालय	117.8	111.5	101.5
	मिजोरम	96.7	100.2	101.5
	नागालैंड	180.0	174.0	185.0
	त्रिपुरा	493.2	413.9	465.5

(हजार मी॰ टन में)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
2.	**गेहूं**			
	अरुणाचल प्रदेश	8.5	7.6	8.5
	असम	100.8	103.6	95.1
	मणीपुर	*	*	*
	मेघालय	6.6	6.4	6.4
	मिजोरम	*	*	*
	नागालैंड	1.0	0.6	1.5
	त्रिपुरा	7.8	4.9	5.2

* उत्पादन नगण्य

(हजार मी॰ टन में)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
3.	**मोटे अनाज**			
	अरुणाचल प्रदेश	74.2	74.2	75.2
	असम	16.1	17.1	19.0
	मणीपुर	7.8	10.4	7.1
	मेघालय	22.5	22.7	23.0
	मिजोरम	14.2	14.7	15.1
	नागालैंड	37.0	37.0	39.5
	त्रिपुरा	1.6	1.8	1.8

(हजार मी॰ टन में)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
4.	**दालें**			
	अरुणाचल प्रदेश	5.3	5.6	6.5
	असम	57.0	59.4	57.1
	मणीपुर	*	*	*
	मेघालय	2.5	2.4	2.4
	मिजोरम	9.8	9.9	6.1
	नागालैंड	10.0	7.9	12.3
	त्रिपुरा	6.5	5.8	4.6

* उत्पादन नगण्य

(हजार मी॰ टन में)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
5.	**खाद्यान्न**			
	अरुणाचल प्रदेश	232.0	193.2	230.2
	असम	3535.0	3489.2	3561.2
	मणीपुर	356.6	488.7	345.2
	मेघालय	149.4	143.0	150.7
	मिजोरम	120.7	124.8	122.7
	नागालैंड	228.0	219.5	238.3
	त्रिपुरा	509.1	426.4	477.1

(180 कि॰ग्रा॰ की हजार गांठें)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
6.	**जूट व मेस्ता**			
	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
	असम	702.3	950.9	870.8
	मणीपुर	*	*	*
	मेघालय	55.3	56.6	50.7
	मिजोरम	*	*	*
	नागालैंड	2.4	2.5	2.5
	त्रिपुरा	38.8	43.1	30.7

* उत्पादन नगण्य

(हजार मी॰ टन में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
7. गन्ना			
अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
असम	1373.9	1505.0	1490.3
मणीपुर	58.8	41.2	41.2
मेघालय	2.3	2.1	2.1
मिजोरम	5.7	7.6	8.5
नागालैंड	193.4	125.0	120.0
त्रिपुरा	72.2	74.3	75.0

* उत्पादन नगण्य

(हजार मी॰ टन)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
8. अदरक			
अरुणाचल प्रदेश	16.5	16.9	18.0
असम	*	*	*
मणीपुर	1.4	1.3	1.3
मेघालय	41.8	43.3	44.7
मिजोरम	7.9	8.7	14.6
नागालैंड	*	4.3	4.5
त्रिपुरा	1.9	1.8	1.8

* उत्पादन नगण्य

(हजार मी॰ टन)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
9. तिलहन			
अरुणाचल प्रदेश	25.2	23.5	26.6
असम	144.7	163.7	157.7
मणीपुर	1.9	1.7	1.7
मेघालय	5.6	5.8	5.8
मिजोरम	7.6	7.6	7.0
नागालैंड	19.7	14.0	15.5
त्रिपुरा	11.1	9.7	8.5

(000 मीटन॰)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
10. फल			
अरुणाचल प्रदेश	47.3	49.3	50.3
असम	886.4	110.3	1166.4
मणीपुर	43.0	100.0	110.0
मेघालय	218.1	232	236.5
मिजोरम	34.8	43.7	43.7
नागालैंड	9.2	9.2	36.0
त्रिपुरा	310.1	325.6	325.6

(हजार मी॰ टन)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
11. सब्जियां			
अरुणाचल प्रदेश	79.9	79.9	80.1
असम	2132.3	1754.4	1931.9
मणीपुर	50.3	36.5	33.0
मेघालय	219.2	237.8	238.1
मिजोरम	31.8	70.1	45.1
नागालैंड	66.9	66.9	107.6
त्रिपुरा	306.9	320.9	320.9

उत्पादन-नगण्य

नारियल का उत्पादन बढ़ाना

2466. श्री एस॰ अजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा नारियल की खेती के विकास सुधार के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं। तथापि आयोग द्वारा नीचे बताई गई गैर मूल्य सिफारिशों से

नारियल की खेती में सुधार किया जा सकता है :—

1. कैराफैड जैसी सार्वजनिक एजेन्सियों को भी खोपरे की पर्याप्त मात्रा में वाणिज्यिक खरीद के लिए अधिकृत किया जाए।
2. केरल में "मिलिंग" खोपरे के मामले में मूल्य सहायता द्वारा खुले बाजार से खरीद की अवधि जनवरी से जून तथा निर्धारित की जाए, जब खोपरे का मूल्य सामान्यतः कम होता है।
3. उन क्षेत्रों में जहां प्राथमिक सहकारी समितियां पर्याप्त मात्रा में नारियल/खोपरे का विपणन नहीं करती, वहां नारियल उत्पादक सहकारी समितियां बनाई जाएं।
4. विश्वसनीय अनुमान लगाने के उद्देश्य से क्षेत्र और उत्पादकता अनुमान लगाने के लिए विभिन्न नारियल उत्पादक राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रणालियों की फिर से जांच की जाए।
5. नारियल उत्पादक राज्यों के उत्पादन की लागत के प्राक्कलन को सृजित करने के लिए त्वरित उपाय किए जाएं।

(ख) नारियल/खोपरा विपणन सहकारी समितियों को पर्याप्त शुष्कन और भंडारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए।

(ग) सरकार ने वर्ष जनवरी से जून तक केरल में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालन की अवधि के संबंध में उपर्युक्त सिफारिश सं॰ (II) को छोड़कर कृषि लागत और मूल्य आयोग की सभी उपयुक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों के प्रचालन की अवधि पूरे वर्ष की होनी चाहिए जैसा कि फिलहाल विद्यमान है।

सरकारी संगठनों को एन॰सी॰सी॰एफ॰ द्वारा आपूर्ति

2467. **श्री आई॰डी॰ स्वामी :**
श्री जयप्रकाश (हरदोई) :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एन॰सी॰सी॰एफ॰) सरकारी संगठनों को अनेक मदों की आपूर्ति थोक मूल्यों से बहुत अधिक दरों पर कर रही है और क्रेता को दिए जाने वाले बीजक पर उन मदों के बांड और पूर्ण विनिर्देशन अंकित नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) क्या सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गणतंत्र दिवस पर पुलिस अत्याचार

2468. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 26 जनवरी, 1997 को 48वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस ने राजपथ पर विशेषकर इंडिया गेट के नजदीक वाले सामान्य बाड़ों में दर्शकों पर लाठी चार्ज किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस ने दर्शकों से सिगरेटों के पैकेट और पैन छीन लिए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी, 1997 को राजपथ या किसी अन्य बाड़े में दर्शकों के विरूद्ध कोई बल प्रयोग नहीं किया।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, सामान्य सुरक्षा के कारण माचिसों और लाइटरों को बाड़ों के अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2469. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मृतक अविवाहित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को कोई पेंशन, सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) क्या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंधित बच्चा जो अपनी शिक्षा आदि के लिए स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर था, इन सुविधाओं के लिए पात्र है;

(ग) क्या ऐसे परिवारों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। किसी अविवाहित स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाने पर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत, उसकी माता और यदि वह जीवित न हो तो उसका पिता स्वतंत्रता पेंशन पाने का पात्र बन जाता है। वे, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकार द्वारा दी गयी अन्य सुविधाओं के लिए भी पात्र होते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

संसद सदस्यों के वाहनों पर लाल बत्ती

2470. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य अपने निजी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके निजी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने के लिए राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में संसद सदस्यों को उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) मोटर-वाहनों में बत्तियों (लाल बत्तियों सहित) का प्रयोग केन्द्रीय मोटर-वाहन नियम, 1989 की धारा 108 (III) के अनुसार शासित किया जाता है। अतिरिक्त बत्तियों, वाहनों के ऊपर लाल/नीली बत्तियों का प्रयोग, केवल उन्हीं वाहनों के लिए अनुज्ञेय है जिनका प्रयोग भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने अभी तक ऐसे किसी उच्चाधिकारी को अधिसूचित नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकारें संगत नियमों के अधीन ऐसे उच्चाधिकारियों की सूचियां अधिसूचित करती हैं।

(ग) और (घ) सरकार (जल भू-तल परिवहन मंत्रालय) के पास संसद सदस्यों को निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

रेलवे स्टेशन का नाम बदलना

2471. कुंवर सर्वराज सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिय मंत्रालय का अनुमोदन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश है;

(ग) क्या "नौगेर" रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मौजूदा दिशा-निर्देशों में विभिन्न सिद्धान्त विस्तार से दिए गए हैं जिन्हें गांवों, कस्बों, शहरों इत्यादि के नामों में परिवर्तन के प्रश्न की जांच करते समय राज्य सरकारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। दिशा-निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का भी उल्लेख है कि जब तक कोई अत्यंत विशेष कारण न हो, ऐसे किसी नाम को बदलना वांछनीय नहीं है जिसकी लोगों को आदत पड़ चुकी है तथा देश भक्ति के स्थानीय कारणों अथवा भाषाई आधार पर अथवा केवल स्थानीय लोगों की भावनाओं की तुष्टी करने, के लिए कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर॰डी॰एक्स॰ की तस्करी

2472. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19-25 जनवरी, 1997 के संडे आब्जर्वर में "आर॰डी॰एक्स॰ स्मग्ल्ड इन डिप्लोमेटिक बेग्स-थ्रैट ऑफ एथनिक स्ट्राईफ लूप्स ओवर नोर्थ ईस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जातीय हिंसा के खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। विभिन्न पूर्वोत्तर विद्रोही ग्रुपों द्वारा शस्त्रों और गोला-बारूद को चोरी-छिपे लाए जाने के प्रति सरकार सतर्क है।

(ग) अनेकों उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बढ़ाई हुई चौकसी, पड़ोसी देशों के साथ अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उचित रूप में उठाना, राज्य पुलिस बलों को मजबूत बनाना, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सैनिक इकाईयों को शामिल करना, विद्रोह विरोधी अभियानों का बेहतर समन्वय और आसूचना को आपस में बांटना तथा समय-समय पर स्थिति की विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षा करना ताकि उचित निर्णय लिए जा सकें।

[हिन्दी]

प्राइवेट जासूसों द्वारा अपराधों की जांच

2473. श्री अमर पाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट जासूसों के माध्यम से किए जा रहे अपराध की जांच करने की अनुमति देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य और केन्द्रीय जांच-पड़ताल तंत्र के पास अपराध की जांच-पड़ताल करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता है। अपराध की जांच-पड़ताल का काम प्राइवेट जासूसों को सौंपना लोकहित में भी नहीं होगा।

मत्स्यपालन हेतु मास्टर योजना

2474. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मत्स्यपालन के विकास हेतु एक मास्टर योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) : **(श्री चतुरानन मिश्र)** : (क) से (ग) मात्स्यिकी राज्यों का विषय है और मात्स्यिकी विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित मामले राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तथापि, भारत सरकार मात्स्यिकी विकास के लिये विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना

2475. श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधि

2476. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री ने अन्य मंत्रालयों को चालू वर्ष के दौरान अपनी योजना निधियों का 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और अन्य संबंधित मामलों के लिए निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों ने इन निर्देशों का किस हद तक पालन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है और संबंधित मंत्रालयों ने इससे कितनी योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

2477. श्री गुलाम रसूल कार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं चलायी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना सितम्बर, 1994 में 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ की गई जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 125 करोड़ रु॰ है। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों के बीच उन वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा के दोगुना से नीचे है। यह निगम

समस्त देश में राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता है।

इस निगम ने अपनी स्थापना के समय से 21396 लाभार्थियों के लिए 13 राज्य माध्यम एजेन्सियों को 6564.99 लाख रुपए संवितरित किए हैं।

लोनी पुलिस स्टेशन

2478. डा॰ अरविन्द शर्मा : क्या गृह मंत्री 10.9.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4897 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जानकारी एकत्र करके कब तक सभा पटल पर रख दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है। आश्वासन की पूर्ति में एक विवरण भी सदन के पटल पर रखने हेतु भेज दिया गया है।

(ख) इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जून से अगस्त, 1996 के दौरान लोनी थाने के पुलिस स्टाफ के कार्यकरण के खिलाफ आम जनता के सदस्यों से तीन आवेदन पत्र प्रस्तुत हुए थे। आवेदनों पत्रों तथा की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) श्री के॰एस॰ प्रेमी, कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रीय अम्बेडकर चक्र पुरस्कार, हसनपुरकलां, मेरठ से 18.6.96 को पहली याचिका प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि लोनी थाने के स्टाफ ने असामाजिक तत्वों द्वारा मोहम्मद इस्लामुद्दीन पुत्र हबीव को तंग करने में तथा इसके भूखंड पर ऐसे तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने में उनकी मदद की। क्षेत्राधिकारी लोनी, गाजियाबाद, द्वारा इन आरोपों की जांच की गई। जांच से इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ कि मो॰ इस्लामुद्दीन एक विवादित भूखंड पर बने मकान में रह रहा था। दूसरी तरफ श्रीमती नंदरानी पत्नी स्वर्गीय श्री किशन लाल चड्ढा, निवासी गुरू का महल अमृतसर, पंजाब ने भी दावा किया था कि यह भूखंड उनका है। उन्होंने, पुलिस थाना, लोनी में इस विवादित भूखंड पर अपने दावे के पक्ष में कागजात पेश किए। उनके कागजात प्रस्तुत करने पर, श्री सुखदेव सिंह, थाना प्रभारी, लोनी थाना, ने मो॰ इस्लामुद्दीन को थाने बुलाया। मो॰ इस्लामुद्दीन इस विवादित भूखंड पर अपने दावे के पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। चूंकि यह मामला राजस्व विभाग से संबंधित था, अतः इस संबंध में दोनों पार्टियों को न्यायालय से उचित आदेश प्राप्त करने के निर्देश दिए गए तथा उन्हें भविष्य में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के प्रति भी सावधान किया गया। अतः लोनी थाने के विरूद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं।

(2) दूसरी याचिका जुलाई, 1996 में श्री राजेन्दर जैन पुत्र श्री नंद किशोर जैन, बलरामनगर, लोनी, गाजियाबाद से प्राप्त हुई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि उन्हें असामाजिक तत्व फोन पर धमकी दे रहे हैं तथा लोनी थाने में उनके द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि 29.6.1996 को श्री जैन ने लोनी पुलिस थाने को सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी कार पर गोलीबारी की है। श्री जैन ने बदमाशों में से एक को दबोच लिया और उसे लोनी पुलिस थाने ले आए। श्री जैन द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। उसके बाद जांच पड़ताल के दौरान एकत्र की गई सूचना के आधार पर आरोप को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 से बदलकर दंड संहिता की धारा 307 में परिवर्तित कर दिया गया है। चूंकि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत उसे रिहा करने हेतु एक रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई है। यह भी कहा गया है कि श्री जैन व उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए दो सशस्त्र कार्मिक तैनात किए गए तथा उनके टेलिफोन पर टेलिफोन एक्सचेंज द्वारा नजर रखी जा रही है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त नामतः (1) चांद सिंह दहिया पुत्र श्री हरिचंद, निवासी मुहम्मदाबाद थाना, सोनीपत, हरियाणा (2) राजीव उर्फ राजू पुत्र सुखबीर सिंह, निवासी नाहरी थाना, सोनीपत, हरियाणा व 15 स्वतंत्र नगर, दिल्ली (3) ईश्वर पुत्र हरसावराम, निवासी बलराम नगर, थाना लोनी, गाजियाबाद, और (4) राजेन्दर उर्फ बंशी पुत्र केहर सिंह, निवासी मेहम रोड, गोहाना, थाना गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। जांच-पड़ताल के दौरान यह पाया गया है कि अभियुक्त, ईश्वर श्री जैन के पास नौकरी करता था। उसे दो महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी के कारण, अभियुक्त ने यह अपराध किया। जांच-पड़ताल के बाद 14.9.1996 को उक्त चारों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 335 न्यायालय को भेज दिया

गया है। यह कहा गया है कि इस मामले के संबंध में लोनी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है और प्रार्थी को सुरक्षा प्रदान की गई है।

(3) 20.8.1996 को श्री रतन सिंह पुत्र श्री धरम पाल, लोनी निवासी, गाजियाबाद ने एक आवेदन दिया। अपने आवेदन में उन्होंने ये आरोप लगाए कि 10.8.96 को उनके छोटे भाई रतन पाल को ओमवीर और सुरेन्द्र जबर्दस्ती उसके घर ले गए, क्योंकि रतन पाल का उनसे पैसे की वसूली करनी थी। अपने पैसे मांगने पर रतनपाल को चाकू मार दिया गया और अभियुक्त उसके पैसे लेकर भाग गये। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उप-निरीक्षक और थाना प्रभारी, लोनी थाना, को 30,000/-रुपये दिये और इसी के कारण लोनी थाने की पुलिस ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है और अभियुक्तों को बचा रही है। ऊपर वर्णित आरोपों के आधार पर लोनी थाने के हैड-कांस्टेबल को इस मामले को दर्ज नहीं करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच-पड़ताल लोनी के क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई थी। इस मामले की जांच-पड़ताल के बाद, श्री चाहर उप-निरीक्षक व प्रताप सिंह, हैड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

श्री सुखदेव सिंह, थाना प्रभारी, लोनी थाना, को कठोर चेतावनी दी गई है। जांच-पड़ताल के दौरान 30,000/- रुपये घूस लेने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 302 के अन्तर्गत एक मामला संख्या 403/96 न्यायालय में भेज दिया गया है जिस पर मुकदमें की कार्रवाई जारी है।

[हिन्दी]

चीनी मूल्य में वृद्धि के कारण कमाई

2479. श्री राम नगीना मिश्र : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में चीनी मूल्य में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी मिलों को कितनी अतिरिक्त कमाई होने की संभावना है; और

(ख) क्या चीनी मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 72 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की दर को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चीनी के निकासी मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी भी चीनी मिल को होने वाली अतिरिक्त आय उस जोन पर निर्भर करेगी जिसमें वह चीनी मिल स्थित है। निकासी मूल्यों में हुई जोनवार वृद्धि बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार द्वारा 12.2.1997 को अधिसूचित किए गए लेवी चीनी के निकासी मूल्य गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य पर आधारित हैं और ये उस मूल्य से संबद्ध नहीं हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें और गन्ना उत्पादक सहमत हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में वृद्धि बताने वाला विवरण

अनुसूची-3 में दी गई फैक्ट्रियों के संबंध में फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी तक फैक्ट्री गेट/फैक्ट्री के गोदाम पर भारतीय चीनी मानक के सभी ग्रेड (उत्पाद शुल्क के अलावा) के लिए खरीदारों की गाड़ियों, लारियों अथवा ढुलाई के अन्य साधनों में सुपुर्दगी के लिए मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)

क्र॰सं॰	जोन	चीनी मौसम 1995-96	चीनी मौसम 1996-97	वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	937.73	1071.60	133.87
2.	असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	1039.88	1420.07	380.19
3.	बिहार (उत्तरी)	940.69	1140.37	199.68
4.	बिहार (दक्षिणी)	1034.70	-	-
5.	गुजरात (दक्षिणी)	852.14	938.58	86.44
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	940.93	1055.69	114.76
7.	हरियाणा	861.56	985.43	123.87
8.	उत्तरी-पश्चिमी कर्नाटक	851.05	970.70	119.65
9.	शेष कर्नाटक	889.66	1001.84	112.18
10.	केरल, गोआ और कोस्तल कर्नाटक	931.75	1127.98	196.23
11.	मध्य प्रदेश	981.36	1112.02	130.66
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	847.68	976.52	128.84
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	873.27	983.60	110.33
14.	महाराष्ट्र (केन्द्रीय)	824.24	958.33	134.09
15.	पंजाब	871.04	1084.04	213.00
16.	राजस्थान	945.39	1110.45	165.06
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	937.38	1049.04	111.66

1	2	3	4	5
18.	उत्तर प्रदेश (केन्द्रीय)	881.03	994.05	113.02
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	938.50	1038.74	100.24
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	898.62	981.81	89.19

क्रय कर आदि के संबंध में उत्तरी और दक्षिणी बिहार जोनों के लिए मूल्य कोर्ट के अंतिम आदेशों की शर्त के अधीन है। यदि बिहार के उपर्युक्त जोनों में फैक्टियों से कोई राशि वसूल की जाती है तो संबंधित फैक्टी को यह राशि चीनी मूल्य समीकरण निधि को लौटानी होगी।

"पेड़ों का काटा जाना"

2480. श्री राम टहल चौधरी :
श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध रूप से वनों की कटाई के कारण दक्षिण बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य के वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी आई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वनों की कटाई रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में राज्य सरकार के साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995 ने रिपोर्ट दी है कि बिहार राज्य में 1993 के मूल्यांकन के मुकाबले में 1995 के मूल्यांकन में वन कवर में 26 वर्ग किलोमीटर (0.098%) की कमी आई है। ऐसे क्षेत्रों में वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) सरकार ने वनों की कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

- केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने से रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को अधिनियमित किया गया।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को वन और वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है।
- बाघ परियोजना, हाथी परियोजना सहित विशेष कार्यक्रमों को दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण और जैविक महत्व के प्राकृतिक वास स्थलों के संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- वनीकरण/पुन-र्वनीकरण और पारि-विकास कार्यक्रमों को राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों के बफ्फर क्षेत्रों और बाघ रिजर्व परियोजना सहित अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- लकड़ी के उपयोग के विकल्प, खपत को कम करने और अपव्यय को रोकने के लिए लकड़ी के विकल्प और ईंधन बचत उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वनों और वन्यजीव प्राकृतिक वास स्थलों पर दबाव कम करने के लिए वनेतर क्षेत्रों में वनीकरण और बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवकृमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्धार में ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी के लिए संयुक्त वन प्रबंध तकनीकों और संस्थाओं का विकास किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न कोटा

2481. श्री भेरु लाल मीणा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार उसके लिए निर्धारित खाद्यान्न को जानबूझकर नहीं उठा रही है;

(ख) क्या राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में गरीब जनजातीय लोगों को 10 कि॰ग्रा॰ प्रति इकाई के कोटे की तुलना में $2^1/_2$ कि॰ग्रा॰ प्रति इकाई की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार नें अनियमितताओं की कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। राजस्थान सरकार, जुलाई, 1996 से आवंटन के लगभग 90 प्रतिशत भाग को उठाती रही है।

(ख) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का कोटा उठाने, क्षेत्रों को उप आवंटन, प्रति यूनिट कोटा नियत करने आदि जैसे प्रचालनात्मक पहलू राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करें।

अज्ञात शव

2482. श्री प्रमोद महाजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "अनक्लेम्ड बाडीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1995, 1996 के दौरान तथा आज तक दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद किए गए अज्ञात शवों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने शवों का सरकारी खर्च पर दाह संस्कार किया गया तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या व्यापक प्रचार करके मृतक संबंधियों को सूचित करने का प्रयास किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दाह संस्कार के पूर्व उनकी पहचान करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार ने संदर्भाधीन समाचार को देखा है जिसे "इंडियन एक्सप्रेस" ने अपने दिनांक 13 फरवरी, 1997 के अंक में प्रकाशित किया है।

(ख) से (ङ) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	बरामद की गई गैर-शिनाख्त-शुदा लाशों की संख्या
1995	1591
1996	1564
1997 (28.2.97 तक)	246

पुलिस द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद, मृतकों के संबंधियों का पता न लगाया जा सका। इस प्रकार, केवल मुसलमानों की गैर शिनाख्त-शुदा लाशों को छोड़कर, इन सभी गैर शिनाख्तशुदा लाशों का दाह संस्कार सरकारी खर्च से, पुलिस द्वारा किया गया; मुसलमानों की लाशें, दफनाए जाने हेतु वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई।

(च) दाह संस्कार/दफनाए जाने से पहले गैर शिनाख्तशुदा लाशों की शिनाख्त के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जाते हैं :—

(1) ऐसे शवों को शिनाख्त के लिए इन्हें 72 घंटे तक शवगृह में सुरक्षित रखा जाता है;

(2) स्थानीय आधार पर पूछताछ की जाती है;

(3) ऐसी लाशों की पहचान में जनता से पुलिस की सहायता करने का अनुरोध, समाचार पत्रों/दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है;

(4) उंगलियों के निशान सुरक्षित रखे जाते हैं और इनका मिलान, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो से कराया जाता है;

(5) ऐसी लाशों के फोटोग्राफ, राजपत्र में प्रकाशित कराए जाते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाए भी जाते हैं;

(6) अपराध शाखा के "गुमशुदा व्यक्ति दस्ते" को सूचित किया जाता है;

(7) ऐसे शवों की शिनाख्त के लिए दिल्ली के सभी थानों के थाना प्रभारियों तथा देश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को बेतार संदेश भेजा जाता है; और

(8) गुहार नोटिस परिचालित किया जाता है।

[अनुवाद]

वन भूमि का आबंटन

2483. श्री के॰ एस॰ रायुडू :

डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से छोड़ी जाने वाली परती भूमि के बदले में कब्जाधारियों को वन भूमि आबंटित करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पश्चिमी गोदवरी जिले के पोलावरम रेंज में आदिवासियों को पट्टा देने के लिए 33 हेक्टेयर वन भूमि अनारक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव मंत्रालय में 19.2.1997 को प्राप्त हुआ और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

2484. श्री राम शकल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अनेक गांव जंगलों में स्थित हैं और वन विभाग इन गांवों में सड़क निर्माण कार्य के दौरान हस्तक्षेप करता है तथा बाधाएं उत्पन्न करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आज भी अधिकतर गांव जंगलों में बसे हुए हैं और अभी तक उन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु इस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सहित देश में ऐसे अनेक गांव हैं जो वन क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसे मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए ऐसी सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशा-निर्देशों में ढील दी गई है जिनसे वनेतर भूमि के बराबर भूमि लेने पर जोर देने के बजाय अन्तरित वन क्षेत्र की सीमा में अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण स्वीकार करके उस क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा, 5 है॰ तक के प्रस्ताव मंत्रालय के मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) द्वारा निपटाए जाते हैं। 5 है॰ से 20 है॰ के बीच के मामले राज्य सरकार सलाहकार ग्रुप के परामर्श से मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निपटाए जाते हैं और अन्तिम निर्णय के लिए मंत्रालय में भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

निर्यात करार

2485. डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कुछ निर्यात करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) 1995-96 के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन॰डी॰डी॰बी॰) की एक पायलट परियोजना, फल तथा सब्जी परियोजना ने मुम्बई में फल-सब्जी उत्पादों तथा अन्य संबंधित उत्पादों के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एकक से उत्पादन 1997-98 में प्रारंभ हो जाएगा। 1995-96 में भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एक अन्य एकक भारतीय इम्युनोलोजिकल्स ने बंगलादेश में जैविकों तथा पशु स्वास्थ्य उत्पादों की उन्नति के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए। अभी तक कोई निर्यात नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गेहूं की खुली बिक्री का मूल्य

2486. श्री नवल किशोर राय :
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री राम नाईक :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं और चावल की खुली बिक्री की कीमत बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गेहूं और चावल के खुले बाजार के मूल्य में इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) मंहगाई से पहले से ही प्रभावित आम जनता और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) फरवरी, 1997 माह में गेहूं की खुली बिक्री के मूल्यों में वृद्धि की गई थी। चावल की खुली बिक्री के मूल्य पिछली बार 28.6.96 को संशोधित किए गए थे जोकि 1.7.96 से प्रभावी थे और अभी भी लागू हैं।

(ख) आज की तारीख के अनुसार गेहूं और चावल की खुली बिक्री के मूल्यों को बताने वाले ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II पर हैं।

(ग) सरकार द्वारा खुली बिक्री के अधिसूचित मूल्यों की तुलना में बाजार मूल्यों में पर्याप्त अन्तर, वसूली क्षेत्रों से उपभोग क्षेत्रों को गेहूं के संचलन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय भाड़े को निष्क्रिय करने, खुली बिक्री पर सब्सिडि के भार को कम करने और थोक व्यापारियों को अनुचित लाभ कमाने से हतोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4.2.97 से गेहूं की खुली बिक्री के मूल्यों को संशोधित करने का निर्णय किया था। तथापि, जुलाई, 96 के बाद चावल के मूल्यों को संशोधित नहीं किया गया है।

(घ) खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री से बाजार मूल्यों पर संतुलित प्रभाव पड़ा है। यदि खुली बिक्री नहीं की गई होती तो मूल्यों में और अधिक वृद्धि नहीं हुई होती।

विवरण–I

4.2.97 से अगले आदेशों तक गेहूं के मूल्यों को बताने वाला विवरण

क्र॰सं॰	प्रमुख केन्द्र का नाम	दर रु॰ प्रति टन
1.	गुवाहटी	7500
2.	मुम्बई	7400
3.	नागपुर	7400
4.	इन्दौर	7200
5.	ग्वालियर	6000
6.	रायपुर	7400
7.	अहमदाबाद	7300
8.	सूरत	7300
9.	कटक	7400
10.	भुवनेश्वर	7400
11.	पटना	6500
12.	रांची	7000
13.	कलकत्ता	7400
14.	सिलिगुड़ी	7400
15.	दिल्ली	5000
16.	चण्डीगढ़	4900
17.	लखनऊ	5400
18.	कानपुर	5400
19.	वाराणसी	6000
20.	बरेली	5000
21.	मद्रास	7800
22.	कोयम्बटूर	7800
23.	मदुरै	7800
24.	कोचीन	7900
25.	त्रिवेन्द्रम	7900
26.	हैदराबाद	7500
27.	विशाखापत्तनम	7500
28.	बंगलौर	7700
29.	मैसूर	7700
30.	बेलगांव	7700
31.	जयपुर	5200
32.	शिमला	5031
33.	जम्मू	5200
34.	श्रीनगर	5300

अन्य केन्द्रों के डिपुओं पर की गई खुली बिक्री के संबंध में नजदीकी प्रमुख केन्द्र के लिए निर्धारित दर लागू होंगी।

विवरण–II

1.7.1996 से अगले आदेशों तक प्रभावी चावल के मूल्य बताने वाला विवरण

दर रुपये प्रति टन

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	बढ़िया	उत्तम
1.	पंजाब	7050	7350
2.	हरियाणा	7000	7300
3.	उत्तर प्रदेश	6900	7200
4.	राजस्थान	7500	7650
5.	दिल्ली	6740	7060
6.	जम्मू और कश्मीर	6680	7000
7.	पश्चिम बंगाल/बिहार उड़ीसा/मध्य प्रदेश महाराष्ट्र/गुजरात/ कर्नाटक/केरल/ आन्ध्र प्रदेश/ तमिलनाडु	7130	7450

पत्तन कस्बों से 50 किलोमीटर के भीतर घरेलू उपभोग के लिए की गई खुली बिक्री के लिए वह दर लागू होगी जो इन पत्तन कस्बों में निर्यात के लिए बिक्री के लिए लागू दर में से 50 रुपये प्रति टन घटाने के बाद प्राप्त होती है।

कर्नाटक राज्य में आदिवासी

2487. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ट्राइबल्स येट टू गेट अलाटेड लैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जनजातियों की शिकायतें दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उन आदिवासियों के नाम क्या हैं जिन्हें भूमि का कब्जा दे दिया गया है और उनमें से प्रत्येक को कुल कितना बीघा भूमि दी गयी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 26 दिसम्बर, 1996 को हिन्दुस्तान टाइम्स में शिकायत प्रकाशित हुई थी। यह तथ्य है कि कुछ आदिवासी आबंटी

साथ-साथ जमीन का मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने कर्नाटक के 10 जिलों में अध्ययन किया जिससे पता चला कि लगभग 3 प्रतिशत आबंटियों को आबंटन पत्र के साथ ही जमीन का कब्जा नहीं प्राप्त हो पाया। उपर्युक्त अध्ययनों में मुख्य कारण यह पाए गए कि न्यायालय का निषेधादेश तथा सर्वे सेटिलमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आबंटित भूमि के सीमांकन तथा उसकी पहचान में संभावित विलम्ब शामिल है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों को, जिन मामलों में ऐसा अभी तक नहीं किया गया है, आगे और कोई विलम्ब बिना आबंटन पत्र के साथ उसी वक्त जमीन पर कब्जा दिलाने की सलाह दी है। इस संबंध में दिनांक 28 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में सम्पन्न राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अनेक संकल्प अपनाए गए जिसमें आदिवासियों सहित सभी आबंटियों को जमीन का वितरण तथा आबंटियों को उसका वर्तमान कब्जा समयबद्ध आधार पर दिलाने तथा सभी आबंटियों को भूमि वितरित करने के साथ-साथ कब्जा दिलाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। तद्नुसार, उक्त सिफारिशों को कर्नाटक सहित सभी राज्यों को भेजा गया है।

(घ) आदिवासियों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक को आबंटित भूमि के आंकड़े न तो राज्य स्तर पर और न ही केन्द्र स्तर पर रखे जाते हैं। ऐसी सूचना केवल निचले स्तर पर राजस्व कर्मचारियों के पास उपलब्ध होती है। तथापि, कृषि योग्य जमीन पर हदबंदी कानूनों की शुरूआत से कर्नाटक में आदिवासियों को आबंटित की गई कुल भूमि केवल 3,578 एकड़ है जिससे 974 आदिवासी परिवार लाभान्वित हुए हैं।

मल-जल शोधक संयंत्र

2488. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए गंगा के किनारे बसे शहरों में मल-जल शोधक संयंत्र लगाने के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक संयंत्र पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित 25 शहरों में 35 सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए 205.59 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृति की गई है। इसके अलावा गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत गंगा के किनारे स्थित 47 शहरों में इसी प्रकार के कार्य के लिए 121.41 करोड़ रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई है, इस राशि में केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत में बराबर की हिस्सेदारी होगी।

(ख) उन शहरों के नाम जहां इन संयंत्रों का निर्माण किया जाना है तथा उनकी संस्वीकृति लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत 35 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 26 सीवेज उपचार संयंत्रों का कार्य पूरा हो चुका है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है।

विवरण

गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत सीवेज उपचार संयंत्र

(लाख रुपए)

क्र॰सं॰	स्थान	अनुमानित लागत
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	कनखल, हरिद्वार	782.24
2.	स्वर्ग आश्रम-ऋषिकेश	19.45
3.	लकवर घाट, ऋषिकेश	84.95
4.	फरूकाबाद	154.82
5.	कानपुर	1282.18
6.	क्रोम प्राप्ति पायलट संयंत्र, कानपुर	2.87
7.	कानपुर	3243.00
8.	कानपुर	11.42
9.	इलाहाबाद	1833.00
10.	मिर्जापुर	356.37
11.	वाराणसी, बीएचयू	344.92
12.	वाराणसी, दीनापुर	2643.20
13.	वाराणसी, एसटीपी, डीएलडब्ल्यू	75.00
	उप जोड़	**10833.42**
बिहार		
14.	छपरा	306.44
15.	पटना, ईस्टर्न जोन	155.53
16.	पटना-सैदपुर	603.38
17.	पटना-बेयूर	382.97

1	2	3
18.	पटना–सदर्न जोन	388.83
19.	मुंगेर	226.70
20.	भागलपुर	211.81
	उप जोड़ : बिहार	**2275.66**
पश्चिम बंगाल		
21.	चन्द नगर	308.50
22.	बहरामपुर	37.73
23.	नवदीप	43.17
24.	कल्याणी	141.34
25.	भाटपारा ग्रेड ई	209.74
26.	भाटपारा ग्रेड बी	383.20
27.	दितागढ़	277.25
28.	पानिहाटी	230.29
29.	बारानगर–कमरहाटी	1420.47
30.	गार्डन रीच	1762.16
31.	साउथ सर्बन (ई)	451.13
32.	हावड़ा	150.56
33.	सेरामपुर	180.13
34.	बेले	470.12
35.	कोसीपुर–चितपुर	1384.36
	उप जोड़ : पश्चिम बंगाल	**7450.23**
	जोड़	**20559.31**

गंगा कार्य योजना चरण–II के अंतर्गत सीवेज उपचार संयंत्र

(लाख रुपए)

क्र-सं॰	शहर	अनुमानित लागत (एसटीपी)
1	2	3
गंगा कार्य योजना चरण–II (मुख्य धारा पर स्थित शहर)		
I.	**बिहार**	
1.	पटना	180.70
2.	भागलपुर	032.00
नये शहर		
3.	बक्सर	015.60
4.	आरा	140.00
5.	साहेबगंज	006.00
	उप जोड़	**374.30**
II.	**उत्तर प्रदेश**	
6.	हरिद्वार–ऋषिकेश	080.00
7.	कानपुर	3270.00
8.	इलाहाबाद	1390.00
9.	वाराणसी	972.00
10.	मिर्जापुर	045.00
नये शहर		
11.	मुगल सराय	027.00
12.	गाजीपुर	039.00
13.	सैदपुर	002.00
	उप जोड़	**5825.00**
III.	**पश्चिम बंगाल**	
14.	बैरकपुर	315.21
15.	बंसबेरिया	442.68
16.	रिशरा	349.86
17.	बैद्यपति	160.65
18.	बज–बज	180.60
19.	भद्रेश्वर–चम्पदानी	689.01
	उप जोड़	**2138.01**
	जोड़	**8337.31**

गंगा कार्य योजना चरण II (उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शहर)

उत्तर प्रदेश		
20.	बिजनौर	115.50
21.	चुनार	105.00
22.	अनूपशहर	31.50
23.	रानीपुर	330.75
24.	गोपेश्वर	34.65
25.	कर्ण प्रयाग	02.10
26.	रुद्र प्रयाग	68.25
27.	बद्रीनाथ	21.00

1	2	3
28.	श्री-नगर	98.70
29.	देव प्रयाग	10.50
30.	उत्तर काशी	84.00
	उप जोड़	**901.95**
बिहार		
31.	मोकामह	61.67
32.	कहलगांव	31.45
33.	हाजीपुर	76.44
	उप जोड़	**169.55**
पश्चिम बंगाल		
34.	नईहाटी	392.70
35.	खर्दा (विस्तृत)	66.57
36.	ग्यासपुर, हलीलशहर और कांचीपाड़ा	713.18
37.	कोनानगर	593.25
38.	उत्तर बैरकपुर	210.84
39.	जीजागंज-अजीमगंज	86.63
40.	डायमंड हार्बर	13.73
41.	गरूलिया	280.35
42.	काटवा	57.75
43.	धुलियन	47.70
44.	जंगीपुर	62.97
45.	महेशतला	102.90
46.	चकदाह	66.68
47.	मुर्शीदाबाद	37.51
	उप जोड़	**2732.73**
	जोड़	**3804.23**
गंगा कार्य योजना चरण-II सीवेज उपचार संयंत्र का कुल जोड़		12141.54

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण

2489. श्री डी॰ पी॰ यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची तैयार की गई है जिसमें आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक धर्मों को मानने वाले लोगों की अनेक जातियां/समुदाय जैसे केरल में ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोग बिहार में धोबी (मुसलमान) केरल में मप्पिला आदि शामिल हैं।

विभिन्न जातियों/समुदायों के शामिल किए जाने/अधिक शामिल किए जाने के लिए अभिवेदनों पर विचार करने के लिए अगस्त, 1993 में स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अल्पसंख्यक धर्मों को मानने वाले लोगों की अनेक जातियां/समुदाय भी शामिल किए गए हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के धोबी (उन्हें छोड़कर जिन्हें पहले ही उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति सूची में शामिल कर लिया गया है) पश्चिम बंगाल के जोलाह (अंसारी-मोमिन), हरियाणा के मेव (1) वोहरा, (2) कच्ची मेमन, (3) नवयात, (4) तुरुक्कन, (5) केरल के दखनी मुस्लिम।

[अनुवाद]

क्षमा याचिका

2490. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मौत की सजा को कम करने के लिए दायर की गई क्षमा याचिकाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मक़बूल डार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत मौत की सजा को कम करने के लिए 13 दया याचिकाएं प्राप्त हुई थीं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	कैदी का नाम
1	2
1.	धनंजय चटर्जी, केन्द्रीय जेल, अलीपोर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
2.	लक्ष्मण नायक, सर्किल जेल बारीपाडा, उड़ीसा।
3.	भेरू सिंह, केन्द्रीय जेल, जयपुर, राजस्थान।

1	2
4.	शंकर उर्फ गौरी शंकर, केन्द्रीय जेल, सेलम, तमिलनाडु।
5.	एलडिन उर्फ अल्बर्ट, केन्द्रीय जेल मदुराई, तमिलनाडु।
6.	सुरेश चन्द्र बाहरी, केन्द्रीय जेल भागलपुर, बिहार।
7.	अमृत लाल सोमेश्वर, जौशी, यरवदा केन्द्रीय जेल, पूणे, महाराष्ट्र।
8.	रावजी उर्फ राम चन्द्र, केन्द्रीय जेल, जयपुर, राजस्थान।
9.	ऊमा शंकर पुत्र श्री भेरूलाल, केन्द्रीय जेल इन्दौर, मध्य प्रदेश।
10.	गनसेला विजयावरधनराव, राजामुन्दरी केन्द्रीय जेल, आन्ध्र प्रदेश।
11.	सतलूरी चालपति राव, राजामुन्दरी केन्द्रीय जेल, आंध्र प्रदेश।
12.	कामता तिवाडी, केन्द्रीय जेल, जबलपुर मध्य प्रदेश।
13.	सुरजा राम, केन्द्रीय जेल जयपुर, राजस्थान।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की औद्योगिक सहकारी समितियां

2491. श्री संदीपान थोरात : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों को आर्थिक उत्थान करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र को इन योजनाओं के अंतर्गत कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(ग) अब तक स्वीकृत की गयी तथा स्वीकृति हेतु विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सरकार ने आय सृजक योजनाओं के लिए गरीबी की रेखा के दोगुना से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए अत्यंत रियायती वित्तीय सहायता के विस्तार के उद्देश्य से 8 फरवरी, 1989 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (लाभ के लिए नहीं) स्थापित किया है। गरीबी की रेखा के दो गुना से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों संयुक्त रूप से व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों को जहां सभी सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों और गरीबी रेखा के दोगुना से नीचे के भी हों, को ऋण प्रदान किया जाता है।

सहकारी समितियों में ओद्योगिक सहकारी उद्यम भी शामिल हैं। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध हैं, 130.80 करोड़ रुपए की ओद्योगिक सहकारी परियोजना स्वीकृत की गई है। जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, ओद्योगिक सहकारी परियोजना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः चालू वर्ष में कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया। महाराष्ट्र राज्य का ओद्योगिक सहकारी परियोजना का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

चीनी मिलों का धन संकट

2492. श्री सनत मेहता : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बफ्र स्टाक को बढ़ाने, चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक मात्रा में चीनी आवंटित करने के अलावा चीनी मिलों द्वारा उठाए जा रहे धन संकट का समाधान करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) इन उपायों का क्या परिणाम निकला है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 1996-97 मौसम के लिए लेवी चीनी के जोनल निकासी मूल्यों को 12.2.1997 को संशोधित किया गया है जो 1.10.96 के पूर्वगामी प्रभाव से प्रभावी हैं। चीनी मिलों को चीनी की पैकिंग एक, दो और पांच किग्रा॰ की उपभोक्ता थैलियों में करने की अनुमति दी गई है ताकि सीधे विपणन की विधि से वे औसत निकासी मूल्यों के संबंध में अपने लाभ में सुधार कर सकें। चीनी डीलरों के लिए स्टाक रखने की सीमा को बढ़ाकर 1000 क्विंटल और कारोबार अवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है ताकि व्यापारी अधिक मात्रा रख सकें और फैक्ट्रियों के लिए अधिक मांग उत्पन्न हो सके। वर्तमान चीनी मौसम के दौरान मुक्त बिक्री की मासिक रिलीज को सामान्य रूप से पिछले चीनी

मौसम के तदनुरूपी मास की तुलना में ऊंचे स्तर पर बनाए रखा गया। ये सभी उपाय चीनी मिलों को पेश आ रहे निधि संबंधी संकट का समाधान करने के लिए किए गए हैं।

(ख) इन उपायों में प्रत्येक उपाय के प्रभाव का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

यूरिया पर राजसहायता

2493. श्री अनंत कुमार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी और आयातित यूरिया पर पृथक रूप से प्रतिटन कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ख) चालू वर्ष के लिए यूरिया आयात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) आयातित और स्वदेशी यूरिया की कुल खपत कितनी है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी राजसहायता दी गई है और चालू वर्ष के दौरान कितनी राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) यूरिया के भारित औसत प्रतिधारण मूल्य के आधार पर गणना किए जाने पर स्वदेशी यूरिया पर राजसहायता 22.2.1997 तक 2236 रु॰ प्रति मीट्रिक टन तथा उसके पश्चात 1896 रु॰ प्रति मीट्रिक टन आती है। चालू वर्ष के दौरान 7.3.97 तक यूरिया आयात पर प्रतिटन राजसहायता 4980 रु॰ प्रति मी॰ टन आती है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 23.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात हुआ। इस समय और आयात किए जाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) 1996-97 के दौरान यूरिया की कुल खपत लगभग 201 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है।

(घ) 1994-95 और 1995-96 के दौरान नियंत्रित उर्वरकों पर कुल राजसहायता क्रमशः 5241.02 करोड़ रुपए और 6234.99 करोड़ रुपए थी। 1996-97 के दौरान राजसहायता पर 6093 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठन

2494. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कार्यरत, स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को वर्षवार तथा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में इन राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के संबंध में ब्यौरे विवरण-I तथा विरण-II के रूप में संलग्न है।

(ख) ब्यौरे विवरण-प्प के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से शिकायतें/प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश में 10 गैर सरकारी संगठनों तथा हिमाचल प्रदेश में एक गैर सरकारी संगठन के मामले में अनुदान रोक दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे स्वच्छिक संगठनों की सूची।

क्र॰सं॰	संगठन का नाम तथा पता
1	2
अनुसूचित जाति कल्याण उत्तर प्रदेश	
1.	ईश्वर सरन आश्रम, ईश्वर नगर, इलाहाबाद।
2.	मिजनौर सेवा संस्थान, माड़वाड रोड, मंडलौली सेथू, पो॰आ॰ बिजनौर, जिला बिजनौर
3.	किसान सेवा समिति, विल्लेज एवं पो॰आ॰ मून्दी बाकापुर, बुलन्दशहर
4.	सर्वाजन कल्याण समिति, 7, रेस कोर्स कालोनी, बुलन्दशहर
5.	गड़वाल सब्जी सप्लाइर एंड अनुसूचित जाति अनइम्पलाइड समिति, गोपेश्वर, चमोली
6.	आदर्श कल्याण सेवा समिति, 54/2, जोशियापुर, बहराईच
7.	ईंदिरा राष्ट्रीय चेतना इवाम समाज उत्थान संस्थान, होशियारी मंदिर, रायवाला, देहरादून
8.	जन कल्याण शिक्षा समिति, भाथहिन खुर्द (लाला) देवरिया
9.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान गांव बालीया, पो॰आ॰ नकाटाहान, मिश्रा, फाजिल नगर, पादरवाना।

1	2
10.	ज्ञान भारती महिला कल्याण अवाम शिक्षा समिति, होली गेट, एटा।
11.	अवध संस्थान, रामघाट, अयोध्या, फैजाबाद।
12.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फैजाबाद।
13.	जे॰पी॰ सेवा समिति, फिरोजपुर, पो॰अमोलार, फरूखाबाद,
14.	स्वामी आत्मदेव गोपालनन्द शिक्षा संस्थान, उजारपुर, पो॰आ॰ फरूखाबाद।
15.	श्री सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति, सिंहनगर, पो॰ आ॰ झांसी, फरूखाबाद।
16.	बाल अवाम महिला कल्याण समिति, 80 इस्लामगंज, फतेहपुर।
17.	आशा महिला शिल्प कला केन्द्र, न्यू सुहाव नगर, विल्लेज हिमायपुर, फिरोजाबाद
18.	माध्यम सत्याकाम शिक्षा केन्द्र, विजयनगर कालोनी, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर
19.	सर्वोदय आश्रम, सिकन्दपुर, हरदोई
20.	डा॰ राधाकृष्ण पब्लिक सिलाई कढ़ाई प्रतिष्ठान केन्द्र, ए–1, दीन दयाल नगर, झांसी
21.	हुमान सर्विस चेरीटेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सी–234, निराला नगर, लखनऊ।
22.	प्रगतिशील उद्योग समिति, विल्लेज तीरा का पूर्वा, पो॰आ॰ जुग्गार, लखनऊ
23.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संघ, आजाद विला, डालीगंज, लखनऊ
24.	बोधी सतवा बावा साहब, डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर स्मारक समिति, 66/363, छितपुरा पजावा, लखनऊ
25.	सोशिल एंड इकोनोमिक्स डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, गौरव, सी–2116, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
26.	भारतीय समाज सेवा संस्थान, बर्फ खाना, मिसरी की बाग, लखनऊ।
27.	सार्वजनिक शिक्षा समिति, 565/180, पूरन नगर, आलमबाग, लखनऊ।
28.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान, 202/ए/6, जवाहर नगर, लखनऊ।
29.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/63, टैगोर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ।
30.	अप अनुसूचित विमुक्त अवाम जनजाति सेवक संघ, 97/बी, दारूल शफा, लखनऊ।
31.	रूधिधान ग्राम विकास आश्रम कोटपूरबी, समभोल, मुरादाबाद
32.	श्री तपेश्वर राम कल्याण समिति, एमगों सैदपुर, पो॰ मुहम्मदपुर गोहाना, मऊ
33.	प्रतापगढ़ ग्रामोद्योग समिति, विल्लेज पुरे वेधुआ, पो॰आ॰ अफीम की कोठी, प्रतापगढ़
34.	प्रतापगढ़ महिला अवाम शिक्षा समिति, देवोकाली, सदर, प्रतापगढ़
35.	सत्य अहीमता बाल विद्यालय समिति, गाजीधापोर, शाखपुर समोधा, रायबरेली
36.	तरूण चेतना, विकास नगर पो॰ मोहनगंज, रायबरेली
37.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर मंगोली, शाहाबाद, रामपुर
38.	जवाहर ज्योति शिक्षा अवाम ग्राम विकास समिति, विल्लेज एंड पो॰ आ॰ पतवाई, रामपुर
39.	ग्राम स्वराज्य आश्रम, प्लाट नं॰ 2 न्यू धर्मशाला ग्रीकगंज, सीतापुर
40.	शक्ति साधना संस्थान, एम ओ, तरिनपुर सीतापुर
41.	आदर्श सांस्कृतिक संत्संग कला केन्द्र विल्लेज एंड पो॰ आ॰ उन्नाव
42.	डा॰ अम्बेडकर मिशन सेवा समिति, करछना, इलाहाबाद
43.	ग्राम विकास शिक्षा समिति, 192, ऊंचा मंडी, इलाहाबाद
44.	डा॰ अम्बेडकर हरिजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय विल्लेज चादवाड, पो॰ आ॰ नागरा, बलिया
45.	शीलग्राम विकास संस्थान, अरूनाकला, पो॰आ॰ बी॰कू॰ बिलासपुर मार्ग, बरेली
46.	सेवा कूला शिक्षा संस्थान, जातामालपुर पो॰आ॰ पीपारपती, देवरिया
47.	श्री टैगोर आश्रम उ॰प्र॰ के॰एस॰ नगर, रेलवे रोड, फिरोजाबाद
48.	साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, नबावगंज गोंडा
49.	स्वर्गीय कंचन लाल सगुना सेवा संस्थान, पो॰आ॰ पारा, हमीरपुर
50.	पी॰के॰ लोक विकास, पो॰आ॰ काशीरामपुर, जाल्लोन
51.	कानपुर हरिजन सेवा संस्थान, 22/9, लेवर कालोनी, ओल्ड कानपुर, कानपुर

1	2
52.	अकाई पोलीक्राफ्ट एसोसिएशन, सी-1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ
53.	सीएनएन एजूकेशनल सोसायटी, 530/30, बेदा चन्द गंज, नियर विवेक सिनेमा, अलीगंज लखनऊ
54.	अवध ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ई-3229, राजाजीपुरम, लखनऊ
55.	नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशिल वेलफेयर, 5/13/43 बी, बीहाइन्ड गुरूवाड़ा, खावासपुर, फैजाबाद
56.	कुमानी सेवा संस्थान, ग्राम पार्क, पीपुल्स कालेज, रामपुर रोड हल्द्वानी
57.	यूनिवर्सल इन्स्टीच्यूट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स, बद्रीनाथ रोड, कोटद्वार कड़वाल
58.	स्वदेशी जन कल्याण सेवा समिति, स्वदेशी हाऊस, प्लाट नं॰ 656, जवाहर बिहार, रायबरेली
59.	वैनसाल्य ग्रामोद्योग समिति, विल्लेज चांछहेदी, पो॰ बुराना, मुज्जफ्फरपुर
60.	डा॰ भीमराव अम्बेडकर शिक्षा परिषद, विल्लेज एंड पो॰ महारिया, सिद्धार्थनगर
61.	श्री बंसराज सिंह चौहान पूरव माध्यमिक विद्यालय, हारवा, नानकेर सिद्धार्थनगर
62.	जन विकास संस्थान, इटानिया (वैस्ट) पूराव गांव गौरीगंज, सुलतानपुर
63.	कृषक विकास समिति, विवेकानन्द कालोनी, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर
64.	पूजा पब्लिक स्कूल समिति, 13/290, सीसी॰ यमुना ब्रिज, आगरा
65.	अम्बेडकर शिक्षा समिति, 563-केए/58, श्यामनगर, आलमबाग, लखनऊ
66.	ग्रामोत्थान कल्याणकारी अवाम शिक्षा समिति पो॰ मवाई, इलाहाबाद
67.	सार्वजनिक शिक्षोन्यन संस्थान, अलीपुर, हरदोई
68.	ग्रामीण विकास संस्थान, लेखा बाजार, जिला अलीगढ़
69.	लखनऊ एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, 39, एबी, आदर्श नगर, आलमबाग, लखनऊ
70.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, सी-4/433, सुलतानपुरी, दिल्ली

1	2
	अनुसूचित जनजाति कल्याण
1.	अशोक आश्रम, पो॰आ॰ अशोक आश्रम, देहरादून *1993-94 के दौरान वयोवृद्ध कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के निर्मुक्त सहायता अनुदान* **समाज रक्षा**
	उत्तर प्रदेश
1.	नारी शिल्प कला शिक्षा समिति, सीतापुर रोड, लखनऊ
2.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, 350/1, वालिकगंज रोड, इलाहाबाद
3.	बंजारा विकास परिषद, विल्लेज नागला, पो॰आ॰ बागराया, जिला अलीगढ़
4.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ
5.	इंडियन रैड क्रास सोसायटी, 53, बहादुरगंज, इलाहाबाद
6.	गुरूकुल विद्यापीठ, जिला बहादुरगढ़, गाजियाबाद
7.	तिलक शिक्षा समिति, 69-ए, तिलक नगर, इलाहाबाद
8.	सार्वजनिक शिक्षणन संस्थान, विल्लेज एवं पो॰ आ॰ अलीपुर, हरदोई
9.	जवाहर ज्योति शिक्षा अवाम ग्राम विकास समिति, जिला रामपुर
10.	जन सेवा संस्थान, पो॰आ॰ कांडवारा, इलाहाबाद
11.	निरजन समाज कल्याण संस्थान, डी-2059, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
12.	ग्राम विकास शिक्षा समिति, ऊंचा मंडी, इलाहाबाद
13.	रसपैक्ट ऐज इन्टरनेशनल, बंगला नं॰ 1, जीवन मंडी, आगरा
14.	बैरागी शिक्षा संस्थान, एच॰ नं॰ 1/121/1, नरायणगढ़, जिला वाराणसी
15.	लोक सेवा मंडल, 82, बलरामपुर, इलाहाबाद
16.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, डालीगंज, लखनऊ
17.	विश्व जाट महा संघ, जाट धाम, वृन्दावन, मथुरा
18.	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति, विकास नगर, देहरादून
19.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहापुर, इलाहाबाद
20.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, अरासूलाबाद, इलाहाबाद
21.	जन कल्याण शिक्षा समिति, भाथाहिम खुर्द, जिला देवरिया
22.	श्री राम शरन स्मारक सेवा संस्थान, मोहम्मदपुर, जिला वैसोली

1	2
23.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, बालियाबन, जिला देवरिया
24.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण शिक्षा समिति, प्रतापगढ़
25.	कंचनलाल सुगाना सेवा संस्थान, हमीरपुर
26.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, 69-ए, बधनवारी रोड, इलाहाबाद
27.	जय गायत्री मां बाल विद्या मन्दिर समिति, जिला जैलोन
28.	सर्वाजन कल्याण समिति रेस कोर्स कालोनी, बुलन्दशहर
29.	श्रीमती महादेवी यादव सेवा संस्थान, इलाहाबाद
30.	पंचदेवरा शिक्षा विकास समिति, जिला इलाहाबाद
31.	तारादेवी शिक्षा समिति, जिला देवरिया
32.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद विल्लेज, डालीगंज, लखनऊ
33.	बहुजन हिताय ग्राम्य अवाम महिला विकास संस्थान, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
34.	आदर्श कल्याण सेवा समिति, 54/2, जोशियापुरी, जिला बेहराइच
35.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, पो॰ बीकापुर, जिला फैजाबाद
36.	श्री अजरधाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार
37.	जन कल्याण अवाम नारी उत्थान समिति, 104, फैजाबाद
38.	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान सेवा सदन, देवरिया
39.	नेहरू स्मारक सदन, जागियापुर, जिला जौनपुर
40.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद
41.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान, लखनऊ
42.	जन विकास संस्थान, सुलतानपुर

1994-95 के दौरान वयोवृद्ध कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के निर्मुक्त सहायता अनुदान।

उत्तर प्रदेश

1	2
1.	सुधा प्रशिक्षण विकास संस्थान, एशबाग लखनऊ
2.	कंचनलाल सगोना सेवा संस्थान, पारा कान्डोर, जिला हमीरपुर
3.	पंचदेवरा शिक्षा विकास समिति, अतरामपुर, इलाहाबाद
4.	श्री अजरधाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार, उ॰प्र॰
5.	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति, विकास नगर, देहरादून
6.	श्रीमती महादेवी यादव सेवा संस्थान, किशन नगर, अतरामपुर, इलाहाबाद
7.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ
8.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, मितीगंज, इलाहाबाद
9.	जन कल्याण संस्थान, सुलतानपुर, उ॰प्र॰
10.	तिलक शिक्षक समिति, तिलक नगर, इलाहाबाद
11.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, तिलक नगर, इलाहाबाद उ॰प्र॰
12.	ग्राम विकास सेवा सोशिल विकास इलाहरूर, इलाहाबाद
13.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, देवोकला, प्रतापगढ़
14.	जय गायत्री मां बाल विद्या मन्दिर समिति, जालोन, उ॰प्र॰
15.	जनसेवा संस्थान, कुंड हीरा, इलाहाबाद
16.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, राजाजीरूराम, लखनऊ
17.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, इलाहाबाद
18.	गुरूकुल विद्यापीठ गाजियाबाद
19.	जन कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया
20.	जवाहर ज्योति शिक्षा अवाम ग्रामीय विकास समिति, रायपुर
21.	नेहरू स्मारक सदन, जौनपुर
22.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, देवरिया
23.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, पिडीकारूहारा, इलाहाबाद
24.	लोक सेवा मंडल, इलाहाबाद
25.	तारादेवी शिक्षा समिति, देवरिया
26.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, डालीगंज, लखनऊ
27.	आदर्श कल्याण सेवा समिति, बेहराइच
28.	हरिजन कल्याण समिति बुलन्दशहर
29.	ग्राम सेवा संस्थान, जिला देवरिया
30.	भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान, जिला देवरिया
31.	आर्य कन्या विद्यालय समिति, जिला इलाहाबाद
32.	मुरली ज्योति विकास संस्थान, मोहल्ला मुरलीजोत, जिला बस्ती
33.	वूमेन वेलफेयर एंड कल्चरल इन्स्टीच्यूट, लखनऊ
34.	एसएबीआईए, ग्रोवूयोर भूम, वाई बारालगी
35.	दलित मानव उत्थान संस्थान, पो॰आ॰ अलीपुर, इलाहाबाद

1	2
36.	अवध सामाजिक उत्थान समिति, इन्दिरा नगर, लखनऊ
37.	जन जागरण परिषद, उ॰प्र॰
38.	गायत्री देवी शिक्षा समिति, पिडी, इलाहाबाद
39.	गौरव जन कल्याण समिति, सैदाबाद, इलाहाबाद
40.	कैलाश ग्राम्य विकास संस्थान, पो॰आ॰ मानवती
41.	नन्दनी बाल विकास अवाम ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति,
42.	माध्यमिक विद्यालय, पूर्वगांव सिरीसर संस्थान, सुलतानपुर
43.	रसपैक्ट एज इन्टरनेशनल बंगला जेरी मंडी, आगरा
44.	श्री आदर्श मेमोरियल बाल अवाम महिला शिक्षण संस्थान,
45.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद
46.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्था, फैजाबाद
47.	प्रकाश ग्रामीण विकास संस्थान, करचना, इलाहाबाद
48.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्था, लखनऊ
49.	संस्कृत भाषा विकास परिषद, जिला देवरिया
50.	मानव कल्याण प्रतिष्ठान, फतेहपुर
51.	ग्राम विकास शिक्षा समिति, इलाहाबाद
52.	बैरागी शिक्षा संस्थान, जिला वाराणसी
53.	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान जिला देवरिया
54.	जन कल्याण अवाम नारी उत्थान समिति, 194, साहिबगंज, जिला फैजाबाद
55.	एज केयर, गाजियाबाद
56.	समाज सेवा संस्थान, सराज माली खान चौक, लखनऊ
57.	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति, देहरादून

1995-96 के दौरान वयोवृद्ध कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के निर्मुक्त सहायता अनुदान।

उत्तर प्रदेश

1	2
1.	जवाहर ज्योति शिक्षा अवाम क्राम विकास समिति, पो॰आ॰ पातआय, जिला रामपुर
2.	बंजारा विकास परिषद, अलीगढ़
3.	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, सेवासदन, जिला देवरिया
4.	आर्य कन्या विद्यालय समिति, एटी/तह॰ सिराथू, जिला इलाहाबाद
5.	लोक सेवा मंडल, बलरामपुर हाऊस, इलाहाबाद
6.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, 53, बहादुरगंज, इलाहाबाद
7.	श्री अशरफी मैमोरियल बाल अवाम महिला शिक्षण संस्थान, 198, इलानगंज, इलाहाबाद
8.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण शिक्षा समिति, प्रतापगढ़
9.	जय गायत्री मां बाल विद्या मन्दिर समिति, राजेन्द्र नगर, जलौर
10.	तारादेवी शिक्षा समिति, देवरिया
11.	सुधा प्रतिष्ठान विकास संस्थान, जे-2/3, पांडे का तालाब, एशबाग, लखनऊ
12.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/63, टैगोर मार्ग, लखनऊ
13.	ग्राम सेवा संस्थान, पो॰ आ॰ शाहपुर, देवरिया
14.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद
15.	ग्राम विकास शिक्षा समिति, ऊंचा मंडी, इलाहाबाद
16.	भारतीय समाज उत्थान सेवा संस्थान, नेहरू नगर, देवरिया
17.	गायत्री देवी शिक्षा समिति, राय का पारा, इलाहाबाद
18.	अवध सामाजिक उत्थान समिति, इन्दिर नगर, इलाहाबाद
19.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, तिलक नगर, इलाहाबाद
20.	तिलक शिक्षक समिति, तिलक नगर, इलाहाबाद
21.	आदर्श कल्याण सेवा समिति, जिला बैहराइच, इलाहाबाद
22.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद
23.	गुरूकुल विद्या पीठ, गाजियाबाद
24.	समाज सेवा संस्थान, 414/238, सराय माली खान चौक, लखनऊ
25.	ग्रामो उत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद
26.	वूमेन वेलफेयर कल्चरल इन्स्टीच्यूट, लखनऊ
27.	माध्यमिक विद्यालय पूर्वागांव, पो॰ सरासर, जिला सुलतानपुर
28.	श्री अजरधाम महिला आश्रम ट्रस्ट, हरिद्वार
29.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद विल्ला, डालीगंज, लखनऊ
30.	संस्कृत भाष विकास परिषद, देवरिया
31.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, पो॰आ॰ विकासपुर, जिला फैजाबाद

1	2
32.	रसपैक्ट एज इन्टरनेशनल, बंगला नं॰ 1, ज्योनी मंडी, आगरा
33.	पंचदेवरा शिक्षा समिति, पो॰आ॰ पंचदेवरा अतरामपुर, इलाहाबाद
34.	महादेवी यादव सेवा संस्थान, कीर्ति नगर, इलाहाबाद
35.	आदर्श जनता शिक्षा सेवा संस्थान, विल्लेज पारा कांडोर जिला हमीरपुर
36.	कैलाश ग्राम्य संस्थान, टिहरी गढ़वाल
37.	जन विकास संस्थान, जिला सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
38.	कंचन लाल साकुना सेवा संस्थान, हमीरपुर
39.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान, इन्दिर नगर, लखनऊ
40.	महिला उद्योग प्रतिष्ठान केन्द्र, इलाहाबाद
41.	गौरव जन कल्याण समिति, सैयदाबाद
42.	जन जागरण परिषद, जी॰टी॰ रोड, इलाहाबाद
43.	शहीद मोमोरियल सोसायटी, ई-1098, राजाजीपुरम, लखनऊ
44.	सावला 57, आर॰डी॰ए॰ इन्दिरा नगर, रायबरेली
45.	प्रकाश ग्रामीण विकास संस्थान, मरडाना, इलाहाबाद
46.	दलित मानव उत्थान संस्थान, पो॰ अल्लीपुर, इलाहाबाद
47.	सार्वजनिक शिक्षणोन्यन संस्थान, अलीपुर, हरदोई
48.	नन्दनी बाल विकास अवाम ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोंडा
49.	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति, कल्याण पुर, विकास नगर, देहरादून
50.	नेहरू स्मारक सदन जोगियापुर, तह, अदर, जौनपुर
51.	मानव कल्याण प्रतिष्ठान, इमलीगंज, फतेहपुर
52.	एज केयर गाजियाबाद राज नगर, गाजियाबाद
53.	जन कल्याण अवाम नारी उत्थान समिति, साहवगंज, फैजाबाद
54.	विश्व जाट महा संघ, जाट धाम वृन्दावन, मथुरा
55.	बहुजन हिताय ग्राम्य अवाम महिला विकास संस्थान, मुरादाबाद
56.	मुरली जोत विकास संस्थान, मोहल्ला मुरली जोत, जिला बस्ती
57.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान, पो॰आ॰ मगताहमाम मिश्रा, देवरिया

1	2
	वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान
1.	बोधी सेवा बाबा साहिब डा॰ अम्बेडकर स्मारक समिति, चित्तरापुर, लखनऊ
2.	शहीद मेमोरियल सोसायटी, ई-1698, राजाजीपुरम, लखनऊ
3.	उत्तर प्रदेश काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ
4.	सेवाजनिक शिक्षणोन्यन संस्थान, हरदोई अलीपुर रोड, उ॰प्र॰
	वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण।
	वैश्याओं के बच्चों के लिए आवासीय तथा पुनर्वास
	उत्तर प्रदेश
1.	महिला उद्योग प्रतिष्ठान केन्द्र, सालिक गंज रोड, इलाहाबाद
2.	जनप्रिया सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
3.	तिलक शिक्षक समिति, इलाहाबाद
4.	मानव शिक्षा प्रसार समिति, इलाहाबाद
5.	ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद
6.	संचेतना साहित्यक संस्था, प्रत्रापगढ़
7.	करनपुर ग्राम्य विकास समिति, प्रतापगढ़
8.	धर्मार्थ सेवा प्रबन्ध अवाम समाज कल्याण समिति, हरदोई
9.	आदर्श भारती विद्या मन्दिर, लखनऊ
10.	नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशिल वेलफेयर, फैजाबाद
11.	मदरसा बकराया जूनियर हाईस्कूल समिति, मुरादाबाद
12.	शंकर जूनियर हाई स्कूल समिति, मुरादाबाद
13.	सुमन चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर, हरदोई
14.	श्री मोहार सिंह शिक्षा समिति, शाहपुर, पो॰ गाहटू, जिला एटा
	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण
	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, देवरिया
	आम्बेडकर शिक्षा समिति, श्याम नगर, आलमबाग, लखनऊ
	अरचना महिला मंडल कल्याण समिति, अभ्यपुर, पो॰ बाराबंकी

1	2

एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, स्टेट ब्रांच रानी होटल, बिल्डिंग बेगम बृज, मेरठ

भारतीय समाज सेवा संस्थान, बिजनौर, मंडावली, जिला बिजनौर

डा॰ भीम राव अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, गांगरी पट्टी, गाजीपुर

बोधी सतवा बाबा साहिब, डा॰ अम्बेडकर स्मारक समिति, 68/363, चितवापुर, लखनऊ

ग्राम विकास सेवा संस्थान, 20-बी/4ए/2, आलापुर, इलाहाबाद

आदर्श जनता शिक्षा समिति पिरी, करचना, इलाहाबाद

अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद विल्लेज, लखनऊ

अखिल भारतीय महिला उद्योग कल्याण एंड शिक्षा समिति, गाजियाबाद

ग्राम्य विकास समिति, बालदेयो मथुरा

ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान, जाफराबाद, जौनपुर

हसरत मोहिनी चेरिटेबल सोसायटी, 88/441, हुमायु बाग, कानपुर

इंडियन रेड क्रास सोसायटी जिला ब्रांच, 53, बहादुरगंज, इलाहाबाद

कंचन लाल सुगुना सेवा संस्थान, विल्लेज पो॰आ॰ पारा मंडूर जिला हमीरपुर

काशी कलब गंगस भवन, वाराणसी

श्री कंचन लाल शास्त्री स्मारक संस्थान, सी-49, कानपुर

माया पूरवचल ग्रामोत्थान सेवा संस्थान, सिविल लाइन्स, गोरखपुर

मेडिकल एडवाइसर एसोसिएशन 211/ज1, किदवई नगर, कानपुर

नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ सोशिल वेलफेयर 5/13/43-बी, फैजाबाद

नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर शाहाबाद, रामपुर

न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/63, टैगोर मार्ग, लखनऊ

निरवन समाज कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ

प्रतापगढ़ महिला कल्याण अवाम शिक्षा समिति, प्रतापगढ़,.

पुट्टुलाल मेमोरियल मोंटस जूनियर हाई स्कूल, फरूखाबाद

श्री राम बाबू वर्मा चेरिटेबल सोसायटी 4/6, बाग, आगरा

राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति, राय बरेली

रतन ग्राम विकास समिति ग्राम जैहिदपुर, शाहाबाद, रामपुर

साकेत महिला मंडल कल्याण समिति, गोंडा

सामाजिक अवाम आर्थिक विकास संस्थान, सी-2116, इन्दिरानगर, लखनऊ

सराय नहार खान समिति, नहान खान जिला वधान

सार्वजनिक शिक्षण समिति पूरा .गर, आलम बाग, लखनऊ

1	2

सर्वोदय ग्राम अवाम महिला विकास संस्थान, जिला रामपुर

शक्ति साधना संस्थान, तारनीपुर, सितापुर

शहीद मेमोरियल सोसायटी, ई-1690, राजाजीपुरम, लखनऊ

श्री गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान, कुन्डा, प्रतापगढ़

सोसायटी फार दि अरवन एंड रूरल डिब्लपमेंट, पोज. कालिचाबाद, जौनपुर

सोसायटी फार दि अरवन एंड रूरल रिकन्सट्रगक्शन आवास विकास, माल एवन्यू, लखनऊ

स्वर्गीय राम देवसिंह, स्वतंत्रता संग्राम महिला संस्थान, बस्ती

उत्तराखंड शोषित महिला संस्थान, देहरादून

शिशु गृह स्कीम

बोधी सतवा वाबा साहिब डा॰ अम्बेडकर स्मारक समिति, लखनऊ

भारतीय समाज सेवा संस्थान, लखनऊ

अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण

1. ड्यूटी सोसायटी, अलीगढ़
2. मुस्लिम सोशिल अपलाइफ सोसायटी, अलीगढ़
3. गोरखपुर जोव इन्फारमेंशन सेंटर, गोरखपुर
4. इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक प्रशासन, लखनऊ
5. स्टडीज प्वांट समिति, लखनऊ
6. कृष्णा कोचिंग इन्स्टीच्यूट, लखनऊ
7. पंचशील शिक्षण संस्थान
8. सईद सोसायटी, वाराणसी
9. एमसीए लिट्रेसी एंड सांइटिफिक्ट सोसायटी
10. करीर कोचिंग, इलाहाबाद
11. कृष्णा कोचिंग, इलाहाबाद
12. बाल भारती नर्सरी स्कूल, इलाहाबाद
13. डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी, इलाहाबाद
14. आल इंडिया वूमेन सोशिल विकास, कानपुर
15. हजरत मोहिनी चेरिटेबल सोसायटी, कानपुर
16. कृष्ण कोचिंग कालेज, कानपुर
17. सोशिल साईस रिसर्च इन्स्टीच्यूट, कानपुर
18. सचदेवा न्यू पीटी कालेज, कानपुर
19. सचदेवा न्यू पीटी कालेज, गाजियाबाद
20. एकता करीर कोचिंग इन्स्टीच्यूट, झांसी

1	2
21.	नावल एजूकेशन एंड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, बलिया
22.	स्टडीज प्वांट समिति, देहरादून

सहायक यंत्र और उपकरण

1.	मंगलम, लखनऊ
2.	नेशनल इन्स्टीच्यूट फार वैसु अली हैंडीकैप्ड, देहरादून
3.	समाज उत्थान शिक्षा प्रचारणी संस्थान, मेरठ
4.	रोटरी स्पोंर्स्ड फेरीप्पलेड एंड यूथ वेलफेयर सोसायटी, इलाहाबाद
5.	एल्मिको, कानपुर
6.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, शाहबाद रामपुर
7.	स्मरणपन चेरिटेबल ट्रस्ट, ब्रैहराईच
8.	विकलांग कल्याण सेवा समिति, मुज्जफ्फरनगर
9.	जवाहर ज्योति शिक्षा संस्थान, रामपुर

उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम जिन्होंने मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त किया है

1.	नेताजी सुभाष विद्या मन्दिर, रामपुर
2.	इलाहाबाद ग्राम संस्थान सेवा समिति
3.	के॰एल॰ शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर
4.	श्री कांची कामोकिती शकरा सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट, हरिद्वार
5.	पुरोहित समिति परिषद, गाजियाबाद
6.	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड गलीगढ़
7.	स्वामी अर्जुननन्द बन्ध विद्यालय, हरिद्वार
8.	चेतना, लखनऊ
9.	विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद
10.	परागनरायण, मूक बधिर समिति, अलीगढ़
11.	श्री हनुमान प्रसाद पौदार अन्ध विद्यालय, वाराणसी
12.	सुर स्मारक मंडल, आगरा
13.	डीफ एंड डम्प स्कूल, अजीमगढ़
14.	एन॰डी॰ चतुर्वेदी स्कूल फार दि डीफ, लखनऊ
15.	शहीद ममोरियल सोसायटी, लखनऊ
16.	बी॰ओ॰जी॰ स्कूल फार दि डीफ, वाराणसी
17.	पलामगालम, लखनऊ
18.	वृन्दावन अन्ध विद्यालय, मथुरा
19.	गूंगे बहरे के स्कूल, कानपुर
20.	रेप हाल रायडर चोशिस इन्टरनेशनल सेंटर, देहरादून
21.	डीफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ
22.	नन्हीं दुनिया बधिर विद्यालय
23.	यू॰पी॰ डीफ एंड डम्ब इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद
24.	अखिल भारतीय विकलांग केन्द्र समिति मंडल, फैजाबाद
25.	सरस्वती बवानी सेवा समिति, लखनऊ
26.	नेशनल फैलोशिप रिहैब्लीटेशन सेंटर फार दि ब्लाइंड, इलाहाबाद
27.	हैंडीकैप्ड डिव्ल्पमेंट काउसिंल, आगरा
28.	जहांगीर मेमोरियल चेरिटेबल हस्पताल, इलाहाबाद
29.	जन सेवा संस्थान, इलाहाबाद
30.	प्रियावरन जन जूरयान समिति, अलमोड़ा
31.	कृष्ण शिक्षा संस्थान, हरदोई
32.	नूर मोहम्मद चेरिटेबल सोसायटी, इलाहाबाद
33.	नेशनल इन्स्टीट्यूट फार सोशिल वेलफेयर, फैजाबाद
34.	अवध संस्थान, फैजाबाद
35.	निमहारा विकलांग संस्थान, बाराबंकी
36.	बहुजन हिताय संस्थान, बाराबंकी
37.	प्रकाश ग्रामोद्योग विकास समिति, सुलतानपुर
38.	सोसायटी फार खरिष्ट बनारस
39.	अम्बेडकर शिक्षा समिति, लखनऊ
40.	इन्टग्रेटिड सोसायटी फार स्पास्टिक एंड हैंडीकैप्ड
41.	कमला महिला पिखूइया, गाजियाबाद
42.	निर्माण लखनऊ
43.	सरभान सेवा निकेतन, इलाहाबाद
44.	यू॰पी॰ प्रान्त एसो॰ फार दि वेलफेयर आफ मेंटली हैंडीकैप्ड सिटीजन
45.	अंजुमान मद्रास इस्लामिया, जैलौन
46.	बाल विकास अवाम महिला कल्याण परिषद, गोंडा
47.	देव स्वरस्वती शिक्षा परिषद, पटवाना
48.	इन्दिरा पस्तिनया चेतना एवाम संस्थान, देहरादून
49.	जन कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया

1	2
50.	जनता आदर्श शिक्षा समिति
51.	के॰एस॰जे॰ हाई स्कूल, मुरादाबाद
52.	फतेहगढ़ महिला कल्याण एवाम शिक्षा समिति, फतेहगढ़
53.	रचना संस्थान, गोरखपुर
54.	स्वामी आत्मदेव गोपालनन्द शिक्षा संस्थान, फरूखाबाद
55.	यू॰पी॰ पवन शिक्षा समिति, उन्नाव
56.	विकलांग कल्याण सेवा संस्थान, मुज्जफरपुर
57.	क्वीन आफ अपोस्टिक्स एजूकेशन सोसायटी।

विवरण-II

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान वयोवृद्धों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश ने गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

क्र॰सं॰	संगठन का नाम
1.	इन्दिरा लेडीस क्लब, रनजोर, प्लेसिस, नहान, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173001
2.	हिमाचल प्रदेश काउंसिल फार चाइल्ड वेलफयर, शिमला।

विवरण-III

श्री प्रभुदयाल कठेरिया द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 11.3.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	उत्तर प्रदेश	10.2	16.92	18.53
2.	हिमाचल प्रदेश	0.38	0.27	0.24

चिड़ियाघरों में पशुओं तथा पक्षियों की मौत

2495. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के चिड़ियाघर में विरली जाति के पशु और पक्षी बड़ी संख्या में मरे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पशुओं के मरने का मुख्य कारण क्या है;

(घ) चिड़ियाघर को और अधिक आकर्षक बनाने में विरली जाति के पशु-पक्षियों के बचाव के लिए और नई जातियों के पशु-पक्षियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार दिल्ली के चिड़ियाघर के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस धनराशि का उपयोग किन-किन मदों पर किस तरीके से किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में दिल्ली में चिड़ियाघर में मरे जानवरों की संख्या क्रमशः 172, 166 और 147 है। मृत्यु के मुख्य कारण आपसी लड़ाई, तनाव, गिलटी रोग, बुढ़ापा, फुफ्फुसीय इन्फेक्शन, अफ़ारा, आंत्रशाथ, यकृतशोथ आदि हैं।

(घ) दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों की देखरेख बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में पशु चिकित्सालय में सुधार, बेहतर आवास सुविधाएं और जानवरों की देखभाल शामिल हैं। चिड़ियाघर को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए उसमें नए पक्षी और जानवर रखे गए हैं।

(ङ) एक विरण संलग्न है।

विवरण

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिल्ली चिड़ियाघर को बंटित राशि इस प्रकार है :-

रुपए लाखों में

	योजना	योजना-भिन्न	
1993-94	33.00	155.00	(जल प्रभार
1994-95	47.00	218.60*	की बकाया
1995-96	50.00	180.60	सहित)

2. मदवार व्यय

रुपए लाखों में

	मदें	वर्ष		
		1993-94	1994-95	1995-96
	1	2	3	4
1.	चिड़ियाघर में जानवरों के लिए योजना प्रभार	39.18	43.79	49.96
2.	जानवरों के लिए फिल्टर जल उपलब्ध कराने के लिए जल प्रभार (पूर्वव्यापी बकाया सहित)	10.00	61.00	18.00

	1	2	3	4
3.	जानवरों के बाड़ों में ठंडे और गर्म की व्यवस्था के लिए और अतिरिक्त कनेक्शन्स के लिए बिजली प्रभार	14.00	20.00	21.50
4.	जानवरों के बाड़ों में सुधार और पशु चिकित्सालय सुविधाओं का मुख्य नवीकरण कार्य	17.72	34.89	34.51
5.	जानवरों के लिए दवाइयां	0.84	1.69	0.80
6.	सफाई व्यवस्था में सुधार और जानवरों की बदली	8.00	12.00	5.35
7.	जानवरों के बाड़ों में और भवनों की मरम्मत और रख-रखाव	36.52	31.11	39.00
8.	वेतन, कर्मचारियों के भत्ते, सुरक्षा ठेके, वर्दी और वाहनों के रख-रखाव सहित अन्य छुटपुट व्यय	90.14	90.42	99.10

[अनुवाद]

बीज विकास योजना

2496. श्री शरत पटनायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु बीज विकास योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं, फिर भी, 1994-95 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत चक्रीय कोष के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों तथा राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी पटना को 13.02 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

उर्वरकों का आयात

2497. श्री नीतिश भारद्वाज : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने उर्वरकों का आयात किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी उर्वरकों का आयात करने का है;

(ग) क्या देश में उत्पादित उर्वरकों की अपेक्षा आयातित उर्वरक अधिक सस्ते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या आयातित/देश में उत्पादित उर्वरकों के खरीदे जाने पर किसानों को कोई राजसहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राजसहायता दी जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अधीन है। अनुमानित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष यूरिया का आयात किया जाता है। 1996-97 (फरवरी, 97 तक) के दौरान सरकारी खाते में 23.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात किया गया है। अन्य प्रमुख नियंत्रणमुक्त उर्वरकों अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी के आयात को क्रमशः 17.2.92 और 17.6.1993 से असरणीबद्ध कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) स्वदेशी यूरिया का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 5434.00 रु॰ प्रति मीट्रिक टन है। 1996-97 (फरवरी 97 तक) के दौरान यूरिया अभिप्राप्ति का भारित औसत लागत-भाड़ा मूल्य अनंतिम रूप से 7308.00 रु॰ प्रति मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है। 1996-97 के दौरान आयातित यूरिया पर व्यय की गई राजसहायता 4980.00 रु॰ प्रति मी॰ टन (अनंतिम) है।

भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) द्वारा 6.7.96 से आयातित डी ए पी और एम ओ पी दोनों पर दी गई तदर्थ रियायत 1500.00 रु॰ प्रति॰ मी॰ टन है।

वक्फ बोर्ड में महिला प्रतिनिधि

2498. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्डों में कोई भी महिला प्रतिनिधि नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वक्फ बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। यह सच है कि वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्थापित कार्य कर रहे वक्फ बोर्डों में कोई महिला सदस्य नहीं है।

(ख) और (ग) वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है। जैसा कि वक्फ अधिनियम में प्रावधान है, बोर्ड का गठन इस प्रकार है कि बोर्ड में एक और अधिक से अधिक दो सदस्य निम्नलिखित निर्वाचक मंडलों में से प्रत्येक से चुने जाने होते हैं :-

(1) राज्य से मुस्लिम संसद सदस्य

(2) राज्य विधान मंडल से मुस्लिम सदस्य,

(3) राज्य के बार काउंसिल से मुस्लिम सदस्य और;

(4) एक लाख रुपए तथा इससे अधिक की वार्षिक आय वाले वक्फों मुत्तवल्ली।

इस अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दो श्रेणियों में से एक तथा अधिक से अधिक दो सदस्यों के नामांकन के लिए आगे प्रावधान है :-

(1) विख्यात मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि।

(2) इस्लाम धर्मविज्ञान में मान्य विद्वान तथा राज्य सरकार का एक अधिकारी जो उप सचिव से नीचे के स्तर का न हो, को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जाना होता है।

इस प्रकार इस अधिनियम में वक्फ बोर्ड में किसी महिला के चुनाव तथा/या नामांकन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

चरागाहों (बुग्यालों) का संरक्षण

2499. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय में चरागाहों (अल्पाईन चरागाहों) का संरक्षण करने और गंगोत्री तपोवन मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए निर्णय का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने अथवा अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

2500. श्री चित्त बसु : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनकी जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में वृद्धि करने सहित अनेक कदम उठाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) 65 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1990) के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अब तक 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवा संबंधी रक्षोपायों के अतिरिक्त शिक्षा, आर्थिक विकास से संबंधित अनेक सिफारिशें की गई हैं। प्रथम रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दी गई है। द्वितीय रिपोर्ट परिचालन की प्रक्रिया में है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रिपोर्टें सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

खुली बिक्री के गेहूं

2501. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर, 1996 के माह के लिए खुली बिक्री हेतु गेहूं जारी करने के संबंध में विभिन्न सुझावों को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इन सुझावों को ठुकराने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इंकार नहीं किया है। भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार को खुली बिक्री के लिए गेहूं का आवंटन उस मात्रा पर निर्भर करते हुए किया था जिसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए दिसम्बर, 96 माह हेतु कुल गेहूं के संचलन करने की योजना बनाई थी। खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन गेहूं की बिक्री केवल तभी की जाती है जब स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

देवचन्द कृषि फार्म

2502. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के हजारी-बाग जिले में दामोदर घाटी निगम द्वारा संचालित देवचन्द कृषि फार्म को पुनरूज्जीवित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार फार्म बन्द होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए हजारों व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं, यह उल्लेखनीय है कि दामोदर घाटी निगम, जो प्रथम बहुद्देशीय समेकित नदी घाटी परियाजनाओं में से एक है, ने देवचन्दा कृषि फार्म को बंद कर दिया है तथा इस वर्ष 1994 में बिहार सरकार के वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। उपर्युक्त फार्म में कार्यरत कर्मचारियों को दामोदर घाटी निगम की दूसरी संस्थापनाओं में भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

सीमा पर कांटेदार तार का बाड़ लगाना

2503. **श्री बादल चौधरी :**
श्री चमन लाल गुप्त :
श्री उधव बर्मन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कांटेदार बाड़ लगाये जाने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीमा पर बाड़ लगाने की मूल योजना में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य	संस्वीकृत (कि॰मी॰)	पूरे किए गए (कि॰मी॰)	खर्च की गई राशि (करोड़ रु॰ में)
पंजाब	452.22	452.22	79.50
राजस्थान	1032.60	710.73	131.73
असम	158.00	125.54	15.67
मेघालय	231.00	170.71	24.67
पश्चिम बंगाल	507.00	356.18	64.25
जम्मू एवं कश्मीर	180.00	—	11.71

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भीख मांगने पर प्रतिबन्ध

2504. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भीख मांगने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ग) अनेक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने भिक्षावृत्ति निवारण के लिए विधान अधिनियमित किया है। भिक्षावृत्ति निवारण की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे भिक्षु गृहों में कार्य केन्द्रों को स्थापित करने की एक योजना है।

[अनुवाद]

"हाथियों के रहने के प्राकृतिक स्थान"

2505. **श्री अय्यन्ना पटरूधु :**
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनुष्यों के अतिक्रमण के कारण हाथियों के रहने के प्राकृतिक वास खतरे में हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिक्रमण के कारण हाथी अपने रहने के वनों को न छोड़े, क्या उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां। मानव अतिक्रमण हाथी वासस्थलों के लिए संभावित खतरे हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप वासस्थलों का अवक्रमण और विखंडन होता है।

(ख) हाथी कभी-कभी वनों को अतिक्रमण के कारणों के अलावा अन्य कारणों से छोड़ देते हैं। तथापि, वनों के बाहर हाथियों की आवाजाही के कारण होने वाले अतिक्रमण के प्रभाव को दूर करने

के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती है :—

(1) पारिस्थितिकीय बहाली और हाथी वासस्थलों की सुरक्षा

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास हाथियों के वासस्थलों का यथा संभव विस्तार।

(3) मानव वासस्थलों और हाथी वास स्थलों के बीच में हाथी प्रूफ बेरियर लगाना।

(4) स्थितिभ्रांत हाथी झुंडों को वापस वनों में हांकना।

"असम में वनों की कटाई"

2506. श्री द्वारका नाथ दास : क्या पर्यावरण और वन मंत्री असम में वनों की कटाई के बारे में 19 दिसंबर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3438 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेपर मिलों की मांग को पूरा करने के लिए असम में गैर-परायोजित ढंग से वनों की कटाई निश्चित तौर पर पर्यावरणीय संकट पैदा करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस तरह से वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या इस तरह के भी उपाय किये गये हैं कि इस क्षेत्र में स्थापित पेपर मिल अपने स्वयं के लगाये बांस के वनों पर निर्भर हो सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) असम सरकार ने सूचना दी है कि मौजूदा कागज मिलों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए असम में वनों की अनियमित कटाई की कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा कागज मिलों ने अभी तक स्थानीय ग्रामीणों के लिए बीजांकुरों/राइजोमों की आपूर्ति के बगैर राज्य के अंदर कैप्टिव वृक्षारोपण के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पान की खेती

2507. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के 27 जिलों में लगभग 18 लाख लोग पान की खेती पर निर्भर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पान की खेती करने वाले किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पान की खेती को कृषि का दर्जा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप राज्य में रहने वाले लाखों लोग दयनीय जीवन निर्वाह कर रहे हैं;

(घ) क्या पान की खेती को राज्य के जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यकलापों में भी जहां पान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, शामिल नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) बिहार में पान की खेती पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, राज्य के 25 जिलों में इसकी खेती होती है।

(ख) पान की बेल एक बागवानी फसल है तथा इसकी पैदावार की बहुत-बार तोड़ाई किये जाने की प्रकृति के कारण इसकी पैदावार के आकलन की नियमित प्रणाली तथा पैदावार से संबंधित पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतएव, इसको मौजूदा फसल बीमा योजना के तहत शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) पान की बेल संबंधी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत पान की बेल से सम्बन्धित एक अनुसंधान केन्द्र राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में स्थित है। यह केन्द्र राज्य में पान की खेती करने वालों की आवश्यकतायें पूरी कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अनुसंधान केन्द्र को 20.92 लाख रु॰ की राशि मंजूर की गई थी।

[अनुवाद]

राशन की दुकानों पर अपर्याप्त स्टॉक

2508. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1997 को "द स्टेट्समैन" में इनएडिक्वेट स्टॉक एट राशन शॉप्स डेस्पाइट एश्योरेंसेज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल हो गई है और उचित दर की दुकानों पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपनी नीति में परिवर्तन करने तथा राज्य सरकारों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत क्रियान्वित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनात्मक पहलू जैसे कि आंबटन, उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्धता आदि पूरी तरह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन हैं। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा साथ ही गेहूं की खुली बिक्री के तहत खाद्यान्नों के अपने कोटे का उठान निम्नानुसार किया है :-

(हजार मी॰ टन में)

	आंबटन		उठान	
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खुली बिक्री	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खुली बिक्री
अक्तूबर,96	60.00	15.00	48.80	13.92
नवम्बर,96	60.00	20.00	37.30	16.51
दिसम्बर,96	60.00	36.00	72.40	15.81
जनवरी,97	60.00	36.00	76.20	10.43

(घ) से (च) माननीय प्रधानमंत्री ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किए जाने के संबंध में 24.2.1997 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया है और इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों की प्रतियां सदन के पटल पर भी रखी गई है जिनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना प्रदान की गई हैं।

लेवी चीनी का परिवहन शुल्क

2509. **श्री गोरधन भाई जावीया :**
श्री एन-जे॰ राठवा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार को "गुजरात में लेवी चीनी के रेल भाड़े के बदले सड़क मार्ग से तय की गई प्रति मील दूरी के आधार पर परिवहन शुल्क दिए जाने" के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विचारधीन प्रस्तावों की संख्या क्या है और उनके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दी जाएगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) 1.4.1996 तक ढुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति या तो (क) वास्तविक रेल भाड़े अथवा (ख) सड़क द्वारा उन वास्तविक ढुलाई प्रभारों की दर के आधार पर की जाती थी जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होती थी और संबंधित राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित ढुलाई प्रभारों की दर तक सीमित होती थी। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं होती वहां वास्तविक रेल भाड़े की सीमा तक राज्य सरकारों की दरें अनुमत की जाएं। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें और रेल शीर्ष नहीं है वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत की जा सकती हैं।

ढुलाई की वास्तविक न्यूनतम लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने के लिए सरकार को गुजरात सरकार सहित भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए, ढुलाई प्रभारों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को 1.4.1996 से संशोधित करने का निर्णय किया गया था।

नए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन ढुलाई प्रभार प्रत्येक राज्य को उस एक-समान दर पर देय है जो पिछले वर्षों के लिए खर्च के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों का आयात

2510. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितने मूल्य की जीवन रक्षक औषधियों का आयात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा इन औषधियों का देश में उत्पादन किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) वर्ष 1994-96 के दौरान आयात किए गए प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों का मूल्य इस प्रकार है :-

(रुपए करोड़ में)

	1994-95	1995-96
प्रपुंज औषधें	811.43	903.93
सूत्रयोग	173.02	191.09

(ख) देश में औषधों के उत्पादन तथा अन्तिम उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कुछ मामलों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दिया है। 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी करारों पर स्वमेव अनुमोदन दिया जाता है। देश में उत्पादन की गति को और तेज करने के लिए जो अन्य कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। वे हैं–अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना तथा मूल्य निर्धारण प्रणाली को सरल बनाना।

[अनुवाद]

इंडियन पीपुल फैमिन ट्रस्ट

2511. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन पीपुल्स फैमिन ट्रस्ट" का प्रबंध सरकार द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान न्यास द्वारा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि मन्त्रालय इण्डियन पीपुल्स कैलामिटी ट्रस्ट (आई॰पी॰एन॰सी॰टी॰) जिसे पहले इण्डियन पीपुल्स फेमीन ट्रस्ट कहा जाता था, का संचालन कर रहा है।

(ख) इस न्यास, जो कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासित है, के उद्देश्य इस प्रकार है :-

(I) प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, हिमस्खल, ओलावृष्टि या ऐसी ही अन्य आपदाओं में उन प्रभावित लोगों को सहायता देना जिन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती है।

(II) प्राकृतिक आपदाओं को रोकने, उसके प्रति तैयारी करने, उसका शमन करने और उन्हें कम करने के लिये अनुसंधान, अध्ययन और दस्तावेज तैयार करने के कामकाज को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान कुछ बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिये इस न्यास में आन्ध्र प्रदेश तथा केरल की राज्य सरकारों को क्रमशः 6.00 लाख रुपये तथा 1.65 लाख रुपये दिये गये थे। सूखे से प्रभावित राज्यों को ऐसी कोई सहायता नहीं दी गयी थी।

(ङ) सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिये संस्थागत प्रबन्ध पहले से ही विद्यमान है। इस उद्देश्य के लिये 1260.00 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत आबंटन से आपदा राहत कोष तथा 140.00 रुपये के वार्षिक औसत आबंटन से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की स्थापना की गयी है। आई॰पी॰एन॰सी॰टी॰ की वार्षिक आय इतनी कम है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को कोई विशेष मदद नहीं की जा सकती है।

वानिकी परियोजनाएं

2512. डा॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की वानिकी परियोजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या टिप्पणी और सुझाव दिए गए हैं;

(ग) परियोजना के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान राज्य द्वारा परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) शेष धनराशि को कब तक खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) परियोजना को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक के मध्यावधि पुनरीक्षण मिशन द्वारा दी गई टिप्पणियां और सुझाव इस प्रकार हैं :-

1. राज्य बजट में समुचित प्रावधानों के बारे में अनिश्चितता है जिससे परियोजना के निर्विघ्न कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ सकता है;
2. परियोजना स्टाफ का जल्दी जल्दी स्थानान्तरण परियोजना समझौते के विरूद्ध है और इससे परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है;
3. प्रबंध प्रक्रिया धीमी है;
4. परियोजना के कृषि वानिकी घटक के तहत पौद का मुफ्त वितरण;

   परियोजना समझौते के विरूद्ध :-
5. राज्य सरकार द्वारा नए वाहनों के प्रबंध पर निषेध लगाने से वन विभाग के स्टाफ द्वारा सुदूर वन क्षेत्रों की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
6. मौलिक और नई प्रकार की कार्य योजनाओं की प्रगति पिछड़ी हुई है।

(ग) दिसम्बर, 1996 तक राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय इस प्रकार है :-

(रु॰ करोड़ में)

भारतीय वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	एस ए आर लक्ष्य	वास्तविक व्यय
1994-95	23.99	30.65	7.26 *
1995-96	22.38	45.07	20.48
1996-97	72.93	61.40	23.26 **
कुल	119.31	137.12	51.01

* 31 मार्च तक किया गया पूर्वव्यापी व्यय शामिल।

** दिसम्बर, 1996 तक के आंकड़े

(घ) मध्यावधि पुनरीक्षण के अनुसार यदि इस प्रश्न के उत्तर के पैरा-2 में दी गई टिप्पणियों और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्यवाही की जाती है, तो परियोजना के समय पर पूरी होने की आशा है।

(ङ) परियोजना गतिविधियों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक के मिशन द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण बैठकें, निगरानी और निरीक्षण किया जाता है।

मुख्य मंत्री के कार्यों के संबंध में जांच

2513. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम सरकार से एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के आचरण के सम्बन्ध में तेजी से जांच कराए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या 1984 से 94 की परीक्षण-जांच अवधि हेतु सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 14.9.94 को विशेष न्यायाधीश, गंगटोक की अदालत में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नर बहादुर भंडारी के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। मामला अब न्याय-निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

कृषि सेवा केन्द्र

2514. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने कृषि सेवा केन्द्र कार्यरत रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के कुछ और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां इन केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन केन्द्रों के कब तक चालू होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "कृषक कृषि सेवा केन्द्र" के अधीन कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 965.74 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त कर दी गई थी। वर्ष 1983 से 1991 के बीच की अवधि के दौरान 1146 कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई।

(ख) से (घ) उपयुक्त योजना क्रियॉन्वयन हेतु अप्रैल, 1992 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गयी।

[अनुवाद]

भण्डागार

2515. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डागार निगम के स्वामित्व में कितने भण्डागार हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) किराये के मकानों में कितने भण्डागार हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) निगम द्वारा प्रति वर्ष किराये के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 1.1.1997 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम 460 भांडागार चला रहा है जिनकी कुल क्षमता 70.05 लाख टन (ढकी हुई और कैप, दोनों) है। कुल 460 गोदामों में से 9.09 लाख टन क्षमता

वाले 149 भांडागार किराए के भवनों में हैं। निर्माण किए हुए (अपने), किराए के और खुली क्षमता के गोदामों के केन्द्रवार, क्षेत्रवार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा अदा किया गया किराया निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रूपए में)
1994-95	7.82
1995-96	9.81
1996-97	10.68 (अनुमानित)

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान गोदामों की औसत क्षमता उपयोग 78 प्रतिशत तक है। क्षमता उपयोग में गिरावट के लिए मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्नों का कम स्टाक है।

विवरण

1.1.1997 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार और केन्द्र-वार क्षमता बताने वाला विवरण।

आंकड़े टन में

केन्द्र का नाम	निर्मित	किराए की	खुली	जोड़
1	2	3	4	5
अहमदाबाद क्षेत्र				
अदलज सीएफएस	0	17716	13250	30966
अहमदाबाद-I	29193	0	0	29193
अहमदाबाद-II	0	5104	0	5104
आनन्द	4820	0	0	4820
अंकलेश्वर	0	1160	0	1160
बड़ौदा-I	16650	0	0	16650
बड़ौदा-II	0	1100	0	1100
भावनगर	14250	0	0	14250
इशानपुर	0	8235	0	8235
जामनगर	19700	0	0	19700
काड़ला सीएफएस	5000	0	13150	18150
काड़ला-I	5000	0	0	5000
काड़ला-II	27000	0	0	27000
नाडियाड-I	8500	0	0	8500
नाडियाड-II	0	10200	0	10200
राजकोट-I	12500	0	0	12500
राजकोट-II	12500	0	0	12500
रनौली-I	0	8567	0	8567
रनौली-II	0	7479	0	7479
रनौली-III	5000	0	0	5000
सूरत सीएफएस	2500	0	2400	4900
सूरत-I	14000	667	0	14667
सूरत-II	3450	0	0	3450
उम्बेरगांव	0	7584	0	7584
वाडोड	12500	0	0	12500
वापी	0	3742	0	3742
****उप जोड़**	**192563**	**71554**	**28800**	**292917**
****बंगलौर क्षेत्र**				
बैललौगल	0	3094	0	3094
बंगलौर X	0	1363	0	1363
बंगलौर-I	25535	0	0	25535
बंगलौर-V	0	10602	0	10602
बंगलौर-VI	0	225	0	225
बंगलौर-VIII	0	1210	0	1210
बैलगोला (मैसूर)	0	190	0	190
बेलगाम	13000	3438	0	16438
कोचिन-I	12250	0	0	12250
कोचिन-II	5030	0	0	5030
दवेनगिरी	18918	2949	0	21867
इरनाकुलम	13375	0	0	13375
गादेग	21000	4415	0	25415
गुलबर्ग-I	9780	1377	0	11157
गुलबर्ग-II	10000	0	0	10000
होशिहेल्ली	0	478	0	478
के॰आर॰ नगर	0	1949	0	1949
कोझीकोडे	12254	0	0	12254
मंगलौर-I	13390	0	0	13390
मंगलौर-II	14000	0	0	14000
सेदाम	3000	600	0	3600

1	2	3	4	5
शिकारपुर	5500	2326	0	7826
सोनदत्ती	0	2260	0	2260
तोरनगुल्लु	0	0	3600	3600
त्रिचूर	25000	2301	0	27301
तुमकूर	0	1325	0	1325
व्हाईटफील्ड	0	5900	0	5900
**उपजोड़	202032	46002	3600	251634
**भोपाल क्षेत्र				
बालाघाट	5000	3158	0	8158
बड़गांव	0	17847	0	17847
भाटपारा	23400	0	0	23400
भाटपारा-2	15000	0	0	15000
भिन्ड	10000	0	0	10000
भोपाल-1	40740	0	0	40740
भोपाल-2	0	3745	0	3745
बिलासपुर-1	23200	3650	0	26850
बिलासपुर-2	10000	0	0	10000
बीना	0	1810	0	1810
बुड़हानपुर-1	17200	0	0	17200
बुड़हानपुर-2	10000	0	0	10000
छतरपुर	0	17292	0	17292
ग्वालियर-1	19750	0	0	19750
हनुमना	0	21693	0	21693
इन्दौर-1	12500	0	0	12500
इंदौर-2	3750	1775	0	5525
इंदौर-3	18500	0	0	18500
इंदौर-4	16000	0	0	16000
इंदौर-5	20000	0	0	20000
कटनी	25100	0	0	25100
खंडवा	90000	0	0	90000
मक्सी	5000	0	0	5000
मनावर	0	1700	0	1700
मुरैना-1	31450	0	0	31450
मुरैना-2	22800	0	0	22800

1	2	3	4	5
नरसींगढ़	9100	2856	0	11956
पीतमपुर	5000	5200	0	10200
रायगढ़-1	11300	12357	0	23657
रायगढ़-2	10000	12425	0	22425
रायपुर-1	13000	0	0	13000
रायपुर-2	8800	0	0	8800
रायपुर-3	33200	0	0	33200
रायपुर-4	10000	0	0	10000
सांवर	5000	0	0	5000
सतना	0	16929	0	16929
शिवपुरकलां	11000	2899	0	13899
सोहागपुर	5000	0	0	5000
सूरजपुर	0	6158	0	6158
उचेहरा	0	8415	0	8415
**उपजोड़	540790	139909	0	680699
**भूबा क्षेत्र				
बारगढ़	10100	0	0	10100
बरहामपुर	5000	1021	0	6021
बरहामपुर-बीडी	40000	0	0	40000
भुवनेश्वर	0	875	0	875
कटक	16400	0	0	16400
जाजपुर रोड	7500	0	0	7500
जैपोर	10000	2006	0	12006
प्रदीप पोर्ट	30000	0	0	30000
रायगदा	2500	0	0	2500
सम्बलपुर	7000	0	0	7000
**उपजोड़	128500	3902	0	132402
**कलकत्ता क्षेत्र				
अगरपाड़ा	0	3047	0	3047
बागडोगरा	0	10428	0	10428
बाड़ानगर	0	17930	0	17930
बेल्दा	0	2144	0	2144
बरहामपुर	20000	0	0	20000

1	2	3	4	5
बेथुवादेंहरी	0	1522	0	1522
बिराती	0	5269	0	5269
बिष्णुपुर	10000	1309	0	11309
बोलपुर	0	1788	0	1788
बोनहुगली	24115	2639	0	26754
बज-बज	0	4970	0	4970
बर्दवान	5405	0	0	5405
बर्दवान-2	0	11713	0	11713
कलकत्ता (आई व ई)	35250	0	2008	37258
सीएफएस कलकत्ता	19730	0	20000	39730
चंद्रकोना-रोड	5000	6484	0	11484
कूच बिहार	5800	0	0	5800
दुरगाचोक	32400	0	0	32400
फाल्टा	2000	0	0	2000
घुसुरी	0	2359	0	2359
हाबड़ा	0	4414	0	4414
हल्दिया	15000	0	0	15000
कांतापुकुर	0	25151	0	25151
खड़गपुर	29000	488	0	29488
लेक डिपु	0	3675	0	3675
महेशतला	0	4825	0	4825
मजेरहाट	0	2600	0	2600
मालदा	5000	0	0	5000
मल्लारपुर	0	4317	0	4317
मोगरा (तारा गांव)	6500	0	0	6500
निमक महल रोड	0	1520	0	1520
पंचपारा	18120	0	0	18120
पंदुआ	5000	4392	0	9392
रामकृष्णपुर	0	6703	0	6703
रानी नगर	5000	0	0	5000
रिसरा	0	20000	0	20000
सरगांची	15000	0	0	15000
सरकारपूल	0	8333	0	8333
सरूल	26700	0	0	26700
सीरामपुर	0	5523	0	5523
सीयोराफुल्ली	0	4006	0	4006
श्याम नगर	0	47520	0	47520
सतरंद बैंक रोड़	0	6092	0	6092
सुकचार	0	8975	0	8975
तारातोल्ला रोड़	4479	857	0	5336
उलूबेरिया	10000	0	0	10000
**ठप जोड़	299499	230993	22008	552500
**चडीगढ़ क्षेत्र				
अबोहर-1	26000	0	0	26000
अबोहर-2	0	6789	0	6789
अबोहर-3	0	12261	0	12261
एयर कार्गो अमृतसर	1400	0	0	1400
अजितवाल	0	5877	0	5877
अमृतसर-बीडी	500000	0	0	500000
अमृतसर-1	200000	1034	0	21034
अमृतसर-2	0	9117	0	9117
असंध	0	14610	0	14610
बल्लभगढ़	0	7500	0	7500
भोगपुर	14900	0	0	14900
चण्डीगढ़	10550	585	1667	12802
चर्खी दादरी	7500	0	0	7500
चोहल (सी बी)	0	2227	0	2227
धुरी	0	0	33256	33256
फरीदाबाद	0	8004	0	8004
फाजिल्का-1	11700	3426	0	15126
फाजिल्का-2	0	10799	0	10799
गढ़शंकर	5000	0	0	5000
गुरदासपुर	7950	7206	0	15156
गुड़गांव	18000	0	0	18000
हिसार-1	28400	0	0	28400
हिसार-2	0	1988	0	1988
होशियारपुर	15000	2227	0	17227
इंदरी	15180	5298	0	20478

1	2	3	4	5
कालका	0	3068	0	3068
करनाल-1	12600	9984	0	22584
करनाल-2	0	9892	0	9892
करनाल-3	20000	0	0	20000
लुधियाना	13850	8893	0	22743
मंडी	2370	0	0	2370
मंडी-आदमपुर	15000	0	0	15000
मंशा	15500	0	0	15500
मोंगा-1	35000	22003	0	57003
मोंगा-2	17000	10919	0	27919
मोंगा-3	0	15345	0	15345
मोहाली	0	2294	0	2294
मोउर-मड़ी	0	10847	0	10847
मुक्तसर	10000	11545	0	21545
नाभा	12000	1775	0	13775
नाभा (बीडी)	112500	0	0	112500
नारायणगढ़	0	5000	0	5000
नरवाना	6000	0	0	6000
पठानकोट बीडी	50000	3941	0	53941
रोपड	7700	0	0	7700
सिरहिंद	14700	909	0	15609
सौलन	3000	0	0	3000
सोनीपत	18000	0	0	18000
**उप जोड़	**569800**	**215363**	**34923**	**847086**
**चैन्नई क्षेत्र				
अमबातूर	6098	2720	0	8818
चिदंम्बरम	13500	0	0	13500
चोरमपेट	79096	0	3411	82507
कोयम्बतूर	7500	0	0	7500
इरोडी	9200	0	0	9200
होसर	10000	0	0	10000
कलमांदप्पम	0	15842	0	15842
कोबीपुदु	0	7435	0	7435
कुम्बाकोनम	8500	0	0	8500

1	2	3	4	5
मदावरम्	10000	0	0	10000
मदुरै-1	6460	0	0	6460
मदुरै-2	28040	0	0	28040
मनरगुडी	50000	0	0	50000
मोलापलयम	12000	0	0	12000
नागेरकुइल	11200	0	0	11200
पांडिचेरी	7350	3360	0	10710
रोयापुरम	17500	0	0	17500
सिंगानल्लूर	18280	0	0	18280
तागंल	0	5187	0	5187
तंजावुर	70000	0	0	70000
तिरूवोट्टियूर	0	3954	0	3954
तौलगेट	0	9889	0	9889
तोंदियारपेट	0	12729	0	12729
त्रिची-1	90000	0	0	90000
उदुमालपेट	0	1991	0	1991
विरधूनगर	12900	0	0	12900
विरूगम्बकम	59438	0	21716	81154
**उपजोड़	**527062**	**63107**	**25127**	**615296**
**दिल्ली क्षेत्र				
अलवर	0	1933	0	1933
बीकानेर	5000	1570	0	6570
हनुमानगढ़	20700	0	0	20700
जयपुर	0	3126	0	3126
खेडलीगंज	0	1250	0	1250
कीर्तिनगर	19310	0	0	19310
कोटा-1	28825	12854	0	41679
कोटा-2	29670	0	0	29670
मारूती उद्योग	0	5828	0	5828
महरौली	0	1300	0	1300
नागोर	0	7401	0	7401
नागंलोई	0	6218	0	6218
नरेला	4800	829	1666	7295
नोयडा (एम-ई-पी-जेड)	1800	867	0	2667

1	2	3	4	5
ओझदा	0	1604	0	1604
ओखला-1	5000	0	1166	6166
ओखला-2	10500	1144	0	11644
पटपड़गंज	27293	3312	7500	38105
पृथ्वीपुरा	0	3824	0	3824
आर॰पी॰बाग	38200	0	250	384550
सफदरजंग फ्लाईओवर	0	3780	0	3780
शाहदरा	0	1683	0	1683
सीकर	0	2229	0	2229
श्रीगंगानगर-1	25200	0	0	25200
श्रीगंगानगर-2	10000	0	0	10000
श्रीमाधोपुर	0	5000	0	5000
सुरजपुर	5000	0	0	5000
उदयपुर	0	1266	0	1266
उत्तमनगर	0	2822	0	2822
**उप जोड़	231298	69840	10582	311720
**गुवाहाटी क्षेत्र				
अगरतला	19250	0	0	19250
अगरतला सी॰एस॰	4750	0	0	4750
आईजाल	1500	0	0	1500
धुबरी	10100	0	0	10100
दीमापुर	13000	0	0	13000
गुवाहटी	8600	0	0	8600
जोरहट-I	10500	0	0	10500
जोरहट-II	5000	0	0	5000
सीपाझर	0	627	0	627
सोरभोग	10000	0	0	10000
**उप-जोड़	82700	627	0	83327
**हैदराबाद क्षेत्र				
अदिलाबाद	10000	0	0	10000
अदोनी	18140	0	0	18140
अंकापल्ली	10000	0	0	10000
बोधन	25230	0	0	25230

1	2	3	4	5
सी एफ एस हैदराबाद	0	7012	0	7012
चिलकालुरीपेट	0	17700	0	17700
चितयाल	0	5332	0	5332
गुडप्पा	25300	0	0	25300
द्रुगीराला	7500	0	0	7500
गंडवाल	0	1500	0	1500
गुडीवाडा	35000	0	0	35000
गन्तूर-बी डी	70000	0	0	70000
गन्तूर-1	26800	0	0	26800
हैदराबाद (सी एस)	600	0	0	600
आईडीपीएल हैदराबाद-2	0	0	2037	2037
जनगांव	7590	3061	0	10651
कैकालूर	19000	0	0	19000
काकीन्दा (तुरंगी)	0	11362	0	11362
करीमनागर	25150	0	0	25150
कुकटपल्ली	0	6475	6255	12730
मसुलीपटनम	38700	0	0	38700
मौलाअली	0	4260	0	4260
मेडक	11500	0	0	11500
मेडरमेटला	0	5330	0	5330
महबूबनगर	30319	0	0	30319
नामपल्ली	10000	2127	0	12127
नन्दीकटकूर	5000	0	0	5000
नन्दयाल	28700	0	0	28700
नारासन्नापेटा	0	1263	0	1263
नेल्लोर	48000	0	0	48000
निदमनूर	37500	0	0	37500
निर्मल	0	1645	0	1645
निजामाबाद	32000	0	0	32000
ओंगले	5000	13534	0	18534
राजामुन्दरी	34360	0	0	34360
रेनीगुन्ता	20350	0	0	20350
सनतनगर (सीएफएस)	0	8151	2298	10449

1	2	3	4	5
सरंगपुर	38530	0	0	38530
सरोरनगर	0	5000	0	5000
सेटनापल्ली	5000	0	0	5000
सिद्दिपेट	14750	0	0	14750
सूर्यापेट	50225	0	0	50225
तडिपल्लीगुडम	72000	0	0	72000
वडिसलेरू	0	6504	0	6504
बदलामुडी	35500	0	0	35500
विजयवाड़ा-बीडी	70000	0	0	70000
विजयवाड़ा-3	0	6563	0	6563
विजयवाड़ा-1	6000	0	0	6000
विजयवाड़ा-2	15000	0	0	15000
विजॉग-1	35100	0	1526	36626
विजॉग-2	25000	0	0	25000
वारंगल	10502	7592	0	18094
वयेरा	0	1516	0	1516
जाहिराबाद	0	0	3587	3587
**उप जोड़	**959346**	**115927**	**15703**	**1090976**
**जे॰एन॰ पोर्ट क्षेत्र				
द्रोणगिरी	72000	0	21250	93250
जे॰एन॰ पोर्ट	0	20000	88125	108125
कलमबोली	30000	48750	0	78750
**उप जोड़	**102000**	**68750**	**109375**	**280125**
**लखनऊ क्षेत्र				
बलिया	15000	0	0	15000
बांदा	8500	0	0	8500
बस्ती	35000	0	0	35000
बाजपुर	12100	0	0	12100
बहरीच	11570	3452	0	15022
बिजनौर	21280	0	0	21280
बिलासपुर	7500	0	0	7500
चंदौसी-1	20640	0	0	20640
चंदौसी-2	10000	0	0	10000
चिरगांव	5000	875	0	5875

1	2	3	4	5
दादरी	19000	0	0	19000
डुमरियागंज	10000	0	0	10000
इटावा	20600	1020	0	21620
फैजाबाद	7750	5666	0	13416
गंगोह	0	1566	0	1566
गोरीगंज-2	0	359	3228	3587
गाजियाबाद-1	16920	0	0	16920
गाजियाबाद-2	0	10288	0	10288
गोलागोकरनाथ	15800	0	0	15800
गोरखपुर-2	29700	0	0	29700
एच॰ए॰एल॰ कानपुर	0	129	0	129
एचएएल लखनऊ	0	169	0	169
हरदोई	38500	0	0	38500
जाहांगिराबाद-1	10000	0	0	10000
जाहांगिराबाद-2	5000	0	0	5000
जसपुर	13200	0	0	13200
झांसी	14600	0	0	14600
कानपुर सी॰बी॰	0	9392	0	9392
कानपुर आईसीडी	10750	0	0	10750
काशीपुर-1	11530	0	0	11530
काशीपुर-2	5000	0	0	5000
खटीमा	6700	2000	0	8700
लोनी-बी॰डी॰	66000	0	0	66000
लखनऊ	26400	2017	0	28417
लखनऊ-2	7500	988	0	8438
महोबा	0	5000	0	5000
मोनाथ भंजन	0	4450	0	4450
मुरानीपुर	0	5060	0	5060
मोहन नगर	7500	1433	0	8933
मुजफ्फर नगर	27450	3816	0	31266
मुजफ्फर नगर बी॰डी॰	100000	0	0	100000
नोएडा	15000	0	1035	16035
रामपुर	24400	4118	0	28518

1	2	3	4	5
राबर्टगंज	5000	0	0	5000
सहारनपुर	26300	1072	0	27372
सहारनपुर-बी॰डी॰	57895	0	0	57895
साहिबाबाद-2	20200	0	300	20500
साहगंज	10000	0	0	10000
शाहजहांपुर-1	43200	0	0	43200
सामली	5000	0	0	5000
श्री नगर	5000	0	0	5000
सूरजपुर	0	0	17558	17558
**उप जोड़	828485	62870	22121	913476
**मुम्बई क्षेत्र				
अहमदनगर	0	25	630	655
एयर कार्गो गोवा	535	0	0	535
अकोला	22420	2447	0	24867
अमबाद	10000	0	1913	11913
अम्बेरनाथ-1	5000	1549	0	6549
अम्बेरनाथ-2	0	4000	1219	5219
अमरावती	25300	1015	0	26315
अंधेरी (सीप्ज)	0	2599	0	2599
अंजनगांव	0	2194	0	2194
भांडुप-1	0	4354	0	4354
भांडुप-2	0	1663	24821	26484
भांडुप-3	0	4180	0	4130
भयन्दर	0	2738	0	2738
बोरीविली	0	15644	0	15644
चिकालथाना	6122	0	0	6122
दरयापुर	0	987	0	987
दिगरास	0	1085	0	1085
दोलवी	0	0	34252	34252
दोम्बीविल्ली	0	0	6242	6242
दोनावत	0	0	3024	3024
एलफिंसटन रोड़	0	4200	0	4200
गांधीगलाज	0	604	0	604
गोंदिया	10750	1444	0	12194

1	2	3	4	5
गोरेगांव	0	8931	3226	12157
गोविन्दपुर	0	1083	0	1083
जे॰ सेद	0	8929	0	8929
जलगांव	0	1441	0	1441
काजूपाड़ा	0	4750	0	4750
कलमेंश्वर	0	4260	0	4260
कंजूर मार्ग	0	1678	11880	13558
करंजिया	0	3452	0	3452
खापोली-1	0	0	896	896
खापोली-2	0	385	1810	2195
खापोली-3	0	0	6142	6142
कोल्हापुर-1	11250	10184	0	21434
कोल्हापुर-2	20000	0	0	20000
लोटे परशुराम	0	1195	0	1195
एम॰एस॰ जेठा	4500	0	0	4500
एमआईडीसी-नागपुर	0	2964	0	2964
मीरा-1	0	2228	0	2228
मिरॉज	10000	0	0	10000
मिरॉज-बी॰डी॰	80000	0	0	80000
मोहनी	0	660	0	660
मोरमोगोवा	16465	0	0	16465
मुलन्द-1	0	13256	0	13256
मुलन्द-2	0	5282	0	5282
नार्गोथाने	0	3246	0	3246
नागपुर	9500	0	0	9500
नासिक	2500	833	0	3333
नासिक रोड़	17160	4505	0	21665
न्यू पार्ले	0	10648	0	10648
पातालगंगा-1	0	1048	0	1048
पातालगंगा-2	0	0	3440	3440
पातालगंगा-3	0	1790	0	1790
पुणे बजाज	0	0	6415	6415
पुणे सेंचुरी	0	1356	774	2130
पुणे सीएफएस	12500	427	8445	21372
पुणे थरमेक्स	0	430	1578	2008

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान असम सर्किल में ऐसी कितनी भर्ती हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार खिलाड़ियों के रोजगार के लिए कोई भी खेल-कोटा संचालित नहीं करती है। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया/नियमों में छूट देकर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों में समूह "ग" और "घ" के पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा 5 प्रतिशत तक रिक्त स्थानों को भरा जा सकता है। ऐसे सभी संगठनों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं।

लेखा परीक्षा पैरा

2349. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय और उसके अधीन दिल्ली में स्थित विभाग के बारे में मंत्रालय को भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से गत वर्ष के दौरान कितने लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन लेखा परीक्षा पैरा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लेखा परीक्षा पैरा के संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) आगे ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय में पिछले एक वर्ष में रक्षा सेवाओं/विभागों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल 116 लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं।

लेखापरीक्षा पैरा मुख्यतः वित्तीय लेन-देनों के परीक्षण लेखा परीक्षा से उभरे अन्य मुद्दों सहित रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखाओं से उभरे मामलों से संबंधित होते हैं। संक्षेप में ये पैरा सतत् बचतों/अधिकताओं, बकाया दावों/देयों, समुचित स्वीकृति के बिना व्यय, नकद हानियों, उपस्करों/सामानों की हानियों, अधिप्राप्त की गई स्वदेशी/आयातित मदों में खराबियों, विकास/विनिर्माण/निर्माण में विलंब, कार्मिकों, उपस्करों आदि के अकुशल/अविवेकसंगत उपयोग से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय में लेखापरीक्षा पैराओं की समीक्षा, समय पर उपचारात्मक कार्रवाई तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए स्थापित प्रणालियां बनी हुई हैं। समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और समय-समय पर अनुदेश/नीति संबंधी निदेश जारी किए जाते हैं।

अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए संबद्ध वित्त व लेखा परीक्षा के परामर्श से सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

गुंटूर-कुर्नूल सड़क के लिए विश्व बैंक की सहायता

2350. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर-कुर्नूल सड़क को चौड़ा करने संबंधी विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना "प्रोजेक्ट टाइगर" नामक अन्य परियोजना के कारण उपेक्षित हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 7 को जोड़ने वाले गुंटूर और कुर्नूल के बीच के 320 किलोमीटर सड़क मार्ग को विद्यमान सड़क के दोनों ओर के स्थान को चौड़ा करके इसे दो लेनों वाला राजमार्ग बनाने की योजना तैयार की है;

(ग) क्या इस योजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी गई थी और इस बैंक ने राज्य में सड़कों को मजबूत बनाने की योजना में सहायता करना स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की सहायता से इस सड़क का कार्य अब तक आरंभ किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने ऋण प्रदान करने से पहले कुछ शर्तें रखी हैं; और

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा लगायी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन) : (क) गुन्टूर-करनूल सड़क को चौड़ा बनाने के लिए पर्यावरणीय अनुमति में करनूल-थोकापल्ली खंड का एक भाग शामिल नहीं है, क्योंकि सड़क का यह भाग दो टाइगर अभ्यारण्यों के बीच से गुजरता है।

(ख) पर्यावर्णीय अनुमति की शर्तों का अनुपालन करने के लिए रा॰रा॰-18 के करनूल-नान्दयाल खंड का उपयोग करते हुए नान्दयाल-गिद्दलूर-थोकापल्ली सड़क में सुधार करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिली है।

(ङ) और (च) इससे पहले कि विश्व बैंक इस परियोजना के लिए ऋण देने पर सहमत हो, पर्यावरणीय अनुमति लेना आवश्यक है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ

2351. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आतंकवादी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर सीमा में देश में सामान्य रूप से जगधक के उत्तर में अवस्थित बोगीना, मैन्धार के कृष्णा घाटी तथा राजौरी तथा पुंछ से घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों में उठाया है अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर तथा नियंत्रण रेखा पर हर संभव सतर्कता बरत रही है। सरकार देश की सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने सीमा पार से भारत के विरूद्ध संचालित आतंकवाद के प्रति पाकिस्तानी समर्थन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उपयुक्त तरीके से अवगत कराया है और इस मसले की दूर-दूर तक सभी को जानकारी है। इस संबंध में हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

"सैफ" खेलकूद

2352. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैफ" खेलकूद 1995 पर कितना व्यय किया गया;

(ख) हिरोशिमा 1994, बार्सिलोना 1993 तथा अटलांटा, 1996 में भारतीय दल में कितने व्यक्ति थे तथा इन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त खेलों में भेजे गए अधिकारियों पर कितना व्यय हुआ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सैफ खेल, 1995 के लिए भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा 43.00 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गयी थी।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

	खेल का नाम	भारतीय दल का आकार	उस पर हुआ व्यय
1.	एशियाई खेल, हिरोशिमा, 1994	204 व्यक्ति	128.00 लाख रुपये
2.	ओर्लंपिक खेल, बार्सिलोना, 1992**	82 व्यक्ति	52.62 लाख रुपये
3.	ओर्लंपिक खेल, अटलांटा, 1996	53 व्यक्ति	22.32 लाख रुपये

** ये खेल 1992 में बार्सिलोना में आयोजित किए गए थे न कि 1993 में, जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ग) उपर्युक्त खेलों में अधिकारियों को भेजने पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1.	सैफ खेल, 1995, मद्रास	10,836.00 रुपये
2.	एशियाई खेल, 1994, हिरोशिमा	8.94 लाख रुपये
3.	बार्सिलोना ओर्लंपिक्स, 1992	2.40 लाख रुपये
4.	अटलांटा ओर्लंपिक्स, 1996	37.06 लाख रुपये

कैंसर शल्य चिकित्सक

2353. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में कोई नियमित कैंसर शल्य चिकित्सक नहीं हैं और विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या महिला रोगियों की देखभाल करते समय पुरुष कर्मचारियों द्वारा रेडियो चिकित्सा की जाती है न कि महिला कर्मचारियों द्वारा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अस्पताल प्राधिकारियों ने कैंसर सर्जन के पदों को भरे जाने तक सर्जरी विभाग में कैंसर से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए वैकल्पिक प्रबंध कर दिए हैं।

(ख) अस्पताल प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विकिरण चिकित्सा विभाग में महिला रोगियों को चिकित्सा प्रदान करते समय एक महिला परिचर उपस्थित होती है।

(ग) कैंसर सर्जन के पदों को भरने के लिए भरती प्रक्रिया चल रही है।

अवैध व्यापार करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय और कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-बंगलादेश सीमा पर बंगलादेश को तस्करी करते समय सीमा सुरक्षा बल टोली द्वारा पकड़े गए गोपशुओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर गोपशुओं की तस्करी को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती, चौकी टावर की संख्या में बढ़ोतरी, गस्त को बढ़ाना तथा सीमा पर चरणबद्ध तार लगाना शामिल है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत-बंगलादेश सीमा पर पकड़े गए गोपशु।

	1994	1995	1996	1997 (फरवरी तक)
पश्चिम बंगाल	29539	30608	21225	5047
असम	1070	1060	1092	171
मेघालय	336	259	138	0
मिजोरम	0	0	0	0
त्रिपुरा	1492	943	666	97

[अनुवाद]

नारियल के पौधे

2522. **श्री अंचल दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा ने नारियल के पौधे लगाने तथा इसके उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पर्याप्त मात्रा में नारियल के पौधे/पौध तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान वितरित किए गए नारियल के पौध की संख्या क्या है तथा उड़ीसा में विशेषरूप से जयपुर जिले में 1997-98 के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले नारियल के पौध की क्या संख्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) उड़ीसा में नारियल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1993-94 के 38.4 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 95-96 में 42.90 हजार हेक्टेयर हो गया है जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पाद 5716 गिरी प्रति हेक्टेयर से कम होकर 5466 गिरी तक आ गया है।

(ख) नारियल विकास बोर्ड 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देकर नारियल नर्सरियों तथा राज्य के बागवानी विभाग के पास उपलब्ध अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से टी × डी पौदों के उत्पादन और वितरण नामक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। 8वीं योजना अवधि के दौरान कुल 65,000 टी डी पौदों का उत्पादन किया गया और पौदों के उत्पादन के लिए 1242000 बीज गिरियों की बुआई की गयी।

(ग) उड़ीसा में कोरापुट जिले में जयपुर अनुमंडल है। वर्ष 1996-97 के दौरान वितरित पौदों की संख्या तथा वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित पौदों की संख्या इस प्रकार हैं :—

	उड़ीसा	जयपुर अनुमंडल
वर्ष 1996-97 के दौरान वितरित पौदों की सं॰	9,97,500	525
वर्ष 1997-98 के दौरान उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित पौदों की संख्या	14 लाख	875

साबरमती नदी में "फ्लाई एश" का गिराया जाना

2523. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एक ताप विद्युत संयंत्र द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी में "फ्लाई एश" घोल के गिराए जाने के कारण गम्भीर वायु और जल प्रदूषण उत्पन्न हो गया है जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित विद्युत कम्पनी को साबरमती नदी में "फ्लाई एश" घोल गिराने को तुरंत रोकने और नदी के तल में पहले से जमा सूखी राख को हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) एक ताप विद्युत संयंत्र द्वारा साबरमती नदी के जल में प्रदूषण फैलाए जाने की समस्या के बारे में शिकायतें मिली थीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने विद्युत संयंत्र का निरीक्षण किया और यह पाया कि विद्युत संयंत्र में तरल बहिस्रावों तथा ठोस अपशिष्टों के शोधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत विद्युत संयंत्र को निर्देश जारी किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण

2524. श्री तारीक अनवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में यह निर्धारण किया गया है कि सभी विनियमों तथा नियंत्रण जो किसानों की आय में वृद्धि करने से संबंधित हैं, की तत्काल समीक्षा की जायेगी तथा जहां कहीं भी अनावश्यक समझा जाता है, उनको हटा दिया जायेगा। इसके तहत यह भी निर्धारण किया गया है कि कृषि उत्पादों के परिवहन तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर से नियंत्रण हटा लिये जायेंगे। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से उनके द्वारा लगाये गये, नियंत्रण/विनियमन को हटाये जाने के संबंध में समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। चावल मिलिंग उद्योग विनियम अधिनियम, 1958 को निरस्त करने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

जब्त किए गए हथियारों की बिक्री

2525. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किए गए हथियारों का क्या ब्यौरा क्या है;

(ख) इन हथियारों के नियंत्रण/बिक्री हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है;

(ग) क्या जब्त किए जाने के पश्चात् कुछ हथियार चोरी अथवा गायब हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनका पता लगाए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या जब्त किए गए कुछ हथियारों को आत्म सुरक्षा हेतु कुछ अधिकारियों अथवा निजी व्यक्तियों को बेच अथवा दे दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो इन हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त हथियारों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इन्हें किस मूल्य पर बेचा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ज) जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब की राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों के पुराने नामों का प्रयोग

2526. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री छीतुभाई गामीत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग/लाभ को देखते हुए पत्राचार के प्रयोजन के लिए कुछ स्थानों जैसे बम्बई और मद्रास जिनका हाल ही में नाम बदलकर क्रमशः मुम्बई और चेन्नई कर दिया गया है, के पुराने नामों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मछुआरों का बीमा

2527. श्री महेन्द्र कर्मा :

श्री तिलक राज सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1995-96 की दुर्घटना के विरूद्ध 53,619 व्यक्तियों का 3,01,607 रुपये की धनराशि का बीमा किया है जिसे राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के हिस्से में से कितनी राशि अब भी राज्य सरकार को देय है; और

(ग) बकाया राशि कब तक अदा कर दी जायेगी?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1995-96 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के अंतर्गत दुर्घटनाओं के प्रति 47007 मछुआरों का बीमा किया था। 1995-96 के दौरान 47007 मछुआरों के बीमें पर कुल 5,28,758/- रुपये का खर्च आया था जिसमें से राज्य सरकार का योगदान 50:50 के आधार पर 2,64,379/- रुपये का था।

(ख) यदि हां, तो इन दोनों अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं तत्काल प्रदान करके इन्हें चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि एक सरकार. अस्पताल (अब इसे नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम दिया गया) 1974 में और एक महिलाओं का अस्पताल 1984 में स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना से ही ये अस्पताल किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेश छात्रों को छात्रवृत्ति

2361. **श्री संदीपान थोरात** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से नए प्रयास आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई और हाल ही में लागू की गई नई रणनितियों और विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विकासशील देशों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पहले से ही उपलब्ध ऐसी सुविधाओं तथा निकट भविष्य में विदेशी छात्रों को इस प्रकार दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने/उनमें सुधार करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) सरकार अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। परिवर्तनशील विश्व में विदेशों में भारत के हितों के संवर्द्धन की दिशा में सरकार विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान संवधित करने से सम्बन्धित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों की क्षमता की निरन्तर समीक्षा करती रहती है, ताकि इन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को अधिक से अधिक किया जा सके। बजट संबंधी संसाधनों की उपलब्धता, द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई वचनबद्धताओं और प्राथमिकताओं की समग्र नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष क्रियाकलापों का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। दक्षिण-दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया हमारी गतिविधियों का विशेष केन्द्र है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित भारतीय संस्कृति के प्रमुख कार्यक्रमों में रूस, विएतनाम और बंगला देश में भारतीय संस्कृति के दिन कार्यक्रम शामिल है।

(ग) सरकार अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी छात्रों को प्रति वर्ष 1000 से अधिक छात्रवृत्तियां देती है। यह छात्रवृतियां भारतीय विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए दी जाती है। इन पाठ्यक्रमों में चिकित्सा के अतिरिक्त तकनीकी और व्यावसायिक विषय शामिल हैं।

(घ) विदेश मंत्रालय विकासशील देशों के विदेशी छात्रों को भारत में इंजीनियरी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गई सीटों के निर्धारित कोटे पर स्व वित्तपोषण आधार पर सुविधाएं भी उपलब्ध कराता रहा।

इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अल्पावधि प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है।

जुलाई 1995 से विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के छात्रों के लिए वजीफों में वृद्धि की गई है। शिक्षा शुल्क और वजीफों के अलावा छात्रों को मकान किराए में रियायत, वार्षिक आनुषंगिक अनुदान, चिकित्सा और अन्य लाभ भी दिए जाते हैं।

मझगांव गोदी लिमिटेड

2362. **श्री राम नाईक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मझगांव गोदी लिमिटेड की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नहावा शेवा में विकसित सुविधाएं भी बेकार पड़ी हैं;

(घ) क्या पनडुब्बी निर्माण इकाई में कोई कार्य भी नहीं हो रहा है और यदि हां, तो इस इकाई में कब से काम नहीं हो रहा है;

(ङ) क्या भारतीय नौसेना की पनडुब्बी का निर्माण करने की कोई भावी योजना है;

(च) यदि हां, तो 31 मार्च, 1996 की अवधि के अनुसार मझगांव गोदी लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ; और

(छ) मझगांव गोदी लिमिटेड संगठन की पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने और इसके संचित घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (छ) यह सही है कि माझगांव डाक लिमिटेड की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, कई वर्षों से माझगांव डाक लिमिटेड की कोई भी यूनिट बंद नहीं पड़ी है। आर्डर न मिलने के कारण वर्ष 1995-96 से न्हावा में स्थापित सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पनडुब्बी निर्माण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भारतीय नौसेना से कोई आर्डर न मिलने के कारण वर्ष 1993-94 के बाद से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने दो पनडुब्बियों का निर्माण किए जाने के वास्ते माझगांव डाक लिमिटेड को एक आशय पत्र दिया है। 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार मांझगांव डाक लिमिटेड की संचित हानियां 41.12 करोड़ रुपये की थीं। माझगांव डाक लिमिटेड ने अपनी संचित हानियों को समाप्त करने के लिए, ब्याज के बोझ को कम करने के वास्ते एक उपाय के रूप में अपने पूंजीगत आधार को फिर से नया बनाने का प्रस्ताव किया है। माझगांव डाक लिमिटेड ने विविधिकरण के एक भाग के रूप में विंडमिल टावर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। माझगांव डाक लिमिटेड स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना लागू करके अपने कार्य बल को युक्तिसंगत भी बना रहा है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश

2363. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं/किन-किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(ख) कितने देशों ने इस संधि की पुष्टि की है; और

(ग) इस संधि में परमाणु हथियार रहित देशों के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं और परमाणु हथियार वाले देशों पर क्या विनियम और नियंत्रण लागू किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जिन देशों ने व्यापक नाभकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी सूची विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) फिजी ही केवल ऐसा देश है जिसे अभी संधि का अनुसमर्थन करना है।

(ग) इस संधि से सभी राज्य पक्षकार, नाभकीय हथियार रखने वाले राज्य और नाभकीय हथियार न रखने वाले राज्य समान रूप से अपने अधिकार क्षेत्र अथवा नियंत्रणाधीन क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कोई भी नाभकीय हथियार परीक्षण विस्फोट अथवा कोई अन्य नाभकीय विस्फोट न करने और ऐसे किसी भी नाभकीय विस्फोट पर प्रतिबन्ध लगाने और रोकने के लिए बाध्य होते हैं। यह राज्य पक्षकारों को कोई भी नाभकीय हथियार परीक्षण विस्फोट अथवा कोई अन्य नाभिकीय विस्फोट करने का कारण बनने, प्रोत्साहन देने और किसी भी रूप में भाग लेने से दूर रहने की अपेक्षा करती है।

विवरण

देश का नाम	हस्ताक्षर की तारीख
1	2
अलवानिया	27 सितम्बर, 1996
अल्जीरिया	15 अक्तूबर, 1996
एन्डोरा	24 सितम्बर, 1996
अंगोला	27 सितम्बर, 1996
अर्जेन्टीना	24 सितम्बर, 1996
अर्मेनिया	1 अक्तूबर, 1996
आस्ट्रेलिया	24 सितम्बर, 1996
आस्ट्रिया	24 सितम्बर, 1996
बहरीन	24 सितम्बर, 1996
बंगलादेश	24 सितम्बर, 1996
बेलारूस	24 सितम्बर, 1996
बेल्जियम	24 सितम्बर, 1996
बेनिन	27 सितम्बर, 1996
बोस्निया	24 सितम्बर, 1996
बोस्निया और हरजेगोवीना	24 सितम्बर, 1996
ब्राजील	24 सितम्बर, 1996
ब्रुनी दारेस्लाम	22 जनवरी, 1997
बुल्गारिया	24 सितम्बर, 1996
बुरकीनाफासो	27 सितम्बर, 1996
बुरून्डी	24 सितम्बर, 1996
कम्बोडिया	26 सितम्बर, 1996
कनाडा	24 सितम्बर, 1996
केप वरडे	1 अक्तूबर, 1996
चाड	8 अक्तूबर, 1996
चिली	24 सितम्बर, 1996
चीन	24 सितम्बर, 1996
कोलम्बिया	24 सितम्बर, 1996
कोमोरोस	12 दिसम्बर, 1996
कांगो	11 फरवरी, 1997
कोस्टारिका	24 सितम्बर, 1996
कोट डी आइवरी	25 सितम्बर, 1996
क्रोएशिया	24 सितम्बर, 1996

शैक्षिक संस्थाओं द्वारा उनके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों का विधिवत उपयोग करने में कठिनाइयों से संबंधित मामलों की जांच के लिए 2 जनवरी, 1997 को दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है, जिसमें श्री जफर अली नकवी, सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा श्री जोगिन्दर पाल, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शामिल है।

(ग) इस जांच आयोग द्वारा अभी तक कोई सिफारिश/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गुजरात तट पर हथियारों की जब्ती

2534. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री प्रमोद महाजन :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :
श्री काशी राम राणा :
डा॰ एम॰ जगन्नाथ :
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :
श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक गुजरात तट पर हथियार और विस्फोटक का भारी जखीरा/हथियार और गोला बारूद सहित पाकिस्तान निर्मित नौका जब्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद की कीमत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान के जरिए बंगलादेशी हथियारों की तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात तट पर पाकिस्तानी मैकेनाइज्ड नावों से कोई हथियार/गोली बारूद जब्त नहीं किया गया। तथापि, 17 जनवरी, 1997 को एक मछली पकड़ने की नौका क्रीक इलाके में कोटेश्वर के निकट पकड़ी गई थी जिसमें निम्नलिखित हथियार और गोलीबारूद थे :—

(क) पिस्तौल	19 नग
(ख) रिवाल्वर	1 नग
(ग) पिस्तौल मैग्जीन	32 नग
(घ) ए के मैग्जीन	7 नग
(ङ) ए के 56 राईफल	5 नग
(च) बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल	6 नग
(छ) स्नाइपर राइफल की मैग्जीन	2 नग
(ज) मिली जुली गोलियां	1320 चक्र
(झ) ए के 56 का कैरी बैग	1 नग

विदेश निर्मित इन वस्तुओं की कीमत का पता नहीं है। भारत-पाक सीमा से होकर हथियारों एवं गोली बारूद की तस्करी तथा घुसपैठ रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. सीमा प्रेक्षण चौकियों के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए विस्तार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बटालियनें संस्वीकृत/तैनात की गई हैं। तथापि, कुछ बटालियनें, आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सीमा से वापस बुला ली गई हैं।
2. गश्त/नाके बढ़ा दिए/गहन किए गए हैं।
3. जीपें तथा मोटर साइकिलें उपलब्ध कराकर सीमा पर गश्त गहन की गई है।
4. घुडसवार, ऊंटसवार तथा ट्रेक्टर सवार गश्त लगाई जा रही है।
5. प्रेक्षण चौकी टावर खड़े किए गए हैं।
6. सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए दूरबीनें, चश्में, जुड़वां दूरबीक्षण यंत्र, पी एन वी दूरबीनें तथा हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाइटें प्रदान की गई हैं।
7. पंजाब और राजस्थान में सीमा पर बाड़/फ्लड लाइट लगाई गई है। गुजरात के रन क्षेत्र में एक संशोधित किस्म की बाड़ लगाए जाने के लिए संभाव्यता अध्ययन भी शुरू कराया जा रहा है।
8. नदी तटीय क्षेत्र में गश्त के लिए नावें/मोटर बोट उपलब्ध कराई गई हैं/कराई जा रही हैं।
9. वाहनों द्वारा गश्त लगाने के लिए सीमा सड़क/मार्ग निर्मित/विकसित किए जा रहे हैं।

"विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाएं"

2535. श्री आर॰ साम्बाशिवा राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में शुरू की जाने वाली सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति मांगी है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में कितनी सड़कों को मजबूत बनाया जाएगा;

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(घ) विश्व बैंक राज्य में सड़कों के विकास के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सात सड़कों को मजबूत किया जाएगा।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपये हैं।

(घ) विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

2536. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को वर्ष 1996 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, नवम्बर, 1996 में उस मंत्रालय में अल्पसंख्यक सैल का गठन किया गया। वर्ष 1996 के दौरान इसने 32 आवेदन प्राप्त किए जिन्हें आगे कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

सड़क का निर्माण

2537. श्री बाजूबन रियान :
श्री बादल चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने अम्बासा-बगाफा-बेलोनिया सड़क में सुधार के लिए पूर्वोत्तर परिषद् को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह योजना मंजूर कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) अन्य जिला सड़कों के स्तर की भांति, इस सड़क का सुधार करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद द्वारा 30 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर एक नयी योजना, 9 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निष्पादन हेतु शामिल की गयी है, बशर्ते कि योजना आयोग इसे अनुमोदित करे और धन उपलब्ध हो।

विदेशज जाति के वृषभ

2538. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत में अधिक दूध देने वाली गायों की विदेशज जाति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) विदेशज जाति के वृषभों के कितने फार्म कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशज जाति के वृषमों का आयात किया गया;

(घ) इन वृषभों का किन-किन देशों से आयात किया गया; और

(ङ) एक विदेशज जाति के वृषभ का औसतन मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) दुग्ध पैदावार में सुधार लाने के लिए जर्सी तथा हाल्सटीयन फ्रीजियन सांडों का उपयोग गैर-प्रजातीय गायों के वर्ण-संकरण के लिए किया जाता है।

(ख) जर्सी सांडों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, उड़ीसा के कोरापुट जिले के सीमीलीगुढ़ा में तथा हाल्स्टीयन फ्रीजियन सांडों के उत्पादन के लिए यह फार्म कर्नाटक के हैस्सरघट्टा में स्थित है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 259 सांडों के आयात की अनुमति दी गई थी जिसमें से 45 सांडों का आयात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैस्सरघट्टा के लिए किया गया था।

(घ) इन सांडों का आयात डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल से किया गया था।

(ङ) आयात किए गए विदेशी प्रजनक सांडों की औसत कीमत करीब 0.75 लाख रुपये होती है।

स्वयंसेवी संगठन

2539. डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में उन स्वयंसेवी संगठनों की स्थल-वार संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा सहायता मुहैया कराई जा रही है;

(ख) इस संगठनों को सहायता मुहैया कराने के मानदण्ड क्या हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) डा॰ डी॰एस॰ कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1964-66) में यह सिफारिश थी कि देश में शैक्षिक व्यय कुल मिलाकर बढ़कर 1985-86 तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत तक हो जाना चाहिए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से तथा इसके आगे शिक्षा पर परिव्यय कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यह प्रतिबद्धता जाहिर की है कि राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा पर बजटीय व्यय 1967-68 में जो 1.9 प्रतिशत था वह 1994-95 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया है।

असम में पासपोर्ट कार्यालय

2366. श्री केशव महन्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उपरोक्त कार्यालय में प्रत्येक महीने में औसतन कितने आवेदनों की जांच की जाती है;

(ग) क्या उक्त कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य में और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) असम में एक पासपोर्ट कार्यालय है जो गुवाहाटी में स्थित है।

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी द्वारा प्रति माह संसाधित आवेदन-पत्रों की औसत संख्या 694 है।

(ग) जी, नहीं। आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 35 से 40 दिनों के अन्दर पासपोर्ट जारी किये जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एड्स के इलाज हेतु आबंटन

2367. श्री सुशील चन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स और एच॰आई॰वी॰ रोगियों के नवीनतम इलाज संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन रोगों के इलाज हेतु दवाइयां विकसित करने हेतु आयुर्वेद महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा कोई अनुसंधान और अध्ययन किया गया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे कार्यकलापों को चलाये जाने हेतु मंत्रालय में कोई विशेष वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे उद्देश्य हेतु कोई विशेष आबंटन हेतु विचार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एड्स तथा एच आई वी पॉजीटिव के नवीनतम उपचार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आयुर्वेद उपचार में एड्स के लिए परीक्षण क्षयरोग अस्पताल, ताम्बारम चेन्नई तथा जे॰जे॰ ग्रुप आफ अस्पताल, मुम्बई में चल रहा है। चेन्नई और मुम्बई में होम्योपैथी औषधियों में भी परीक्षण चल रहे हैं और परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अनुसंधान अध्ययन करने के लिए अब तक 3.39 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विवरण

एड्स तथा एच आई वी पॉजिटिव रोगियों के नवीनतम उपचार

जैसे ही एच आई वी पाजीटिव रोगी का पता चलता है तो रोगी के नैदानिक प्रस्तुति के आधार पर उपचार शुरू किया जा सकता है। इन रोगों के होने पर अवसरवादी संक्रमण का उपचार करना पड़ता है। यह उपचार पश्चविषाणुज रोधी औषधों के साथ शुरू किया जा सकता है। एफ डी ए (यू एस ए) द्वारा अनुमोदित पश्च विषाणुज रोधी औषधों के दो ग्रुप हैं।

(I) रिवर्स टांसक्रिप्टेज इनहिविटर

औषधों के ये ग्रुप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एन्जाइम को प्रभावित करके विषाणुओं की प्रक्रिया को रोक देती हैं।

(क) ए जेड टी - एजीडोथाइमिडीन

(ख) डी डी टी (डाई-आयोडीनोसीन-लेमीवुडीन)

(ग) डी डी सी (आई-आयोडोसाइटिन-स्टैवुडीन)

(II) प्रोटीज इनहिवीटर्स

ये औषधों के ऐसे ग्रुप हैं जो प्रोटीज एन्जाइम को रोकते हैं और इस तरह एच आई वी के नए विरिओन्स बनने से रोकते हैं। ये औषधें है :—

(i) सैकिनोविर

(ii) इंडिनाविर

(iii) रिटोनाविर

शुरू में ए॰जेड॰टी॰ (एजीडोथिमिडीन) का उपयोग किया गया लेकिन यह पता चला कि केवल इन्हीं औषधों का उपयोग एच॰आई॰वी॰ का प्रतिरोधी दबाव होगा, इसलिए संयोजन चिकित्सा पश्चिमी विकसित देशों में शुरू की गई है जो अधिक प्रभावी है और संयोजन चिकित्सा के अन्य लाभ ये हैं कि इसके गौण प्रभाव कम हैं और इसका प्रतिरोधी दबाव नहीं होता। 1996 में प्रोटीज इनहिविटर की खोज की गई और शुरू के परीक्षणों से पता चला कि प्रोटीज इनहिविटर वाले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के संयोजन के विषाणुज भार की कमी के संबंध में अच्छे परिणाम निकल रहे थे। अतः यह निष्कर्ष निकला है कि इस रेटरोवाइलरोधी के संयोजन के साथ विषाणु पर शीघ्र काबू पाना एच॰आई॰वी॰ पॉजीटिव/एड्स रोगियों के जीवन को जारी रखने के लिए अधिक प्रभावी उपचार है।

लेकिन ऐसे उपचार की लागत बहुत अधिक है और अवसंरचना सुविधाएं, उदाहरणार्थ विषाणुज भार तथा पी॰सी॰आर॰ का मूल्यांकन, इन रोगियों के उपचार की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए आवश्यक हैं।

महाविद्यालयों की स्थापना

2368. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य शिक्षा के साथ पारंपरिक विषयों के लिए महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी किसी "मोरेटोरियम" के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च शिक्षा के सतर में निरन्तर गिरावट आती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। इसको साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के अनुरक्षण और स्तरोन्नयन के लिए समय-समय पर कदम उठा रही है। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित अनुसार हैं :—

- 1.1.1986 से कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन। अध्यापकों के प्रशिक्षण और कैरियर प्रोन्नति के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- अध्यापन व्यवसाय में उत्कृष्ट व्यक्तियों को लाने के लिए अखिल भारतीय अर्हता परीक्षा आरंभ की गई है।
- नए नियुक्त विश्वविद्यालय और कालेज अध्यपाकों के अभिविन्यास के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए।
- पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और मानविकी में 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए। अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में 27 विषयों के लिए आधुनिक पाठयचर्या तैयार की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत अध्यापन और अनुसंधान के सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान की प्रोन्नति हेतु मुख्य सुविधाएं व सेवायें प्रदान करने के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए।
- कुछ चुने हुए कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश वितरित किए गए। इन दिशा निर्देशों मे विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिवसों के अनुपालन पर बल दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री, न्यूनतम कार्य दिवस आदि देने हेतु न्यूनतम स्तरों के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक विरासत हेतु धनराशि

2369. श्रीमती कमल रानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत की ओर जागरूकता पैदा करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या सांस्कृतिक विरासत हेतु कानपुर देहात और कानपुर शहर के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 में सांस्कृतिक विरासत की ओर जागरूकता पैदा करने हेतु कानपुर देहात और कानपुर शहर में कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) वृंदावन शोध संस्थान, वृन्दावन को वर्ष 1989-1995 के लिए वेतन एवं रख-रखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के समानुपाती अंश के आधार पर 4.17 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान प्रदान किया गया। यह संस्थान

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कोच्चि, केरल में इंटरनेशनल फयूचर्स एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसका दूसरा व्यापार केन्द्र कुआलालम्पुर, मलेशिया में होगा। भारतीय काली मिर्च और मसाला व्यापार संघ, कोच्चि, जो स्वदेशी फयूचर्स व्यापार कर रहा है, उसे अलग से अंतरराष्ट्रीय जिंस विनिमय प्रभाग खोलकर काली मिर्च में अंतरराष्ट्रीय फयूचर्स से संविदा करने के लिए मान्यता दी गई है। क्लीयरिंग गृह, अर्थात प्रथम जिंस भारतीय जिंस क्लियरिंग निगम, को व्यापारियों और अन्य प्रचालकों के लिए गारंटर के रूप में कार्य करने के लिए शामिल किया गया है। विदेशी सहभागियों की पात्रता, सहभागिता के तरीकों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त अधिसूचित किए गए हैं। काली मिर्च में अंतरराष्ट्रीय फचर्स संविदा के तहत व्यापार शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

[हिन्दी]

उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए धनराशि

2546. श्री शिवराज सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुमराह युवकों को मुख्यधारा में लाने के लिए चालू वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा अन्य राज्यों को धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) इस प्रयोजनार्थ किसी भी राज्य को कोई धन आंवटित नहीं किया गया है। तथापि, जम्मू और कश्मीर के आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को भर्ती करने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक तथा सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन खड़ी करने की स्वीकृति दी है।

एक रहस्यमय व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में जांच-पड़ताल

2547. प्रो॰ ओम पाल सिंह "निडर" : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में "गुमनामी बाबा प्रकरण में कन्नी क्यों कटाती है सरकार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कारयी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

किसानों को सीधे राजसहायता

2548. श्री छीतुभाई गामीत :
डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने किसानों को सीधे उर्वरक राजसहायता का वितरण किए जाने वाली पूर्व परम्परा को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार राजसहायता के वितरण की प्रक्रिया को सरल करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) असम सरकार से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) यूरिया, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है, पर सब्सिडी के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों से प्राप्त होने वाली बिक्री से संबंधित प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार द्वारा किसानों को फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत दी जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि पहली अप्रैल, 1997 से होने वाली बिक्री पर 80 प्रतिशत "ऑन एकाउंट" भुगतान तथा शेष 20 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा प्रमाणन के बाद दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में तृतीय सीमा कक्ष की स्थापना

2549. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार के गृह विभाग ने केन्द्र सरकार को "गुजरात में सीमान्त क्षेत्र के लिए तृतीय गृहरक्षक सीमा कक्ष की स्थापना करने" के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार ऐसे प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया और कितनों को अस्वीकृत किया गया है;

(घ) कितने प्रस्ताव विचारार्थ/लंबित पड़े हैं;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (च) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिसम्बर, 1996 के दौरान, बार्डर विंग होम गार्ड्स की तीसरी बटालियन खड़ी करने के लिए गुजरात राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तस्करी विरोध अभियानों और अन्य विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बार्डर विंग होम गार्ड की एक अन्य बटालियन खड़ी करके, राज्य सरकार पुलिस की कमी को पूरा करना चाह रही है। यह प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

जल की कमी

2550. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1997 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "वाटर टू बी स्कार्स इन इंडिया बाय 2005" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल एनवायरमेंट आऊटलुक' की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत उन कुछेक देशों में से है जहां मरूभूमि का विस्तार तेजी से हो रहा है जबकि सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में जल से भूमि का कटाव तेजी से हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ग्लोबल एनवायरमेंट आऊटलुक की रिपोर्ट (1997) के अनुसार एशिया और प्रशांत महासागर में मरूस्थलीकरण से ग्रस्त देश चीन, अफगानिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान और भारत हैं। भारत उन देशों में से भी है जो 2025वीं सदी में जल की कमी वाले देशों में आएगा।

(ग) और (घ) जल संसाधनों के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने तथा भू-क्षरण और मरूस्थलीकरण के अन्य कारकों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, राष्ट्रीय जल नीति (1987) को अपनाना, अधिक जल वाली नदी से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल को परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय संदर्श नीति तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के सफल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देना, केन्द्रीय प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और वनीकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को परीक्षा पूर्व कोचिंग

2551. श्रीमती शीला गौतम :
श्री बी॰एल॰ शंकर :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कितने परीक्षार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में भाग लेने हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग दी गयी;

(ख) इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इनमें से कितने परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास की व्यवस्था करने के लिए उनके संबंधित राज्यों में ट्यूटोरियल क्लास चलाए जाने हेतु राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नारियल/मूंगफली तेल का उत्पादन

2552. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान नारियल का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अलग-अलग मूंगफली तथा नारियल तेल का वर्षवार कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है तथा देश में इनकी वार्षिक खपत कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त तेलों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

विवरण-I(i)

पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों का राज्यवार विवरण, उनकी क्षमता और वर्षवार पास हुए छात्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	सरकारी		अन्य		कुल		फाइनल वर्ष परीक्षा में पास हुए छात्र		
		कालेजों की की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की की संख्या	प्रवेश क्षमता	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3	109	1	20	4	129	115(4)	106(4)	62(3)
2.	असम	1	30	–	–	1	30	30(1)	33(1)	29(1)
3.	बिहार	3	78	6	178	9	256	85(3)	15(1)	112(4)
4.	गोवा	–	–	1	40	1	40	*	*	*
5.	गुजरात	5	154	4	134	9	288	253(9)	228(8)	230(8)
6.	हरियाणा	1	50	3	150	4	200	267(4)	164(2)	140(3)
7.	हिमाचल प्रदेश	1	20	–	–	1	20	33(1)	12(1)	+
8.	कर्नाटक	3	135	10	450	13	585	129(8)	154(8)	144(8)
9.	केरल	3	126	2	60	5	186	53(3)	68(3)	54(3)
10.	मध्य प्रदेश	7	210	–	–	7	210	128(7)	109(6)	135(6)
11.	महाराष्ट्र*	4	185	32	1677	36	1862	939(19)	889(19)	851(17)
12.	उड़ीसा	2	60	2	60	4	120	106(4)	106(4)	53(2)
13.	पंजाब	1	30	2	101	3	131	172(3)	112(3)	45(1)
14.	राजस्थान*	2	120	3	50	5	170	256(5)	143(4)	157(4)
15.	तमिलनाडु*	–	–	3	40	3	40	19(1)	13(1)	23(1)
16.	उत्तर प्रदेश	10	435	–	–	10	435	243(9)	215(10)	164(7)
17.	पश्चिम बंगाल	1	60	–	–	1	60	40(1)	32(1)	+
18.	चण्डीगढ़	–	–	1	50	1	50	47(1)	47(1)	44(1)
19.	दिल्ली	–	–	1	41	1	41	27(1)	26(1)	+
	भारत	47	1802	71	3051	118	4853	2942(84)	2472(78)	2248(69)

पिछले तीन वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों का राज्यवार विवरण, उनकी क्षमता तथा वर्षवार पास हुए छात्र

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य	सरकारी				अन्य				योग			
		विश्वविद्यालय		बोर्ड		विश्वविद्यालय		बोर्ड		विश्वविद्यालय		बोर्ड	
		कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता	कालेजों की संख्या	प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1	50	–	–	1	50	–	–	2	100	–	–
2.	बिहार	1	60	–	–	3	100	–	–	4	160	–	–
3.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	2	60	–	–	2	60	–	–
4.	कर्नाटक	2	50	–	–	–	–	–	–	2	50	–	–
5.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	1	50	–	–	1	50	–	–
6.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	6	175	–	–	6	175	–	–
7.	राजस्थान	–	–	–	–	2	70	–	–	2	70	–	–
8.	तमिलनाडु	1	16	–	–	–	–	–	–	1	16	–	–
9.	उत्तर प्रदेश	3	110	1	(50)	3	100	–	–	6	210	1	(50)
10.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	1	60	–	–	1	60	–	–
11.	दिल्ली	–	–	–	–	2	70	–	–	2	70	–	–
	योग	8	286	1	(50)	21	735	–	–	29	1021	1	(50)

टिप्पणी :—

– = शून्य सूचना।

* = महाराष्ट्र के एक कालेज, राजस्थान के दो कालेजों तथा तमिलनाडु के एक कालेज ने प्रवेश क्षमती की सूचना नहीं दी है। सभी कालेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं×

× = देय नहीं

\+ = सूचना अनुपब्ध

(ब्रैकेट में दिए गए आंकड सूचित किए गए संस्थानों की संख्या को बतलाते हैं)

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वर्तमान वैज्ञानिक प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत अलग-अलग पशुओं के लिए अभयारण्यों की पूर्व अवधारण के बजाय अब वन्यजीव अभयारण्य में सम्पूर्ण पारि-प्रणाली में कवर हो जाती है। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना कार्य बल ने 11 अन्तरराज्य और राज्य स्तरीय हाथी रिजर्व अभिनिर्धारित किए हैं, जिनकी सूची विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को चंडका अभयारण्य के लिए मुहैया किया गया। केन्द्रीय अनुदान नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	वर्ष	अनुदान सहायता की राशि
1.	1993-94	15.50 लाख रुपए
2.	1994-95	3.00 लाख रुपए
3.	1995-96	6.16 लाख रुपए

विवरण

अभिनिर्धारित हाथी रिजर्वों की सूची

क्र॰सं॰	रिजर्व का नाम	राज्य
1.	दक्षिणी पश्चिमी बंगाल, दक्षिण बंगाल बिहार-उत्तर उड़ीसा अन्तरराज्य हाथी रिजर्व	पश्चिम बंगाल बिहार, उड़ीसा
2.	कामेंग-सोनितपुर अन्तरराज्य हाथी रिजर्व	अरुणाचल प्रदेश, असम
3.	डिबरू-दियोमाली अन्तरराज्य हाथी रिजर्व	अरुणाचल प्रदेश, असम
4.	काजीरंगा-कारबीलोंग-इनटांकी-अन्तरराज्य हाथी रिजर्व	असम, नागालैंड
5.	बेरेल-सैफंग अन्तरराज्य हाथी रिजर्व	मेघालय
6.	बालफकरम हाथी रिजर्व	मेघालय
7.	नीलगिरी-पूर्वी घाट	कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल
8.	नीलांबर साइलेंट वैली	केरल, तमिलनाडु
9.	अन्नामलाई-पेरामबीकुलम	तमिलनाडु, केरल
10.	पेरियार	केरल, तमिलनाडु
11.	कार्बेट-रीजाजी	उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

"वायु तथा जल प्रदूषण"

2557. श्री रामशकल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोनभद्र जिले में निजी क्षेत्र की परियोजनाएं वनों को काट कर अपने संयंत्रों का विस्तार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये परियोजनाएं अपने कचरे को रिहन्द जलाशय में दबा रही हैं जिसके कारण यह जलाशय कचरे और राख से भर गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान

2558. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि अनुसंधान प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए उसमें किए जा रहे परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के अच्छे परिणाम न मिलने के क्या कारण हैं जबकि उसमें काफी बड़ी मात्रा में धन का निवेश किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महोदय, इस संबंध में किये गये कुछ उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की नियमित रूप से अनुवीक्षा करने हेतु सभी संस्थानों की प्रबन्ध समितियां तथा अनुसंधान परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।
2. संस्थान के स्तर पर प्रत्येक प्रायोजना तथा वैज्ञानिकों से संबंधित अनुसंधान प्रायोजना फाइलों के माध्यम से अनुसंधान प्रायोजनाओं की नियमित रूप से अनुवीक्षा की जाती है।
3. लेखाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा प्रायोजना आधारित बजट व्यवस्था और अनुवीक्षण किया जायेगा।
4. उपलब्धियों के बारे में सामाजिक लेखा-परीक्षा (सोशल ऑडिट) की जाती है।

5. सरकार ने उप-महानिदेशकों, संस्थान के निदेशकों तथा स्कीमों के प्रमुख अन्वेषकों को ड्यूटी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, ताकि प्रणाली को सरल तथा जवाब-देह बनाया जा सके।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि कृषि में अनुसंधान कार्य के परिणाम अच्छे नहीं हैं। भारत में कृषि अनुसंधान से प्राप्त प्रतिलाभ 40 से 200 प्रतिशत के बीच आकलित किए गए हैं जोकि काफी हैं। कृषि अनुसंधान के लिए धनराशि का मौजूदा आवंटन सकल कृषि घरेलू उत्पाद का केवल 0.3 प्रतिशत है जिसके बारे में कृषि की संसदीय स्थायी समिति ने कम से कम 1 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाए जाने तथा आवंटन को धीरे-धीरे बढ़ाकर उसे सकल कृषि घरेलू उत्पादन के 2 प्रतिशत तक लाने की सिफारिश की थी।

जूट का उत्पादन

2559. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**
डा॰ येल्लैया नंदी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1995-96 के दौरान जूट, केनाफ तथा इसके जैसे अन्य रेशों के उत्पादन में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र की खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जून, 1996 में फसल का उत्पादन अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में थोड़ा कम था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण क्या हैं तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान जूट की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) भारत में पटसन, केनाफ (मेस्ता) तथा संबंधित रेशों का वर्ष 1995-96 में उत्पादन 1994-95 के उत्पादन के मुकाबले कम था लेकिन 1993-94 के उत्पादन से अधिक था। दिसम्बर, 1996 के लिए खाद्य और कृषि संगठन की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत, बंगलादेश तथा चीन में इन रेशों के उत्पादन इस प्रकार हैं :—

पटसन, केनाफ (मेस्ता) तथा संबंधित रेशों का उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

	1993-94	1994-95	1995-96
भारत	1333.1	1476.0	1404.0
बंगलादेश	782.3	1027.4	652.7
चीन	672.0	380.0	270.0

(घ) वर्ष 1995-96 में पटसन तथा मेस्ता के उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण उत्पादक राज्यों में रही प्रतिकूल मौसमी स्थितियां हैं। लेकिन, सरकार उसके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष पटसन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

[हिन्दी]

पशुधन नीति

2560. **श्री नवल किशोर राय :**
डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पशुधन नीति से संबंधित प्रारूप पर राज्यों मंत्रियों के साथ चर्चा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे इस संबंध में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) नवीं योजना में राष्ट्रीय पशुधन नीति से संबंधित प्रारूप तथा पशुधन विकास संबंधी दृष्टिकोण पर राज्यों के पशुपालन तथा डेयरी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया था। राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गए हैं। नीति बनाने संबंधी क्रिया-कलापों में अधिक से अधिक परामर्श करने की आवश्यकता है तथा ऐसे परामर्शों के बाद नीति तैयार करने के लिए सभी पहलकदमियां की जा रही हैं।

[अनुवाद]

फसल कटाई के बाद की तकनीक

2561. **श्री हरिन पाठक : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों द्वारा फसल कटाई के बाद की आवश्यक तकनीकों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बेकार हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हानि का कोई आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों के नुकसान को रोकने के लिए बेहतर तकनीक विकसित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) उत्पादकों द्वारा आवश्यक कटाई उपरान्त तकनीकों का प्रयोग न किये जाने के कारण देश में खाद्यान्नों के नुकसान का पक्का अनुमान नहीं है। फिर भी, नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए कार्यदल के अनुसार, कटाई उपरान्त अवधि में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) खाद्यान्न भण्डारण कृमि नियंत्रण और उनके विस्तार की बेहतर तकनीकों को अपनाकर, उन्नत भण्डारण संरचना की अभिकल्पना के विकास, अनाज संरक्षण के लिए पद्धति संहिता कृमिकों के आक्रमण को कम करने की तकनीकों, प्रयोगार्थ संरचनाओं, डाटा संचयन, खाद्यान्नों की गुणवत्ता के मानकीकरण और परीक्षण, प्रशिक्षण विस्तार तथा प्रचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी के हस्तान्तरण के जरिये कटाई उपरान्त प्रचालन में नुकासन को कम करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। खाद्यान्नों के नुकसान को कम करने के लिए, किसानों तथा अन्य लोगों को वैज्ञानिक उपाय अपनाने के लिए शिक्षित करने, प्रोत्साहित करने तथा तैयार करने के लिए सरकार 1969-70 से एक नियमित प्लान स्कीम, अन्न बचाओ अभियान भी चला रही है।

पेड़ों की अवैध कटाई

2562. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1997 के बादा के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "स्पेशल रिपोर्ट्स" की श्रृंखला में "प्लंडर आफ आवर फोरेस्ट्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान पेड़ों को अवैध रूप से काटने की संख्या चार गुना बढ़ी हुई बताई गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक दशक के दौरान अन्य राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों में पेड़ों की अवैध कटाई में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और उन वृक्षों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस संकट से उबरने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है आर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना

2563. श्री सुरेन्द्र यादव :

जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1997 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "जे॰के॰ माइग्रैंट्स वान्ट माइनोरिटी स्टेट्स "शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीर समिति ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मत्स्यपालन/बागवानी संबंधी योजनाएं

2564. श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्यपालन, बागवानी के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सामान्य अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए मत्स्यपालन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) ट्राउट, ताजे पानी की झींगी मछली, ओएस्टर आदि को कवर करने वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों से मात्स्यिकी के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये परियोजनाएं परीक्षण तथा परिसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं तथा इनके सम्बन्ध में कोई अंतिम मूल्यांकन नहीं किया गया है। पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी के विकास हेतु राज्यों से कोई अलग प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए गए बागवानी एवं मात्स्यिकी के कार्यक्रमों सहित कृषि विकास हेतु किसानों का प्रशिक्षण विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गया है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता

2565. श्री अमर पाल सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए विदेशों से कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनपर उपरोक्त विदेशी सहायता राशि खर्च की गई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त राशि में से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को कितनी सहायता राशि दी गई है और उन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह सहायता राशि प्रदान की गई;

(घ) क्या दी गई राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए 1994-95 तक विदेशों से प्राप्त सहायता राशि परियोजनावार, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता पुस्तिका 1994-95 में दी गई है। इस पुस्तिका की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वर्ष 1995-96 (अनन्तिम) के दौरान प्राप्त अनुदान राशि की सूचना, परियोजनावार, जैसे कि अनुदान, लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत की गई है, विवरण में दी गई है।

(ग) राज्यवार राशि के ब्यौरे उपरोक्त पुस्तिका और अनुलग्नक में दिए गए हैं। तथापि उत्तर प्रदेश में गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, जो इंगलैंड से आर्थिक सहायता प्राप्त है, पर दिनांक 29.8.1996 को हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 1995-96 के दौरान इस परियोजना के लिए कोई सहायता नहीं दी गई।

(घ) और (ङ) बाह्य दाताओं से प्राप्त सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में है। इसलिए परियोजना-जन्य सहायता का उपयोग न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पर्यावरण परियोजना के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान सहायता राशि का वितरण दर्शाने वाला विवरण

(प्रदाता करेंसी मिलियन में)

क्र॰सं॰	प्रदाता	करेंसी	परियोजना का नाम	केन्द्र/राज्य	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आई॰डी॰ए॰	अमरीकी डालर	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	केन्द्र	11.43
2.	आई॰डी॰ए॰	अमरीकी डालर	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	केन्द्र	0.00
3.	आई॰बी॰आर॰डी॰	अमरीकी डालर	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	केन्द्र	33.50
4.	आई॰बी॰आर॰डी॰	अमरीकी डालर	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	केन्द्र	0.00
5.	आई॰बी॰आर॰डी॰	अमरीकी डालर	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	केन्द्र	0.00
6.	जापान	जापानी येन	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	पश्चिमी बंगाल	0.01
7.	जापान	जापानी येन	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	निजी	33.83
8.	संयुक्त राज्य अमरीका	अमरीकी डालर	ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण	केन्द्र	0.00
9.	स्वीडन	एस॰ क्रोनर	पर्यावरण प्रशिक्षण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	0.76
10.	जापान	जापानी येन	यमुना कार्ययोजना परियोजना	केन्द्र	0.39
11.	नार्वे	एन॰ क्रोनर	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम	उड़ीसा	1.66
12.	नार्वे	एन॰ क्रोनर	पर्यावरणीय कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश	0.81

[अनुवाद]

चीनी की खुली बिक्री का कोटा

2566. श्री सनत मेहता : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिलों द्वारा खुली बिक्री के चीनी के कोटे की मात्रा बढ़ाने तथा चीनी के बफर स्टाक को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा इसमें शामिल लागत को देखते हुए चीनी उद्योग द्वारा 25 टन के बफर स्टाक बनाने की मांग संभव नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) चीनी की उपलब्धता, चीनी मूल्य की प्रवृत्ति, अन्य मीठे पदार्थों की उपलब्धता, मांग आदि को ध्यान में रखते हुए चीनी की मासिक निर्मुक्तियां की जाती हैं।

फिलहाल, चीनी के बफर स्टाक की मात्रा में वृद्धि करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

नायर समिति

2567. श्री एन॰एन॰ कृष्णादास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तटवर्ती विनियम जोन अधिसूचना के उपबंधों के क्रियान्वयन के बारे में केरल सरकार के अभ्यावेदन की जांच करने हेतु नियुक्त डा॰ राधाकृष्णन नायर समिति को कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने से संबंधित केरल सरकार के अभ्यावेदन की जांच करने के लिए प्रो॰ बालाकृष्णन नायर की अध्यक्षता में दिनांक 30.12.96 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ख) इस विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. केरल सरकार के अभ्यावेदन कि विनियम क्षेत्र अधिसूचना को केरल में उसी रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी तटीय रेखा, मुहाने तथा बैक वाटर की समस्या दूसरे अन्य राज्यों से अत्यधिक भिन्न है, के संबंध में जांच करना तथा इस पर सिफारिश प्रस्तुत करना।
2. इस बात की जांच करना कि क्या एच॰टी॰एल॰ रेखा से 500 मीटर दूरी के अन्दर मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने तथा इनके विस्तार के संबंध में संशोधन किया जाए, यदि हां, तो इस संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करना।
3. राज्य सरकार द्वारा उठाया गया कोई अन्य मुद्दा।

(ग) समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

2568. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार बारह वर्षों की अवधि के पश्चात् भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे के लिए दावा दायर करने की सुविधा फिर से दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तब से अब तक कितने व्यक्तियों ने मुआवजे के लिए दावा दायर किया है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) वर्ष 1985 से 1989 तक के 5 वर्षों में 6 लाख मुआवजा दावे दायर किए गए थे। इनमें से 4.21 लाख दावा मामलों पर 31.1.1997 तक निर्णय लिया जा चुका था तथा 9.10 करोड़ रु॰ की राशि मुआवजे के तौर पर दी जा चुकी है। तथापि, उन लोगों जिन्होंने वर्ष 1985 से 1989 तक अपना दावा दायर नहीं किया था, को दावों के लिए आवेदन करने के लिए अवसर देने के लिए भोपाल गैस विभीषिका (पंजीकरण तथा दावों पर कार्यवाही) योजना 1985 के खण्ड 4 के अन्तर्गत दिसम्बर, 1996 में अधिसूचना जारी की गई थी।

अधिसूचित 60 दिनों के अन्दर अतिरिक्त 4 लाख मुआवजा दावे प्राप्त हुए हैं। सभी मुआवजा मामलों पर भोपाल गैस विभीषिका (पंजीकरण तथा दावों पर कार्यवाही) योजना, 1985 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

धान की वसूली

2569. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 में राज्यवार कुल कितने धान और चावल की वसूली की गई; और

(ख) उक्त अवधि में प्रति क्विंटल धान और चावल का वसूली मूल्य, निर्गम मूल्य तथा औसत बाजार मूल्य उक्त वर्षों में कितना-कितना था?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"बिहार में बॉक्साइड का खनन"

2570. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बॉक्साइड के अंधा-धुंध खनन से होने वाले प्रदूषण के कारण दक्षिण बिहार के पलामू जिले में फैल रहे रोगों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) दक्षिण बिहार के पलामू जिले में अनेक बॉक्साइड की खानें चल रही हैं। तथापि, बॉक्साइड खानों से होने वाले प्रदूषण के कारण रोग फैल रहे हों, ऐसी कोई निर्णायक वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस क्षेत्र में चल रही खानों ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की है। ये खानें परिवेशी वायु गुणवत्ता, खानों के सुधार और वृक्षारोपण के संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है।

[अनुवाद]

मृदा और जल संरक्षण

2571. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काबिनी नदी के आवाह-क्षेत्र में मृदा और जल संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपाय के सम्बन्ध में केरल से अनुमोदन के लिए कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ग) जी, हां। केरल की राज्य सरकार से 1.92 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए एक प्रस्ताव नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर नौवीं योजना में सम्मिलित करने हेतु, एक विधिवत् गठित समिति द्वारा उचित समय पर, इससे संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

राज्यों को यूरिया की आपूर्ति

2572. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार राज्यों को कितनी मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की गयी है;

(ख) क्या राज्यों को सही समय पर उर्वरक की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण किसानों को काला बाजार में उर्वरकों की खरीद करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उर्वरकों की काला बाजारी करने वाले कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं तथा इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है; और

(घ) क्या सरकार किसानों को समय पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में उपाय कर रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) रबी 1996-97 के दौरान, 31.1.1997 तक यूरिया की राज्यवार सप्लाई का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यूरिया की काला बाजारी से संबंधित कोई विशेष तथा प्रमाणित करने योग्य मामले की सूचना नहीं मिली है।

इस मंत्रालय में मध्य प्रदेश से कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन राजस्थान से डी॰ए॰पी॰ की कालाबाजारी से संबंधित कुछ शिकायतें मिली हैं। कथित शिकायतों को आवश्यक कार्रवाही के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।

(घ) उर्वरकों की सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर समीक्षा बैठक की जाती है, तथा सुधारात्मक कदम उठाये जाते हैं।

विवरण

रबी 1996-97 के दौरान यूरिया की राज्यवार सप्लाई का विवरण (ई-सी-ए- आबंटन/उपलब्धता/बिक्री)

(000 मी- टन में)

क्र-सं-	राज्य का नाम	रबी 96-97 के लिए कुल ई-सी-ए- 11+12	31.01.97 को अनुमानित उपलब्धता	31.01.97 को अनुमानित बिक्री
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1119.69	890.69	690.78
2.	कर्नाटक	397.43	288.62	191.57
3.	तमिलनाडु	543.95	438.79	344.79
4.	गुजरात	500.74	389.26	358.97
5.	मध्य प्रदेश	716.21	541.79	500.73
6.	महाराष्ट्र	638.77	420.05	330.73
7.	राजस्थान	715.00	516.25	469.14
8.	हरियाणा	737.00	552.84	496.98
9.	पंजाब	1046.14	776.77	703.77
10.	उत्तर प्रदेश	2768.51	1922.80	1729.72
11.	बिहार	756.63	540.01	465.13
12.	उड़ीसा	194.20	129.28	39.48
13.	पश्चिम बंगाल	661.36	428.48	335.63
14.	असम और उत्तर-पूर्वी राज्य	99.67	47.78	34.95
15	अन्य	180.08	116.62	93.77
	योग :	11075.38	7999.66	6784.56

बिहार के किसानों को सहायता

2573. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि के विकास के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बिहार सरकार को कुल कितनी रियायत और सहायता उपलब्ध कराई गई है,

(ख) क्या सरकार का ऐसी रियायतों और सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, प्राप्त प्रस्तावों, विभाग के बजट में कुल आबंटन तथा राज्य विशेष के संबंध में विगत निर्मुक्ति में से अव्ययित शेष राशि के आधार पर राज्यों को धनराशि निर्मुक्त की जाती है।

कृषि के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान बिहार सरकार को क्रमशः 17.4 करोड़ रुपये, 7.7 करोड़ रुपये तथा 15.4 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी।

"वृक्षों का संरक्षण"

2574. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृक्षारोपण योजना, अभी भी वृक्ष संरक्षण योजना के बिना चल रही है जिसके परिणामस्वरूप पौधों/वृक्षों का नुकसान होता है; और

(ख) सरकार द्वारा वृक्षों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो- सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) देश में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, बंजर भूमि विकास विभाग, कृषि मंत्रालय और राज्य/केन्द्र शासित सरकारों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से चलाये जाते हैं। वनीकरण स्कीमों में वृक्षारोपण के रखरखाव की व्यवस्था की गई है। राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अन्य सुरक्षात्मक उपाय भी किये जाते हैं।

पर्यावरणीय योजनाएं

2575. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से शुरू की गई पर्यावरणीय योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में उपलब्धि कितनी रही; और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो- सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के सुधार के लिए शुरू की गई पर्यावरणीय परियोजनाओं और उनकी वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य में चल रही परियोजनाओं के निकट भविष्य में चलते रहने की संभावना है।

विवरण

क्र॰सं॰	योजना का नाम	प्रमुख उद्देश्य	वित्तपोषण के मानदंड	स्थिति	गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां			
					वित्तीय			भौतिक
					93–94	94–95	96–97	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गंगा कार्य योजना चरण–I	नदी जल प्रदूषण निवारण	100%	चल रही है।	2440	865	582	वित्तीय संस्वीकृति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित
2.	गंगा कार्य योजना चरण–2	नदी जल प्रदूषण का निवारण	50%	–वही–	1069	235	638	–वही–
3.	पर्यावरण वाहिनी	सक्रिय जन–भागीदारी के लिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना।	100%	–वही–	2.04	2.86	–	14 जिलों में पर्यावरण वाहिनियां गठित।
4.	जैवमंडल रिजर्व	जैवमंडल रिजर्व की स्थापना	100%	–वही–	48.26	20.90	43.15	जैवमंडल रिजर्व कवर किया गया
5.	नमभूमियों का संरक्षण	नमभूमियों का सुरक्षा और पुनरूद्धार	100%	–वही–	–	–	3.30	लागू नहीं

[अनुवाद]

नशाबन्दी

2576. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश में नशाबन्दी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची–2 (राज्य सूची) की प्रविष्ठि 8 की सूची–II के आधार पर मद्य निषेध का कार्यान्वयन राज्यों का दायित्व है। इसलिए भारत सरकार की भूमिका समर्थन तथा चेतना सृजन तक सीमित है।

खुली बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं की बिक्री

2577. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुली बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं की बिक्री का कार्य राज्यों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस निर्णय के अंतर्गत सरकार मार्च तक गेहूं की कमी का हिसाब लगाने में सक्षम नहीं होगी जब केन्द्रीय पूल में गेहूं के "बफर स्टाक" समाप्त होने की संभावना होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसकी वर्तमान कमी को देखते हुए सरकार द्वारा क्या ठोस नीति तैयार की गई है और गेहूं की स्थिति में किस हद तक सुधार हुआ है; और

(च) कुल कितने गेहूं का आयात किया गया/किए जाने का विचार है और उसमें से राज्यों को कितना गेहूं वितरित किया जाएगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां। दिसम्बर, 1996 में यह निर्णय लिया गया था कि खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन भिन्न-भिन्न राज्यों को आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित कर दी जाए। तथापि, तीन सदस्यीय समिति द्वारा आवंटन की प्रणाली उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जारी रहेगी जो खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री करने के इच्छुक नहीं है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस योजना के अधीन किए गए मासिक आवंटन के प्रति गेहूं का वितरण करने का काम निम्नलिखित राज्यों को छोड़कर शेष राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है :- दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु।

(ग) और (घ) बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्यों में तीव्र वृद्धि पर नियंत्रण रखने को ध्यान में रखते हुए खुली बिक्री योजना शुरू की गई थी। देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि में भारत सरकार ने 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है। इससे बफर स्टाक स्तर में भी वृद्धि होगी।

(ङ) गेहूं का आयात करने के अलावा, मार्च, 1997 से गेहूं की वसूली में वृद्धि करके इसे 1996-97 के स्तर से ऊंचे स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) अब तक 16.75 लाख टन के ठेके किए जा चुके हैं जिसमें से 5.40 लाख टन मात्रा देश में पहुंच गई है। आयातित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा केन्द्रीय पूल का हिस्सा होगी और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया जाएगा।

[हिन्दी]

नशामुक्ति केन्द्र

2578. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए नशामुक्ति केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश की कुछ कल्याण योजनाएं अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इन योजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत 32 नशा मुक्ति केन्द्र लाए गए।

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में निम्नलिखित दो नशामुक्ति केन्द्रों को अनुदान मंजूर किया गया।

(1) इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, मंदसौर,

(2) इंडियन स्कूल ऑफ सोसल वर्क, इन्दौर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इस मंत्रालय ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। नए नशामुक्ति परामर्श केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान की मंजूरी आवश्यकता, समस्या की गम्भीरता, संगठन की सक्षमता, इस योजना में निर्धारित कुछ मानदंडों की पूर्ति, निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। अतः कब तक इन्हें अनुमोदित किया जाएगा, इसलिए कोई निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

2579. श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के वे कौन-कौन से जिले हैं जहां अब तक कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं; और

(ख) राज्य के शेष सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) महाराष्ट्र राज्य के कुल 29 ग्रामीण जिलों में से सात जिले अभी भी बिना कृषि विज्ञान केन्द्र के हैं।

जिलों के नाम ये हैं:-

(1) रायगढ़ (2) चन्दरपुर (3) लातुर (4) भण्डारा (5) गडचिरौली (6) उस्मानाबाद और (7) यवतमाल।

(ख) राज्य के शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने और वर्तमान कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए, ताकि वे कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य कर सकें, एक व्यापक योजना तैयार की गई है और योजना आयोग से उस पर बात की गई है।

[अनुवाद]

पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति

2580. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के दहानु तालुका के पर्यावरण की रक्षा के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों और सभापति के नाम क्या हैं;

(ग) इस समिति की कितनी बैठकें आयोजित हुई हैं; और

(घ) समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार थाणे जिला, महाराष्ट्र में दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :-

(1)	न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर शंकर धर्माधिकारी (मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)	अध्यक्ष
(2)	निदेशक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की, उ॰प्र॰	सदस्य
(3)	निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पॉल, गोवा	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	सदस्य
(5)	अध्यक्ष, पर्यावरणीय इन्जीनियरिंग विभाग आई॰आई॰टी॰, मुंबई	सदस्य
(6)	प्रो॰ के॰बी॰ जैन, सेन्टर फार इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नालोजी, अहमदाबाद	सदस्य
(7)	निदेशक, नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ डिजाइन अहमदाबाद	सदस्य
(8)	कलेक्टर थाणे	सदस्य
(9)	सदस्य सचिव महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबइ	सदस्य
(10)	श्री विलास विचारे प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठन	सदस्य
(11)	श्री वी॰डब्ल्यू॰ देशपाण्डे उप सचिव, शहरी विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार मुंबई	सदस्य सचिव

(ग) और (घ) इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया है कि अब तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

कपास अनुसंधान केन्द्र

2581. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमोदित कपास अनुसंधान केन्द्र की रायचूर में स्थापना चालू पंचवर्षीय योजना में न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने रायचूर में कपास अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से संबंधित परियोजना को नौंवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चालू पंचवर्षीय योजना में ही अपेक्षित आंकड़े और जानकारी एकत्र कर लिए गए हैं और उनका उपयोग उक्त केन्द्र की स्थापना करने के लिए किया जाएगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) अखिल भारतीय समन्वित कपास अनुसंधान प्रायोजना (अ॰भा॰स॰अनु॰प्रा॰) के देश के विभिन्न कृषि जलवायुयीय क्षेत्रों में 27 केन्द्र हैं इसलिए नये केन्द्रों के लिए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी, नौवीं योजना में रायचूर में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना (कपास) के अंतर्गत एक केन्द्र शामिल करने का प्रस्ताव है जो योजना आयोग की अंतिम स्वीकृति पर निर्भर करता है।

(ग) जी हां।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

2582. श्री गोरधनभाई जावीया : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे गत दो वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से आधुनिकीकरण हेतु राज्यवार किन-किन चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जहां आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास का कार्य गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार शुरू किया गया था;

(ग) राज्यवार उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जहां आधुनिकीकरण का कार्य समय पर पूरा नहीं किया जाएगा; और

(घ) इन मिलों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान कुल 25 चीनी मिलों ने आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त की हैं। राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना का कार्य एक-समय अवधि तक चलाया जाता है और इसकी मानीटरिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। सामान्यतः आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता दो किस्तों में दी जाती है। दूसरी किस्त तभी रिलीज की जाती है जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पहली किस्त का उचित उपयोग आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापना के अनुमोदित कार्यों के लिए ही किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली 25 चीनी मिलों में से 24 मिलों को पहले ही सहायता की पूरी राशि प्राप्त हो गई है। इस प्रकार रिलीज की गई सहायता उपयोग की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) और (घ) यद्यपि आधुनिकीकरण योजना के लिए मंजूरी आदेश में कोई विशिष्ट समय अनुसूची निर्धारित नहीं की जाती है लेकिन इन्हें उचित समय अवधि में पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई आधुनिकीकरण की सभी योजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और किसी भी मामले में असाधारण विलम्ब होने के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1994-95 और 1995-96 के दौरान चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों की राज्यवार सूची

बिहार

1. मैसर्स हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड
   पो॰आ॰ पश्चिमी चम्पारन, बिहार
2. मैसर्स रीगा शुगर कम्पनी लिमिटेड, रीगा
   जिला सीतामढ़ी, बिहार
3. मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड

कर्नाटक

1. मैसर्स श्री दूधगंगा एस॰एस॰के॰ लिमिटेड

महाराष्ट्र

1. मैसर्स वसन्त एस॰एस॰के॰ लिमिटेड, पूसाड
   जिला यवतमाल, महाराष्ट्र
2. मैसर्स भोगावती एस॰एस॰के॰ लिमिटेड
   शाहनगर, कोल्हापुर
3. मैसर्स छत्रपति
   कगल, जिला कोल्हापुर
4. मैसर्स वरिदेशवत एस॰एस॰के॰ लिमिटेड
   आदिनाथनगर, जिला अहमदनगर
5. मैसर्स दौलत एस॰एस॰के॰ लिमिटेड
   चांदगढ़, जिला कोल्हापुर
6. मैसर्स कन्नड़ एस॰एस॰के॰ लिमिटेड
   महात्माफूलेनगर,
   कन्नड़ जिला औरंगाबाद

गुजरात

1. मैसर्स खेदूत सहकारी खाण्ड
   उद्योग मण्डली लिमिटेड, बारडोली, जिला सूरत

तमिलनाडु

1. मैसर्स कालाकुरूचि कोरेपोरेशन शुगर मिल्स लिमिटेड,
   जिला दक्षिणी अरकोट
2. मैसर्स एन॰पी॰के॰आर॰आर॰ कारपोरेशन शुगर मिल्स लिमिटेड,
   मैलादुथुरै

उत्तर प्रदेश

1. मैसर्स द यू॰पी॰ स्टेट शुगर कोरपोरेशन लि॰, यूनिट सहारनपुर
2. मैसर्स दा किसान सहकारी चीनी
   मिल्स लिमिटेड, यूनिट गजरौला, जिला मुरादाबाद
3. मैसर्स किसान सहकारी चीनी
   मिल्स लिमिटेड, यूनिट तिलहर, जिला शहजहांपुर
4. मैसर्स गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰ यूनिट मोरना
5. मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि॰, घोसी, जिला मऊ
6. मैसर्स खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा॰लि॰
   खलीलाबाद, बस्ती
7. मैसर्स अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर, मुरादाबाद
8. मैसर्स गंगोशवत लि॰, देओबन्द, जिला सहारनपुर
9. मैसर्स कनोरिया शुगर एंड जनरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि॰
   कैप्टेनगंज, देवरिया

10. मैसर्स प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि॰ प्रतापपुर, जिला देओरिया

11. मैसर्स के॰एम॰ शुगर मिल्स लि॰ मोतीनगर, जिला फैजाबाद

उड़ीसा

1. मैसर्स असका कोप॰ शुगर मिल्स लि॰ नौगाम, जिला गंजम।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसर

2583. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषायी अल्पसंख्यकों को उनके राज्यों में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) महोदय, भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके अपने-अपने राज्यों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रक्षोपायों के विस्तार हेतु संविधान के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों की सूची में और जातियों को शामिल करना

2584. **श्री महेन्द्र कर्मा :**

श्री तिलक राज सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों की सूची में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के महरा समुदाय को शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और **(ख) श्री महेन्द्र कर्मा संसद सदस्य** ने एक संदर्भ में बस्तर के महरा को इस आधार पर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है कि वे आदिवासियों के साथ रहते हैं।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार तथा भारत के महापंजीयक ने अपनी रिपोर्टों में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची की क्रम संख्या 36 पर अंकित महार, मेहरा, मेहार समुदाय के एक पर्याय के रूप में अनुसूचित जाति की सूची में इसके शामिल किए जाने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

2585. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री मोहन रावले :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा :

प्रो॰ ओम पाल सिंह "निडर" :

श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक आस्ट्रेलिया और कनाडा से आयात किये गये गेहूं की कुल मात्रा क्या है और इसकी प्रति टन एफ॰ओ॰बी॰ लागत क्या है;

(ख) किन परिस्थितियों के कारण यह आयात हुआ और इस समय बफर स्टाक कितना है;

(ग) आयात की गई गेहूं की स्थानीय रूप से खरीदी गई गेहूं से किस प्रकार से तुलना की जा सकती है; और

(घ) इसका निपटान किस प्रकार किया जायेगा और जनता को किस मूल्य पर दिया जायेगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 14.2.1997 को स्थिति के अनुसार आस्ट्रेलिया और कनाडा से 15.75 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए ठेके किए गए हैं जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

देश	मात्रा (लाख टन में)	दर अमरीकी डालर प्रति टन
आस्ट्रेलिया	10.00	148.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
	3.25	156.00 (जहाज तक निष्प्रभार)
कनाडा	2.50	152.50 (जहाज तक निष्प्रभार)

(ख) 1995-96 के दौरान गेहूं के उत्पादन में 3.1 मिलियन टन और 1996-97 के दौरान इसकी वसूली में 4.1 मिलियन टन की गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया ताकि इसकी घरेलू उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। 1.2.1997 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 50.80 लाख टन गेहूं का स्टाक (अनन्तिम) होने का अनुमान है।

(ग) आयातित गेहूं की गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियां मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए देशी गेहूं की वसूली हेतु निर्धारित एक-समान विनिर्दिष्टियों के साथ तुलनीय है।

(घ) देशी गेहूं के साथ-साथ आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल का हिस्सा होगा और इसे सरकार की सभी योजनाओं के अधीन जारी किया जाएगा।

सफाई कर्मचारी

2586. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सफाई कर्मचारियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों की संख्या क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और एक समेकित रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयातित गेहूं के लिए पत्तन की सुविधाएं

2587. श्री तारीक अनवर : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित गेहूं के लदान एवं ढुलाई की समुचित पत्तन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या पत्तन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार गेहूं के आयात में कमी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

2588. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव के कारण लेवी चीनी के मूल्य में 10 फरवरी, 1997 से वृद्धि करने पर मजबूर हो गई है तथा गेहूं तथा चावल के मूल्य में वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव के आगे झुकने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"वनारोपण"

2589. श्री दिनशा पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान आबंटित की गई पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

2590. श्री भक्त चरण दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं; और

(ग) प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन के बाद अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) "वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जो बहुघटकीय परियोजना है, का कार्यान्वयन उड़ीसा में 1990-91 से किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 105.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 388875 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने वाले बहुत से विकास खण्डों में 258 छोटी पनधाराओं पर कार्य शुरू किया गया है।

इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा के लिए 1990-91 से 1996-97 तक 105.69 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) उड़ीसा को अब तक 75.07 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है, जिसमें से दिसम्बर, 1996 तक 62.21 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

विश्व हिन्दु परिषद द्वारा आन्दोलन

2591. **श्री मुख्तार अनीस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हिन्दु परिषद ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी को अपने कब्जे में करने के लिए मार्च, 1997 में आन्दोलन शुरू करने की धमकी दी है;

(ख) क्या इन दोनों पूजा स्थलों का मामला न्यायिक रूप से निपटाया जा चुका है और अब किन-किन पूजा स्थलों के उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991 के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस आन्दोलन की वैधता के संबंध में क्या रूख अपनाया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मथुरा स्थित शाही ईदगाह तथा वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए विश्व हिन्दू परिषद ने औपचारिक रूप से मार्च, 97 के दौरान किसी भी आन्दोलन कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। तथापि, विश्व हिन्दू परिषद ने 7 मार्च, 1997 को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पर "जलाभिषेक" कार्यक्रम तथा मथुरा स्थित कृष्ण जन्म भूमि मंदिर के मुद्दे पर 10 से 16 मार्च, 1997 के दौरान उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रान्त में "सन्त यात्रा" की घोषणा की है।

(ख) काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी तथा कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा स्थित पवित्र स्थल, पूजा स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991 के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं। इन पवित्र स्थलों से संबंधित कुछ मामलों के अदालतों में लंबित होने की सूचना है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है।

त्रिपुरा में आपराधिक घटनाएं

2592. **डा॰ प्रबीन चन्द्र शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान त्रिपुरा में हत्या, डाका, चोरी, छेड़खानी और बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ख) राज्य में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) त्रिपुरा राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों की मांग

2593. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू "रबी" फसलों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा सरकार को दी गई सूचना के अनुसार फांस्फेटिक और नाइट्रोजनी रसायन उर्वरकों की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो इन आवश्यकताओं और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उर्वरकों की प्रस्तावित आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ग) यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अधीन है और जिसके लिये आबंटन किया जाता है। अन्य सभी उर्वरक विनियन्त्रित हैं तथा इनकी मांग और आपूर्ति का निर्धारण बाजार की प्रवृत्ति के अनुसार होता है। रबी 1996-97 के मौसम के लिये यूरिया की आकलित आवश्यकता तथा अन्य विनियंत्रित उर्वरकों की सम्भावित आवश्यकता (राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जिनकों इस मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता नहीं है, यूरिया की सम्पूर्ण आकलित आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी। 31.1.97 की स्थिति के अनुसार देश में यूरिया की उपलब्धता सन्तोषजनक होने की रिपोर्ट मिली है।

विवरण

रबी 1996-97 के मौसम के दौरान यूरिया की आकलित आवश्यकता तथा अन्य विनियन्त्रित उर्वरकों की आवश्यकता को दर्शाने वाला विवरण

('000 मी॰ टन)

राज्य/संघशासित प्रदेश	यूरिया	अमोनियम सल्फेट	अमोनियम क्लोराईड	कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	डाई-अमोनियम फास्फेट	सिंगल /सुपर फास्फेट	रॉक फास्फेट	जटिल उर्वरक	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	सल्फेट ऑफ पोटाश	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	1020.00	75.00	6.00	60.00	175.00	147.00		485.50	75.00	4.00	
कर्नाटक	354.80	20.00	3.00	15.00	80.46	30.00	15.00	331.00	68.15	0.50	
केरल	63.70	11.04	0.43		2.99	1.63	44.39	73.19	71.66		
तमिलनाडु	505.00	40.00	35.00	3.00	100.00	60.00	5.50	310.40	200.00		
पाण्डिचेरी	13.80	0.80	0.80		2.00	1.10	0.50	6.10	3.25		
अण्डमान व निकोबार	0.20				0.20		0.10		0.10		
लक्षद्वीप	0.05	0.05							0.09		
दक्षिणी अंचल (कुल)	1967.55	146.89	45.23	78.00	360.65	239.73	65.49	1206.19	418.25	4.50	
गुजरात	500.00	80.00		25.00	170.00	55.00		143.00	50.00		
मध्य प्रदेश	686.00	10.00		10.00	250.00	350.00		135.00	30.00		
महाराष्ट्र	610.00	25.00	0.50	15.00	125.00	260.00		465.00	90.00	1.00	
राजस्थान	650.00	2.00		6.00	175.00	60.00		31.00	5.00		
गोआ	1.80				0.20		0.10	3.76	0.25		
दमन व दीव	0.08	0.06			0.21			0.03	0.08		
दादरा व नगर हवेली	0.23										
पश्चिमी अंचल (कुल)	2448.11	117.06	0.50	56.00	720.41	725.00	0.10	777.79	175.33	1.00	
हरियाणा	750.00			20.00	250.00	40.00		15.00	5.00		
पंजाब	1050.00	4.00	30.00	25.00	400.00	150.00		45.00	10.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर प्रदेश	2550.00	11.00		40.00	600.00	300.00		170.00	90.00		
हिमाचल प्रदेश	22.00	0.50		12.00	0.35	5.00		9.00	2.50		
जम्मू व कश्मीर	42.00				13.00				3.50		
दिल्ली	24.00	0.30		1.50	4.50	0.10		0.10	0.10		
चण्डीगढ़	0.45			0.02		0.05		0.01			
उत्तरी अंचल (कुल)	4438.45	15.80	30.00	98.52	1267.85	495.15	0.00	239.11	111.10		
बिहार	650.00	50.00		75.00	180.00	100.00		35.00	60.00		
उड़ीसा	175.00	5.00		31.00	30.50	32.70		85.80	38.80		
पश्चिम बंगाल	610.00	10.00		20.00	175.00	200.00		140.00	150.00		
पूर्वी अंचल (कुल)	1435.00	65.00	0.00	126.00	385.50	332.70	0.00	260.80	248.80		
असम	33.00				7.00	15.00	0.50		15.00		0.50
त्रिपुरा	7.42					3.00	4.40		2.49		
मणिपुर	7.00				1.50	2.00	1.00		0.50		
मेघालय	2.75				0.80	3.00			0.25		
नागालैण्ड	0.35				0.35				0.10		
अरूणाचल प्रदेश	0.30				0.12	0.11		0.14	0.07		
सिक्किम	0.45				0.55	0.10			0.10		
मिजोरम	0.40				0.40				0.20		
चाय समिति (एन॰ई॰)	40.00					1.60	27.50		2.90		
उत्तर-पूर्वी अंचल (कुल)	91.67	0.00	0.00	0.00	10.72	24.81	33.40	0.14	21.61		0.50
समस्त भरत	10380.78	344.75	75.73	358.52	2745.13	1817.39	98.99	2484.03	975.09	5.50	0.50

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड

2594. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ में सन् 1996 से औषधियों का उत्पादन बंद कर देने से बिटामिन बी-1 और बी-2 जैसे उत्पादों के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजार में इन औषधियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिटामिन बी-1 और बी-2 जैसे प्रपुंज औषधों की बाजार में कमी के बारे में सरकार को कोइ सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अर्द्ध सैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

2595. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युवा भूतपूर्व सैनिकों को अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्हें वरिष्ठता और वेतनमान सम्बन्धी लाभ दिए जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में पूर्व सैनिकों की भरती, "पूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों पर पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के उपबंधों के अनुसार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर ही, समय-समय पर की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों में भरती किए गए पूर्व सैनिकों की श्रेणी वार संख्या इस प्रकार है।

	1994	1995	1996
समूह "क"	10	25	4
समूह "ख"	–	–	–
समूह "ग"	566	79	317
समूह "घ"	9	19	–

(घ) और (ङ) वरीयता निर्धारण में रक्षा सेवा का कोई लाभ स्वीकार्य नहीं है। वेतन निर्धारण के मामले में समय-समय पर यथासंशोधित सी सी एस (पुनर्नियुक्त पेंशनरों के वेतन का निर्धारण) आदेश, 1986 के प्रावधानों का अनुकरण किया जाता है।

[अनुवाद]

विध्वंसक गतिविधियां

2596. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फैसले में भारत में विध्वंसक गतिविधियों में पाकिस्तान के हाथ होने का उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने टाडा न्यायालय के फैसले की जांच की है; और

(घ) भारत में विध्वंसक कार्य में पाकिस्तान का हाथ होने को प्रचारित करने हेतु किन कदमों पर विचार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। पाकिस्तान द्वारा भारत में चलायी जा रही विघटनकारी गतिविधियों की पोल खोलने के लिए भारत सरकार ने, जब कभी आवश्यक समझा, विदेशी इन्टरकूलेटरों, मत निर्धारकों और मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को, विदेशों में स्थित अपने मिशनों और पोस्टों तथा भारत में रेजीडेन्ट डिप्लोमेटिक मिशनों और विदेशी मीडिया के जरिए, जम्मू और कश्मीर और देश के अन्य भागों में बाहरी शक्तियों की अन्तर्ग्रस्तता के ब्यौरों के बारे में नियमित रूप से बताकर, संचार के सभी तरीकों और चैनलों का प्रयोग किया है और कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ा है।

[हिन्दी]

अनुसंधान संस्थान

2597. प्रो॰ ओम पाल सिंह "निडर" : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश कृषि अनुसंधान संस्थान बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कृषि अनुसंधान संस्थान खोलने का है ताकि ये संस्थान किसानों की बेहतर सेवा कर सकें;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उक्त संस्थानों को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं, 89 संस्थानों में से केवल 19 संस्थाएं देश के शहरी जिलों में स्थित हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य कर रहीं संस्थाओं को मुख्यतः ररूरत के आधार पर सुदृढ़ करने एवं जहां कहीं जरूरी हो कुछ संस्थाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

2598. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय खोलने हेतु कौन-सा स्थान चुना गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल उत्पादन के लिए प्रायोगिक परियोजना

2599. श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कुछ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में चावल उत्पादन के विकास हेतु उड़ीसा में कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप क्या नतीजे प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ अन्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भी यह परियोजना लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां। उड़ीसा के धेनकनाल जिले में एक अग्रगामी परियोजना (पायलेट प्रोजेक्ट) शुरू की गई है।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत केंन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 16 गांवों के 350 किसानों तथा 160 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। बारानी स्थिति के तहत कलिंग III, वंदना, स्नेहा, हीरा, पथरा और परिजात नामक किस्मों की उपज के बारे में प्रदर्शन किया गया। धान की प्रति हैक्टर औसत पैदावार 3.53 टन प्राप्त हुई है।

(ग) जी हां। उड़ीसा सरकार इस परियोजना का विस्तार राज्य के और बारानी क्षेत्रों में करने की योजना बना रही है।

(घ) आयुक्त-एवं-सचिव (कृषि), उड़ीसा सरकार ने 7 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया है कि राज्य कृषि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियुक्त सस्य विज्ञानियों तथा अन्य अभिकरणों को भी शामिल करके इस परियोजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। यह निर्णय किया गया कि बारानी धान के अलावा किसी क्षेत्र में फसल के महत्व के आधार पर मक्का, मूंगफली, निचले क्षेत्रों के धान पर भी प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।

[अनुवाद]

सी॰ए॰आर॰आई॰, इज्जतनगर

2600. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और उक्त अवधि के दौरान लेयर और ब्राइलरों के कितने स्ट्रेनें जारी किए गए; और

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उत्पादित/उपलब्ध स्ट्रेनों की तुलना में इन स्ट्रेनों का कार्य निष्पादन बराबर का है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का कुल बजट 1393.00 लाख रुपये का था। पहले से जारी और विकसित की गई प्रजातियों में और सुधार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां। संस्थान द्वारा विकसित तथा रिलीज किए गए अधिकांश लेयर और ब्रायलर (मुर्गे-मुर्गियां) देश में निजी हैचरी स्रोतों से उपलब्ध व्यावसायिक लेयरों और ब्रायलरों को समकक्ष पाए गए हैं।

भारत-पाक सीमा से घुसपैठ

2601. **श्री शिवराज सिंह :**
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान कितने पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने तोड़-फोड़ के इरादे से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए अथवा गिरफ्तार किए गए;

(ग) क्या पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों को हाल ही में भारी नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) उन आतंकवादियों की सही-सही संख्या बताना कठिन है जिन्होंने तोड़-फोड़ करने के उद्देश्य से 1996 के दौरान भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। तथापि, 1996 के दौरान 2940 उग्रवादी/आतंकवादी पकड़े गए और जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा सहित भारत-पाक सीमा से घुसपैठ करते हुए 1445 मारे गए।

(ग) और (घ) पाक घुसपैठियों को हाल ही में काफी नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान

2602. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 30 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो कृषि संबंधी नियम और भूमि सुधारों का अभाव किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं; और

(ग) क्या अर्थव्यवस्था में कृषि को उचित स्थान दिलाने के लिए व्यापक उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निर्मुक्त राष्ट्रीय लेखों के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों का अंशदान 27 प्रतिशत था।

(ख) पिछले वर्षों में कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के अंशदान में कमी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सापेक्ष उच्च वृद्धि के कारण है जैसाकि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में उनके विकास के दौरान हुआ है।

(ग) सरकार प्रौद्योगिकी के तेज प्रसार तथा कृषि उत्पादों की वृद्धि में उच्च दर हासिल करने के लिये विभिन्न फसल विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, मंडी और मूल्य समर्थन दे रही है, उर्वरकों, बीजों, ऋण जैसे आदान उचित मूल्यों पर प्रदान कर रही है तथा सिंचाई क्षमता में वृद्धि कर रही है।

चुंगी और ढुलाई बीमे की प्रतिपूर्ति

2603. **श्री सनत मेहता :**
श्री काशी राम राणा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से 18 अक्तूबर, 72 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार लेवी चीनी मूल्य उपयोग निधि के संबंध में चुंगी और ढुलाई बीमे की प्रतिपूर्ति संबंधी दावों का पूर्णतः निपटारा करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने 1.4.93 से प्रभावी लेवी चीनी नामिति द्वारा चुंगी और ढुलाई बीमा प्रभार को एकत्रित करने संबंधी इस प्रथा को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा पिछले दावों की बकाया राशि के संबंध में 3.86 करोड़ रुपए लम्बित मामले भारतीय खाद्य निगम को भेज दिए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से लेवी चीनी के वितरण के लिए मार्जिन के संबंध में चुंगी और मार्ग जोखिम बीमा की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) लेवी चीनी की बिक्री बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है ताकि यह उचित मूल्य पर बनी रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन बेची जा रही चीनी के निर्गम मूल्य पूरे देश में एक समान हैं। इस मूल्य ढांचे में विभिन्नताओं से बचने के लिए इस पर लगाए जाने वाले स्थानीय कर और शुल्क हतोत्साहित किए जाते हैं और इस कारण राज्य के नामितियों के लिए अनुमेय मार्जिन का निर्धारण करते समय सरकार ने चुंगी की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमति नहीं दी है।

युवाओं को आग्नेयास्त्र का प्रशिक्षण

2604. श्री मुख्तार अनीस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ निजी दलों या सेनाओं द्वारा युवाओं को आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण देने संबंधी कोई घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कानूनी तौर पर ऐसा प्रशिक्षण देने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे प्रशिक्षण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में प्रदूषण

2605. श्री छीतुभाई गामीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के अनुसार सरकार द्वारा बेहतर तकनीकों को आरंभ किए जाने तथा सड़क यातायात के भीड़भाड़ को कम किए जाने के बावजूद श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेवार कुछ घातक प्रदूषक तत्वों की मात्रा शताब्दी के अन्त तक दिल्ली में बढ़ती रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के निष्कर्ष क्या निकले और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने "भारत के बड़े शहरों में ऊर्जा के प्रयोग के पर्यावरणीय पहलू" पर एक अध्ययन किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि परिवहन क्षेत्र से जुड़ी ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकियों को अमल में लाना ही काफी नहीं है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ ही साथ यह भी उल्लेख है कि यातायात की बढ़ती भीड़-भाड़ और सड़कों के अपर्याप्त विकास को देखते हुए अपेक्षित प्रबंध-व्यवस्था बहुत जरूरी है और उस पर तेजी से अमल किये जाने की आवश्यकता है।

सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने के वास्ते निम्नलिखित निवारण और नियंत्रग संबधी उपाय पहले ही कर लिए हैं :—

- उत्सर्जन मानदण्डों का निर्धारण।
- चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे वाहनों के लिए 1.4.95 से सीसा रहित पेट्रोल शुरू किया गया है, इसके दूसरे चरण में दिसम्बर, 1998 तक सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों की राजधानियों को शामिल किया जाएगा। 1.4.2000 तक इसे धीरे-धीरे सारे देश में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।
- राज्य परिवहन प्राधिकरणों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए मानकों को लागू करना।
- दिल्ली सरकार पर जोर डाला गया कि वह अपनी बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और बसों (विशेषकर उच्च क्षमता वाली बसों) को अपने बेड़े में शामिल करे और पुरानी बसों को धीरे-धीरे हटा दे।

[हिन्दी]

भाससागर जलाशय योजना

2606. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाससागर जलाशय निर्माण योजना को इसलिए मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि उक्त जलाशय के अंतर्गत कुछ वन भूमि के आने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वन भूमि की खुदाई करने के लिए अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता न्यायालय में पंजीकृत मामले

2607. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता न्यायालय/फोरम में राज्यवार कितने मामले पंजीकृत हैं; और

(ख) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जिला मंचों में पंजीकृत मामलों की वर्ष वार संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, जिला मंचों में उनकी स्थापना से पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों के आधारभूत ढांचे को

सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 61 करोड़ रुपये की एक बारगी वित्तीय सहायता की स्कीम चलायी है। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग भी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान की प्रगति को मानीटर करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता न्यायालयों को मामलों को निपटाने में अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के बारे में उपयुक्त निदेश दिए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य प्रदेश	शुरूआत से दायर	के अंत में
1	2	3
आंध्र प्रदेश	79675	9/96
अरुणाचल प्रदेश	140	10/96
असम	3831	4/96
बिहार	26227	10/96
गोवा	2139	10/96
गुजरात	41736	9/96
हरियाणा	40186	9/96
हिमाचल प्रदेश	7232	9/96
जम्मू कश्मीर	6882	8/96
कर्नाटक	41953	8/96
केरल	71464	10/96
मध्य प्रदेश	34935	12/95
महाराष्ट्र	60603	9/96
मणिपुर	611	9/95
मेघालय	137	6/96
मिजोरम	159	11/96
नागालैंड	13	9/94
उड़ीसा	14535	9/96
पंजाब	15085	9/96
राजस्थान	84071	9/96
सिक्किम	67	10/96
तमिलनाडु	33616	9/96
त्रिपुरा	568	9/96
उत्तर प्रदेश	135881	8/96
पश्चिमी बंगाल	19773	9/96
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	119	9/96
चंडीगढ़	7996	6/96
दादर और नगर हवेली	20	8/96
दमन व दीव	32	9/96
दिल्ली	35710	10/96
लक्षद्वीप	26	11/96
पांडिचेरी	1149	11/96
योग	766571	

अधिक मूल्य पर यूरिया की खरीद

2608. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के अधिकारियों को उर्वरकों की आपूर्ति के बारे में जानकारी न होने के कारण किसानों को अधिक मूल्य पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) प्रत्येक राज्य को यूरिया का आवंटन आवश्यक जिंस अधिनियम के अंतर्गत खरीफ तथा रबी मौसमों के लिए अलग-अलग तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है। आपूर्ति योजना, जिसमें विभिन्न उत्पादकों द्वारा प्रत्येक मौसम में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली यूरिया की मात्रा दर्शायी जाती है, को तैयार करके अधिसूचित किया जाता है। राज्य सरकारें यूरिया की उपलब्धता और बिक्री की नियमित मानीटरिंग करती आ रही हैं। यूरिया के विक्रय मूल्य की अधिकतम सीमा, जो पूरे देश में एक समान है, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत निर्धारित की जाती है।

लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि योजना

2609. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक केन्द्र सरकार को गुजरात में लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि योजना से संबंधित मुद्दे के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से वर्षवार स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करने/लंबित रखने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने दिनांक 9.10.96 के अपने पत्र द्वारा लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि (असांविधिक) से सब्सिडि का तदर्थ भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

गुजरात सरकार ने अपने दिनांक 26.8.96 के पत्र द्वारा लेवी चीनी के वितरण के लिए मार्जिन में संशोधन करने का भी अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) गुजरात सहित राज्यों को भुगतान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार के परामर्श से मार्जिन में संशोधन किया जाएगा।

पशुधन की हानि

2610. श्री दत्ता मेघे : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक देश के प्रत्येक राज्य में पशुधन की कितनी हानि हुई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई पशु अज्ञात बीमारी के कारण मर गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बीमारी का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) जानकारी राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान

2611. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने 23-25, सितम्बर, 1996 तक अपना स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाया था;

(ख) क्या उक्त संस्थान ने जुलाई, 1996 में इस अवसर के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित की थीं;

(ग) क्या लेखा-परीक्षा नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त सभी निविदायें स्थानीय ठेकेदारों और विक्रेताओं को दे दी गयी थीं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में व्याप्त अनियमितताओं की जांच हेतु गठित वी॰ एल॰ जंगीरा समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) उक्त संस्थान में 17 जनवरी, 1997 को अधिकारियों पर किए गए घातक हमले संबंधी मामले की जांच हेतु गठित विभागीय समिति की रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। कटक संसदीय क्षेत्र में उप-चुनाव की घोषणा होने के कारण प्रस्तावित स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि, स्वर्ण जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में टिकाऊ खाद्य सुरक्षा के लिए बारानी चावल पर कटक में 23 से 25 सितम्बर, 1996 तक एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठि का आयोजन किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) रिपोर्ट की जांच की गई है और उसे केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को सख्ती से अनुपालन और आवश्यक संशोधन के लिए भेज दिया गया है।

(च) वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल द्वारा जिन कार्मिकों की गड़बड़ी पैदा करने तथा उकसाने वालों के रूप में पहचान की गई थी उन्हें लोकहित में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से स्थानान्तरित कर दिया गया है। निदेशक को सलाह दी गई है कि वे सजग रहें और संस्थान के कार्यकलापों पर बेहतर नियंत्रण रखें। जिस अधिकारी पर हमला किया गया था उसके द्वारा दायर की गई शिकायत पर स्थानीय पुलिस द्वारा अलग से कार्रवाई की जा रही है।

"प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण के लिए जानवरों की हत्या"

2612. श्री जयसिंह चौहान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानवरों की वे प्रजातियां जिनका इस्तेमाल प्रसाधन-सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, विलुप्त हो गई हैं, और ऐसी प्रजातियों की संख्या कितनी है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं; और

(ख) पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने और इस प्रयोजन के लिए ऐसे जानवरों को मारने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार केवल एल्बीनी गुइनिया सूअरों, एल्बीनो खरगोशों, गुइनिया सूअरों, न्यूजीलैंड सफेद खरगोशों और चूहों का ही प्रसाधन सामग्री के लिए परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कोई भी प्रजाति न तो विलुप्त हुई है और न ही इन्हें विलुप्त होने का खतरा है।

(ख) चूंकि इन सभी पशुओं को बंदी अवस्था में प्रजनित किया जाता है, अतः पारिस्थितिकीय संतुलन को किसी खतरे का अनुभव नहीं किया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अन्तर्गत पशुओं के परीक्षण पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन संबंधी समिति ने दिनांक 2.8.1996 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव दिया था कि औषध तथा प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची "एस" के अन्तर्गत आने वाली प्रसाधन सामग्री और टॉयलट्रीज की मदों जिनके लिए परीक्षण अनिवार्य है, को पुनः तैयार किया जाए और यह बात विनिर्माताओं पर छोड़ दी जाए कि पशुओं पर उत्पादों का परीक्षण किया जाए या नहीं। जिन उत्पादों को पशुओं पर परीक्षण नहीं किया जाना है, उनके बारे में "पशुओं पर परीक्षण नहीं किया गया" की स्टेटमैंट प्रदर्शित की जाए। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिनांक 11.9.96 को आयोजित प्रसाधन-सामग्री सेक्शनल समिति की अपनी 7वीं बैठक में इन सिफारिशों को एकमत से स्वीकार किया था। तथापि, नवीन अवयवों/उत्पाद फार्मेशनों के लिए विनिर्माताओं के लिए यह जरूरी होगा कि नियमों में निर्धारितानुसार परीक्षण किया जाए। भारतीय मानक ब्यूरो के ये निर्णय उनके द्वारा प्रकाशित होने पर लागू हो जायेंगे।

[अनुवाद]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2613. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री नीतीश भारद्वाज :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 10 किलोग्राम खाद्यान्न सामान्य मूल्य से आधे मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा लिया गया निर्णय दीर्घकाल में उनके लिए लाभकारी नहीं होगा;

(ख) क्या गरीब परिवारों को राशन की दुकान से प्रतिमाह औसतन 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है जबकि उन्हें प्रतिमाह 50 किलोग्राम खाद्यान्न की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत, उन्हें शेष 30 किलोग्राम खाद्यान्न खुले बाजार से खरीदना पड़ता है;

(घ) क्या अब उस गरीब परिवार को 40 किलोग्राम खाद्यान्न खुले बाजार से खरीदना पड़ेगा और उनके द्वारा प्रतिमाह खर्च की जाने वाली राशि उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य मूल्य से आधे मूल्य पर 10 किलोग्राम अनाज देने के बाद खर्च की जाने वाली राशि से अधिक होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) माननीय प्रधान मंत्री ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के बारे में 24.2.1997 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था और इस संबंध में जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों/विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना की प्रतियां भी सदन के पटल पर रख दी गई हैं। प्रणाली के तहत दी जाने वाली मात्रा के पैमाने को वसूली के जरिए खाद्यान्न की कुल उपलभ्यता, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या, गत 10 वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा औसत उठान तथा गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी, जिसे इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल रहा है, की जरूरत को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार का विकल्प नहीं है बल्कि इसका अनुपूरक मात्र है।

मृदा संरक्षण

2614. श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से कुछ मृदा संरक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में किन राज्यों में उन योजनाओं को शुरू किया गया है;

(घ) क्या इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उड़ीसा में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की मदद से कोई ऐसी योजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) जी, हां। इस समय चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य मृदा एवं नमी संरक्षण है। ये हैं : नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, झूम खेती वाले क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए पनधारा विकास परियोजना तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

सातवीं तथा आठवीं योजनाओं के दौरान जिन राज्यों में उक्त योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में उड़ीसा में तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नामतः नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, झूम खेती वाले

क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (केवल सातवीं योजनावधि में) तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना एवं राज्य क्षेत्र की 4 प्रमुख योजनाएं नामतः पनधारा प्रबंध में मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण प्रशिक्षण, चिलका झील के ग्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण तथा जनजातीय क्षेत्रों/आई टी डी ए में मृदा संरक्षण कार्य का कार्यान्वयन किया गया है।

विवरण

सातवीं तथा आठवीं योजना में मृदा संरक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल राज्य

योजना का नाम		राज्यों के नाम	
		सातवीं योजना	आठवीं योजना
1.	नदी घाटी परियोजना	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल	पंजाब राज्य सहित सातवीं योजना के अनुसार।
2.	बाढ़ प्रवण नदियों संबंधी परियोजना	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली	पंजाब राज्य सहित सातवीं योजना के अनुसार।
3.	झूम खेती वाले क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए पनधारा विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा और त्रिपुरा	आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को छोड़कर सातवीं योजना के अनुसार।
4.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	सभी 25 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित।

दुग्ध उत्पादन

2615. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में दुग्ध की उत्पादन लागत (कार्मिकों और समाहार उत्पादन सहित) क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों में हुए दूध का उत्पादन, तदनुसार पशुओं की संख्या, चारा उत्पादन एवं खपत की मात्रा तथा पशुओं को दिए गए समाहार का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान में पशु वृन्द का रखरखाव पशु आनुवंशिकी, प्रजनन, पोषण, शरीर विज्ञान आदि के बारे में विभिन्न परीक्षणों के उद्देश्य से किया जा रहा है। अतः सभी पशुओं/गोपशुओं के लिए दूध उत्पादन की लागत का आंकलन संभव नहीं है। तथापि दूध उत्पादन की औसत लागत निम्नवत आंकी गई है :—

	भा॰प॰अ॰सं॰, इज्जतनगर	रा॰डे॰अ॰सं॰, करनाल
दूध	7.45 रु॰ प्रति लीटर	7.29 रु॰ प्रति लीटर

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक दूध उत्पादन, गोवृन्द की संख्या, चारा उत्पादन तथा पशुओं को दिये गये रातिब सहित खपत नीचे दी गई है :—

	1993–94	1994–95	1995–96
(1) **दूध उत्पादन (लीटर में)**			
भा॰प॰अ॰सं॰	7,98,538	6,67,701	5,81,520
रा॰डे॰अ॰सं॰	16,87,371	14,95,236	14,29,038
(2) **गोवृन्द संख्या (सभी आयु समूह नर तथा मादा)**			
भा॰प॰अ॰सं॰ : (मवेशी भैंस)	1,004	964	877
रा॰डे॰अ॰सं॰ : (मवेशी, भैंस, बकरी)	1,672	1,603	1,627
(3) **चारा उत्पादन तथा खपत (क्विंटल में)**			
भा॰प॰अ॰सं॰ :	73,020	68,365	59,433
रा॰डे॰अ॰सं॰	2,42,116	2,44,010	2,42,868
(4) **रातिब की खपत (क्विंटल में)**			
भा॰प॰अ॰सं॰	10,318	9,104	9,542
रा॰डे॰अ॰सं॰ :	11,859	11,487	11,370

गेहूं के आयात में विलम्ब

2616. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब मौसम के कारण कनाडा से भारत आ रहे गेहूं की भारी मात्रा रूकी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कनाडा से गेहूं के आयात में विलम्ब से भारत में किस सीमा तक गेहूं की कमी पैदा होगी;

(ग) क्या भारत ने हाल ही में आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात सौदे पर भी हस्ताक्षर किए थे; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं आयात किया जाएगा और उसका प्रतिटन मूल्य कितना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। कनाडा में बर्फीला तूफान (ब्लिज़ार्ड्स) आने के कारण कनाडा से आयात के लिए ठेका किए गए 2.50 लाख टन गेहूं की शिपमेंट में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) कनाडा से आयात के लिए गेहूं की ठेका की गई मात्रा की शिपमेंट में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है। 4.3.1997 को स्थिति के अनुसार आस्ट्रेलिया से 5.40 लाख टन आयातित गेहूं भारतीय पत्तनों पर पहले ही पहुंच गया है और इसके उतरान का कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"रूट विल्ट डिजीज"

2617. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल उत्पादन के अंतर्गत कितने वृक्ष/कितनी भूमि रूट विल्ट डिजीज द्वारा प्रभावित हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार राज्य सरकार को इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) इस बीमारी को दूर करने के लिए किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि हुई है;

(ङ) ऐसी बीमारी से फसल को बचाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केरल राज्य के 8 दक्षिणी जिले नारियल में जड मुरझन रोग से प्रभावित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1984-85 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह रोग 4.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है और लगभग 3.0 लाख पेड़ इससे प्रभावित हैं।

(ख) चूंकि पिछले तीन वर्षों में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अतः नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ) जड मुरझान रोग पर नियंत्रण पाने के लिए किए गए अनुसंधान कार्य में प्रभावित पामों को पूरा नष्ट करके उनके स्थान पर स्वस्थ पाम लगाना, मिश्रित फार्मिंग, अन्तर्फसलन, पोषक तत्व एवं जल प्रबंध अध्ययन सहित रोग प्रबंध परीक्षण, एवं सहनशील/प्रतिरोधी पामों को अभिज्ञात करने के लिए किस्मों की जांच शामिल है। उक्त अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप, प्रबंध विधियों का पैकेज अपनाने की सिफारिश की गयी है।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड द्वारा आठवीं योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से केरल के उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित कृषि संबंधी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। किसानों को रोग से प्रभावित/अनुत्पादक नकारा पामों की कटाई एवं हटाने के लिए 200/- रुपये प्रति पाम की दर से क्वालिटी पौद के पुनःरोपण के लिए 5/-रुपये प्रति पौद की दर से, उर्वरक अनुप्रयोग तथा पौध संरक्षण के लिए 8/- रुपये प्रति पाम की दर से तथा बहु प्रजातीय फसलन के लिए 200/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में अल्पसंख्यकों हेतु कल्याण कार्यक्रम

2618. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ बिहार में कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, इस संबंध में क्या उपलब्धि हुई है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :-

1. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना बिहार राज्य सहित पूरे देश में 24000 रुपए प्रतिवर्ष आय सीमा वाले अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह के लिए वर्ष

1992-93 से कार्यान्वित की जा रही है। बिहार राज्य में इस योजना के शुरू होने के समय से 440 उम्मीदवारों को लाभान्वित करते हुए 6 स्वयंसेवी संगठनों को 30.12 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया है।

2. **मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना**

इस योजना का उद्देश्य मदरसों और मकतबों जैसे पारंपरिक संस्थाओं को उनके पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, समाज-अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। उन मदरसों तथा मकतबों को उन कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है जो इस उद्देश्य के लिए योगदान देते हैं। इस योजना का उद्देश्य इन संस्थाओं के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बराबर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना है। 9वीं योजना अवधि के दौरान, इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई, है, जिसमें से इस योजना के अंतर्गत 1.72 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। बिहार राज्य के लिए इस योजना के अंतर्गत अभी तक 31 मदरसों को अनुदान दिए गए हैं।

3. **शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना** का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। यह योजना 1984 में तैयार की गई, 1988 में संशोधित की गई तथा 1994 में इसे नया स्वरूप प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में 6 कालेजों को 4.30 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

(ख)	योजना का नाम	(रु॰ लाख में) व्यय की गई राशि
	1. परीक्षा पूर्व कोचिंग	शून्य
	2. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण	9.42
	3. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना।	4.30

उर्वरकों की आपूर्ति

2619. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार रबी की फसल के लिए उर्वरकों की मांग का आकलन किया है; और

(ख) उन्हें कितनी मात्रा में यूरिया की आपूर्ति की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सर्वाधिक मूल्य नियन्त्रण के अधीन है और जिसके लिये आबंटन किया जाता है। अन्य सभी उर्वरक वि-नियन्त्रित हैं तथा इनकी मांग और आपूर्ति का निर्धारण बाजार की प्रवृत्ति के अनुसार होता है। रबी 1996-97 के मौसम के लिये यूरिया की आकलित आवश्यकता तथा अन्य विनियन्त्रित उर्वरकों की सम्भावित आवश्यकता (राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जिनको इस मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता नहीं है, यूरिया की सम्पूर्ण आकलित आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी।

विवरण

रबी 1996-97 के मौसम के दौरान यूरिया की आकलित आवश्यकता तथा अन्य विनियन्त्रित उर्वरकों की आवश्यकता को दर्शाने वाला विवरण

('000 मी॰ टन)

राज्य/संघशासित प्रदेश	यूरिया	अमोनियम सल्फेट	अमोनियम क्लोराईड	कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	डाई-अमोनियम फास्फेट	सिंगल सुपर फास्फेट	रॉक फास्फेट	जटिल उर्वरक	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	सल्फेट ऑफ पोटाश	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	1020.00	75.00	6.00	60.00	175.00	147.00		485.50	75.00	4.00	
कर्नाटक	354.80	20.00	3.00	15.00	80.46	30.00	15.00	331.00	68.15	0.50	
केरल	63.70	11.04	0.43		2.99	1.63	44.39	73.19	71.66		
तमिलनाडु	505.00	40.00	35.00	3.00	100.00	60.00	5.50	310.40	200.00		
पाण्डिचेरी	13.80	0.80	0.80		2.00	1.10	0.50	6.10	3.25		
अण्डमान व निकोबार	0.20				0.20		0.10		0.10		
लक्षद्वीप	0.05	0.05							0.09		
दक्षिणी अंचल (कुल)	1967.55	146.89	45.23	78.00	360.65	239.73	65.49	1206.19	418.25	4.50	
गुजरात	500.00	80.00		25.00	170.00	55.00		143.00	50.00		
मध्य प्रदेश	686.00	10.00		10.00	250.00	350.00		135.00	30.00		
महाराष्ट्र	610.00	25.00	0.50	15.00	125.00	260.00		465.00	90.00	1.00	
राजस्थान	650.00	2.00		6.00	175.00	60.00		31.00	5.00		
गोआ	1.80				0.20		0.10	3.76	0.25		
दमन व दीव	0.08	0.06			0.21			0.03	0.08		
दादरा व नगर हवेली	0.23										
पश्चिमी अंचल (कुल)	2448.11	117.06	0.50	56.00	720.41	725.00	0.10	777.79	175.33	1.00	
हरियाणा	750.00			20.00	250.00	40.00		15.00	5.00		
पंजाब	1050.00	4.00	30.00	25.00	400.00	150.00		45.00	10.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर प्रदेश	2550.00	11.00		40.00	600.00	300.00		170.00	90.00		
हिमाचल प्रदेश	22.00	0.50		12.00	0.35	5.00		9.00	2.50		
जम्मू व कश्मीर	42.00				13.00				3.50		
दिल्ली	24.00	0.30		1.50	4.50	0.10		0.10	0.10		
चण्डीगढ़	0.45			0.02		0.05		0.01			
उत्तरी अंचल (कुल)	4438.45	15.80	30.00	98.52	1267.85	495.15	0.00	239.11	111.10		
बिहार	650.00	50.00		75.00	180.00	100.00		35.00	60.00		
उड़ीसा	175.00	5.00		31.00	30.50	32.70		85.80	38.80		
पश्चिम बंगाल	610.00	10.00		20.00	175.00	200.00		140.00	150.00		
पूर्वी अंचल (कुल)	1435.00	65.00	0.00	126.00	385.50	332.70	0.00	260.80	248.80		
असम	33.00				7.00	15.00	0.50		15.00		0.50
त्रिपुरा	7.42					3.00	4.40		2.49		
मणिपुर	7.00				1.50	2.00	1.00		0.50		
मेघालय	2.75				0.80	3.00			0.25		
नागालैण्ड	0.35				0.35				0.10		
अरूणाचल प्रदेश	0.30				0.12	0.11		0.14	0.07		
सिक्किम	0.45				0.55	0.10			0.10		
मिजोरम	0.40				0.40				0.20		
चाय समिति (एन॰ई॰)	40.00					1.60	27.50		2.90		
उत्तर-पूर्वी अंचल (कुल)	91.67	0.00	0.00	0.00	10.72	24.81	33.40	0.14	21.61		0.50
समस्त भरत	10380.78	344.75	75.73	358.52	2745.13	1817.39	98.99	2484.03	975.09	5.50	0.50

[अनुवाद]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

2620. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उद्यमियों को औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि पट्टे पर देकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या इस उल्लंघन से बड़ी संख्या में आदिवासी और गरीब ग्रामीण व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2621. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 में कृषि के विकास के लिए उड़ीसा में विशेष कर कालाहांडी और नुपाड़ा जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यान्वित की जा रही है और प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजनावार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक उन योजनाओं को योजनावार कितनी धनराशि आर्बोटित की गई है और उसमें से कितनी राशि इस्तेमाल की गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) उड़ीसा में 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान शुरू की गयी नई योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये में)

		अब तक निर्मुक्त धनराशि	प्रयुक्त धनराशि
1.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	32.25	10.00
2.	समेकित बीज विकास योजनाएं	6.85	-
3.	सब्जी बीजों के प्रमाणित बीज उत्पादन को व्यवस्थित करना	1.05	-

धनराशि जिलावार निर्मुक्त नहीं की जाती है। चूंकि धनराशि हाल ही में निर्गमित की गयी है, अतः उपलब्धियों संबंधी आंकड़ें कुछ समय बाद ही दिए जा सकेंगे।

खाद्यान्नों का निर्यात

2622. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण खाद्यान्नों विशेषकर, गेहूं और चावल का निर्यात करना पड़ा था और निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह निर्यात गेहूं और चावल का कृत्रिम अभाव पैदा करने और बाजार में उनके मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) वर्तमान निर्यात और आयात (एक्सिम) नीति के अनुसार, बासमती और गैर-बासमती चावल का निर्यात बिना किसी मात्रात्मक अथवा न्यूनतक निर्यात मूल्य संबंधी प्रतिबंधों के स्वतंत्र रूप से अनुमत है। गेहूं का निर्यात समय-समय पर निर्धारित सीमा की शर्त के अधीन अनुमत है। शुरू में, 1995-96 के दौरान गेहूं का उत्पादन 66.21 मिलियन टन प्रक्षेपित किया गया था। बाद में इसे संशोधित करके 62.62 मिलियन टन कर दिया गया था जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना मे 3.15 मिलियन टन गिरावट का द्योतक है। 1995-96 के दौरान गेहूं के संशोधित अनुमानित उत्पादन के बारे में सूचना के प्राप्त होने पर गैर-डुरूम गेहूं के निर्यात की 25 लाख टन की मूल सीमा को घटाकर 10 लाख टन कर दिया गया था।

1996-97 के दौरान, जनवरी, 1997 तक 21.71 लाख टन चावल का निर्यात किया गया था। इस अवधि के दौरान निर्यात किए गए डुरूम और गैर-डुरूम गेहूं की कुल मात्रा 10.92 लाख टन है जबकि निर्यात की सीमा 15.00 लाख टन (5 लाख टन डुरूम गेहूं और 10 लाख टन गैर-डुरूम गेहूं) है।

(ख) अभी तक लगभग 21.00 लाख टन चावल और लगभग 11.00 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है जो चावल और गेहूं के कुल उत्पादन का क्रमशः केवल 2.64 प्रतिशत और 1.75 प्रतिशत है। इसलिए निर्यात से खाद्यान्नों की घरेलू स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य है।

(ग) सरकार मूल्य स्थिति की निकटता से मानीटरिंग कर रही है। चावल के मूल्यों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति करने के लिए चावल के आबंटन में वृद्धि।
2. भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन के अतिरिक्त 5 लाख टन के चावल खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन जारी करने के उपाय कर रहा है।
3. गरीबी की रेखा से नीचे की जनता को विशेष सब्सिडि प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए पुनर्संरचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।
4. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, आदि के अधीन जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें।
5. खाद्यान्नों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 1996-97 के दौरान 2.00 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है।

विश्व पर्यावरण सम्मेलन

2623. श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित पांचवें विश्व पर्यावरण सम्मेलन में हुए विचार विमर्श की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सम्मेलन के दौरान यह टिप्पणी की गई थी कि गंगा के किनारे बसे अधिकांश शहरों में जल-मल शोधक संयंत्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे शहरों के लिए जल-मल शोधन व्यवस्था करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) भारतीय शहरों और नदियों में प्रदूषण रोकने और कम करने के लिए इस सम्मेलन में की गई अन्य मुख्य टिप्पणियां और दिए गए सुझाव क्या हैं; और

(ङ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) सरकार के पास दिल्ली में दिस्मबर, 1996 में आयोजित पांचवी विश्व पर्यावरण कांग्रेस के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, गंगा कार्य योजना एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत 156 शहरों के, अधिकतर स्थानों में सीवेज उपचार व्यवस्था सहित प्रदूषण निवारण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

कीटनाशकों का प्रभाव

2624. श्री जयसिंह चौहान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशकों के छिड़काव से किसानों और मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार गत एक वर्ष के दौरान विश्व में व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हैं और इससे कौन-कौन सी बीमारियाँ हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) निर्धारित परम्पराओं के अनुसार पंजीकृत कीटनाशियों का प्रयोग करने से किसानों तथा मजदूरों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। हालाकि, कीटनाशी जहरीले प्रकृति के होते है अतः यदि इनका अविवेकपूर्ण या अनुचित प्रयोग होता है तो इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

(ग) प्रतिरूपों और अनौपचारिक अनुमानों पर आधारित अस्पताल के आकड़े और जनसंख्या सर्वेक्षण (डब्ल्यू॰एच॰ओ॰:1986) में यह सुझाव दिया गया है कि गैर इरादतन तीव्र जहरीलीकरण जिसमें तीक्ष्ण लक्षण दिखाई दिये हैं, के मामले की वार्षिक घटनायें सम्भवतः एक मिलियन से अधिक हो गयी हैं जिसमें घातक मामले की दर 0.4-1.9 प्रतिशत है।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(I) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों की सुरक्षा तथा उनकी प्रभावकारिता की जाँच करने के बाद ही पंजीकरण करती है।

(II) कीटनाशियों के डिब्बों पर अनिवार्यतः लगे लेबल या कागज में उसके प्रयोग, सुरक्षा संबंधी उपाय और दुर्घटनावश जहर खा जाने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा तथा जहर निवारक उपायों के बारे में सलाह तथा निर्देश दिये गये रहते हैं।

(III) विस्तार कर्मचारी किसानों तथा अन्य उपयोगकर्त्ताओं को कीटनाशियों का रखरखाव या उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षण देती हैं जिसमें पालन किये जाने के लिये आवश्यक पूर्व उपाय भी आते हैं।

(IV) सरकार समेकित कीट प्रबन्ध प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार कर रही हैं जिसमें कीट रोगों के नियंत्रण के लिये कलचरल, यांत्रिक और जैव विज्ञानिक विधियों पर विचार किया गया है और कीटनाशियों के आवश्यकता आधाति प्रयोग पर जोर दिया गया है।

[अनुवाद]

समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देना

2625. श्री के•पी• सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने की काफी सम्भावनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की राज्य सरकार को समुद्री मत्स्यन के लिए सहायता देने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाये गये;

(ग) क्या सरकार ने तटवर्ती राज्यों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) उड़ीसा के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों से प्राप्त किए जा सकने वाली मात्रा को 1.44 मी• आंका गया है। इस राज्य में वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 1.04, 1.22 और 1.23 लाख मी• टन का उत्पादन हुआ। अतः इस राज्य में समुद्री मात्स्यिकी को बढ़ावा देने की कुछ संभावनाएं हैं।

राज्य योजना के अंतर्गत स्कीम के अलावा, कृषि और सहकारिता विभाग समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए आठवीं योजना के दौरान निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं :-

1. (क) परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण (ख) प्लाइवुड जलयानों का चलाने और (ग) अपतटीय सेलाजिक मत्स्यन हेतु मध्यम आकार के जलयानों को चलाने, जैसे घटकों को शामिल करते हुए तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास।
2. 20 मी• से कम लम्बाई वाले यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को सप्लाई किए जाने वाले एच•एस•डी• तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।
3. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन तथा कृत्रिम चट्टान और समुद्र में मछलीपालन (सी फार्मिंग) परियोजनाओं को लागू करना।
4. मात्स्यिकी बन्दरगाहों (वृहत और छोटे पत्तनों) और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास की योजना।
5. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण संबंधी योजना के अधीन आदर्श मछुआरा ग्रामों का विकास, सामूहिक दुर्घटना बीमा और बचत-सह-राहत योजना चलाना।

(ग) और (घ) नौंवी योजना की स्कीमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

खुले बाजार में चीनी का कोटा

2626. श्री आर• साम्बासिवा राव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग की खराब स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार से चीनी कारखानों को खुले बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए आदेश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) फरवरी, 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार से, राज्य की छः सहकारी चीनी मिलों, जिन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय पुनर्संरचना समिति द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए चुना गया था, को अतिरिक्त खुली बिक्री की रिलीज के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी निजाम शुगर्स लि• की पाँच इकाइयों के मामले में बिक्री चीनी की रिलीज को बढ़ाया जाय ताकि गन्ना उत्पादकों के बकाया गन्ना मूल्य का निपटान किया जा सके, क्योंकि कम्पनी को अत्यधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था।

(ग) सरकार ने खाद्य मंत्रालय में इन अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष दिशानिर्देश के साथ एक समिति गठित की है तथा इसकी सिफारिशों के आधार पर फरवरी, 1997 में सहकारी क्षेत्र की तीन इकाइयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की पाँच इकाइयों को अतिरिक्त मात्रा के लिए रिलीज आदेश जारी किए गए हैं। चूंकि सहकारी क्षेत्र की शेष तीन इकाइयों को तीन माह की अवधि के अन्तर्गत अतिरिक्त मात्रा पहले ही दी जा चुकी थी, अतः उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार वे पुनः फरवरी, 1997 की रिलीज के पात्र नहीं थे।

राज्यों में गेहूं का स्टाक

2627. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के अभाव वाले क्षेत्रों में उत्तरी राज्यों से गेहूं भेजने में भारतीय खाद्य निगम की विफलता वर्तमान अभाव का प्रमुख कारण हैं;

(ख) क्या गेहूं की बढ़ती हुई कीमत का सामना करने के लिए इसका आयात नहीं करने हेतु राष्ट्र को विवश किया गया है जबकि राष्ट्र के गेहूं के स्टाक का आधे से थोड़ा ही कम स्टाक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पड़ा है;

(ग) क्या अभी भी देश के गेहूं का 30 प्रतिशत स्टाक पंजाब में पड़ा है जहां भंडारण के स्थान की कमी के कारण खुले में रखना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार ने गेहूं के अभाव वाले राज्यों में गेहूं भेजने में भारतीय खाद्य निगम की विफलता की जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) चालू वर्ष में अप्रैल, 1996 से फरवरी, 1997 के दौरान उत्तर भारत से गेहूं का प्रेषण अप्रैल, 1995 से फरवरी, 1996 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक रहा है। गेहूं का आयात करने का निर्णय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं का स्टाक रूकने के कारण नहीं लिया गया था बल्कि समग्र स्टाक को बढ़ाने के लिए लिया गया था। यह स्टाक कम उत्पादन होने और इसके परिणामस्वरूप रबी मौसम 1996 में कम वसूली होने के कारण अपर्याप्त हो गया था। फिलहाल, देश में उपलब्ध कुल गेहूं/स्टाक का लगभग 23 प्रतिशत भाग पंजाब में है और इसका भंडारण खुले में भंडारण स्थान के अभाव के कारण नहीं किया जाता बल्कि संचलन संबंधी बाधाएं होने और ढके हुए स्थान को चावल रखने हेतु उपयोग करने के कारण किया जाता है।

(घ) से (ङ) चूंकि कमी वाले राज्यों को गेहूं भेजने में कोई चूक नहीं हुई है। इसलिए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972

2628. श्री भक्त चरण दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हिरासत में उत्पीड़न तथा पीड़ितों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करने के संबंध में कोई नया कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) इस प्रकार के प्रस्ताव पर सरकार ध्यान दे रही है।

रूग्ण इकाइयों का निजीकरण

2629. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध क्षेत्र अत्यधिक रूग्ण इकाइयों के निजीकरण/पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक रूग्ण इकाइयों के लिए अंतिम रूप से तैयार कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों के निजीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों और इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषकर आई॰डी॰पी॰एल॰ इकाइयों के भविष्य संबंधी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) किसी रूग्ण सरकारी क्षेत्र उपक्रम के निजीकरण करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। चार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यथा-इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰ (आई॰डी॰पी॰एल॰) बंगाल इम्युनिटी लि॰ (बी॰आई॰एल॰) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰ (बी॰सी॰पी॰एल॰) और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि॰ (एस॰एस॰पी॰एल॰) को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया है। तीन संयुक्त क्षेत्र उपक्रम, यथा-उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰ (यू॰पी॰डी॰पी॰एल॰), उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल लि॰ (ओ॰डी॰सी॰एल॰) और महाराष्ट्र ऐंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰ (एम ए पी एल) को भी बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा रूग्ण घोषित किया गया है।

बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा मंजूर पुनरूद्धार प्रस्ताव बी॰सी॰पी॰एल; बी॰आई॰एल॰, एस॰एस॰पी॰एल॰ और ओ॰डी॰सी॰एल॰ में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा 22-8-95 को मंजूर यू॰पी॰डी॰पी॰एल॰ की पुनरूद्धार प्रस्ताव को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर, 1996 में निरस्त कर दिया गया। आई॰डी॰पी॰एल॰, यू॰पी॰डी॰पी॰एल॰ और एम॰ए॰पी॰एल॰ के मामले में पुनर्वास और अन्य व्यवस्था के बारे में बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आई॰डी॰पी॰एल॰ के मामले में बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा नियुक्त संचालन एजेन्सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰डी॰बी॰आई॰), बम्बई की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और आई॰डी॰पी॰एल॰ के भविष्य के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

दिल्ली नगर निगम का पुनर्गठन

2630. श्री दत्ता मेघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम के अधीन कार्यरत अग्निशामक सेवा जैसी अनेक सेवाएं दिल्ली सरकार को अंतरित कर दिया गया है तथा कतिपय अन्य सेवाओं को भी अंतरित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के कार्यों के विकेन्द्रीकरण का अनुमोदन दिसम्बर, 1996 में कर दिया गया था। यह निर्णय मुख्यतया इस दृष्टि से लिया गया था कि जोनल ढांचे को सुदृढ़ करके और जोनों को अधिक शक्तियां प्रदान करके नागरिक प्रशासन को दिल्ली के निवासियों के घर तक ले जाया जा सके। इस पुनर्गठन की एक विशेषता यह है कि यह मुख्यतया वर्तमान संसाधनों की पुनः तैनाती पर ही आधारित है।

(ग) और (घ) अग्नि शमन सेवाओं संबंधी कार्य, नवम्बर, 1994 में ही दिल्ली नगर निगम से हस्तांतरित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को सौंप दिए गए थे। अभी हाल ही में, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के स्थान पर दिल्ली विद्युत बोर्ड का गठन फरवरी, 1997 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन किया गया। 1993 में यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम में जल आपूर्ति से संबंधित कार्य, दिल्ली नगर निगम से अलग करने का प्रावधान भी है।

[हिन्दी]

आपरेशन सिख फोरम

2631. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान इंटैलीजैंस एजेंसी द्वारा शुरू किए गए आपरेशन सिख फोरम की जानकारी है जिसमें आतंकवादियों को भारत में विभिन्न विध्वंसकारी गतिविधियां चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार को पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी द्वारा शुरू किए गए किसी आपरेशन एस एफ (सिख फोरम) की जानकारी नहीं है। तथापि, सरकार यह जानती है कि कुछ कट्टर सिख उग्रवादियों को पाकिस्तान में शरण दी जा रही है। कुछ सिख युवकों को पाकिस्तान में पाकिस्तानी आई एस आई द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरों में हथियारों एवं विस्फोटकों के प्रयोग में प्रशिक्षित किए जाने की रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं।

(ख) पाकिस्तान में शरण पाए हुए खूंखार कट्टर उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के माध्यम से रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए गए हैं। तटीय क्षेत्रों सहित पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है जिससे कि सीमा पार से उग्रवादियों की घुसपैठ तथा हथियारों एंव विस्फोटकों की तस्करी की रोकथाम की जा सके।

[अनुवाद]

पिस्तौलों की खरीद

2632. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 नवम्बर, 1996 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "हर साल एक अरब की पिस्तौल खरीदी गई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध मे कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनराशि के इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार, आग्नेयास्त्रों और गोलाबारूद्ध के क्रय/विक्रय के लिए डीलरशिप लाईसेंस, राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियां के अन्तर्गत दिया जाता है। वर्तमान उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक डीलर को विभिन्न श्रेणी के शस्त्रों और गोलाबारूद की प्राप्ति, निपटान, शेष भण्डार, और दैनिक बिक्री दिखाने वाला निर्धारित रजिस्टर रखना आवश्यक है। प्राधिकृत फील्ड/पुलिस प्राधिकारियों को, शस्त्र और गोला बारूद की प्राप्ति और निपटान संबंधी भण्डार और लेखा-जोखा तथा डीलर द्वारा रखे गए किसी अन्य रजिस्टर और दस्तावेज की जाँच करने के अधिकार प्राप्त है। ऐसे किसी भी आग्नेयास्त्र जिस पर अनुमोदित ढंग से मेकर का नाम, निर्माता की संख्या या अन्य पहचान चिन्ह स्टेम्प किया हुआ दिखाया गया न हो, की बिक्री/हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध है। इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत राज्य प्राधिकारियों को, निर्धारित उपबन्धों/प्रक्रिया के उल्लंघन की जांच करने/रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शस्त्रों और गोलाबारूद के व्यापार में कोई अनियमितता न हो, पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

चीनी के निर्यात का विसरणीकरण

2633. श्री संतोष मोहन देव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय ने चीनी के विसरणीकरण के संबंध में उनके मंत्रालय के विचारों का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विधि मंत्रालय द्वारा उठाई गयी प्रमुख आपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिरासत में मौत

2634. लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान आज तक राज्य-वार कुल कितनी हिरासत में मौतों की सूचना मिली है;

(ख) हिरासत मे मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिरासत में मौतों के बारे में वर्ष 1995-96 के दौरान आज तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या जेलों में हिरासत में मोतों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोई सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पुलिस हिरासत में हुई मौतों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ख) हालांकि पुलिस राज्य का विषय है, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस मानवीय ढ़ंग से व्यवहार करे तथा हिरासत में हुई कथित मौतें व पुलिस ज्यादतियों की वारदातें, जब भी हों, उनकी जांच-पड़ताल की जाए तथा सख्ती से निपटा जाए। पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सभी स्तरों पर मानवाधिकार पर विशेष बल दिया जा रहा है। "प्रवेशकालीन" और "सेवाकालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जांच-पड़ताल के लिए वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के बारे में पुलिस को सुग्राही बनाने के लिए विशेष सामग्री शामिल की गई है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हिरासत में हुई मौतों के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों के पृथक आंकड़े नहीं रखता है। जेलों सहित हिरासत में हुई मौतों के मामलों पर विचार करने के लिए आयोग ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की कि सरकार को, यातना और अपराध के अन्य प्रकारों, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध 1984 में हुए समझौतों को मानना चाहिए, और यह कि हिरासत में मौतों के बारे में विधि आयोग/उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछैक सुझावों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ मामलों में, आयोग ने यह मत भी बनाया है कि हिरासत में मौतों के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी की जिम्मेवारी केवल राज्य सरकारों की ही नहीं अपितु गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों की स्वयं की होनी चाहिए।

विवरण

1995 और 1996 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या

(राज्य और संघ शासित क्षेत्र वार)

क्र॰स॰	राज्य/संघ शासित	1995	1996	टिप्पणी 1996 के आंकड़े निम्नलिखित महीनों तक के हैं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	3	नवम्बर*
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	सितम्बर
3.	असम	0	0	सितम्बर
4.	बिहार	0	उ॰न॰	–
5.	गोवा	0	0	–
6.	गुजरात	0	0	–
7.	हरियाणा	0	0	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	–
9.	जम्मू और कश्मीर	4	0	अगस्त
10.	कर्नाटक	1	1	दिसम्बर**
11.	केरल	0	0	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	0	0	–
13.	महाराष्ट्र	1	5	–
14.	मणिपुर	0	0	–
15.	मेघालय	0	0	फरवरी
16.	मिजोरम	0	0	–
17.	नागालैंड	2	0	–
18.	उड़ीसा	0	0	जुलाई

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	0	1	जुलाई
20.	राजस्थान	1	3	अक्तूबर
21.	सिक्किम	0	0	–
22.	तमिलनाडु	1	1	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	–
24.	उत्तर प्रदेश	12	3	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	1	1	सितम्बर
	जोड़ (राज्य)	23	18	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	सितम्बर
27.	चंडीगढ़	0	0	–
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0	–
29.	दमन और दीव	0	उ•न•	–
30.	दिल्ली	0	1	–
31.	लक्षद्वीप	0	0	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	0	0	–
	जोड़ (संघ शासित)	0	1	
	जोड़ (समस्त भारत)	23	19	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

टिप्पणी 1. आंकड़े अनन्तिम है।

2. उ•न• का अर्थ उपलब्ध नहीं है।

3. दमण और द्वीव के लिए 1995 के आंकड़े नवम्बर तक के हैं।

4. * अक्तूबर, 1996 के अलावा।

5. ** नवम्बर, 1996 के अलावा।

[हिन्दी]

आई•एस•आई• के कैम्प

2635. श्री एन• जे• राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 और 10 जनवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में "आई•एस•आई• के कैम्प अब गुरदासपुर सीमा के पास मुजफ्फरनगर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विध्वंसकारी गतिविधियों संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार इस तथ्य से पूर्णतः सहमत है कि पाकिस्तान की आई•एस•आई•, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और देश के अन्य भागों में विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

(ग) पाकिस्तान की आई•एस•आई• ने कश्मीरी, सिख और अन्य उग्रवादी ग्रुपों को प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान और पाक–अधिकृत कश्मीर के विभिन्न भागों में शिविर स्थापित किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विध्वंसकारी गतिविधियों की घटनाओं के संबंध में राज्य–वार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(घ) सरकार, पाकिस्तान की आई•एस•आई• और इससे संबंद्ध एजेन्सियों के भारत की आन्तरिक सुरक्षा स्थिति अस्त–व्यस्त करने और सामाजिक तनाव उत्पन्न करने संबंधी नापाक इरादों के प्रति पूर्णतः सचेत हैं तथा पाकिस्तानी नागरिकों सहित पाक प्रशिक्षित विध्वंसकारी तत्वों की प्रायः की जा रही गिरफ्तारियां, सरकार द्वारा इस खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए बरती जा रही चौकसी और इसे दी जा रही प्राथमिकता का सूचक है।

[अनुवाद]

दिल्ली जेल कैदी

2636. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कैदियों में महिला एवं बालिका कैदियों की संख्या सहित विचाराधीन तथा दोषसिद्ध कैदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रति कैदी की खुराक तथा दूसरी आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कैदियों को भोजन में दी जाने वाली सामग्री क्या होती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सैन्ट्रल जेल, तिहाड़ में रखे गए कैदियों के संबंध में वर्ष 1996 की अपेक्षित सूचना, संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) कैदियों की खुराक और अन्य आवश्यकताओं पर प्रति कैदी प्रति दिन व्यय 42.60 रुपये है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

अवधि	विचारणाधीन कैदी			दोषसिद्ध			निरूद्ध		
	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
31.1.96	7080	271	7351	1067	27	1094	30	5	35
29.2.96	7046	292	7338	1001	28	1029	31	4	35
31.3.96	7168	315	7483	1130	27	1157	33	4	37
30.4.96	7207	319	7526	784	24	808	38	4	42
31.5.96	7489	311	7800	958	28	986	36	3	39
30.6.96	7666	335	8001	1012	29	1041	38	1	39
31.7.96	7731	341	8072	1035	26	1061	41	1	42
31.8.96	7658	373	8031	1188	27	1215	52	2	54
30.9.96	7841	383	8224	1261	31	1292	56	3	59
31.10.96	7673	358	8031	1411	30	1441	62	4	66
30.11.96	7557	353	7910	1173	33	1206	62	8	70
31.12.96	7777	352	8129	1115	34	1149	65	5	70

विवरण–II

(1) आटा

(2) चावल

(3) दाल

(4) काला चना

(5) मसाले

(6) नमक

(7) सरसों का तेल

(8) चीनी

(9) वनस्पति घी

(10) खीर

(11) चाय

(12) अंडा

(13) आलू और प्याज

(14) गुड़

(15) डबल रोटी

(16) दूध

रुग्ण उर्वरक एकक

2637. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1997 के "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" में "कृभको", इफको, लाइकली टू टेक ओवर सिक फर्टिलाइजर यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) निरंतर रूप से रुग्ण एककों के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण/निजीकरण/विलय संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले पर निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी) की रुग्ण इकाईयों को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि॰ (इफको) और कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ (कृभको) द्वारा लिए जाने के विकल्प के बारे में सरकार द्वारा छानबीन की गई। उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इफको की अपनी चल रही विस्तार

परियोजनाओं और संयुक्त उद्यमों के प्रति पूर्ववचनबद्धता के कारण इस प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। तथापि, कृभको ने एफ सी आई की विद्यमान इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए गोरखपुर में नया अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने में रूचि दिखाई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अप्रैल, 1995 में सिद्धान्त रूप से अनुमोदित एफ सी आई और एच एफ सी के लिए पुनरूद्धार पैकेजों को 1994 के मूल्य स्तर पर रु॰ 2201.13 करोड़ के नए निवेश के धनाभाव में कार्यान्वित नहीं किया जा सका। वित्तीय संस्थाओं (एफ आईज) द्वारा धन की व्यवस्था के उद्देश्य से फिर से पुनरूद्धार पैकेज बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संशोधित पुनरूद्धार पैकेज कार्यान्वित किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय धन व्यवस्था तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) जो अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958

2638. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 को निरस्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अध्यादेश निर्यात क्षेत्र में और अधिक निर्यातकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा तथा "इंडियन शुगर जनरल इंडस्ट्री इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन" द्वारा चीनी का और अधिक निर्यात किए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कार्यवाही का औचित्य क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 (1997 की संख्या 4) को 15.1.1997 को प्राख्यापित किया गया था जिससे चीनी निर्यात वृद्धि अधिनियम, 1958 निरस्त हो गया है।

(ग) और (घ) चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध किया गया है। इससे भारतीय चीनी सामान्य उद्योग आयात और निर्यात निगम के साथ-साथ चीनी फैक्टिरयों, कम्पनियों, निजी व्यक्तियों और फर्मों को चीनी का निर्यात करने के लिए समान रूप से स्वतंत्रता मिलेगी जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होगी और इसके परिणामस्वरूप देश के लिए निर्यात का निष्पादन समग्र रूप से बेहतर होगा।

उर्वरक कारखाना

2639. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न स्थानों पर तीन उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए विभिन्न निजी फार्मों से कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों की जांच की गई है और इन्हें स्वीकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति

2640. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तथा दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा कार्यालय-वार कितने अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया; और

(ख) भविष्य में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	
	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा
1994	375	54
1995	431	56
1996	259	82

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की है क्योंकि यह शाखा मुख्य रूप से

भारतीय दंड संहिता तथा विशेष एवं अन्य कानूनों से संबंधित अपराधों की जांच करती है।

(ख) सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक कार्य के कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार-प्रवण विभागों का चयन किया जाता है और ऐसे चयनित विभागों की एक सूची तैयार करके समस्त फील्ड शाखाओं को इन विभागों पर एकाग्र ध्यान देने के निर्देशों सहित भेज दी जाती है। भ्रष्टाचार प्रवण स्थलों एवं स्थानों की पहचान की जाती है और भ्रष्ट आचरण का पता लगाने के लिए अचानक संयुक्त निरीक्षण किए जाते हैं। निष्ठा के मामले में संदिग्ध ख्याति वाले जनसेवकों की पहचान, सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सहयोग से की जाती है और उनके नाम "सहमत सूचियों" में रखे जाते हैं। विभागों द्वारा भी संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में सतर्कता प्रतिष्ठान भी होते हैं जो अपने कर्मचारियों पर नजर भी रखते हैं।

रासायनिक हथियार संधि

2641. डा॰ असीम बाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वव्यापी रासायनिक हथियार संधि के क्रियान्वयन हेतु विधायी प्रावधान बनाने के लिए कोई अध्यादेश ला रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आपराधिक मामलों में दिल्ली पुलिस के कर्मियों की संलिप्तता

2642. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और अपराधवार अपराध के स्वरूप सहित विभिन्न अपराधों में लिप्त पाए गए दिल्ली पुलिस के कितने कर्मी संलिप्त पाए गए;

(ख) प्रत्येक पुलिस कर्मी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इस प्रकार के प्रतिष्ठान से अपराध के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

क्र॰ सं॰	अपराध की किस्म	संलिप्त पाए गए पुलिस कर्मियों की संख्या		
		1994	1995	1996
1.	हत्या/हत्या का प्रयास	6	9	12
2.	धन ऐंठना/लूटपाट	11	11	13
3.	बलात्कार/उत्पीड़न	6	13	6
4.	धोखाधड़ी/चोरी	13	13	14
5.	अपहरण	9	3	2
6.	चोट पहुंचाना	33	37	35
7.	भ्रष्टाचार (निवारण अधिनियम)	31	38	30
8.	विविध (अन्य अपराध)	70	75	57
	योग	179	199	169

(ख) संबंधित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की उपयुक्त धाराओं के अधीन 1994 में 133, 1995 में 158 और 1996 में 140 आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

(ग) उठाए गए कदमों में शामिल हैं-गलती करने वाले पुलिस कर्मियों के विरूद्ध समय से और निवारक कार्रवाई किया जाना, पुलिसकर्मियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के प्रति लक्षित सुग्राहीकरण पाठ्यक्रम चलाया जाना, वरिष्ठ अधिकारियों तक जनता की आसान पहुंच तथा पुलिस थानों/चौकियों का अकस्मात निरीक्षण किया जाना।

सूखा प्रभावित क्षेत्र

2643. श्री माधवराव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों और जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है; और

(ख) सूखा राहत उपायों के लिए राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) राज्य सरकारों से मिली सूचनाओं के अनुसार, वर्ष 1996-97 में गुजरात में 4 जिलों के 1733 गांवों तथा महाराष्ट्र में 7 जिलों के 1850 गांवों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के 7 जिलों की 25 तहसीलों और उड़ीसा के 18 जिलों के 15818 गांवों में भिन्न-भिन्न हद तक सूखे की स्थिति है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत सरकार ने सूखा समेत प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों के लिए आपदा राहत कोष से उपरोक्त सरकारों को केन्द्र के अंश के रूप में निम्नलिखित धनराशियां निर्मुक्त की हैं :—

(करोड़ रु॰ में)

राज्य	आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्र का अंग
गुजरात	104.70
मध्य प्रदेश	38.31
महाराष्ट्र	51.15
उड़ीसा	36.76

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से उड़ीसा को 13.00 करोड़ रुपये की धनारशि निर्मुक्त की गई है। इस कोष से उड़ीसा को 37.00 करोड़ रुपये की एक और धनाशि देने का निर्णय किया गया है।

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा अनुसंधान परियोजनाएं

2644. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई॰सी॰ए॰आर॰ एढोक सेस फण्ड स्कीम द्वारा केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर की कितनी अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है और गत पांच वर्षों के दौरान उन पर कितना व्यय हुआ; और

(ख) इन तदर्थ योजनाओं के अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर की "देशी मुर्गी जननद्रव्य के आनुवंशिक गुण विश्लेषण" नामक एक तदर्थ योजना को 1.4.95 से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त योजना पर अब तक 9,12,899/- रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) अनुसंधान परिणामों से पता चलता है कि तीन गुनिया फाऊल नस्लों में रोग प्रतिरक्षण सक्षमता परीक्षणों में पर्याप्त व्यक्तिगत विविधता मौजूद है। उक्त परीक्षणों को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक एवं गैर आनुवंशिक परीक्षणों में दो नर प्रजनकों में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई गई जबकि लिंग एवं नस्ल के कारण यह भिन्नता महत्वहीन थी। डी॰एन॰ए॰ प्राप्त करने और उसे शुद्ध बनाने संबंधी न्यायाचार को मानकीकृत किया गया है और उसे अपना लिया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1509/97]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 131(अ) जो 20 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय यूरिया, जिंकेटेड यूरिया तथा अनहाइड्रस अमोनिया की कीमतों में संशोधन करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1510/97]

(2) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या वी॰सी॰/सी॰ए॰यू॰/14 (स्थापना)/93 (1996 का संख्यांक 3) जो 5 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में उक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा दिये गये पहले अध्यादेश को स्वीकृति दी गई है तथा अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1511/97]

को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार) नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1997 जो 20 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई॰पी॰-32 (12)/94 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1512/97]

(2) (एक) को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1513/97]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख') भर्ती नियम, 1996

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' पद) भर्ती नियम, 1996 जो 23 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 524 में प्रकाशित हुए थे तथा उनकी शुद्धि-पत्र जो 28 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 96(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1514/97]

रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन आयोजना, तत्परता तथा अनुचार) नियम, 1996

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन आयोजना, तत्परता तथा अनुचार) नियम, 1996 जो 2 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 347(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1515/97]

बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1516/97]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 आदि की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 1996 जो 27 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1517/97]

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सूबेदार मेजर (लेखाधिकारी) और निरीक्षक (लेखापाल) भर्ती नियम, 1997 जो 21 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा•का•नि• 26(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल•टी• 1518/97]

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री पी•आर• दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, कार्यसूची की मद सांख्या 8 बहुत महत्वपूर्ण है। मद संख्या 8, जिसकी प्रतियां मंत्री महोदय, श्री मकबूल डार ने सभा पटल पर रखी हैं, विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 1996 से संबंधित है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि वह 'फेरा' अधिनियम में संशोधन करेंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि इस संशोधन का विरोध न हो तथा यह संशोधन श्री चिदम्बरम द्वारा सभा में दिए गये बजट भाषण के प्रस्तावों के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, यह मामला 1996 में बनाए गए नियमों से संबंधित है।

श्री पी•आर• दासमुंशी : यह बड़ा गम्भीर मामला है। गैर-सरकारी संगठनों को विदेशों से धन मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई लेन-देन नहीं है।

अपराह्न 12.2 $^{1}/_{2}$ बजे

याचिका समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपको बोलने का अवसर दूंगा। मैंने अभी डा• जोशी को बुलाया है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने निर्धारित समय पर नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा• जोशी, कृपया संक्षेप में बोलना ताकि सभी को बोलने का मौका मिल सके।

[हिन्दी]

डा• मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत से कारखानों को अनावश्यक रूप से बंद किया जा रहा है। 'अपट्रान' का मामला पहले उठाया गया था। अब सरकार की 'हिन्दुस्तान केबल्स' पर निगाह पड़ी हुई है। यह कम्पनी बहुत ही सॉफैस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स बना रही थी जिसमें इसने आप्टिकल फाईबर केबल्स बनाये हैं और आज इसको बंद करने के लिये तथा निजीकरण करने के लिये आदेश दिया गया है। इसमें साढ़े तीन सौ इंजीनियर्स और कर्मचारी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। यह कम्पनी 1987 में बनी थी और 1990 में इसने उत्पादन शुरू कर दिया था। अकेले यह कम्पनी अपना सारा उत्पादन दूरसंचार विभाग को देती है।

लेकिन इसका प्रबंध हैवी इंडस्ट्रीज करती है। मेरी मांग है कि इसको हैवी इंडस्ट्रीज से स्थानांतरित करके कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री में लगा दिया जाए। दूरसंचार मंत्रालय इसको ऑर्डर्स दे कि केवल उसके लिए यह कंपनी बनाई गई है, करोड़ों रुपये लगाकर बनाई गई है। यह बहुत अच्छी कंपनी है। इसी तरह से सी•ओ•डी• छियोकी को हटाने की बात की जा रही है। इसी तरह से आई•टी•आई• को भंग किया जा रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि कर्मचारियों के साथ और फैक्टिरियों के साथ यह अन्याय बंद होना चाहिए और कोई सुनिश्चित योजना बनाकर इसको ठीक काम करने दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं हिन्दुस्तान केबल के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है उससे आप सहमत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इसका समर्थन करता हूं। यूनियन ने एक प्रस्ताव रखा है कि दूरसंचार विभाग को हिन्दुस्तान केबल को क्रयादेश देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से मत चिल्लाइए। सदस्यों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : 50 प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ क्रयादेश दिया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप इस तरह कैसे चर्चा कर सकते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : तीन महीने की अग्रिम राशि दी गई थी यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रत्येक मामला महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, प्रश्न यह है कि यह एक प्रमुख एकक है जिसका हर कीमत पर बचाव किया जाना चाहिए। मेरे विचार से उन्होंने इसकी स्थापना करके एक प्रकार से सेवा की है।

अध्यक्ष महोदय : अभी आपने कहा था कि आप सभी इसका समर्थन करते हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का प्रयास कर रही हूं परन्तु वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है। मैं क्या कर सकता हूं? आप तेज बोलिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हूं। प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक कमी के कारण माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो जाते हैं जिससे छात्रों को परेशानी होती है। कभी-कभी सी•बी•एस•ई• के मामले में भी ऐसा ही होता है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही घटना घटी है। कल पश्चिम बंगाल में चार लाख से अधिक छात्र परेशान थे क्योंकि गणित का पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। मैं चाहती हूं कि मानव संसाधन मंत्री सभा को बताएं कि प्रश्न पत्र लीक होने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। सरकार इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंड क्यों नहीं देती है?

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेषतः मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील करती हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। मैं केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही नहीं कह रही हूं बल्कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रश्न पत्र लीक हुआ और चार लाख छात्रों को परेशानी पैदा हो गई। देर रात ग्यारह बजे उन्हें पता चला कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री को इसके बारे में सूचित कर देना चाहिए और उन्हें इस पर वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें सभा को बताना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अब, विदेश मंत्री जी एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। चिंता मत कीजिए। शांत रहिए। धैर्य रखिए। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

अपराह्न 12.09 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

क्षेत्रीय सहयोग संबंधी हिन्द महासागर रीम संगठन (आई•ओ•आर•ए•आर•सी•) का उद्घाटन

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय क्षेत्रीय सहयोग रीम संघ की सफल शुरूआत पर इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करने में अपार हर्ष हो रहा है। यह सफलता 5-7 मार्च, 1997 तक मारिशस में संपन्न रीम देशों की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के फलस्वरूप मिली। आई•ओ•आर•ए•आर•सी• के उद्घाटन पर मेरे तथा भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के अलावा, आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मारिशस, मोजाम्बीक, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया और यमन को मिलाकर 13 देशों के मंत्री तथा प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आई ओ आर ए आर सी के गठन में दो वर्ष का समय लगा है। भारत सरकार अन्य मित्र देशों के निकट परामर्श से इस पहलकदमी को समर्थन देने तथा इसके सूत्रपात से इसे मूर्त देने में सक्रिय रही है। मार्च, 1995 में, मारीशस की सरकार ने 7 हिन्दी महासागर रीम देशों आस्ट्रेलिया, भारत, कीनिया, मारीशस, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका की एक अन्तरसरकारी बैठक आयोजित की। इसके पश्चात्, पहल करने वाले देशों की सदस्य संख्या दोगुनी हो गई। इसके फलस्वरूप, यह अनुमान लगाया गया कि आवश्यक सदस्य संख्या उपलब्ध हो गई है और आई ओ आर ए आर सी को अब औपचारिक रूप से आरम्भ किया जा सकता है।

आई ओ आर ए आर सी मंत्रिस्तरीय बैठक में आई ओ आर ए आर सी चार्टर को स्वीकार किया गया जिसमें इसके लक्ष्यों, मूल सिद्धांतों, गतिविधियों के क्षेत्र तथा संस्थागत और वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रावधान है। भारतीय शिष्टमण्डल ने इस संगठन को आधार प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने का समन्वय कार्य किया। अतः हमारे लिए यह विशेष संतोष की बात है कि इस संस्थापक दस्तावेज को सभी प्रतिनिधियों ने मौखिक मतदान से पारित किया।

अब मैं सदन का ध्यान इस चार्टर के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(1) इससे हिन्द महासागर रीम देशों तथा लोगों के बीच परम्परागत संबंधों को पुनः कायम करने तथा उन्हें समकालीन प्रगतिशील संदर्भ में पेश करने की भावना जागृत होती है।

(2) यह आई ओ आर ए आर सी को सुरक्षा से संबद्ध और विवादास्पद राजनीतिक मसलों को छोड़कर आर्थिक सहयोग के सरलीकरण और संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करता है। द्विपक्षीय और अन्य मसलों जिनसे विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है और जो क्षेत्रीय सहयोग प्रयासों के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं उन्हें इसकी परिधि से बाहर रखा जाना है।

(3) सर्व सम्मति आधारित, विकासमूलक, अ-हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया जाना है तथा पंचशील के पांच सिद्धांतों की पुष्टि की गई।

(4) सदस्य राज्यों द्वारा एक दूसरे को भेद भाव रहित व्यवहार के सिद्धान्त पर बल दिया जाता है जिसमें आई ओ आर ए आर सी के विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा अत्यधिक अनुकूल राष्ट्र व्यवहार देने की शर्तें शामिल हैं।

(5) कार्य कलापों का क्षेत्र और कार्य कार्यक्रम 'आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर केन्द्रित होते हैं जो समान हितों को विकसित करने और आपसी लाभ उठाने के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं'। इनमें विशेष रूप से व्यापार सरलीकरण, संवर्धन और उदारीकरण, निवेश संवर्धन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आदान प्रदान, पर्यटन, आधारभूत सुविधाओं और मानव संसाधनों का विकास और भेदभाव रहित आधार पर नैसर्गिक व्यक्तियों और सेवा उपलब्ध कराने वालों का आवागमन शामिल है।

(6) फिलहाल यह अधिमानी व्यापार व्यवस्था का रूप नहीं है किन्तु आई ओ आर ए आर सी सदस्य राज्यों के लिए अपने बीच व्यापार व्यवस्थाओं का अनुसरण करने के लिए यह मार्ग खोलता है।

(7) चार्टर में मंत्रि परिषद और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के लिए प्रावधान है जिसे आई ओ आर ए आर सी के क्रिया कलापों का मार्ग निर्देशन करने और समन्वित करने के लिए इण्डियन ओशन रीम बिजनिस फोरम और इण्डियन ओशन रीम एकेडेमिक ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। यह त्रिपक्षीय परामर्शदात्री संरचना आई ओ आर ए आर सी की अद्वितीय विशेषता है। आई ओ आर ए आर सी का एक सचिवालय नीतिगत निर्णयों और कार्य-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्वय, सेवा और निरीक्षण का कार्य करेगा।

मंत्रि-स्तरीय बैठक ने आई ओ आर ए आर सी में विकसित कार्य-कार्यक्रम का समर्थन किया था। 10 परियोजनाओं में से भारत ने 4 की पेशकश की और पहले से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं हैं : हिन्द महासागर रीम व्यापार केन्द्र और आई ओ आर एन ई टी, भारत में आई ओ आर व्यापार मेला, इण्डियन ओशन स्ट्डीज एण्ड एसोसिएट फैलो प्रोग्राम में एक आई ओ आर पीठ की स्थापना, निवेश सरलीकरण और संवर्धन तथा व्यापार सृजन संयुक्त उद्यम कार्य शुरू करना। हमारी परियोजनाओं के अन्य सदस्य राज्यों से रूचि और सहयोग मिला है और हमने अपने आई टी ई सी कार्यक्रम के अन्तर्गत सदस्य राज्यों को यथापेक्षित तकनीकी और परियोजना सहायता की भी पेशकश की है। हम समुद्री परिवहन, मानव संसाधन विकास और मानव तथा प्रत्यायन परियोजनाओं में भी हिस्सा ले रहे हैं जिनकी पेशकश अन्य आई ओ आर ए आर सी सदस्यों ने की है।

मारीशस ने जो बहुमूल्य तथा अग्रणी भूमिका निभाई है उसको स्वीकार करते हुए मंत्रिस्तरीय बैठक मारीशस में एक केन्द्रक सचिवालय की स्थापना पर सहमत हुई। आई ओ आर ए आर सी के सभी सदस्य इस 'प्रमुख तंत्र' की संचालन लागत में बराबर-बराबर का अंशदान करेंगे और इसे चलाने के लिए आदमी भी तैनात करेंगे।

आई ओ ए आर सी की सदस्यता के लिए 7 देशों बंगलादेश, ईरान, पाकिस्तान, सेशेल्स, थाईलैण्ड, मिस्र और फ्रांस से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देशों और उप क्षेत्रीय ग्रुपों ने पर्यवेक्षण में अपनी रूचि व्यक्त की है। हमें संतोष है कि कई देशों ने आई ओ आर ए आर सी में रूचि व्यक्त की है और इसे इस संघ के सम्भावित महत्व की मान्यता को स्वीकार किया है। हमने एक कार्य दल का गठन किया है जो उनकी समग्रता में सदस्यता के सभी मसलों को देखेगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों की समिति और उनके माध्यम से मंत्रि परिषद को सिफारिशें करेगा।

कुल मिलाकर यह संतोष की बात है कि हमने अन्य सहभागी देशों के साथ मिलकर जो पहलकदमी की है उसकी शुरूआत सुव्यवस्थित और सकारात्मक रूप से हुई है। प्रत्येक सदस्य देश ने आई सी आर ए आर सी की सफलता के प्रति योगदान देने की अपनी वचनबद्धता तथा दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति की है। समझ बूझ और सर्वसम्मति की जो भावना देखी गई है वह भविष्य के लिए एक सुखद आभास है।

हिन्द महासागर रीम, भारत की नियति के साथ नाम से, भारतीय डाइसपोरा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार और उसे विश्वजनीन बनाने के लिए इन रीम देशों को प्राप्त अवसरों के साथ जुड़ा हुआ है। आई ओ आर ए आर सी में वे देश शामिल हैं जो क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं और जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अधिक गतिशील तथा उदीयमान हो रही हैं। आई ओ आर ए आर सी के सभी देशों के साथ हमारे बढ़ते हुए व्यापार तथा निवेश संबंध हैं और वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में भारत की भूमिका तथा संभावित योगदान को स्वीकार करते हैं। हम आई ओ आर ए आर सी के बीच आर्थिक सहयोग में साझेदारी करने के इच्छुक हैं। आई ओ आर ए आर सी विश्व व्यापार में 700 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक तथा अन्तरा-व्यापार में 100 बिलियन अमरीकी

डालर का पहले से ही कारोबार करता है जिसमें समान क्षेत्रीय पहचान के विकास के साथ भारी मात्रा में वृद्धि होगी।

आई•ओ•आर•ए•आर•सी• में भारतीय भागीदारी को, हमारी व्यापक पड़ोसी नीति को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया प्रशान्त, खाड़ी, पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका तक और आगे ले जाती है जो अब हमारे निकट पड़ोसी दृष्टिकोण तथा उत्कट आदान-प्रदान के नोडल बिन्दुओं का अभिन्न अंग है। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक दूसरा आयाम है।

मारीशस में आई ओ आर ए आर सी के अस्तित्व में आने से मुझे हिन्द महासागर रीम के तटवर्ती राज्यों के बीच एक अफ्रीका एशिया समुदाय की पुनर्संरचना में भागीदार होने का अपार अनुभव हुआ है जो नेहरूवादी आदर्श हैं, जिसमें आस्ट्रेलिया भी शामिल था। इस नए समुदाय की स्थापना उस मौके पर होगी जब हम अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सम्मानित सदस्यों का और विशेषतौर से सदन में बैठे हुए गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। वहां के राज्यपाल बार-बार सफाई दे रहे हैं कि वहां की स्थिति सामान्य है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और एक ज्वलंत उदाहरण हमारा संसदीय क्षेत्र कानपुर देहात का थाना ककवन के गांव समस्तपुर है। वहां 5 और 6 तारीख की मध्यरात्रि में कुरील परिवार के श्री जियालाल कुरील की हत्या डंडों, लाठियों और खुर्पी से कर दी गई। उसके 22 वर्ष के जवान बेटे राम बाबू कुरील की हत्या गोली मारकर कर दी गई।

अपराह्न 12.19 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनके क्षेत्र की चौकी में तीन महीने से कोई भी इंसपैक्टर नहीं है। चौकी में छः कांस्टेबल हैं जिनमें से दो छुट्टी पर चल रहे हैं। मृतक ढाई घंटे तक जीवित रहा था और चौकी में उपस्थित कांस्टेबलों को इस घटना की सूचना दी गई, लेकिन चौकी से सिर्फ दो किलोमीटर दूर स्थित गांव में कोई भी कांस्टेबल नहीं पहुंचा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जिनका नाम सूची में है उन्हें मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। कृपया धैर्य रखिए।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : इस गांव में सात परिवार अनुसूचित जाति के हैं और दो परिवार तेलियों के रहते हैं। इनके अगल-बगल में एक ही वर्ग के लोग हैं। अनिल यादव ने इनको धमकी दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने संरक्षण प्रदान नहीं किया। आज भी गांव में आतंक व्याप्त है और अभी तक वहां पी•ए•सी• भी नहीं भेजी गई है। मृतक बाप-बेटे के दाहसंस्कार का प्रबंध भी नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मान्यवर एक बात और कहना चाहता हूं कि 6 तारीख की रात को इनका दाहसंस्कार होता है 8 तारीख को, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं। उन्हें बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। आप कृपया शांत बैठिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : मान्यवर, 8 तारीख को उ•प्र• के राज्यपाल श्री रमेश भंडारी जी, भारत के रक्षा मंत्री के साथ कानपुर जाते हैं और केवल हवाई सर्वेक्षण करके चले आते हैं। उस परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त नहीं करते हैं। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है और अराजकता इस कद्र फैली हुई है कि कानपुर में राज्यपाल महोदय सड़क पर नहीं चलते हैं, वे केवल हवाई सर्वेक्षण करके लौट आते हैं।

वहां इतनी अराजकता की स्थिति है कि राज्यपाल महोदय डेढ़ किलोमीटर की दूरी के दो प्रोग्रामों में हवाई जहाज से गये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस परिवार के अगल-बगल के लोगों ने इनको छह बार प्रताड़ित किया है। उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई राजनीतिक हत्या नहीं है। उनको छह बार प्रताड़ित करने के बाद भी वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन आज तक उस गांव में नहीं गया है। मेरी मांग है कि इस परिवार के दोनों पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और वहां पी•ए•सी• लगाई जाये। उस गांव में गरीब समाज के अंदर जो आतंक व्याप्त है, उसको दूर किया जाये और उनको सुरक्षा प्रदान की जाये। जो असत्य आरोप लगाये जा रहे हैं उनसे भी उनको बचाया जाये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उमा जी, मैं आपको चांस दूंगा।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : इस प्रकार से सुरेश कुरीला बैंक मैनेजर की हत्या भी इसी क्षेत्र में की गयी थी। सुरेश कुरीला की हत्या में आज तक किसी को नहीं पकड़ा गया है। इस हत्या में आज तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। मेरा आपसे अनुरोधश है कि गृह मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक कदम उठायें। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करें व आतंक को कम करें।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई प्रशासन नहीं है।...*(व्यवधान)* शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा।...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा क्योंकि यह मेरे घर के पास का मामला है। वहां इस प्रकार की हत्याऐं हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : श्री राम विलास पासवान जी यहां बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर बयान दें।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं आपके माध्यम से...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए। मैं सबको चांस दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : मेरा नाम सूची में है। मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है आपका नाम है। मैं सभी को एक-एक करके बोलने की अनुमति दूंगा, एक साथ नहीं। कृपया, बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग ने 1995 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा आयोजित की थी जिसका परिणाम नवम्बर 1996 तक आ जाना चाहिए था और नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो जानी थी। मई 1996 में परिणाम भी आ गया लेकिन आज तक उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के मामले में रेल मंत्रालय यू॰पी॰एस॰सी॰ को सहयोग करता है इसलिए मैं इस सवाल को उठाना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बाहर से इस विलम्ब के जो कारण पता चले हैं, वे यह है कि मंडल कमीशन की अनुशंसा के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निर्गत की थी, 8 सितम्बर, 1993 को जो दिशा निर्देश निर्गत किये थे उसके हिसाब से मैरिट के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का चयन किया जायेगा, जनरल केटेगिरी के मापदण्ड पर जो व्यक्ति चयनित होंगे उनका अलग से चयन होगा। जिस तरह से जनरल केटेगिरी के लोगों का चयन होता है लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लोगों का चयन होगा, वह उसके बाद 27 प्रतिशत होना चाहिए। यह केन्द्र सरकार की गाइडलाइन में है। लेकिन इस मामले में जानबूझकर सजिश की जा रही है। चाहे वह मैरिट से आ जाये या दूसरी तरह से आ जाये, कुल मिलाकर 27 प्रतिशत मात्र ही अन्य वर्गों के लोगों को लेने की साजिश की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग में और रेल मंत्रालय में जिसके मंत्री श्री राम विलास पासवान जी हैं उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए अनवरत् संघर्ष किया, वे उसमें भागीदार थे लेकिन जब उनकी कलम में ताकत आई है तो उस अन्याय की साजिश हो रही है।

हम आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के मामले में रेल मंत्रालय को-आर्डिनेट करता है तो कृपया उसे आप देखें। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पालन किया जाये और जो मैरिट के आधार पर आते हैं उनको मैरिट के आधार पर लिया जाये। इसके अलावा 27 प्रतिशत का आरक्षण इन लोगों को दिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, पिछले सत्र में जिस घटना को उठाया गया था और आपने सरकार को निर्देश दिया था, उसकी ओर भी दिलाना चाहता हूं। सन् 1992 की परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र लीक कर दिया गया था। उसके चलते उस समय के परीक्षार्थी और प्रतियोगी, जो अवसर से वंचित रह गये थे, पिछली बार हमने सदन में इस बात को उठाया था, राम कृपाल जी ने भी उठाया था और आपने सरकार को निर्देश दिया था। आज परीक्षा का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उनको परीक्षा का दूसरा अवसर नहीं दिया गया है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस दूसरे मामले में सरकार को अपने निर्देशों का पालन करने के लिए आप सख्ती से हिदायत दें, यही आपसे निवेदन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान रेलवे द्वारा केरल विशेषतः मालाबार क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में कल मालाबार क्षेत्र में आयोजित पूर्ण बंद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले अनेक वर्षों से मालाबार की जनता, जो केरल की आधी जनसंख्या के बराबर है तथा इसका क्षेत्र आधे राज्य के समतुल्य है और इसके अन्तर्गत राजस्व अर्जित करने वाले चौदह जिलों से छः जिले हैं, रेलवे के मामले में न्याय की मांग कर रही है। मंगलौर-शोरानूर रेल लाइन मालाबार क्षेत्र की जीवन रेखा है। इस रेल लाइन को अभी दोहरा नहीं किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये है। बजट में इस प्रयोजनार्थ केवल 17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पिछले वर्ष के बजट में रेल मंत्री महोदय ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि निलम्बूर और शोरानूर के बीच 'पुश-पुल ट्रेन' चलाई जाएगी। लेकिन यह रेलगाड़ी अभी तक नहीं चलाई गई है। दो सर्वेक्षण किए जाने थे एक, एडापल्ली से तिरुर तक और दूसरा, फीरोक से निलम्बूर तक। परन्तु अभी तक दोनों सर्वेक्षण नहीं किए गये हैं। इस क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।

राजनीतिक दलों को नजरअंदाज करते हुए विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों, शिक्षा तथा अन्य संगठनों के लोगों ने पूर्ण बंद किया गया है। केरल विधान सभा के सदस्यों तथा कालीकट के मेयर सहित इस बंद में केरल की आधी से अधिक जनसंख्या शामिल हुई।

यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसका मालाबार क्षेत्र की जनता की भावनाओं पर प्रभाव पड़ा है। रेल मंत्री महोदय तथा केरल के मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि वे इस सभा को आश्वासन दें कि केरल के मालाबार क्षेत्र की जनता के साथ न्याय किया जाएगा...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवतुपुजा) : महोदय, मालाबार क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। रेल लाइन के दोहरीकरण का महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए। रेल मंत्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : महोदय, इस उपेक्षा के विरोध में पूर्ण बंद का आयोजन हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, मंगलापुरम से रेल लाइन के दोहरीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, मंत्री महोदय ने इसका आश्वासन दिया है। हम इस सभा में इस रेल लाइन के दोहरीकरण का आश्वासन चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण लाइन है। आज हम इस सभा में इसके बारे में आश्वासन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। इसकी कोई सीमा है या नहीं?

[हिन्दी]

ऑनरेबल मिनिस्टर कुछ कहना चाहें तो मैं उनको रोकूंगा नहीं। और क्या चाहिए? रेलवे डिस्कशन चल रहा है, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर इसका जवाब दे देंगे।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहने जा रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप बैठ जाएं। इनके बाद आप बोलें।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों, खासकर केरल के सदस्यों ने शिकायत की थी कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। मैंने केरल के सभी दलों के सांसदों की बैठक बुलाई थी। उसमें सीमित साधनों के अंतर्गत जितना सम्भव था, सब लोगों की राय से उसको बढ़ाने का काम किया गया। जब मैं जवाब दूंगा तब बताऊंगा क्योंकि रेल बजट पर बहस चल रही है। लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के प्रति डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है। सीमित साधनों के बावजूद किसी भी राज्य को हम यह शिकायत का मौका नहीं देंगे कि उनके प्रति कोई भेदभाव या अन्याय किया गया है।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। हमारे यहां मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश का वह हिस्सा जो बुंदेलखंड में आता है, वहां लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार और उनकी हत्याएं करने का काम हो रहा है। मैंने कई बार यह बात गृह मंत्री जी के नोटिस में भी लाई है। पिछली 20 जनवरी की रात को जिला टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर कस्बे में दलित, हरिजन और आदिवासी महिलाएं धरने पर बैठी थी। कुछ अपराधी तत्व वहां आए, जिनको कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, उन लोगों ने उनको उठा-उठाकर फेंक दिया और गंदी-गंदी गालियां दी। वे जंगल से लकड़ियां बीनने वाली महिलाएं थीं। उन कांग्रेस के अपराधियों ने, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने उन महिलाओं को धमकी दी कि चूंकि तुम हमारे खिलाफ धरने पर बैठी हो, अब जंगल में लकड़ियां बीनने जाओगी तो हम तुम्हारी इज्जत लूटेंगे और हत्या करेंगे। मैं दूसरे दिन 21 जनवरी को वहां गई और उन दलित महिलाओं को थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं गृह मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहती हूं।...*(व्यवधान)* आप सुनिए ज्यादा और सोएं कम, आपको हमारी बात सुनाई नहीं देती तो मैं क्या करूं। उस मामले को लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसी तरह से जिला टीकमगढ़ में मोहन गढ़ थाने में एक दलित नौजवान पप्पू अहिरवाल, जो कि चर्मकार है, उसको छोटी सी चोरी के अपराध में थाने में लाकर पीट-पीट कर मार डाला गया। अंत में पुलिस ने थाने में टांग दिया और कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार हमारे जिले में और बुंदेलखंड से लगे हुए मध्य प्रदेश के हिस्से में लगातार हत्याओं, डकैती, अपहरण, अपराध और बलात्कार की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 11000 बेकसूर लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और 10450 महिलाओं की इज्जत लूटे जाने की

घटनाएं घट चुकी हैं। अगर इन नियंत्रण नहीं पाया गया तो मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि जो मध्य प्रदेश कभी शांति का टापू कहलाता था, वह हिंसा और आंतक का स्थान बन जाएगा।

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह से मुरैना के दलित सांसद अशोक अर्गल जो हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें।

कुमारी उमा भारती : मैं समाप्त कर रही हूं।...*(व्यवधान)* कलेक्टर स्वयं सांसद विकास निधि का बंटवारा नहीं कर सकता। अशोक जी ने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया हुआ है, मेरा आग्रह है कि आप उनकी बात सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक अर्गल।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कहने दें।

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुरैना के कलेक्टर जिनका नाम राधेश्याम जुवानिया है, जिन्होंने कभी अपने सांसद के पत्र का जवाब नहीं दिया। जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरी निधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 12,60,000 रुपये उन्होंने मेरी अनुमति के बिना खर्च कर दिए और मुझे इसका कोई हिसाब-किताब नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार के नियम हैं कि सांसदों को भ्रमण के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन मुझे कभी अच्छी कंडीशन का वाहन नहीं दिया और न कभी उसमें डीजल डलवाया। मुझे अपनी जेब से ही डीजल डलवाना पड़ता है। मेरे लिए चमार शब्द का उपयोग किया और चैम्बर से बाहर निकल जाने का मुझे आदेश दिया। अतः जब एक सांसद अपने अधिकार के लिए इतना परेशान है तो आम जनता की मध्य प्रदेश सरकार के अंदर क्या हालत हो रही होगी? अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको तो बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, नई गाइडलाइंस बनाने के बाद किसी सांसद के साथ कलेक्टर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वह ब्रीच ऑफ प्रीविलेज मानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि गाइडलाइंस बनाने के बाद यह पहला केस सदन में आया है। अतः आप निर्देश दीजिए और इसे ब्रीच ऑफ प्रीविलेज कमेटी के पास भेज दीजिए ताकि आगे इस प्रकार के केस नहीं हों।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके पूरे डिटेल्स लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा॰ एम॰ जगन्नाथ (नागरकुरन्नूल) : महोदय, यह उसी विषय से संबंधित है। जब माननीय सदस्य का कलेक्टर ने अपमान किया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था तथा उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें बोलने देंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने को कहा है। कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने दूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अत्यन्त खेद है...*(व्यवधान)*

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, जो कुछ वह कह रहे हैं, हम सभी उससे सम्बद्ध हैं...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय हमें यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ है कि प्रकाशन प्रभाग जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, ने *योजना* के उड़िया संस्करण के प्रकाशन को बीच में ही रोक दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़िया संस्करा मात्र तीन वर्ष और चार माह पुराना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते? कृपया बीच में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : पंडित जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल के दौरान, 1957 में 'योजना' प्रथम बार, देश की विकास गतिविधियों के बारे में प्रभावी सूचना देने के लिए आरम्भ की गई। इसके 36 वर्ष पश्चात् 1993 में, इसका उड़िया संस्करण आरम्भ किया गया। किन्तु तीन वर्ष पश्चात्-हमें यह जानकर दुःख हुआ कि-इसे रोक दिया गया। इसका क्या कारण है? कारण यह बताया गया कि, 'कम परिचालन' है। इसके आरम्भ से ही इसका परिचालन बढ़ रहा था और मंत्रालय द्वारा इसमें कम रूचि दिखाए जाने के कारण इसे जितना बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ सका। अन्य भाषाओं में भी इसका परिचालन कम था। किन्तु उन्हें नहीं रोका गया। यह उड़िया भाषा का तथा उड़िया के लोगों का अपमान है...*(व्यवधान)* हम इसकी कटु आलोचना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। उड़ीसा के लोग अपमानित और उपेक्षित महसूस करते हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं...*(व्यवधान)* मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संसदीय कार्य मंत्री महोदय को इसके संस्करण को आरम्भ करने का निर्देश दें।...*(व्यवधान)* महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं...*(व्यवधान)* महोदय, हम आपका निर्देश चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शरत पटनायक : महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। उड़ीसा भी देश का एक भाग है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया गया है। अब भाषण समाप्त करें ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं आंकड़े भी देना चाहूंगा। कुछ अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण हैं जिनका परिचालन 500 अथवा 250 प्रतियां हैं किन्तु इन्हें बन्द नहीं गया है, जबकि उड़िया संस्करण जिसका परिचालन कहीं अधिक है, को बन्द कर दिया गया है। उड़ीसा के लोगों के प्रति, तथा उड़िया भाषा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपनाया जा रहा है?...*(व्यवधान)* महोदय आप एक निर्देश दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कृपया संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने अगले माननीय सदस्य को पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भारद्वाज।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं। मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री तक यह बात पहुंचा दूंगा और मुझे विश्वास है कि वे इस मामले पर विचार करेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में जल की आपूर्ति सुवर्णरेखा नदी से हुआ करती थी और जो भी आपूर्ति कम पड़ जाती थी, उस कमी को पूरा करने के लिए डिमना लेक से पानी लिया जाता था, लेकिन केन्द्रीय सरकार की परियोजना के तहत जब से सुवर्णरेखा नदी पर चांडिल डैम बांध दिया है, तब से यह आपूर्ति चांडिल डैम से होती है और जमशेदपुर क्षेत्र में सीधे नदी से पानी नहीं जाता है। जब भी जल की आपूर्ति कम होती है, तो टिसको अपने फिलटरेशन प्लान्ट के माध्यम से मानगो क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चांडिल डैम के गेट्स बन्द कर दिए गए हैं और गेट्स बन्द होने की वजह से पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में पानी न होने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। यह कृत्रिम संकट की स्थिति पैदा हुई है। टिसको ने यह परसों एनाउन्स किया है कि वह मानगो प्लान्ट के माध्यम से डिमना लेक का पानी दिन में एक बार सप्लाय करेगा। आज स्थिति यह है कि दिन में एक बार केवल जमशेदपुर को पानी दिया जा रहा है, और यह भी सच है कि मानगो फिल्टर प्लान्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस कारण प्रदूषित पानी पूरे जमशेदपुर की जनता को दिया जा रहा है और खासकर मानगो की जनता को।

मेरा आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय से यही निवेदन है कि राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि केन्द्रीय सरकार के तहत जो परियोजना बनी है, चांडिल डैम बना है, उसके गेट्स तुरन्त खोल दिए जायें, ताकि वहां पर जो पानी मौजूद है, उससे जमशेदपुर क्षेत्र की जल आपूर्ति की जा सके। इसके साथ ही जमशेदपुर क्षेत्र के उपायुक्त को यह निर्देश दिया जाए कि उनके पास जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उस पैसे का इस्तेमाल मानगो फिल्ट्रेशन प्लान्ट को ठीक करने में या नया प्लान्ट लगाने में किया जाए, ताकि वहां की जनता को प्रदूषित पानी न मिले। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उन्हें बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लिस्ट के बगैर किसी को नहीं बुला रहा हूं। सब के नाम हैं। एक-एक करके बुलाऊंगा। एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पुन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार ने एकपक्षीय तथा असंवैधानिक तरीके से उस्मानाबाद का नाम बदल कर धाराशिव रख दिया। राज्य सरकार का इसके नाम परिवर्तन का कोई कार्यक्षेत्र नहीं है। इसने केन्द्र सरकार की शक्तियों और कार्यप्रणाली का उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त, यह नाम परिवर्तन लोगों की भावनाओं के विरूद्ध है। यह साम्प्रदायिक आधार पर किया गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल पहले भी उठ चुका है।

[अनुवाद]

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : अतः यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले पर सदन में एक वक्तव्य दे। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले को महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ उठाए तथा नाम परिवर्तन को, जो कि पूर्णतया असंवैधानिक और साम्प्रदायिक है, को खारिज करे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री जी•एम• बनातवाला : यह केन्द्रीय सरकार की अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त। अब शेष सभी कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य केरल से आते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर मसले की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे बार्डर में कठुआ और जम्मू जिले में लगातार पिछले एक साल से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। हमारी जो सैकिंड डिफेंस लाईन है, वहां पर बार्डर पर बसे हुए लोग हैं वे सरकार की तरफ से बिना किसी तरह का पैसा लिए हुए अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह बनी हुई है कि पिछले छः महीने से सारे बार्डर के किसान अपनी जमीन को छोड़कर पीछे आ गए हैं। कम से कम 50 लोग जख्मी हो चुके हैं। घरों के अंदर सीधे गोलियां आ रही हैं। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं इनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि या तो यहां पर जो हमारी फौज तैनात है उनको बराबर छूट दें कि वे पाकिस्तान की गोलियों का जवाब दे सकें या कम से कम जो बार्डर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी होसला अफजाई करें। वे बार्डर पर बैठे हैं और वहां पर लगातार फायरिंग हो रही है। इन्होंने तार लगाने की बात कही थी लेकिन वह तार लगनी भी बंद हो चुकी है। कठुआ और जम्मू जिले से, खास करके रामगढ़ में अब्दुलिया गांव है वहां पूरे के पूरे गांव खाली हो रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि वह इस पर बयान दें। आप गृह मंत्री जी से बयान देने के लिए कहिए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, सांस्कृतिक महत्व की बहुमूल्य भारतीय पुरातन वस्तुओं की निरन्तर तस्करी का मामला हम सभी के लिए एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। लन्दन में एक टी•वी• रिपोर्ट के अनुसार तथा एक प्रसिद्ध कला पत्रकार, श्री पीटर वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक, "सौदबाईल इनसाइड स्टोरी" के अनुसार भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य पुरातन वस्तुओं की लगातार तस्करी हो रही है।

हमें यह जानकर चिंता हुई और आरोप लगाए गए कि सांस्कृतिक महत्व की बहुमूल्य भारतीय पुरातन वस्तुओं की तस्करी कुछ डिप्लोमैटिक बैग के माध्यम से ही संभव हुई है। यद्यपि, जांच जारी है, टी•वी• रिपोर्ट, इस प्रकार की पुस्तकें और लेख लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि भारतीय बहुमूल्य वस्तुओं की तस्करी में एक तरीका, षड़यंत्र तथा सांठ-गांठ है। समस्या यह है कि हमारी ब्रिटेन के साथ कोई संधि नहीं है।

भारत सरकार के अनुसार, हाल ही में हमारे उच्चायुक्त ने एक स्पष्टीकरण दिया है और समस्या यह है कि जब तक हमारी ब्रिटेन के साथ इस प्रकार की बहुमूल्य पुरातन वस्तुओं की वास्तविकता के बारे में कोई संधि नहीं होती, हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा दोषियों को दण्ड देना अत्यन्त कठिन होगा।

मैं सरकार का ध्यान इस अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर आकृष्ट करता हूं। मैं यह भी मांग करता हूं कि सरकार को इस सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि सदस्य इस अत्यन्त गंभीर मामले पर पूर्ण चर्चा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर के ग्राम दाउदपुरा, थाना बेहट में एक बड़ा भारी हादसा हुआ है। तीन व्यक्ति दिनांक 28.2.97 को मोटर-साइकिल पर आ रहे थे, वे भोले-भाले ग्रामीण दाउदपुरा के रहने वाले थे - कुलदीप सिंह, सोमपाल तथा सूरजभान। उनके पीछे-पीछे एक एम्बेसेडर कार आ रही थी, जिस पर नीली बत्ती लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसमें पुलिस के बड़े अफसर बैठे थे। सारे गांव के लोग कहते हैं कि उसमें एस•पी•साहब• थे। तीनों व्यक्तियों को वहीं गांव दाउदपुर में रात्रि के ग्यारह बजे उस गाड़ी में बैठे अधिकारी ने गोली से मार दिया। इसको लेकर सारे क्षेत्र में आतंक और भय का वातावरण है। लोग आन्दोलित हैं। सभी लोगों, विधायकों और सम्मानित पत्रकारों की मांग है कि इस मामले की जांच सी•बी•आई• से करवायी जाए। मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि वह कृपया महामहिम गवर्नर साहब को आदेश दें कि वह इस मामले की सी•बी•आई• से जांच करवाएं।

[अनुवाद]

श्री पी•आर• दासमुंशी (हावड़) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के पर्वतीय क्षेत्रों के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें लद्दाख उत्तराखंड, दार्जिलिंग और झारखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के नेता भी सम्मिलित हुए थे। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम देश की एकता के लिए किसी भी जातीय समुदाय अथवा समूह का और अधिक विरोध नहीं कर सकते। इसके लिए, हमें जिम्मेदारी का बर्ताव करना होगा तथा उचित समय पर प्रत्येक के साथ वार्ता करनी होगी ताकि हमारी बातें सीमा पार न जाएं।

महोदय, वह मामला जिसके लिए मैं बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं तथा जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वह यह है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव के पूर्व और पश्चात् उत्तराखंड को एक पृथक राज्य का दर्जा देने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की थी, जिसके लिए मैं समझता हूं कि प्रक्रिया जारी है तथा अब यह मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। मुझे नहीं मालूम कि यह राज्य का दर्जा उन्हें किस रूप में दिया जाएगा। किन्तु इससे पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ अन्य समूहों जिनमें श्री सुभाष घिसिंग भी शामिल हैं, की आशा में बढ़ोत्तरी हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वह गृह मंत्रालय के साथ

व्यक्तिगत बातचीत से बड़े संतुष्ट हैं। उन्होंने जो नया मुद्दा अब उठाया है, वह अत्यन्त गम्भीर है।

महोदय, नेपाल और भूटान से हमारे मधुर सम्बन्ध हैं जिन्हें हम निश्चित रूप से आगे और सुदृढ़ बनाएंगे। गोरखा सैनिक जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राचीन काल से लगे हैं हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। मैं समझता हूं कि श्री सुभाष घिसिंग द्वारा उठाया गया प्रमुख मुद्दा, एक आधारभूत प्रश्न है कि दार्जिलिंग की जनता – गोरखा जनसंख्या की नजर में दार्जिलिंग भारत का भाग है अथवा नहीं। वह प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करता है। ऐसा इसलिए है, उनके अनुसार उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसको स्पष्ट किया है तथा उन्होंने उच्चतम न्यायालय में भी एक आवेदन दिया है कि दार्जिलिंग की एवज में संधि के अनुसार वह कुछ शुल्क पट्टे के रूप में भूटान को दे रहे हैं। इससे वहां की जनता परेशान है। उन्होंने देशभक्ति की अपील की है। सरकार को सभी को विश्वास में लेना चाहिए तथा यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये सभी देश के अभिन्न अंग हैं। अतः राज्य का दर्जा देने का प्रश्न अहम नहीं है किन्तु जहां तक दार्जिलिंग के लोगों का प्रश्न है, एकता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अतः मैं आपके माध्यम से, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वस्तुस्थिति को नियन्त्रण के बाहर होने देने की बजाय, गृह मंत्रालय तथा सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए तथा उन्हें स्थिति के बारे में बताना चाहिए। यदि अतीत में कोई ऐतिहासिक बात हुई हो, तो उन्हें वर्तमान संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी चाहिए तथा किसी भी जातीय समुदाय से टकराव की अनुमति भारत के हित में नहीं देनी चाहिए तथा उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए।

यदि उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देकर स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है, तो सरकार को स्पष्ट रूप से यह सोचना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों के नेताओं की मांगों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की जाए ताकि इस प्रकार की समस्या भविष्य में न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के नेताओं ने कहा है कि उन्होंने एक समूह बना लिया है और यदि सरकार उनकी ओर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं करती है तो उनकी कुछ और योजना है। मैं समझता हूं कि वे अभी भी सरकार के नियन्त्रण में हैं तथा वे अब भी सरकार से बातचीत के इच्छुक हैं। सरकार को और अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए तथा उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। धन्यवाद... *(व्यवधान)*

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय मैं भी इसी मुद्दे पर ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास जिनका नोटिस है, मैं उन्हीं को बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके और इस सदन के ध्यान में एक अत्यन्त गम्भीर स्थिति, जो पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न हुई है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर लगभग सभी अन्य सेवाएं इस रिपोर्ट से अप्रसन्न व असंतुष्ट हैं। अब, सचिवों की एक समिति इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए तथा इसे लागू करने की सिफारिश करने के लिए गठित की गई है। पहले भी, पांचवे वेतन आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य जो सदस्य सचिव भी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। यह सभी को पता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं रिपोर्ट की सिफारिशों से अप्रसन्न और असंतुष्ट हैं। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के आठ सचिव इसके लागू करने की सिफारिश करने के लिए बैठे हैं। अतः इस बात में कोई विश्वास नहीं है कि इस मामले में न्याय होगा।

मैं महसूस करता हूं कि सभी सेवाओं में से रक्षा सेवाएं वास्तव में उपेक्षित रही हैं। आप भी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि हमारे नवयुवक रक्षा सेवाओं में नहीं आ रहे हैं तथा रक्षा सेवाओं में अधिकारियों की भारी कमी है। इससे हमारी रक्षा क्षमता में कमी आ सकती है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। यह रिपोर्ट अब रक्षा सेवाओं को उस स्थिति की ओर ले जा रही है, मुझे आशा है ऐसा नहीं होगा, उन्हें वही तरीके अपनाने पड़ेंगे जो असैनिक सेवा द्वारा अपनाए जाते हैं। अतः मेरा इस सदन से तथा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि इस रिपोर्ट को तब तक लागू न किया जाए जब तक यह सदन इससे संतुष्ट न हो और इसे तब तक लागू न किया जाए जब तक विशेषकर सैन्य/रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधियों की इस मामले में बात न मानी जाए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जे॰आर॰वाई॰, एस॰आर॰वाई॰ योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें केन्द्रीय सरकार की तरफ से पैसा जाता है और वह पैसा जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा खर्च किया जाता है। कई सांसदों द्वारा इस बात की शिकायत की जाती है कि वह पैसा उनके द्वारा दी गयी योजना के लिये खर्च नहीं किया जाता। यह केन्द्र सरकार का पैसा है, इसलिये यह जरूरी है कि इस मामले में वहां के जन-प्रतिनिधि की राय अवश्य ली जानी चाहिये लेकिन जब हम डिप्टी कमिश्नर या एडीशनल डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपका इस पैसे से कोई लेना-देना नहीं है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से खींचते हुये बताना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी से पैसा खर्च करते हैं, उस पर नियंत्रण होना चाहिये। वह पैसा चुने हुये जन-प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके ही खर्च किया जाना चाहिये। मेरे संसदीय क्षेत्र में पांच करोड़ रुपया दिया गया लेकिन हम से पूछकर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है बल्कि डिप्टी कमिश्नर के चहेते लोग या नीचे के अधिकारी लोगों को जैसे कहा जाता है, वैसे ही खर्च कर रहे हैं। हम लोगों की कोई

सुनवाई नहीं हो रही है और जे•आर•वाई•, एस•आर•वाई• और इन्दिरा आवास योजना के लिये स्वीकृत पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। मेरा सरकार से कहना है कि इस पैसे को खर्च करने के लिये वहां के जन-प्रतिनिधि की राय लेकर ही खर्च करना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब उन्हें बोलने दें।

श्री शिवानन्द एच• कौजलगी (बेलगाम) : भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने कर्नाटक के जिला बेलगाम में बेलहिंगल स्थित किट्टूर चन्नम्मा समाधि के लिए सी•आर•एफ कोष के अन्तर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। यद्यपि, भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है, किन्तु कर्नाटक सरकार ने अभी तक इस सड़क के निर्माण कार्य को आरम्भ नहीं किया है। अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ने वाले किट्टूर चन्नम्मा समाधि के लिए यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है। सड़क के अविलम्ब मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षतिग्रस्त है। अतः आपके माध्यम से मेरा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से अनुरोध है कि सड़क के निर्माण कार्य को तुरन्त आरम्भ करने का निर्देश दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ पढ़ रहे हैं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले दूरदर्शन पर 'राम के नाम पर' एक सीरियल दिखाया गया...*(व्यवधान)* सारे देश के लोगों ने इस सीरियल को देखा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी•एम• बनातवाला : इस सीरियल ने उनका पर्दाफाश कर दिया है...*(व्यवधान)* इसी खुलासे के बारे में वह बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की तमाम जातियों में विद्वेष पैदा कर आपसी सौहार्द और देश की राष्ट्रीय एकता के प्रति खतरा पैदा करके राष्ट्र के अंदर तनाव पैदा करने की स्थिति पैदा की गयी है।

अपराह्न 1.00 बजे

मेरा निवेदन है कि मर्यादा पुरूषोत्तम राम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पूजनीय हैं। इन पर यदि किसी प्रकार का अपमानजनक प्रसंग उठाया जाता है...*(व्यवधान)* मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जब कुरान के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी तो यहां से ऐडवोकेट जनरल को भेजा गया था और यह कहा गया था कि किसी भी मज़हब की भावना को यदि किसी प्रकार का आघात पहुंचता है तो हाई कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट को कह दिया गया और उसने मामला बंद कर दिया। 'द सेटेनिक वर्सेज' के खिलाफ रशदी की किताब ज़ब्त कर ली गई थी। यह डाक्यूमेण्ट्री 'राम के नाम पर' जो देश के अंदर विद्वेष पैदा कर रही है, उसको भारत सरकार को ज़ब्त करना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि बंबई हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो क्या आप उसके खिलाफ अपील करके सारे देश में शांति पैदा करने की कोशिश करेंगे?...*(व्यवधान)* 'राम के नाम पर' डाक्यूमेण्ट्री को बैन किया जाए और ज़ब्त किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी•एम• बनातवाला : इस वृत्तचित्र ने इस राजनीतिक पार्टी का पूर्णतः पर्दाफाश कर दिया है...*(व्यवधान)* यह आवश्यक है कि उनका पर्दाफाश हो...*(व्यवधान)* एक तरफ तो वे बाबरी मस्जिद के ढ़हने को भूल गए हैं और दूसरी तरफ वे चाहते हैं कि कोई उनका पर्दाफाश न करे...*(व्यवधान)* वृत्तचित्र को न्यायालय के समुचित आदेश पर दिखाया गया...*(व्यवधान)* अतः दूरदर्शन द्वारा इस वृत्त चित्र का प्रसारण पूर्णतः ठीक था।

श्री एन•के• प्रेमचन्द्रन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल राज्य के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* केरल राज्य में भारी विद्युत संकट है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सरदार सरोवर परियोजना में भागीदार राज्यों द्वारा देयों के भुगतान में चूक को रोकने के लिए क्रियाविधि तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार सहभागी राज्यों को सरदार सरोवर परियोजना में अपने हिस्से का भुगतान उसी अनुपात में करना है जिसमें उनको परियोजना से लाभ प्राप्त हो रहा है। तथापि, मार्च, 1996 के अंत तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की ओर क्रमशः 421.03 करोड़,

47.91 करोड़ तथा 130.89 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया था। सहभागी राज्यों ने रौकिल डाइक्स तथा लिंक चैनलों और विस्थापितों के पुनर्वास पर होने वाले व्यय के संबंध में कुछ विवाद उठाये हैं। कुल विवादित राशि 92.68 करोड़ रुपये है। इस प्रकार मार्च, 1996 के अंत में कुल विवादरहित भाग 507.15 करोड़ रुपये है जिसमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की ओर क्रमशः 364.66 करोड़, 21.30 करोड़ तथा 120.99 करोड़ रुपये बकाया है। गुजरात की राज्य सरकार तथा गुजरात के संसद सदस्यों ने सरकार से एक ऐसी कार्यविधि तैयार करने का अनुरोध किया है जिससे सहभागी राज्यों द्वारा भुगतान की चूक से बचा जा सके तथा परियोजना का निर्बाध रूप से वित्त-पोषण हो सके। विकल्प के तौर पर, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसा बकाया राशियों की अदायगी संबंधित राज्यों को मिलने वाली अतिरिक्त सहायता में से कर दी जाये तथा उस राशि को सीधे गुजरात को रिलीज कर दिया जाये।

(दो) उत्तर प्रदेश में गोंडा में रसोई गैस एजेंसी खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती केतकी देवी सिंह (गोण्डा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गोंडा (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत नवाबगंज क्षेत्र में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय स्थित हैं। उनमें हजारों लोग काम करते हैं तथा यहां की आबादी 35-40 हजार के लगभग है। यहां पर ईंधन का कोई साधन न होने के कारण लोगों को भारी परेशानो का सामना करना पड़ रहा है। यहां के निवासियों द्वारा काफी समय से गैस एजेंसी खोलने की मांग की जाती रही है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोंडा (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत नवाबगंज क्षेत्र में शीघ्र ही गैस एजेंसी खोलने की व्यवस्था की जाये ताकि क्षेत्र के निवासियों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप केन्द्र सरकार को डायरैक्शन दें, उत्तर प्रदेश का गोंडा जनपद सबसे पिछड़ा है, गैस एजेंसी के मामले में बिल्कुल शून्य है। वहां भारी मात्रा में मांग है, बिल्कुल ब्लैक और भ्रष्टाचार है। हमारा आपसे यह आग्रह होगा, मैं माननीय सदस्या के विचारों से अपने को जोड़ता हूं, सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार को निर्देशित करें कि गोंडा जिले में रसोई गैस की जो किल्लत है, उसके देखते हुए वहां तुरंत एल॰पी॰जी॰ आउटलेट की स्थापना की जाए।

(तीन) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रसोई गैस की कमी दूर किए जाने की आवश्यकता

डा॰ जी॰आर॰ सरोदे (जलगांव) : महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रसोई गैस की कमी से जिले की जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में प्रत्येक रसोई गैस डीलर के पास वर्षों से प्रतीक्षा सूची लम्बित है। प्रतीक्षा सूची वाले इन सभी ग्राहकों को तुरंत कनैक्शन मिलना आवश्यक है। जिले में प्रत्येक तहसील में और अधिक नए खुदरा बिक्री केन्द्र (नए डीलरशिप) शरू किए जाने की आवश्यकता है और पुराने खुदरा बिक्री केन्द्रों के एक्सटेंशन काउंटर गांवों में शुरू किए जाएं ताकि गांवों में रहने वाले ग्राहकों को सिलैण्डर आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस क्षेत्र में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम का रिफिलिंग सैंटर न होने से हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के गैस उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम का रिफलिंग सैंटर खोले जाने की आवश्यकता है।

जलगांव जिले में बेनामी गैस ग्राहकों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिले में करीब दस हजार गैस धारक ऐसे हैं, जिनका रिकार्ड किसी डीलर के पास नहीं है। मगर उन्हें प्रत्येक डीलर की दुकान से हर महीने दुगने पैसे देकर सिलैण्डर मिल जाता है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि दुगना डिपोजिट लेकर इन सभी अनधिकृत गैस धारकों को अधिकृत गैस धारक के रूप में मान्यता दी जाए। इससे सरकार को अधिक राजस्व भी मिलेगा और डीलर्स से इन अनधिकृत गैस धारकों की हो रही लूट बंद हो जाएगी।

(चार) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए महाजन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, शोलापुर जिला और इससे लगे क्षेत्रों में कन्नड़ बोलने वाले लोगों का बाहुल्य है। अब ये क्षेत्र महाराष्ट्र में हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद चालीस वर्ष से भी अधिक पुराना है। महाराष्ट्र के कई नेताओं ने इस मामले को हाल ही में उठाना था। हमने भी इस मामले के हल के लिए कई बार केन्द्र से कहा था। लेकिन अब तक इसका कोई परिणाम नहीं मिलता है।

भारत सरकार ने इस सवाल के समाधान हेतु महाजन समिति का गठन किया। आयोग ने दो दशक पहले अपनी रिपोर्ट दे दी थी। दुर्भाग्यवश, अब तक आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के लोग इस मामले को लेकर काफी आन्दोलित हैं तथा शीघ्र समाधान की आशा करते हैं।

इसलिए, मैं सरकार से अविलम्ब पूर्णरूप से महाजन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का आग्रह करता हूं।

(पांच) बिहार में सहरसा में उच्च शक्ति के टी॰वी॰ ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : बिहार राज्य का सहरसा क्षेत्र नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। यह प्रमंडल मुख्यालय है। यह क्षेत्र काफी अविकसित है। सहरसा में एल॰पी॰टी॰ दूरदर्शन लगा है। कम क्षमता के दूरदर्शन ट्रांसमीटर रहने से नेपाल देश से दिखाए जा रहे

दूरदर्शन कार्यक्रम ठीक से देख पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इसका बुरा असर छोटे-छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है।

आग्रह है कि सरकार सहरसा में एच॰पी॰टी॰ दूरदर्शन केन्द्र लगाने की कृपा करे।

(छः) तमिलनाडु में मदुरै में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन॰एस॰वी॰ चित्यन (डिंडीगुल) : महोदय, दूरदर्शन राष्ट्र के सभी भागों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी एवं ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामान्य जन के लिए एक शक्तिशाली मनोरंजन का साधन बन गया है। अतः दर्शकों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। मांग को पूरा करने तथा क्षेत्रीय भाषा में अच्छे किस्म के कार्यक्रम तैयार करने हेतु अतिरिक्त दूरदर्शन केन्द्रों का सृजन किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश तमिलनाडु, जहां पर दर्शक बहुत बड़ी संख्या में हैं, में चेन्नई में केवल एक केन्द्र है जो अच्छे किस्म के कार्यक्रमों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकता है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मदुरै में एक अतिरिक्त केन्द्र की स्थापना जो तमिलनाडु में दूसरा बड़ा शहर है तथा जिसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है तथा तमिलनाडु के पश्चिमी भागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयम्बतूर में एक केन्द्र को स्थापना का भी अनुरोध करता हूं।

इस समय केवल एक तमिल समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि इसे प्रतिदिन तीन बार किया जाए।

(सात) पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया होकर गंगा नदी, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर होकर गोमती नदी, फैजाबाद, गौंडा, आजमगढ़, गोरखपुर और देवरिया होकर घाघरा तथा गोरखपुर देवरिया होकर राप्ती तथा बड़ी गंडक, छोटी गंडक नदी बहती है। इन सभी नदियों का प्रवाह गर्मी के मौसम में प्रायः समाप्त हो जाता है और जो पानी नदी में बच जाता है, वह पीने लायक नहीं होता। प्रदूषण वैज्ञानिकों का आज भी यह मानना है कि काशी गंगाजल पीने योग्य नहीं है। नदियों में जल का प्रवाह लगातार कम होने के कारण उनका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। उनकी तलहटी में तेजी से मिट्टी जम रही है और बालू का फैलाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ रहा है क्योंकि नदियों की जलग्रहण क्षमता समाप्त हो रही है। नदियों का जल कम होने के कारण सिंचाई का संकट बढ़ रहा है। गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदी का प्रदूषण दूर करने के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा चुका है। लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर स्थिति की ओर दिलाते हुए केन्द्रीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि गंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक, छोटी गंडक जैसी नदियों का अस्तित्व बचाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसके लिए नदियों की तलहटी से मिट्टी निकालने का काम शुरू किया जाए और इसमें तमाम बेरोजगारों को काम में लगाया जाए।

(आठ) उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन मन्दिरों के समुचित संरक्षण और परिरक्षण के लिए उनका अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के॰पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा राज्य में बड़ी संख्या में प्राचीन स्मारक और मंदिन जर्जर अवस्था में पड़े हैं। उनमें से निम्नलिखित मंदिर, ढेंकानाल क्षेत्र में स्थित हैं :

1. कपिलेश्वर महादेव मंदिर, हतुरई, कामात्मानगर सब-डिवीजन।
2. चन्द्रशेखर निउ, कपिलेश, सदर सब-डिवीजन
3. अन्नाकोटेश्वर, लातेटीपुर, सदर सब-डिवीजन
4. आस्था सम्भू मंदिर, कुआलो, कामाख्यानगर सब-डिवीजन
5. रॉक कट अनंतशयन विष्णु ब्रह्मानी बैड, कामाख्यानगर सब-डिवीजन

इन मंदिरों का न तो भारतीय पुरातत्व विभाग और न ही राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। मैं 1993 से इस मामले को राज्य तथा केन्द्र सरकार के साथ उठाता रहा हूं। इसी दौरान इन पांच मंदिरों के हस्तांतरण के लिए ए एस आई को राज्य सराकर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन ए एस आई इन मंदिरों को लेने में बिना वजह देरी कर रहे हैं। चूंकि इन मंदिरों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, इसलिए ए एस आई द्वारा इन मंदिरों को शीघ्र ही लिया जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए तथा ढेंकानाल में इन पांच मंदिरों के उचित संरक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 1997-98 में धन-राशि के आबंटन के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

अपराह्न 2.19 बजे

रेल बजट 1997-98—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (रेल)-1997-98
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)-1994-95
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)-1996-97

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक निवेदन है पचास माननीय सदस्यों के नाम बोलने के लिए हैं और अभी तक तो यह रहा है कि एक-एक,

सज्जन एक-एक सवा-सवा घंटे बोले हैं। इसलिए दस मिनट से ज्यादा कोई भी न बोले ताकि ज्यादा लोगों को बोलने का चांस मिल सके।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सुझाव यह है कि हर पार्टी के प्रमुख यदि पहले बोले हैं तो दस मिनट की भी जरूरत नहीं है। आप सात मिनट दीजिए। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : क्या पार्टी-वाइज नहीं होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, पार्टी-वाइज तो है।

श्री राम नाईक : पहले मुझे कह लेने दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, जितने लोगों के नाम आपके पास आए हैं, उन सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस सारी स्थिति में दस मिनट भी हो जाते हैं तो मुझे खुशी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात समाप्त हो जाए तब आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री राम नाईक : लेकिन जितने सदस्यों के नाम आए हैं, उन सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, इस प्रकार से समय का एडजस्टमेंट किया जाए। आज रात को कल रात को जैसे चेयर की ओर से कहेंगे, हम तैयार हैं।

लेकिन सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री मुख्तार अनीस : महोदय, जितने प्रमुख नेता हैं, वे लगभग सब बोल चुके हैं। अगर अब आप सात मिनट की सीमा निर्धारित कर देंगे, तो जिन माननीय सदस्यों को बोलना है, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कह देंगे। इस तरह से उनको भी आसानी हो जाएगी और रेल मंत्री जी को भी मालूम हो जाएगा कि उनके क्षेत्र की समस्यायें क्या हैं तथा उनका समाधान भी हो जाएगा। लम्बे-चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभी को एक-एक करके बुलाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सब को बुलाऊंगा।

श्री अमर राय प्रधान : इसके बाद जो समय हो, उसमें फिर दूसरे आदमी को बुला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब सहमति सात मिनट की है।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक छोटा सा सुझाव है। जब भी रेल बजट पर स्पीच होती थी और जिन पांइट्स पर रेल मंत्री जी का जवाब नहीं आता था, क्योंकि बहुत सारी बातों का मंत्री जी जवाब नहीं दे पाते थे, तो उन पर रेल मंत्रालय लिख कर जवाब भेजता था कि उन पर क्या कार्यवाही हुई है, लेकिन पिछले बजट से यह चीज नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि पहले की तरह हमें जानकारी मिलनी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों की तरह चलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग रेल पर चर्चा कर रहे हैं। रेल बजट के बारे में इस सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। जब रेल बजट आया तो कुछ लोगों ने कहा कि रेल बजट बहुत अच्छा है और सब लोगों का ख्याल रखा गया है। कुछ लोगों ने कहा कि यह रेल बजट असंतुलित है और कुछ खास इलाकों को तरजीह दी गई है और बाकी इलाकों की उपेक्षा की गई है। कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया है कि बजट पोपुलिस्ट है और चुनाव को ध्यान में रख कर लाया गया है। राम विलास पासवान जी रेल मंत्री हैं और उनको दूसरी बार रेल बजट पेश करने का मौका मिल है। आगे पता नहीं, उनको कितनी बार रेल बजट पेश करने का मौका मिलेगा। राम विलास पासवान जी वरिष्ठ सांसद हैं। इस देश के बहुत जाने-माने, तेज तर्रार बुद्धिमान नेता के रूप में उनकी ख्याति रही है। इसलिए बजट बनाते वक्त भी उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और होशियारी का परिचय दिया है। हवा तो ऐसी बांध दी कि सब तरफ से लोग गद-गद हो रहे हैं और तालियां पिट रही हैं कि सब लोगों को लिए कुछ-न-कुछ किया गया है। केरल के लोग भी जो अपनी आवाज बुलन्द कर रहे थे, उनको शान्त कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी शान्त कर दिया गया है। सब के मुंह उन्होंने बन्द करने का इन्तजाम कर दिया है। लेकिन वे इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। जो भार उन्होंने लाद दिया है, जितनी उन्होंने घोषणायें कर दीं हैं, इस बजट के बाद और इस बजट स्पीच के दौरान, रोज ही जीरो-आवर में रेल बजट पर चर्चा हो जाती है और बाहर भी जनसभाओं में चर्चा हो जाती है। जितनी वे घोषणायें कर चुके हैं, अगर उन सबका संकल्प कर दिया जाए, तो वे उनको पूरा कहां से करेंगे? क्या इस बजट में उनको पूरा करने का संकल्प प्रकट होता है। भाषण करना हो, तो राम विलास पासवान जी से बेहतर कोई भाषण नहीं दे सकता है। उनकी आवाज भी बुलन्द है और दूसरे की आवाज को, जब वे इधर बैठते थे, दबाने में माहिर थे। प्रतिदिन जीरो-आवर का प्रयोग करते थे और जो चेयर पर बैठते थे, वे उनको एवायड भी नहीं कर सकते थे। अब वे रेल मंत्री हैं और सदन के नेता भी हैं। अगर कुछ बोलना है, तो राम विलास पासवान जी सर्वश्रेष्ठ रेल मंत्री साबित होंगे। लेकिन सचमुच कुछ करना हो, तो उसकी कसौटी होगी और कसौटी यह होगी कि जितनी उद्घोषणायें हैं, उनको करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि उन्होंने कहा है, सबको लगा भी, कि नई रेल लाइनें बिछायी जायेंगी, गेज कन्वर्जन हो जाएगा, आमान परिवर्तन हो जाएगा और लाइनों का दोहरीकरण हो जाएगा। उसकी मरम्मत भी हो जाएगी। उन्होंने लोगों के अरमानों को जगाया और लोगों को लगा कि सचमुच हो जाएगा। यात्री सुविधाएं भी पहले से और बेहतर हो जाएंगी। इन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन इनकी इस बार की जो वार्षिक योजना है और इस बजट के माध्यम से उसका जो आकार इन्होंने 8300 करोड़ रुपए का बताया है। उस वार्षिक योजना में इन्होंने जो कुछ भी कहा है, अब रेल में माल ढुलाई भी बढ़ती जा रही है और यात्री भी बढ़ते जा रहे हैं। यह बात जरूर है कि रेल की जो आज स्थिति है जब से रेल है उस समय से लगातार ह्रास होता जा रहा है। इनका जो माल ढुलाई का या पैंसेंजर का प्रतिशत देश भर में है वह इनका घटता जा रहा है। आज और भी घटने की संभावना हो गई है। इसमें मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। रेल का जो

[श्री नीतीश कुमार]

1950-51 का बजट है, उसके हिसाब से देश भर में जितनी माल ढुलाई होती है उस समय यह 88 प्रतिशत था और पैसेंजर का उस समय 74 प्रतिशत था। अब वह घटकर 1991-92 में माल के मामले में 46 प्रतिशत हो गया और यात्रियों के मामले में 20.8 प्रतिशत हो गया। इस बार अब घट कर 35 प्रतिशत पर चला गया। इसमें 13 प्रतिशत का और ह्रास होने वाला है और क्यों नहीं ह्रास होगा, इसके लिए बजट में कोई चिन्ता नहीं है।

महोदय, अब रोलिंग स्टाक का देखिए। 1997-98 में वार्षिक योजना में इसके लिए 1208.29 करोड़ का उपबंध किया है, जब कि पिछले साल इन्होंने ही बजट रखा था। 1996-97 में इनका बजट प्रस्ताव 1670 करोड़ था, शायद उसमें 56 लाख या कुछ ज्यादा था, लेकिन हम राउंड फीगर 1670 करोड़ के करीब ले रहे हैं। इनका रिवाइज्ड एस्टीमेट 2020 करोड़ 90 लाख रुपए होने वाला है, यानि 2021 करोड़ का इनका रिवाइज्ड एस्टीमेट 1996-97 में रोलिंग स्टाक का है। जिसमें इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। इनकी जो पहले की सरकार थी वह करके गई थी। उसी के अनुसार पिछले साल का बजट था। पिछले साल जहां रोलिंग स्टाक के लिए 2020 करोड़ रुपए का उपबंध है वह इस बार वार्षिक योजना में घट कर 1208 करोड़ रुपए कर दिया है। अब रोलिंग स्टाक का मतलब है, यानि जितना हमारे पास है। जितना रेल डिब्बा, जितना ईंजन है उसी पर लोड बढ़ता जाएगा। ट्रेक रिन्यूवल की बात है। इसमें भी वही स्थिति है। उसमें भी जो पैसा लगना चाहिए, वह नहीं लग रहा है, उसमें कमी हो रही है। गेज कंवर्शन का जहां तक सवाल है, इसके लिए इस बार इन्होंने वार्षिक योजना में 996 करोड़ रुपए रखा है। जब कि पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टीमेट 1021 करोड़ रुपए का है। अब ट्रेक रिन्यूवल है, गेज कंवर्जन, रोलिंग स्टाक, यात्री सुविधाओं को आप ले लीजिए। इस पर इस बार इन्होंने यात्री सुविधा पर 80 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टीमेट 103 करोड़ रुपए है, यानि यात्री सुविधाएं घटने वाली हैं। ट्रेक की मरम्मत नहीं होने वाली है। इनके पास नये कोच, वेगन और ईंजन नहीं आने वाले हैं। अब कुल मिलाकर इनकी क्या स्थिति होने वाली है। अब भीड़ बढ़ने वाली है। इनके पास जो एगजिस्टिंग साधन हैं उस पर दबाव बढ़ने वाला है। अगर ट्रेक का ठीक ढंग से मेन्टेनेंस और रिपेयर नहीं होगा तो एक्सीडेंट्स बढ़ते जाएंगे। यात्रियों की सुविधा घटती जाएगी और यही हाल दोहरीकरण का है।

महोदय, मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। बजट में सब दे दिया है, उसी में से व्याख्यात्मक ज्ञापन को ही सिर्फ देख लीजिए तो ये सारी बातें प्रकट हो जाती हैं। 1996-97 का देख लीजिए, क्या रिवाइज्ड किया गया। 1997-98 का देख लीजिए तो नतीजा निकलता है कि किसी भी क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में यह आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इनका दावा है कि सबको संतुष्ट कर रहे हैं। यह किस प्रकार से रेल को चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रेल मंत्रालय का काम इसका विकास, विस्तार करना है और दूसरा काम यह है कि जो कुछ भी है उसका ठीक ढंग से रख-रखाव हो जाए, ठीक ढंग से इस्तेमाल हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि अब रेल मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, महाराज जी, रेल राज्य मंत्री यहां पर बैठे हैं। अब महाराज जी की कितनी चलती है, यह हमको नहीं मालूम।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : महाराज जी की नहीं चलेगी तो क्या राज चलेगा?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : राज है तो उसमें महाराज भी हैं। अब यह पुराने हो गए हैं। अब किस मामले में बहुत तरक्की देखने को मिलती है। आजकल रेल मंत्री जी को हम लोग देखते हैं, एक तरफ देवेगौड़ा जी की तस्वीर है।

हर दिन हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा साहब की एक तरफ तस्वीर लगती है, एक तरफ राम विलास पासवान जी की तस्वीर रहती है और बीच में छोटे से महाराज जी झांकने से दिखायी देते हैं। नीचे किसी और की तस्वीर लग जाए तो वह कभी नीचे चले जाते हैं।. ..*(व्यवधान)* हमारी तस्वीर क्यों लगेगी? हम नहीं चाहते कि हमारी तस्वीर लगे। उससे क्या फायदा है?

श्री दिनेश चन्द यादव (सहरसा) : इससे नाम रहता है।

श्री नीतीश कुमार : नाम रहने के पीछे भी एक कहानी है। अभी आप चुप रहिए। मैं एक-एक कहानी बताऊंगा। इसमें जितना पक्षपात है, मैं उसका भंडाफोड़ करूंगा। दिनेश यादव जी, आप सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी हैं। आप पासवान जी के पीछे लगे हैं और कभी-कभी कान में कह भी देते हैं कि जब लालू यादव जी जाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। इस नाते आपका कुछ काम हो जाता है। वह बात दूसरी है लेकिन हमारी क्या दुर्गति है, यह हम बताएंगे। हम इस पर अभी नहीं आ रहे हैं। रखरखाव की क्या स्थिति है...*(व्यवधान)* आपको नहीं मालूम, आप बैठिए। उनसे एकान्त में पूछ लीजिए।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : लालू जी के जाने के बाद आप यहां चले आना।

श्री नीतीश कुमार : आप बैठिए। आप पहले बताइए कि चार्जशीट आ जाएगी तो आप क्या करेंगे लेकिन यह बात आप बाद में [illegible]ना। यह बात दूसरी डिबेट के सिलसिले में आ जाएगी। रेल पर जा राजनीति हो रही है, उस पर चर्चा हो जाए तो अच्छा है।

रखरखाव की क्या हालत है? उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी रेलवे में चलने का मौका मिला होगा लेकिन एक बार आप पूर्वी रेलवे की यात्रा कर लीजिए। हम दूसरी रेलवे की यात्रा करते हैं तो उसका अनुभव दूसरा होता है। पूर्व में बिहार, बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत हैं। आप पूर्वी रेलवे में चले जाइए और सुपर फास्ट ट्रेन में चले जाइए। मैं जनरल सवारी डिब्बों की बात नहीं करना चाहता। आप ए॰सी॰ टू टायर की स्लिपर कोच में चले जाइए। मुम्बई के लिए जो राजधानी गाड़ी चलती है और कलकत्ता, गोहाटी, भुवनेश्वर के लिए जो राजधानी चलती है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। पटना के लिए राजधानी चलाने का एक नाटक हुआ। वह बाद की बात है। पटना के लिए राजधानी चलाने का क्या मतलब है? राजधानी 16 घंटे में लखनऊ होकर पटना पहुंचती है। अकारण, बिना वजह उसमें लखनऊ का आदमी यात्रा नहीं करता। उस तरफ की राजधानी पासवान जी ने चला दी...*(व्यवधान)* आप शांति से सुनिए।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : क्या आप ऐसा नहीं चाहते?

श्री नीतीश कुमार : हम चाहते हैं कि वह सीधे कानपुर से जाए। लखनऊ जाने की क्या जरूरत है?

श्री राम विलास पासवान : फिर लखनऊ वाले कहेंगे।

श्री नीतीश कुमार : लखनऊ के लिए शताब्दी आदि बहुत सी ट्रेन्स हैं...*(व्यवधान)* आप जरा लखनऊ वालों से पूछ लीजिए कि पटना से जो ट्रेन चलती है वह ढाई-तीन बजे सुबह पटना पहुंचती है, कितने लोग उसमें लखनऊ के लिए सवार होते हैं। उनके लिए लखनऊ मेल और शताब्दी है।आप अकारण पटना के साथ यू॰पी॰ को खुश करना चाहते हैं। मैं इस पर बाद में आऊंगा। यह अलग विषय है।

अभी रखरखाव की बात है। आप कभी पूर्वी रेलवे में यात्रा कर लीजिए। अभी हाल की बात है कि मैं कलकत्ता से हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस में लौट रहा था। आपको अब मौका नहीं मिलेगा चूंकि आप सैलून में यात्रा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य फर्स्ट क्लास के नीचे घूमते नहीं हैं। मैं परसों डी॰एम॰यू॰ में पटना स्टेशन पर एक चार्जमैन और फोरमैन को ससपैंड करके आया हूं। पटना से डी॰एम॰यू॰ में चला तो उसमें लाइट नहीं थी। गलती हम भी मानते हैं। हमने उसे उसी जगह ससपैंड किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लखनऊ होते हुए राजधानी का जितना उपयोग होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने घोषणा की थी राजधानी टू राजधानी टू राजधानी। बिहार की राजधानी पटना, यू॰पी॰ की राजधानी लखनऊ और भारत की राजधानी दिल्ली। इसलिए मैंने ऐसी घोषणा की थी। मैं इस बात को मानता हूं कि उसमें समय अधिक लगता है और उसका जितना फायदा होना चाहिए नहीं होता। यदि एक बार कोई चीज देंगे, यदि उसे बाद में छीनने का काम करेंगे तो वहां डिससैटिफिक्शन हो सकती है। यदि उधर के साथी मान जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उस राजधानी को वहां से होकर नहीं चलाएंगे।

श्री नीतीश कुमार : माननीय मंत्री जी ने उल्टा सवाल हाउस में छोड़ दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने टाइम में बोलना।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : लखनऊ के लिये समय कम कीजिये, यह ठीक नहीं कि राजधानी गायब हो जाये।

श्री नीतीश कुमार : लखनऊ की राजधानी कहां गायब हो जायेगी, यह बात तो अलग है। यह बिहार की बात नहीं लेकिन परिचालन जिस ढंग से होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड पर हो। हम और कुछ नहीं कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप रख-रखाव की बात कर रहे थे।

श्री नीतीश कुमार : मैं पूर्वी रेलवे की यात्रा की बात कर रहा था कि हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस में क्या होता है, इनको क्या मालूम? रेल मंत्री उठकर खड़े हो गये। मैं इनके समय से सीजन टिकट होल्डर रहा हूं। मैं 1985 में एम॰एल॰ए॰ हुआ। उसके पहले एम॰एस॰टी॰ से यात्रा करता था और ए॰सी॰टू-टीयर का मुंह भी न देखा था। हमारे साथी एम॰एल॰एज कहते थे कि चलिये लेकिन हम तो एनटाईटल्ड नहीं थे क्योंकि परजीवी बनकर जीना मेरी आदत नहीं। अभी मंत्री जी डी॰एम॰यू॰ की बात कर रहे थे। मैं अपने घर बख्तियारपुर से पटना तक डेली पैसेंजर था और आज एम॰पी॰ हो गया हूं तो ये सारी सुविधायें मिल गयी हैं तो नाटक करने की कोई जरूरत नहीं समझता। ए॰सी॰ का एनटाईटल्ड और टिकट कट रहा है ए॰सी॰ टू-टीयर का और 3-टीयर में चला जाऊं। इसलिये यह नाटक हम से नहीं होगा। अगर आपने रेल मंत्री की हैसियत से कुछ किया है तो कीजिये। श्री गुलजारी लाल नन्दा रेल मंत्री थे तो उन्होंने मुगलसराय यार्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलियों पर कार्यवाही की जबकि माफिया पर होनी चाहिए थी तो जो गड़बड़ी करने वाली ताकतें हैं, उनको भी पहचानिये। अभी पिछले महीने की ही बात है हावड़ा-दानापुर गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उस गाड़ी में जिस तरह के बैड रोल्स दिये जा रहे हैं, बिछाना तो दूर ओढ़ने के लायक भी नहीं। जब मैंने स्टाफ से पूछा तो बताया गया कि इसकी सप्लाई प्राइवेट पार्टी कर रही है। ऐसे ही सुपर फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में पूर्व की गाड़ियों में दिये जा रहे हैं। पहले एम॰पी॰ यात्रा करते थे रेल की स्थिति में सुधार होता था लेकिन अब बैड रोल्स गन्दे हो गये हैं। अभी आपको एक उदाहरण और दूंगा कि श्री यू॰एन॰ विश्वास, जाइंट डायरेक्टर, सी॰बी॰आई॰ यात्रा कर रहे थे जो बिहार के पशु पालन घोटाले की जांच कर रहे हैं। उनके नाम पर लोग काफी खिले हुये थे और रेल अधिकारियों ने उनसे कहा कि यहां पर इतनी गड़गड़ियां हैं। विश्वास साहब को जाना था, इसलिये नया बिस्तर लाया गया लेकिन एम॰पी॰ लोगों को उसा प्रकार के बैड रोल्स दिये गये जो आम जनता को मिलते रहे हैं जो न बिछाने के और न ही ओढ़ने के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बात आती है सुविधाओं की। सुविधा के नाम पर देखिये कि न कोच की सफाई होती है और न टांयलेट की सफाई होती है। आप तो यहां दिल्ली में बैठे हुये हैं, आप वहां जाइये तो मालूम होगा कि क्षेत्रीय असंतुलन है। हैड क्वार्टर में बैठकर यह पता नहीं लगता कि स्थिति कैसी है। कई ट्रेन यहां से चालू होकर यू॰पी॰ बिहार के बार्डर तक जाती हैं, उनकी स्थिति कुछ बेहतर है लेकिन आप उससे भी असंतुष्ट हैं क्योंकि आपकी स्थिति थोड़ी गिरी है। आप चूंकि पुराने जमींदार हो गये, लगातार उत्तर प्रदेश से प्रधान मंत्री देते रहे हैं एक रुतबा रहता था और आज प्रधान मंत्री देने की बात छूट गयी है।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय रेल मंत्री जी के लिये एक समस्या है कि उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के लिये सारी गाड़ियां जाती हैं अन्यथा उत्तर प्रदेश को भी गोल कर देते।

श्री नीतीश कुमार : मैं दूसरी बात कर रहा था कि स्थिति गिरते गिरते वक्त लगेगा। इसलिये गिर रही है कि आप पहले प्रधान मंत्री देते थे, अब मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश की दुर्गति का कारण है। आप बिहार, असम और पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली गाड़ियों की स्थिति देखिये। आप रेवेन्यू मद को देखिये। रख-रखाव में पैसा बढ़ा रहे हैं। कैरेज तथा वैगन की मरम्मत एवं रखरखाव।

[श्री नीतीश कुमार]

यह तो पूरी रेल का बढ़ा है। पूर्व रेलवे का बढ़ने के बावजूद रख-रखाव नहीं है।

अब हम ईस्टर्न रेलवे पर आते हैं। 1991-92 में कैरिज और वैगन्स मेनटेनेन्स के लिए 183 करोड़ रुपये का उपबंध था। 1997-98 में 378 करोड़ रुपये का उपबंध रखा। पिछले साल 285 करोड़ रुपये रखे थे और रिवाइज्ड 293 करोड़ रुपये हैं। रुपये दोगुने से अधिक हो रहे हैं लेकिन मेनटेनेन्स की क्या हालत है? अभी पंद्रह दिन पहले हमें बिहार जाने का मौका मिला। पासवान जी को बिहार के बारे में सब लोग बोलते हैं। पलामू का नाम लेकर बहुत लोग आपको बोलते हैं तो हम लोगों का भी बिहारीपन जग जाता है और हम खड़े होकर कुछ बोल देते हैं। आप कभी पलामू ऐक्सप्रेस की यात्रा करें। उसमें हमें जाना था। उसमें कई सांसद और विधायक थे। हमारी पार्टी का प्रोग्राम था और संयोग से पूर्व रेल मंत्री जार्ज फर्नान्डीज साहब को भी जाना था, लेकिन वे नहीं जा सके थे। उसमें फर्स्ट क्लास में लाइट नहीं होती। हम लोगों ने लिखकर रैक्वीजीशन दिया था और रेल अधिकारियों से बात भी की। उन अधिकारियों ने कहा कि आपको जिस दिन जाना है, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। जब हम लोग गए तो उसमें बत्ती गुल थी। उसके बाद वह लोग आंधे घंटे तक मेहनत करते रहे। जब फर्स्ट क्लास में इतनी परेशानी थी तो दूसरे डिब्बों की चर्चा करना बेकार है। वे अधिकारी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बिजली आ जाए और ये लोग चले जाएं। हमने कहा कि अगर टॉयलैट वगैरह जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग टॉर्च लेकर चले जाएंगे, आप गाड़ी को विलंब न करें और गाड़ी चलने दें। बिना रोशनी के पलामू ऐक्सप्रेस की यात्रा हम लोगों ने की। आप जब इधर थे और हम लोग आपके साथ थे, उस समय भी हमने इन सब सवारी गाड़ियों के बारे में एक बार नहीं, अनेक बार चर्चा की। आप देखिए कि भागलपुर जाने में क्या हालत होती है। नॉर्थ ईस्ट की सभी गाड़ियां कटिहार होकर गुजरती हैं। उसमें आप नहीं जा सकते हैं। उसमें आप यात्रा करें तो आपको पता लगेगा कि यात्री-सुविधाओं के लिए आपका खर्च तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, अब हम मिसलेनियस वर्किंग ऐक्सपेन्सेज पर आते हैं। 1991-92 में इसकी राशि 451 करोड़ 64 लाख रुपये थी। 1996-97 में रिवाइज किया है 773 करोड़ 75 लाख रुपये, और इस बार का बजट ऐस्टिमेट 1021 करोड़ 83 लाख रुपये हैं। ये मिसलेनियस वर्किंग ऐक्सपेन्सेज हैं। यह क्या है? आपका मिसलेनियस खर्च बढ़ता जा रहा है। फ्यूल की बात छोड़ दीजिए क्योंकि उसके मुताबिक आप किराया बढ़ा रहे हैं। बाकी ऐक्सपेन्सेज अंधाधुन्ध बढ़ते जा रहे हैं। आप बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाते हैं। कहां यह पैसा जा रहा है? आप किसी भी रेल लाइन की घोषणा करते हैं तो एक ही कार्यक्रम के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाते हैं। किसी राज्य में जाते हैं तो पूरे पेज का विज्ञापन छपवाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : यह जो मिसलेनियस ऐक्सपेन्सेज हैं, इसमें रेलवे की कुछ अपनी टैकनीक है। आप माननीय संसद सदस्य हैं। अभी हमारे केरल के साथी आ गए। हमारे सब-हैड में पैसा रखा रहता है। हम एक हैड का पैसा दूसरे हैड में नहीं दे सकते हैं। जनरल बजट के समान नहीं है कि हम घाटे का बजट पेश कर सकते हैं। यदि राज्य में कहीं आपकी मांग को देखते हुए कोई सुविधा बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उसको बढ़ाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिसलेनियस वर्किंग ऐक्सपेन्सेज के मामले में हमसे ज्यादा पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर नहीं होगा जिसने एक-एक चीज को देखा हो।

विज्ञापन के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन से रेलवे बनी है, उसी दिन से यह चल रहा है। लेकिन जब कोई दलित का बेटा मंत्री बन जाता है तो उसके विज्ञापनों पर सबकी नजर रहती है। इससे पहले का कोई मामला बताइए कि कौन सा रेलवे प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें विज्ञापन नहीं निकला हो। विज्ञापन हमेशा निकलता रहा है। लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि रेलवे मिनिस्टर हमारे यहां आए, लेकिन रेलवे मिनिस्टर को कोई मतलब नहीं होता है कि विज्ञापन छपा है या नहीं। उसके लिए एक अलग महकमा होता है। रेलवे के काम करने का शुरू से अपना स्टाइल बना हुआ है।

लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि सब जगह जाकर हर चीज की सफाई हम नहीं दे सकते। मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा हो यदि आप पहले के आंकड़े निकाल कर देख लें कि क्या पहली बार विज्ञापनों पर खर्चा हो रहा है या विज्ञापनों का सिलसिला पहले से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर कोई उद्घाटन आदि हो तो ही अखबारों में निकले, गांव में या ट्राइबल इलाके में अगर कोई काम होता है, उसके विज्ञापन पर क्यों उंगली उठनी शुरू हो गई। आप पार्लियामेंट में ऐसा कानून बना दीजिए कि कोई मंत्रालय विज्ञापन न निकाले। अगर किसी ट्राइबल इलाके के उद्घाटन के बारे में विज्ञापन निकलता है, क्या उस इलाके के लोगों का इससे मानसिक रूप से मनोबल नहीं बढ़ता है क्योंकि वहां का नाम अखबारों में आता है। इसमें आपको बुरा क्यों लगता है, हमें समझ में नहीं आता है। मैं इस सदन में 20 साल से रहा हूं, पहले अपोजीशन में था लेकिन मैंने आज तक विज्ञापन पर किसी का भाषण नहीं सुना, नीतीश जी का भाषण भी नहीं सुना। आज राम विलास पासवान के लिए बार-बार क्यों कहा जा रहा है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : वैसे रेल मंत्री जी अपनी बात कहने में सक्षम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नो रनिंग कमेंट्री प्लीज।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैं मानता हूं कि विज्ञापनों पर पहले से खर्चा होता आ रहा है, वह पहले भी गलत था और आज भी गलत है। राम विलास जी दलितों के मसीहा हैं। मेरा कहना है कि क्या हम लोग मितव्ययिता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो इसमें नकल की बात नहीं है, हम किस बात की नकल करना चाहते हैं। समाज में जो लोग सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज रहे हैं, उनका यह तरीका है लेकिन क्या हम भी उन्हीं तरीकों को अख्तयार करके सामाजिक न्याय के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। ऐसे तरीके को तिलांजलि देकर कोई नया तरीका निकाला जा सकताा है...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम नया तरीका अपना रहे हैं। अभी परसों हम भोपाल गए थे लेकिन हमने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला। उससे पहले नेपाल के बॉर्डर पर गए थे, खगरिया में उद्घाटन करना था, लेकिन उसके संबंध में कोई विज्ञापन नहीं निकाला। इसलिए जहां तक सम्भव है, हम कर रहे हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को पता तक न चले।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, अभी इन्होंने कहा कि अगर किसी दलित इलाके में काम होगा, आदिवासी इलाके में होगा, मैं मानता हूं कि उसका प्रचार होना चाहिए, लेकिन गांव में कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, शायद ही एक-आध अखबार पढ़ा जाता है।

श्री राम विलास पासवान : जब आपके यहां इस्लामपुर में उद्घाटन करने जाएंगे, उस समय कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालेंगे लेकिन आप हल्ला मत कीजिएगा।

श्री नीतीश कुमार : ठीक है, आप विज्ञापन मत निकालिए, लेकिन मेरी एबसेंस में जाकर तो आप दे आए। मेरा कहना है कि उन इलाकों में कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरा इलाका पटना के बगल में पड़ता है। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि थोड़ी बहुत जानकारी बिहार के बारे में हमें भी है, मैं मानता हूं कि आपको मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी होगी, कुछ लोगों को आपसे भी ज्यादा होगी, लेकिन कुछ जानकारी तो हमें भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप रेल बजट पर आईए।

श्री नीतीश कुमार : मेरा कहना है कि देहाती इलाकों में बहुत कम लोग अखबार पढ़ते हैं इसलिए विज्ञापनों पर हमारा अपव्यय होता है। मैं चाहता हूं कि आप प्रचार अवश्य करिए, पोस्टरों के जरिए प्रचार करिए, खुद लोगों को जानकारी दीजिए लेकिन पूरे पेज का विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। रेलवे का काम सरकारी काम है, छोटे विज्ञापन देकर भी काम चल सकता है।

जब रेल मंत्री जी विपक्ष में थे तो विज्ञापनों के मामले में बहुत एलर्ट थे। उस दिन से इन्फार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग पर इनका कब्जा रहा है। आज तक कोई खबर ऐसी बता दें कि उन्होंने सदन में किसी मामले को उठाया हो और किसी ने उस खबर को दबा दिया हो। जब रेल मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उसका प्रचारात्मक महत्व है लेकिन हमारी शिकायत यह है कि रेलवे के काम के बारे में वे जितनी बातें कह रहे हैं, क्या वास्तव में उतना काम हुआ है—यही हमारा मुख्य प्रश्न है। यदि आप काम करते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके काम करने से हमें भी प्रसन्नता होगी। जब आप किसी नई योजना की घोषणा करते हैं तो हम आपको बधाई देते हैं लेकिन बजट को देखने से ऐसा लगता नहीं है। फिर भी प्रचार तो होना ही चाहिए। रेल मंत्री जी तो इस समय सरकार में है, इसलिए उपाध्यक्ष जी, हम आपसे सिफारिश करेंगे कि आप दूरदर्शन को निर्देश देकर एक चैनल रेलवे के शिलान्यासों और उद्घाटनों के लिए रिजर्व करा दीजिए।

पूरा एक चैनल उसी पर रहे और उसमें पूरी की पूरी खबरें आ जायें, जिसमें शिलान्यास और उद्घाटन हों। शिलान्यास और उद्घाटन में क्या हो रहा है, आप सब के साथ न्याय बरतते हैं? मैं एक उदाहरण देकर दूसरी बात पर जाऊंगा। पटना-गया दोहरीकरण की बात का आपका कार्यक्रम था। रेल विभाग का यह सर्कुलर है कि जितने संसद् सदस्यों का क्षेत्र उसमें पड़ेगा, उन सबको उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जायेगा। आपको मालूम होगा, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, हम बाकी लोगों को भी जानकारी दे देना चाहते हैं... *(व्यवधान)*

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : लेकिन दरभंगा में एक समारोह हुआ था, उसमें आपका नाम था।

श्री नीतीश कुमार : आप ठहरिये तो, उसके बाद वह सुधार हुआ होगा। पटना-गया दोहरीकरण का इनका कार्यक्रम था शिलान्यास हुआ। चूंकि पटना में था तो पटना के एम॰पी॰ का हिस्सा पड़ा, वे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे। अच्छी बात है, खुशी की बात है। दूसरे हमारे रामाश्रय बाबू हैं, जो रोज बोलते हैं, यहां जहानाबाद के एम॰पी॰ बैठे हुए हैं, वे भी उसमें शामिल हैं और बीच में बाढ़ का 10 किलोमीटर क्षेत्र पड़ जाता है, बाढ़ का एम॰पी॰ बूट लादने के लिए चला गया।

श्री राम विलास पासवान : बाढ़ का एम॰पी॰ कौन है?

श्री नीतीश कुमार : बाढ़ का एम॰पी॰ आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है। वह कहां गया? आप कहते हैं, न्याय करते हैं और सब का विज्ञापन होता है। आप रेल मंत्रालय से पूछिये, क्या हुआ। पता नहीं आपका निर्देश था या नहीं था। यह स्थिति है। इसके बाद ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता है। यह पूछिये, इनके प्रति न्याय नहीं हुआ? मैंने इनसे तीन बार कहा कि फतुहा में ब्रिज का उद्घाटन है, आपको चलना है, इनका नाम भी दे दिया गया, छप भी गया। ये वहीं थे, उसके बाद ये क्यों नहीं आये? वह इनकी कांस्टीट्वेंसी में था।

श्री नीतीश कुमार : ये जानते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अब ये जानते हैं।

श्री नीतीश कुमार : फिर वहां ये राजनीति कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों जानते हैं, हाउस को पता नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए।

श्री राम विलास पासवान : ये कहेंगे, चूंकि मुख्य मंत्री गये थे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वहां भी पार्टी होती है क्या?

श्री नीतीश कुमार : राम विलास पासवान जी की ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड वाली स्थिति है। कभी तो ये सिगनल देते हैं कि हम लड़ रहे हैं और कभी उनका काम कर देते हैं। अब मेरी कांस्टीट्वेंसी में था, वहां भला मुख्य मंत्री का क्या काम और जगह नहीं, वहां बुला लिये। एक जगह तो शपथ ग्रहण समारोह में हम विधान मंडल में चले गये थे तो मेरे मुंह में मिठाई दे दी गई, बिहार भर में तस्वीर छप गई, हल्ला

[श्री नीतीश कुमार]

हो गया कि कोई गड़बड़ हो रही है। मेलजोल तो नहीं हो रहा है क्या। हम फिर चले जाते, वहां भी वही दृश्य होता तो ये हंगामा होता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रेल बजट पर नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : हम उसपर आ रहे हैं। रेल बजट पर ही चर्चा हो रही है। तो यह हालत है। जानबूझकर ये ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं, इसके चलते मुझको तकलीफ है। मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन परिस्थितिवश, आपने उस कार्यक्रम को राजनैतिक रूप दे दिया. इसलिए हम राजनैतिक कारण से जाने में लाचार हैं। वह आगे की बात है, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

अब पटना-गया दोहरीकरण की बात आ गई। इन्होंने इस बजट में कितनी घोषणाएं कर दी हैं। आप चूंकि एक बार घंटी बजा चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा चीजों को छोड़कर कुछ चीजों पर कन्फाइंड करने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरे बजट में घोषणाएं हैं, उनका क्या हश्र होने वाला है, इस एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। पटना-गया की लाइन के दोहरीकरण के लिए जो प्रोजैक्ट है, उसकी कुल लम्बाई 60 किलोमीटर की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना याद रख लीजिए कि आपको यहां आकर बैठना है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके बाद वहां पर बैठेंगे तो वहां से तो कुछ कहने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए यहां से जो कुछ भी कहना है, उसको कहने की इजाजत दे दी जाये।

पटना-गया 60 किलोमीटर दोहरीकरण में फर्स्ट फेज इन्होंने 7.4 किलोमीटर किया है। पिछले साल इसकी चर्चा हमने कर दी तो हमको इन्होंने गायब कर दिया। मेरी कांस्टीट्वेंसी से वह रेल्वे लाइन होकर गुजरेगी। मेरी कांस्टीट्वेंसी के बाद जहानाबाद आता है, वहां के एस॰पी॰ को बुला लिया, पटना के एम॰पी॰ को बुला लिया, लेकिन मुझको नहीं बुलाया। इस प्रोजैक्ट की पूरी की पूरी एंटीसिपेटिड कास्ट 10 करोड़ रुपये हैं, 1996-97 मे तो इन्होंने शिलान्यास किया, अचानक निर्णय लिया होगा तो उसमें इन्होंने 10 लाख रुपये का उपबंध किया, चूंकि आपको फुल पेज एडवरटाइजमेंट के साथ खाली शिलान्यास करना था, हमको गायब कर देने के बाद। अब 1997-98 में तो उसमें कुछ पैसा देना चाहिए था तो दस करोड़ रुपया उस पर खर्चा होगा। आपने पिछले साल दस लाख रुपये दिए, ठीक है, इस साल भी मंत्री जी ने दस लाख रुपये दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दस-दस लाख रुपये देने से वह दस करोड़ रुपये को प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, कहां से इतना पैसा आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे माननीय सदस्य भी समझ लें और अपने-अपने इलाकों पर गौर करें कि ये घोषणाएं सिर्फ कागजों में रहने वाली हैं, इनको पूरा करने के लिए बजटीय उपबंध नहीं है। राम विलास जी कुछ ऑब्लाइज नहीं कर पाते हैं तो इनका कसूर नहीं है। यह रेलवे की परम्परा है। जब कुछ नहीं करना हो तो सर्वे का आर्डर दे दो। ये भी यही कर रहे हैं, यह ठीक है कि उसमें काफी खर्च होता है। पहले इसमें 1995-96 में 2.18 करोड़ रुपये थे, इस बार 10 करोड़ रुपये रखे हैं। मिसलेनियस बढ़ता चला जा रहा है। उसकी चर्चा की थी, जिसमें एक ही बिंदु पर वे भड़क उठे।

श्री राम विलास पासवान : भड़का नहीं हूं। सब चीजों का जवाब दे सकता हूं। रामाश्रय जी हैं, आप हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जहां डबलिंग का सवाल है, दस लाख रुपये की चिंता क्यों करते हैं। हम कल ही दस करोड़ रुपये दे देंगे, जमीन आप दिलवा दें।...*(व्यवधान)* मैं केवल बिहार की ही बात नहीं करता हूं। खास स्टेज में कोई नई रेल लाइन या डबलिंग का सवाल आता है तो जमीन अधिग्रहण का भी सवाल आता है, आप लोगों को शायद यह पता नहीं है। जितने सांसद हैं, जहां-जहां भी नई रेल लाइन बन रही है या डबलिंग होनी है, वे जमीन का प्रोसेस करा सकें तो मैं माननीय सदस्यों को इसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगा। थोड़ा टैंडर वगैरह में दिक्कत होती है, लेकिन आप पैसे पर न जाएं। जब आप संसद से पास कर देते हैं, तो एक रुपया भी पास करते हैं, मंत्रालय को पावर होती है कि एक रुपये का सवा करोड़ रुपया कर दे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : गुना में जो एक्सीडेंट हुआ, उनको तो मुआवजा दिला दें।

श्री राम विलास पासवान : मैंने कल बताया था कि मैं इसी जांच रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर से करा रहा हूं। इस घटना का कारण यह था कि निर्जन जगह पर फाटक है, कोई सिगनल की व्यवस्था नहीं है. ..*(व्यवधान)* पहले सुनिए तो, कल आपने यह मामला उठाया था। वहां दिक्कत यह हुई कि गेटमैन गाड़ी देखकर दरवाजा बंद करता है और गाड़ी जाने पर खोलता है। दरवाजा बंद था, गेट पर गेटमैन खड़ा था।...*(व्यवधान)*

डा॰ राम लखन सिंह (भिंड) : दरवाजा बंद था, यह असत्य हैं अगर बंद होता तो दुर्घटना कैसे घटती।

उपाध्यक्ष महोदय : जांच हो रही है, उसमें आ जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : गेटमैन मरा कि नहीं, वह क्यों मरा?

डा॰ राम लखन सिंह : वह अन्य कारणों से मरा। आप बताएं कि दरवाजा बंद होने से बस कैसे जाएगी? दरवाजा खुला हुआ था।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : जो लोग मरे हैं, उनको तो मुआवजा दिला दें।

श्री राम विलास पासवान : आप अपनी गलती नहीं मानते।

डा॰ राम लखन सिंह : आप जांच करा लें।

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य इस तरह से आप आरोप लगाते हैं, आपकी भी जवाबदेही हो जाती है। वहां स्पीडब्रेक्र है, गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन गाड़ी चल रही है, गेटमैन मारा जाता है, उसके बाद यहां भाषण दे रहे हैं।

डा॰ राम लखन सिंह : हमारी बात सुनने का धैर्य रखें। आपमें सुनने का साहस नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री शिवराज सिंह : आपने गलत कहा कि गेट बंद था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा। यह जीरो ऑवर नहीं है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे आखिर में जवाब दें।

श्री नीतीश कुमार : डीरेलमेंट सब जगह हो रहा है, यहां भी हो गया।

श्री शिवराज सिंह : विज्ञापन की लम्बी चर्चा हुई है, लेकिन जो मारे गए उसके बारे में कह दिया तो कौन सा गलत काम कर दिया।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की ओर संक्षेप में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी चारों तरफ रेल में डकैती की चर्चा हो रही है। यहां सदन में भी एक-दो दिन तक घंटों-घंटों हम सब लोग उसके लिए उत्तेजित रहे। लेकिन रेल में डकैती की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी के आसन से भी कुछ कहा जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रेल में डकैती की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। आखिर रेल यात्री कहां जाएं? मंत्री जी कहते हैं कि राज्य सरकार की जवाबदेही है। चलती हुई गाड़ी राज्य की जवाबदेही है। यह अपने माल तथा यार्ड की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जरिए रक्षा करेंगे। बाकी सुरक्षा करना राज्य सरकार की जवाबदेही है। यह इनका मानना है और राज्य सरकार जो जी॰आर॰पी॰ बनाती है, उसके लिए एक हिस्सा रेल मंत्रालय भी पैसे के रूप में देता है, अपना अंशदान करता है। आखिर रेल यात्री कहां जाए? जो स्थिति है, उसमें रोज मरने की बात हो रही है। आखिर इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? हमने देखा है कि जगह-जगह लिखा हुआ रहता है, महात्मा गांधी जी के शब्दों में लिखा हुआ है कि "अगर कोई बे-टिकट यात्रा करे तो मैं रेल प्रशासक यदि हूं तो वहां पर ट्रेन का चलना बंद कर दूं।" क्या इस तरह की बात हो सकती है? वैसे ही यात्री लोग यात्रा करने में डर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो फिर राज्य सरकार की जवाबदेही है और आप कह सकते हैं कि तो फिर हमारी ट्रेन उधर से नहीं गुजरेगी। कोई इस ढंग की बात होगी या नहीं होगी?

आज गृह मंत्री जी का अखबार में वक्तव्य देखा कि लोगों को बुलाकर बात करेंगे। आखिर क्या होगा? इसके बारे में आप कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कीजिए। लेकिन जितनी गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए, उतनी गंभीरता से इसको नहीं लिया जा रहा है। यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़े दिया जा रहा है कि जाइए, डकैत आपको लूट लेंगे और अब तो डकैत केवल धन ही नहीं लूट रहे हैं बल्कि अब तो महिलाओं की इज्जत भी लूट रहे हैं। एक माननीय सदस्य श्री ब्रह्मानंद मंडल ने इस मामले को उठाया था। हम सब लोग भी उस संबंध में बोले थे। हत्याएं भी उन्हीं लोगों की हुई हैं जिन लोगों ने ट्रेन में महिलाओं को बेज्जत करने का विरोध किया था कि यह ठीक नहीं है, यह हम नहीं होने देंगे तो उसमें चार लोग मारे गए। उस दिन एक पुलिस अधिकारी के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। बार-बार उधर से कहा जा रहा था कि महिलाओं की इज्जत बचाने के क्रम में डकैतों का मुकाबला करते-करते तीन-चार लोग मारे गए। जो घटनाएं घटीं, उसमें मुआवजे के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन उन लोगों के बारे में भी तो सोचिए जिन्होंने बड़ी हिम्मत ओर हौसले के साथ महिलाओं की इज्जत लूटे जाने का विरोध किया था। वर्ना कुछ दिन के बाद होगा कि डकैत महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं और कोई भी नहीं बोल रहा है। यह स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है। इसके बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में इस तरह की स्थिति खराब होती जा रही है, उन राज्यों को साफ-साफ यहां से सिगनल जाना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस मामले को आप इस ढंग से नहीं छोड़ सकते।

दूसरी बात आर॰पी॰एफ॰ के बारे में है। आर॰पी॰एफ॰ को एक अर्ध सैनिक बल घोषित कर दिया गया। आर॰पी॰एफ॰ को अर्ध सैनिक बल बनाने के लिए 1985 में जो बिल लाया गया था, उसको रिपील कर दिया जाए और आर॰पी॰एफ॰ को एक सुरक्षा बल बनाया जाए। उसको रेलवे की सुविधाएं दी जाएं। हर पक्ष के सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया था। आप तो कई निर्णय ले रहे हैं। आप इस निर्णय को भी ले सकते हैं। दूसरे मंत्री जी इतनी हिम्मत नहीं करते थे कि एक निर्णय हो गया, उसको कैसे बदलें? लेकिन आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। गृह मंत्री भी निर्णय लेने में सक्षम हैं। आप दोनों निर्णय लेने में सक्षम हैं। इस स्थिति में आप दोनों को मिलकर इस बारे में निर्णय लेना चाहिए और रेलवे की सुरक्षा के लिए आर॰पी॰एफ॰ को सुरक्षा बल का दर्जा देते हुए उनको रेलवे कर्मचारियों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। वैसे भी अर्ध सैनिक संगठन के लिए जो भी मापदंड हैं, उन पर वह खरा भी नहीं उतरता है और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं तथा हथियार भी नहीं दिए जा रहे हैं।

अंत में मैं रेल सुरक्षा के संबंध में कहूंगा कि वे माल, सामान तथा यार्ड की रक्षा तो करते हैं लेकिन यात्रियों की रक्षा नहीं हो पा रही है। अतः इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

रेलवे के परिचालन के लिए अलग से पुलिस बल का गठन किया जाए। उसका पूरा ढांचा हो और रेलवे की सुरक्षा की जवाबदेही उसकी होगी। अगर कोई एक किलोमीटर के अन्दर घटना घटेगी, रेलवे के परिचालन में जी॰आर॰पी॰ का जुरिसडिक्शन आता है, तो उसकी जवाबदेही होगी। इस तरह से कह कर कि संघीय ढांचा है, आप कितने दिन तक बचेंगे। संघीय ढांचे का यह मतलब नहीं है कि संघ का यदि एक हिस्सा गल जाए, तो उसको गलने के लिए छोड़ दिया जाए। यदि यह स्थिति होगी, तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में डकैतियां हो रही है। फिर पश्चिम के लोग कहेंगे कि उस हिस्से को काट दिया जाए। इस तरह की घटनायें दूसरे मुल्कों में भी हुई हैं।

हमारा लोहा, हमारा कोयला, सब लेकर दूसरे हिस्से के लोग धन-धान्य से परिपूर्ण हो जायेंगे, फिर यह बहाना बनायेंगे कि तुम्हारे यहां तो चलना मुश्किल है। तुम्हारे यहां तो रेल में डकैतियां होती हैं। इसलिए इस हिस्से को काट दिया जाए और देश से अलग कर दिया जाए। इस प्रकार बहुत सारी बातें आ सकती हैं। राज्य की जवाबदेही है और इस बारे में आप एक बयान दे दीजिए कि राज्य की जवाबदेही

[श्री नीतीश कुमार]

है। फिर राज्य के मुख्यमंत्री विधान सभा में कह देंगे कि पुलिस ही डकैती में है। जब पुलिस डकैती में हैं, तो उसको देखेगा कौन और उनको पकड़ने से किसने रोका है तथा कार्यवाही करने से किसने रोका है। उन पर आप मुकद्दमा चलाइए और गम्भीरता से इस मामले को लीजिए। कहने से काम नहीं चलेगा। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। गृह मंत्री जी एक बैठक बुला रहे हैं, तो उस बैठक में गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। रेल की चलती हुई गाड़ी के लिए और रेलवे के यार्ड की सुरक्षा के लिए एक युनिफाइड पुलिस फोर्स का गठन केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में किया जाए। इस पर भी विचार होना चाहिए।

अंत में, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ फरियाद आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने उपेक्षा की है ...*(व्यवधान)* आप सब लोगों को यहां से भाषण करवाया था। लेकिन उनकी उपेक्षा हुई हैं। हम भी उत्तर बिहार के बारे में बोलते थे और आप भी मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के बारे में बोला करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है? आज आपने कुछ इलाकों के लिए किया है, उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी पटना में गंगा पर पुल बनाना शुरू किया जाए। यह सब काम होना चाहिए और इस क्षेत्र को उत्तर बिहार के साथ जोड़ देना चाहिए। यातायात की असुविधा को दूर करना चाहिए। लेकिन क्या आप बिहार में जो अन्तरराष्ट्रीय महत्व की जगहें है, उनकी उपेक्षा आप भी कर देंगे? राजगीर और बौधगया अन्तरराष्ट्रीय महत्व की जगहें है। बुद्धिश्ट सर्किट के लिए जापान 1989-90 में पैसा देने के लिए तैयार था और इस मामले को हम भी उठाते रहे। राजगीर, गया के साथ जोड़ने के लिए हिस्वा तक रेल लाइन का निर्माण किया जाए। आपने बड़ी कृपा की, जब कोई काम न करना हो और कोई रास्ता न हो, तो रेलवे में सर्वे का हुक्म दे दिया। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इसका सर्वे पहले ही हो चुका है, लेकिन आपने फिर सर्वे का हुक्म दे दिया। आप मापदंड बदल दीजिए कि पुराना सर्वे वैलिड है। आपको मापदंड बदलना है और लाभ-हानि का अनुपात देखना है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पिछड़े इलाकों के विकास के लिए लाभ-हानि के अनुपात के चलने से रेलवे का विकास नहीं हो सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं हो सकता है। रेल का राष्ट्रीय महत्व है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी रेल का जाना बहुत आवश्यक है। यहीं पर सवाल पूछा गया था कि बख्तियारपुर-राजगिरी ब्रांच लाइन बहुत घाटे मे चल रही है और ईस्टर्न रेलवे में दूसरे नम्बर पर है। इस लाइन को हिस्वा तक जोड़ कर क्या फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है। बुद्धिश्ट सर्किट का सर्वे भी 1981-82 में रेल मंत्रालय में पड़ा हुआ है। उस सर्वे को ही निकाल लीजिए और जैसे ही आप परिवर्तन करेंगे, तो उसका निर्माण हो सकता है। इस लाइन का महत्व बिहार में ही नहीं, पूरे देश के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अन्तरराष्ट्रीय महत्व है। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे।

इसी प्रकार फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन के सर्वे के लिए आपने पैसा दिया है। हम आपको कस्टमरी धन्यवाद देते हैं कि क्षेत्र के नाम से तो कुछ हो गया। फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन पहले से ही बिछी हुई थी। रेल ने उसका अधिग्रहण किया, टेक-ओवर किया और उसके कर्मचारियों को ले लिया, उसके एसैट्स ले लिए, लेकिन रेल का परिचालन बन्द कर दिया गया। उसके बाद बाढ़ आती गई और कोई ध्यान नहीं दिया गया। रेल की पटरी उखड़ गई और पुल टूट गया और बाद मे रेल ने उसका आक्शन कर दिया। यह नई रेल लाइन नहीं है। जो फतुहा-इस्लामपुर के बीच की लाइन थी, उस रेल लाइन को रिवाइव करना है, रिस्टोर करना है। उसको रिस्टोर करने का फैसला आप ले सकते है। बिहार के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। हम लोग भी खड़े होकर इस मामले में आपकी रक्षा करेंगे कि जिसकी उपेक्षा हुई है, उसको कुछ तो मिल रहा है और मिलना चाहिए। खाली समधियाने तक जाकर न रूक जाइए। आप वहां तक जाकर रूक जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे जैसा भी कोई भाई आगे रहता है।

इसलिए वहीं पर जाकर मत रूक जाएं, उसके आगे भी चलिए। इसलिए हमारी मांग है, हमारे क्षेत्र की मांग है। हथिदह जंक्शन एक स्टेशन है जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। आप आश्चर्य करेंगे कि स्टेशन जंक्शन है लेकिन वहां सिगनल नहीं है और जंक्शन स्टेशन है। लोगों को नीचे से ऊपर चढ़ कर जाना पड़ता है। इसलिए हथिदह जंक्शन के बारे में हम यह कहना चाहेंगे, यह बहुत ही अचम्भे में डालने वाली बात है। यह बहुत विचित्र बात है किन्तु सत्य है कि जंक्शन स्टेशन है और सिगनल नहीं है। इसलिए हम इनसे आग्रह करेंगे कि वहां सिगनल तो दिलवाइए।...*(व्यवधान)* वहां पर लाईन क्रोस करने में यात्री कट जाते हैं। वहां पर पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन आ रही है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए।

महोदय, हम मांग करेंगे, हमारे यहां रामपुर डुमरा जंक्शन है। उसमें दानापुर-हावड़ा पैसेंजर का ठहराव किया जाए। हथिदह जंक्शन में दानापुर हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव कराया जाए। विक्रमशिला एक्सप्रेस का ठहराव कराया जाए और जो कमला इंटर सिटी शुरू की है उसका ठहराव कराया जाएं औरा हाल्ट है। वह हाल्ट बन गया है लेकिन गाड़ी नहीं रूकती है। दानापुर हावड़ा फास्ट पैसेंजर का वहां ठहराव किया जाए। पुनारख है वहां सियालदह-मुगलसराय-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। बाढ़ है, जो कभी भी जिला बन सकता है। लालू जी के हटते वहां जिला बन जाएगा, उनके रहते बनना मुश्किल है। टाटा-पटना सबसे पुराना सब-डिवीजन है, वह एकमात्र बच गया है जिला बनने से। वहां टाटा-पटना सुपर एक्सप्रेस का ठहराव कराया जाए। कमला इंटर सिटी सवारी गाड़ी का भी ठहराव कराया जाए। बख्तियारपुर हमारी जन्मभूमि है इसलिए उस पर भी ध्यान दिया जाए। आम तौर पर उसका ख्याल किया जाता है, वहां टाटा-पटना सुपर एक्सप्रेस का ठहराव करा दिया जाए।...*(व्यवधान)* वहां रूक जाए तो आपको क्या एतराज है। हम भी उसमें चढ़ जाएंगे। बाढ़ में रूक जाए तो हम भी उसमें चढ़ जाएंगे...*(व्यवधान)* क्या हमको ऐसे ही उस कार्यक्रम में बुलाया था। मेरे क्षेत्र में वह रूकती नहीं है और कार्यक्रम में हमको बुला लिया तो उसको आप रोकिए भी तो सही। बाढ़ में ही रोक दीजिए। वहां सब-डिवीजन है, जिला है। कांस्टीट्यूएंसी हैड क्वार्टर में ही रोक दीजिए। फतुहा में आपने दो ट्रेन

का ठहराव दे दिया। हम बहुत पहले से ही विक्रमशिला के लिये कह रहे थे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

महोदय, कृपा करके लालकिला एक्सप्रेस, लालकिला आपके दिल्ली में ही है, इसके नाम से जो ट्रेन चलती है, इसका ठहराव फतुहा मे दे दीजिए तो वहां के लोगों को थोड़ा लाभ हो जाएगा। बख्तियारपुर ए•सी• द्वितीय में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए। हरदास बीघा फ्लेग स्टेशन है इसको स्थाई स्टेशन का दर्जा दिया जाए। वहां पर बहुत पहले से हाल्ट स्टेशन के लिए मांग चली आ रही है। अचुआरा, बाढ़ और अथमल गोला के बीच में तथा महुली, अथमल गोला और बख्तियारपुर के बीच में एक हाल्ट स्टेशन बना दिया जाए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे।

महोदय, अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए रेल मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि जितनी आपने घोषणाएं की है उनको लागू करने के लिए आपका संकल्प होना चाहिए, सिर्फ उदघोषणा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको देखना भी चाहिए। अभी जो स्थिति है, जहां तक प्लान का सवाल है उसमें वह दिखता नहीं है और जहां नॉन प्लान का सवाल है वहां खर्च बढ़ता जा रहा है, सेवाएं बदतर होती जा रही हैं। हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि उन सेवाओं को बढ़ाया जाए और नयी रेल लाईन बिछाई जाए। दोहरीकरण किया जाए और उसके लिए प्लान हैड में और पैसे का उपबंध किया जाए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। अंत में एक बात और कह कर हम अनुरोध करेंगे। मैं अपने साथियों की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। रेल मंत्री जी हर एम•पी• पोर्टेशियल एक्स एम•पी• है। आप एक्स एम•पीज का जरूर ख्याल रखें। इसके लिए आपके पास अनुरोध गया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया। माननीय पासवान जी से मेरा व्यक्तिगत तौर पर पुराना साथ रहा है। वह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं है। यह जब रेल बजट पेश कर रहे थे और रेलों पर होने वाले कामों को गिना रहे थे तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि वह उत्तर प्रदेश की बात भूल गए और देश की सबसे बड़ी रियासत का नक्शा उनके दिमाग में नहीं रह गया। मैं हैरान था कि यह इंडियन रेलवे का बजट पेश कर रहे हैं या बिहार रेलवे का बजट पेश कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज इसमें नहीं है। बिहार के साथ पहले जो उपेक्षा हुई, उन्होंने उसको पूरा किया लेकिन उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ही भूल जाना ठीक नहीं है। इस बजट में मुश्किल से 2-3 काम उत्तर प्रदेश के हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत छोटी रियासतों का 10-15 जगह जिक्र हुआ है। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मैं जब बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद पासवान जी से कई बार मिला तो उन्होंने मेरे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग गोलागोकरणनाथ से मोहम्मदी होकर शाहजहांपुर और आगे फर्रुखाबाद तक रेल लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया। इसका सर्वेक्षण बीस साल पहले भी हुआ था। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है लेकिन वहां मौके पर कोई सर्वे नहीं हो रहा है। रेल भवन में कहीं कागजों में हो रहा होगा तो मैं कह नहीं सकता। मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि 20 साल पहले जो उसका सर्वे हो चुका है, इस बार भी वह सर्वे ही न रह जाए, उसकी रिपोर्ट आते ही फौरन वहां काम शुरू करवा दिया जाए। मैंने पूरा विवरण पढ़ा। बजट भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रेलवे की फिजूलखर्ची को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसका प्रावधान करना तो दरकिनार कोई संकल्प नजर नहीं आता। हालांकि फिजूलखर्ची कम करके बजट में प्रावधान करने की बात है और इस फिजूलखर्ची को कम भी किया जा सकता है। अगर आप अभी से फिजूलखर्ची पर ध्यान दें तो सैंकड़ों करोड़ रुपया बचा कर उस पैसे को विकास के कामों में लगाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि रेलवे में जो बड़े पैमाने में चोरी हो रही है, उसके बारे में पासवान जी ने यह नहीं बताया कि 100 करोड़ रुपये के लगभग जो माल बुक होता है, चोरी के माल का जो भुगतान करना पड़ता है और स्क्रैप की सम्पत्ति जो चोरी होती है जिसका भुगतान नहीं करना पड़ता, वह अरबों रुपए में होती है, उसका वह क्या करेंगे? मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से आर•पी•एफ• का गठन हुआ है, अगर उस पर एक नजर पूरी तरह से डालें तो पता लगेगा कि आर•पी•एफ• बनने से पहले रेलवे में कितनी चोरी होती थी, कितना भुगतान रेलवे को करना पड़ता था? अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि रेलवे में चोरी बढ़ी है। जहां तक स्क्रैप की बात है, जो इस धंधे के बारे में जानते हैं, वे इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। रेलवे से जो स्क्रैप लेते हैं, अगर 50 टन स्क्रैप नीलामी में लिया तो 500 टन स्क्रैप रेलवे अधिकारियों और आर•पी•एफ• की मदद से उठ कर जाता है। उसका आधा पैसा उनकी जेब में जाता है जो कि रेलवे को नहीं मिलता। स्क्रैप की चोरी जो कि रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से होती है, अगर उसको रोक दें तो शायद यह किराया बढ़ाने की बार-बार जरूरत न पड़े। इससे रेलवे का बहुत सा घाटा पूरा हो सकता है।

लेकिन इन्होंने अपने रेल बजट भाषण में उसकी ओर इशारा तक नहीं किया है। यदि उस बात की चिन्ता होती तो जरूर जिक्र करते कि जो रेल में चोरियां हो रही हैं, उसको रोकने के लिये कोई कोशिश करते। मेरा ख्याल है कि रेल में जितनी चोरियां आज हो रही हैं उसको रोकने के लिये रेल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है क्योंकि ज्यादातर पैसा कर्मचारियों की तनख्वाहों और वर्दी पर हो रहा है। अगर रेल मंत्री ध्यान दें तो इन चोरियों को रोकने में मदद मिल सकती है, इससे रेल का भला हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक और जरूरी बात की ओर दिलाना चाहता हूं। कल रेल मंत्री जी कह रहे थे कि हर चीज बढ़ रही है, इलाकों की तादाद, तहसील और जिलों की तादाद बढ़ रही है तो रेलवे में कुछ बढ़ोत्तरी तो होगी ही। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि मैं आजमगढ़ जिले में पैदा हुआ जहां पर 1902 से रेलवे लाईन थी और खुरासों रोड का आमान परिवर्तन हुआ है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। मुझे लगता है कि रेल मंत्री जी को उसका उद्घाटन करने के लिये समय नहीं मिल पा रहा है। जब नये

[श्री इलियास आजमी]

स्टेशन बनाये जा रहे हैं, हाल्ट बन रहे हैं और हाल्ट को स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है तो इस खुरासों रोड स्टेशन के साथ इतनी बेइन्साफी किसलिये की जा रही है? अभी श्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे। यह तो मेरा गांव है और तहसील फूलपुर टाऊन एरिया में है, इस स्टेशन को कैसे खत्म कर दिया। जब आप खुद कह रहे हैं कि हर चीज बढ़ रही है तो इस स्टेशन को गायब करके हाल्ट बनाना कहां तक ठीक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये निर्देश प्रदान करें कि जो 1902 से रेलवे लाईन है और यह स्टेशन रहा है तो बरकरार रखिये। यह एक अहम जगह है। वहां पर लाखों लोग विदेश से आते हैं और मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली से भी आते रहते हैं। इसलिये इसको स्टेशन ही रहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं कई बार रेल मंत्री जी से मिलकर कह चुका हूं, लिखकर भी दिया है कि शाहजहांपुर से दिल्ली के लिये जो पैसेंजर गाड़ी आती है उसको बालामऊ से चलाया जाये क्योंकि जो गाड़ियां बिहार या बंगाल की तरफ से यहां से गुजरती हैं, उनमें काफी भीड़ रहती है और लोगों को हरदोई से जगह ही नहीं मिलती। यदि इस पैसेंजर ट्रेन को बालामऊ से चलाया जायेगा तो दैनिक यात्रियों को आराम हो सकेगा। इस गाड़ी के लिये न तो डिब्बे बढ़ाने की जरूरत है, न इंजन का कोई खर्च है। इसके लिये केवल 100 किलोमीटर तक गाड़ी बढ़ाई जानी है। यदि इस बजट में प्रावधान कर दिया जाता तो आसानी से डेली पैसेंजर्स जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि बालामऊ में पहले ही से शंटिंग की व्यवस्था है, शैड भी है और कोई नई व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। केवल इस गाड़ी को बढ़ाना ही है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि यहीं पर ही इस बात को स्वीकार कर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखें।

अपराह्न 3.24 बजे

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में हरदोई से एक ट्रेन सहारनपुर-लखनऊ एक्सप्रेस गुजरती है। हरदोई-लखनऊ 110 किलोमीटर का रास्ता है। यदि इस ट्रेन को दो मिनट के लिये हरदोई रोक दिया जाये तो रोज के आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो जायेगी। इस ट्रेन से सबुह और शाम को जाने वाले दैनिक यात्री फायदा ले सकते हैं।

इसमें भी रेलवे का कोई पैसा नहीं लगना है। रेलवे को इसके लिए बजट का इंतजाम भी नहीं करना है, न किसी बोगी का इंतजाम करना है और न किसी इंजन का इंतजाम करना है। सिर्फ दो मिनट का स्टॉपेज वहां दे दें।

तीसरी बात अपने क्षेत्र की समस्या के तौर पर मैं कहना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो खड़ी होकर बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आप चेयर पर बैठकर कोई ट्रेन तो नहीं मांगने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : आपसे मिला-जुला मामला था इसलिए पासवान जी बीच-बीच में आश्वासन देते जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : आपकी बालामऊ वाली बात का पता लगा लेंगे।

सभापति महोदय : बैठे-बैठे ही आश्वासन मिल गया।

श्री इलियास आजमी : एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तराई का इलाका खीरी पड़ता है। वहां पंजाब के लोग, खास तौर से सिख भाई बड़ी तादाद में रहते हैं। उनको पंजाब जाने में बड़ी परेशानी होती है। या तो वह बरेली जाएं और वहां पहले रिज़र्वेशन कराएं और उसके बाद जिस दिन जाना है, वहां जाकर गाड़ी पकड़े। अब एक ट्रेन आप ही ने चलाई है जो बरौनी से गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर होकर अमृतसर जाती है। अगर उसका स्टॉपेज मैगलगंज पर दे दें तो पंजाब के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी और उस से तराई का पूरा एरिया लाभान्वित होगा। कई बार लोग मुझसे मिले और कहने लगे कि पासवान जी आपके पुराने साथी हैं, इसलिए आप हमारी सुविधा का इंतजाम करवा दीजिए। पहले मैंने लिखा था कि बरेली से कोटा दे दीजिए जिसका रिजर्वेशन गोला से हो जाया करे, लेकिन मैगलगज ऐसा पॉइंट है जहां से पंजाब के लोगों को जाने में सुविधा हो सकती है। वहां पर उसको रोक दीजिए और रिजर्वेशन का कोटा भी दे दीजिए तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। इसमें आपका पांच रुपया भी खर्च नहीं होना है जिसके लिए कि आपको बजट का प्रावधान करना होगा।

मैंने अपने क्षेत्र की खास समस्याएं आपके सामने रख दी हैं। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जी अभी आश्वासन भी दे चुके हैं परंतु इस बारे में दो लफ्ज भी कह दें तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे क्षेत्र के लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाएगा। मैं पासवान जी को बताना चाहता हूं कि उनका बजट भाषण पढ़ने के बाद मेरे इलाके में ईद हो गई जिस समय आपने कहा कि गोला से मोहम्मदी होकर हम रेल लाइन का सर्वे कराएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि जिसको संतुष्ट करना हो, सर्वे करा दो, चाहे काम हो या न हो, मगर आम जनता यह बात नहीं समझती। सर्वे की घोषणा पर ही ईद हो गई, दीवाली हो गई कि हमारे इलाके में रेल लाइन बनेगी। मैं चाहूंगा कि इसका आश्वासन भी मंत्री जी यहां दे।

सभापति महोदय : पीठासीन अधिकारी को डायरेक्ट रैफर नहीं किया जाता है। पीठासीन अधिकारी पीठासीन अधिकारी होता है।

श्री इलियास आजमी : ठीक है।

एक खात बात की तरफ मैं पूरे सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी मौजूदा यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने मंत्री लोगों का डिसक्रीशनरी कोटा खत्म कर दिया है। मैं पहली बार सदन में आया हूं, लेकिन दसवीं और नवीं लोक सभा में जो सदस्य थे, उनसे सुनता रहा हूं कि जो मंत्रियों का डिसक्रीशनरी कोटा था, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। माननीय सदस्य लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते थे या अपने कुछ आदमियों को लगवाना चाहते थे या कोई और फायदा अपने क्षेत्र के लिए करवाना चाहते थे तो मंत्री सीधे

आदेश कर देते थे। डिसक्रीशनरी कोटा खत्म होने से सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रेल मंत्री भर्ती कर देते थे। मैं भरोसे से कह सकता हूं कि कोई संसद सदस्य अपने क्षेत्र के किसी आदमी से रिश्वत नहीं लेता और कोई मंत्री संसद सदस्य से रिश्वत मांगकर किसी को भर्ती नहीं करता और न आज कर रहा है। आखिर जब कोटा खत्म हो जाएगा तो उन चतुर्थ श्रेणी के लोगों की भर्ती कौन करेगा? जो ब्यूरोक्रैट हैं जिनका 20-25 हजार रुपया फिक्स है, वह रिश्वत लेकर उनकी भर्ती करेंगे। तो डिसक्रीशनरी कोटा खत्म होने से किसका भला हो रहा है? मैं सिर्फ रेल मंत्री से ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों से चाहूंगा कि वह इस पर मेरा समर्थन करें।

सभापति महोदय : रेल में क्या डिसक्रीशनरी कोटा होता है?

श्री इलियास आजमी : रेल में भी था चतुर्थ श्रेणी के लोगों की भर्ती करने का और फ्री पास देने का।

सभापति महोदय : उसको आप साफ नहीं कह पा रहे हैं। आप जनरल डिसक्रीशनरी कोटा की बात कर रहे हैं।

श्री इलियास आजमी : पहले रेल मंत्री जी के पास पावर्स थी। अब हम लोग जब भी उनके पास जाते हैं कि हमारे एक आदमी को रेलवे में रख लीजिए तो बड़ी होशियारी से वे कैबिनेट सैक्रेटरी का लैटर निकालकर हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं कि इसे पढ़ लीजिए। पहले जब उनके पास डिस्क्रीशनरी पावर्स थी तो कुछ लोगों की भर्ती हो जाती थी। भर्ती तो आज भी हो जाती है लेकिन पहले रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। आज हालत यह है कि आपकी पौकेट में अगर पैसा है तो आपकी भर्ती हो जाएगी। सबको इस बारे में जानकारी है, यह खुली बात है कि ब्यूरोक्रेट जो भी भर्ती करते हैं, बिना पैसे के कहीं भर्ती नहीं होती।

सभापति महोदय : आप एक ही जगह पर कितनी देर स्टोपेज देंगे, कुछ इससे आगे बढ़िए।

श्री इलियास आजमी : मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने जो डिस्क्रीशनरी कोटा खत्म कर दिया है, उसे वे फिर से बहाल करें क्योंकि इससे अगर किसी को फायदा होगा तो वह सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को फायदा होगा, जो रिश्वतखोरी करते हैं, हम जैसे सांसदों का नुकसान होगा, जो अपने क्षेत्र के लोगों के कुछ काम करा लेते थे। जिस समय मंत्रियों के पास डिस्क्रीशनरी कोटा होता था तो हम लोग अनेक काम करा लेते थे, आज वे सारे काम रूक गए हैं। मैं रेल मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे प्रधानमंत्री जी तक हमारी बातों को पहुंचा दें, क्योंकि वे इस समय सदन में मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को, हमारे जजबात को प्रधानमंत्री की तक पहुंचा देंगे। डिस्क्रीशनरी कोटा खत्म करके कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया गया है।

इन शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे जब भी मौका मिला है, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और एक बार फिर रेल मंत्री जी से कहूंगा कि जिन तीन-चार मांगों को मैंने यहां रखा है, अच्छा हो कि आप अभी उसके बारे में यहां खड़े होकर कुछ कह दें।

श्री राम विलास पासवान : जवाब के समय बोल देंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं॰बं॰) : रेल बजट के विभिन्न पहलुओं पर अन्ततः मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी आर॰एस॰बी॰ की ओर से मैं रेल बजट को अपना समर्थन देता हूं। मैं रेल मंत्री की मंशाओं और रेल बजट भाषण में किए गए प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। क्योंकि, मैं सभा के समय कुछ ऐसे मुद्दे रखना चाहता हूं जिन्हें रेल मंत्री को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि रेलवे प्रगति और सभ्यता का साधन है। यह देश की अर्थव्यवस्था की गति को दर्शाता है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे नैटवर्क की सामाजिक प्रासांगिकता और आर्थिक महत्व है।

माननीय रेल मंत्री ने एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। रेलवे को ऐतिहासिक भूमिका निभानी होती है। हम कह सकते हैं कि प्रगति और सभ्यता का यह एकमात्र साधन है। आजादी से पहले, ब्रिटिश राज में ब्रिटिश सरकार ने रेलवे नेटवर्क की व्यापार और वाणिज्य के साधन, देश के राजनीतिक एकीकरण के साधन तथा आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति और सभ्यता के एक हथियार के रूप में आवश्यकता को महसूस किया। यहां पर यह उल्लेख करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार ने रेलवे के आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी प्रगति और सभ्यता के साधन के रूप में महत्व को महसूस नहीं किया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बायीं तरफ से बहुत आवाज आ रही है, थोड़ी शांति बनाये रखिये।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : हम देखते हैं कि भारत की रेलवे प्रणाली में विद्यमान कुल रेलवे नैटवर्क का 85 प्रतिशत ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। हमारी आजादी के पचास वर्ष बाद हमने रेलवे नेटवर्क के विकास की बहुत धीमी गति को देखा है। 50वें दशक के प्रारंभ में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे रेलवे नैटवर्क की विकास दर केवल 0.5 प्रतिशत थी। 50 के दशक के मध्य में, जब लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला, हमने देखा कि भारत में रेलवे नेटवर्क की विकास दर केवल 0.6 प्रतिशत थी। 60 के दशक में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, हमने देखा कि रेल नेटवर्क का विकास घटकर 0.2 प्रतिशत हो गया था। श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने देखा कि भारतीय रेलवे नैटवर्क की विकास दर शून्य प्रतिशत थी अर्थात पूर्णतः शून्य। पिछले पचास वर्षों से पिछली सरकारों की असफलता हमने रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान के लिए बोझ बन गई हैं। भारत में रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु पिछली

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

सरकारों की असफलता, रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पिछली सरकारों की असफलता आम लोगों की आर्थिक निराशा का एकमात्र कारण है।

रेलवे और रेलवे नेटवर्क ने सम्पूर्ण देश में राजनीतिक एकीकरण को जन्म दिया है। आज देश में एकता पाने के संबंध में रेलवे नेटवर्क की अपनी सामाजिक प्रासंगिकता है। देश की राजनीतिक एकता के लिए यह आवश्यक था और आज भी आवश्यक है। हमारे देश की एकता के लिए रेलवे प्रणाली का विस्तार आवश्यक है। अतः, मैं रेल मंत्री और सरकार से देश के पिछड़े क्षेत्रों को आर्थिक क्रियाकलापों के केन्द्रों चाहे कलकत्ता, पटना, चेन्नई, मुम्बई अथवा दिल्ली है, से जोड़ने हेतु रेल प्रणाली के विस्तार का आग्रह करता हूं। सभी पिछड़े क्षेत्रों, विघटित क्षेत्रों और पृथक क्षेत्रों को आर्थिक क्रियाकलाप के केन्द्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार आवश्यक है। अतः, मैं सरकार से रेलवे नेटवर्क के लिए, आवश्यक वित्तपोषण का प्रावधान करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए रेल मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में किए गए प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत इसलिए करता हूं क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग पूर्णतः उपेक्षित है तथा इन उपेक्षित क्षेत्रों के ओजस्वी और सुन्दर बच्चे आज भ्रमित हैं। वे विध्वंसक क्रियाकलापों का रास्ता अपना रहे हैं, वे अलगाववाद का रास्ता अपना रहे हैं। आर्थिक खिन्नता, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक जीवन में खिन्नता के कारण हैं। रेलवे इस उपेक्षित पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के पुनरूत्थान की रीढ़ है। इसी कारण पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा किए गए प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

मैं रेल विभाग द्वारा 56000 नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के एक अन्य अच्छे प्रस्ताव का भी स्वागत करता हूं। उनकी चिल्लाहट न्यायोचित है : उनकी मांग न्यायोचित हैं नैमित्तिक कर्मचारियों का निर्धारण केवल नौकरशाही पर निर्भर करता है, तथा रेल विभाग में प्रशासनिक नौकरशाह नैमित्तिक कर्मचारियों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर 'मिनी' नैमित्तिक कर्मचारी है मैंने 'मिनी' शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उनकों रेल विभाग द्वारा स्वैच्छिक आधार पर रखा जाता है तथा उन्होंने स्वैच्छिक तौर पर विभाग की 35 दिन तक सेवा की और उन्हें उसके लिए पैसा दिया गया। एक या दो महीने के अन्तराल के बाद उन्हें रेल विभाग की सेवा के लिए दोबारा बुलाया गया। इस प्रकार इन कर्मचारियों ने भारतीय रेलवे की 85 दिन अथवा 125 दिन अथवा 165 दिन सेवा की। मेरी राय में ये 'मिनी' नैमित्तिक कर्मचारी हैं क्योंकि उन्हें भारतीय रेलवे के प्रशासनिक नौकरशाहों द्वारा तैयार की गई नैमित्तिक कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। मैं रेल मंत्री से इस प्रकार के 'मिनी' नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने हेतु उनकी सुरक्षा तथा रेलवे विभाग द्वारा उन्हें नैमित्तिक कर्मचारियों की सूची में शामिल करने का आग्रह करता हूं। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

मुझे मालभाड़ा शुल्क और यात्री किराये में वृद्धि के बहुत कष्टकारी प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। मालभाड़े में 12 प्रतिशत वृद्धि तथा यात्री किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि निश्चित तौर पर आवश्यक वस्तुओं के सामान्य मूल्यों पर गहरा प्रभाव डालेगी। हम पूंजीवाद के युग में रह रहे हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार कुशल पूंजीवाद का युग है तथा व्यापारियों का लक्ष्य निवेश का लक्ष्य केवल लाभ कमाना है। अतः, निवेश का लक्ष्य लाभ कमाना है। निवेशक निवेश केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए करते हैं तथा केवल लाभ कमाने वाले व्यापारी ही मालभाड़े में 12 प्रतिशत वृद्धि के अवसर का लाभ उठाएंगे तथा आवश्यक वस्तुओं के साधारण मूल्य स्वाभाविक तौर पर बढ़ेंगे और आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे।

पूंजीवादी व्यवस्था में, 'इंटर कैरिज सिस्टम' राष्ट्रीय पूंजीवादी घटना है। इसलिए, मालभाड़े में 12 प्रतिशत वृद्धि तथा यात्री किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि मूल्य स्तर, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची को निश्चित तौर पर बढ़ाएगी। हमें रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड प्रबंधन के प्रैस वक्तव्य से पता चलता है कि आवश्यक वस्तुओं के सामान्य मूल्यों पर केवल 0.13 प्रतिशत वृद्धि संभव है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह आंकड़ों का मायाजाल है। अच्छे मालभाड़े में वृद्धि तथा यात्री किराए में वृद्धि को इस प्रकार स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रत्येक अर्थशास्त्री कहेगा कि इससे मूल्य सूची में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं में केवल 2.5 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। इससे आम आदमी की जिन्दगी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं मंत्रालय और सरकार से माल भाड़े में 12 प्रतिशत वृद्धि तथा यात्री किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि में किसी भी प्रकार से संशोधन, यदि संभव हो, का आग्रह करता हूं।

मुझे विभिन्न प्रकार की समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाने की खुशी है। मैं ऐसा करके खुश होता, लेकिन समय कम है। मैं समय की पाबंदी, का शिकार हूं। अतः, मैं अपने आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की मांग तक सीमित रखूंगा।

मैंने देखा है कि बंगलौर को विशेष महत्व दिया गया, पटना और देश के कई भागों को विशेष महत्व दिया गया है। यह अच्छी बात है। देश के किसी भी भाग पर दिया गया ध्यान स्वीकार्य होगा। हम इसे स्वीकार करते हैं। इसके साथ-साथ, हमें अपने प्रस्ताव रेल मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। हमें कहना चाहिए कि देश के अन्य भागों का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हूं। यह अति उपेक्षित जिला है। जैसाकि आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद, माल्दा, नाडिया और दिनाजपुर क्षेत्रीय जिले हैं। वहां पर सीमा समस्या हैं। आजादी के बाद भी हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः, मुर्शिदाबाद, जिले की ओर विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। इसकी अपनी विरासत है नवा सिराज-उद्दौला, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्शिदाबाद के इतिहास से संबद्ध रहे हैं। लालगोला-सियालदाह खड पिछली सरकारों तथा इस सरकार द्वारा भी पूर्णतः उपेक्षित रहा है। पिछले पचास वर्षों के दौरान मेरा जिला कांग्रेस सरकारों के सौतेलें

व्यवहार का शिकार रहा है। इस खंड की बढ़ती मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जोकि यहां उपस्थित हैं, से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। वामपंथी दलों के तीन संसद सदस्यों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है। महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी, संसद सदस्य, वाम-समन्वय के नेता ने भी इस मामले में दखल दिया। तब, उन्होंने इस मामले को माननीय प्रधान मंत्री के पास भेजा था। उनकी भी हमारे साथ सहानुभूति है। उन्होंने मूक स्वीकृति दी। हमने माननीय रेल मंत्री के सामने अपनी तीन मांगें रखी। उन्होंने क्या किया? जैसाकि मैंने पहले कहा है, लालगोला-सियालदाह खंड तथा कृष्णा नगर-बरहामपुर खंड के विद्युतीकरण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हम लालगोला यात्री गाड़ियों पर निर्भर हैं। माननीय रेल मंत्री ने भी इस प्रस्ताव पर मूक स्वीकृति दी है। मैं मंत्री जी से सभा में आश्वासन देने का आग्रह करता हूं कि इस खंड पर विद्युतीकरण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने हमें यह भी बताया था कि इस वर्ष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मैं उनसे सर्वेक्षण तुरंत प्रारंभ करने का अनुरोध करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, बरहामपुर-पंचनटोला, जोकि बहुत अशांत क्षेत्र है, में एक रेलवे फाटक है। हर समय हमें वहां पर दुर्घटना का समाचार मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण रेलवे फाटक है। इस संबंध में, मैंने कई बार अपनी मांग को रेल मंत्रालय के साथ रखा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सी॰एल॰ कांव ने उस क्षेत्र का दौरा किया था। पूर्व रेलवे के नौकरशाहों ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था। हमने उनके ध्यान में लाया था कि बरहामपुर-पंचनटोला रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल का निर्णय किया जाना चाहिए। इसे पहले ही, 1984 में स्वीकार किया जा चुका है। हम भी जानते हैं किं यह योजना शुरू होने जा रही है। लेकिन हमें अचानक यह आंकड़ों का मायाजाल देखने को मिला कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि को कहीं और लगाने की योजना बन गई।

महोदय, लालगोला-सियालदाह खंड महत्वपूर्ण स्थान है जिसका ऐतिहासिक महत्त्व भी है। लालबाग और नासीपुर पर्यटन स्थल हैं। इसे पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सरकार भी राजस्व अर्जित कर सकती है। मैं माननीय रेल मंत्री से लालगोला-सियालदह खंड के सुधार का अनुरोध करता हूं, इस उद्देश्य के लिए हमने मांग की कि लालबाग के निकट नासीपुर में लागीर थी, पर एक ऊपरी पुल का तुरंत निर्माण किया जाना चाहिए। ताकि लालगोला-सियालदाह खंड को आजमगंज-फरक्का, उत्तर बंगाल और असम से जोड़ा जा सके। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी मांगों में तीन मुद्दे थे। श्री सोमनाथ चटर्जी ने दखल दिया और प्रधान मंत्री भी हमारी मांग पर सहानुभूति रखते थे। माननीय रेल मंत्री ने भी हमें मूक स्वीकृति दी। आज मैं मांग करता हूं कि ये तीन मुद्दे अर्थात् बरहामपुर से कृष्णानगर तक विद्युतीकरण, बरहामपुर-पंचनतोला रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण तथा नासीपुर में लागरि, पर ऊपरी पुल का निर्माण तुरंत किया जाना चाहिए। महोदय आप सरकार और रेल मंत्री को हिदायत देने की कृपा करें कि इस सभा में आश्वासन दिया जाए ताकि हमारी मांगें शीघ्र पूरी हो सकें।

मेरा अंतिम प्रश्न सुरक्षा, संरक्षा, समयबद्धता तथा यात्रियों की सुख-सुविधाओं के बारे में है। हम सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं। महोदय, आप लालगोला-सियालदाह खंड नहीं गए हैं लेकिन यदि आप वहां गए होते, तो आपको पता चलता कि वहां पर यात्रियों की कोई सुरक्षा और संरक्षा नहीं है। प्रतिदिन डैकेती की घटनाएं होती हैं। लालगोला-सियालदाह खंड पर कोई सुरक्षा और संरक्षण नहीं है। यात्री रानाघाट अथवा कृष्णानगर से आगे नहीं जाते हैं। इसलिए, बरहामपुर अथवा लालगोला अथवा बंगलादेश सीमा की ओर जाने वाले यात्री पूर्णतः उपेक्षित हैं। उनहें गाड़ियों में कोई सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिलती।

गाड़ियों की कोई समयबद्धता नहीं है। एक या दो गाड़ियों के सिवाय अन्य सभी गाड़ियों की कोई समयबद्धता नहीं है। उन्हें समयबद्धता से कोई लेना-देना नहीं है।

उस क्षेत्र में यात्रियों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। केवल एक गाड़ी अर्थात् भागीरथी एक्सप्रैस ऐसी गाड़ी है जिसमें प्रथम श्रेणी है। लेकिन अन्य सभी गाड़ियों जैसे फास्ट सवारी गाड़ी, 370 डाउन आदि में कोई प्रथम श्रेणी डिब्बा नहीं हैं। उन गाड़ियों के यात्रियों को कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं दी गई हैं। उन गाड़ियों में कोई वातानुकूलित कम्पार्टमैंट नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या लोग इन आधुनिक सुविधाएं दिए जाने के योग्य नहीं है। क्या ये लोग प्रथम श्रेणी कम्पार्टमैंट के योग्य नहीं हैं।

यात्रा करने के लिए कोई प्रथम श्रेणी नहीं है कोई वातानुकूलित कम्पार्टमैंट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं हैं, तथा यात्रियों की कोई सुरक्षा नहीं है। यदि वहां पर गाड़ियों की हालत ऐसी है, तो हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि इन लोगों का ध्यान रखा गया है।

मैं इस सभा को स्मरण कराने की अनुमति चाहता हूं कि मेरा जिला मुर्शिदाबाद जिसकी 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अल्संख्यक समुदाय से हैं। यदि मेरे जिले के लोगों के पास गलत संदेश जाता है, यदि वहां पर लोगों के पास गलत संदेश जाता है कि यह सरकार उनकी मांगों से अनभिज्ञ है, तब क्या स्थिति होगी? अतः, सकारात्मक, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाना चाहिए तथा मेरे जिले के लोगों के पास यह संकेत जाना चाहिए कि यह सरकार उनकी मांगों पर उचित, संशोधित और समुचित ध्यान दे रही है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसके साथ-साथ मैं रेल बजट का भी समर्थन करता हूं और हमारी मांगों पर विशेष ध्यान देने के लिए माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, सन् 1997-98 का रेल बजट आया है, उसके लिए बहुत से विशेषण प्रयोग किए गए हैं कि यह संतुलित बजट है और विकासोन्मुखी बजट है।

यह प्रगतिशील बजट है, गरीब लोगों का बजट है लेकिन इसके विषय में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से टिप्पणियां की। भारतीय

[डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया]

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि रेल भाड़े में 12 प्रतिशत की वृद्धि से पिछले सात महीने में ही 23.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई। इस साल 1996 में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई। इस वृद्धि से आवाजाही की लागत बढ़ेगी और औद्योगिक विकास की गति में मंदी का एक कारण परिवहन लागत बढ़ जाना भी है। इस कारण महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह एसोसिएट चेम्बर ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने रेल बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बजट कहा है। अब हम इन विशेषणों के आधार पर इस बजट की समीक्षा करें तो हमें अन्दाज पड़ जाएगा कि यह केवल कोरे आश्वासन हैं, कोरी घोषणाएं हैं और विकास को यह बजट गति देने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने कहा कि यह जो नयी लाईन गेज परिवर्तन, पटरियों के विस्तार और सर्वे के बारे में आश्वसन दिए हैं इसके बावजूद भी यह बिलकुल सच है कि रेलवे की जो योजना है उसमें निवेश में भारी कमी की गई। यह तो इस बात से सिद्ध हो गया कि इन्होंने किराये और माल भाड़े में भारी वृद्धि की है, जिसका कि असर तमाम लोगों पर पड़ने वाला है। इस प्रकार से महंगाई बढ़ा कर लोगों की कमर ही तोड़ दी है। अब यह जो वार्षिक योजना इन्होंने 8300 करोड़ की तैयार की है यह पहले से ही बोझ से लदी हुई है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी इन्होंने रेलवे निगम से 2100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अब इस कर्ज से ये रेलें चलाएंगे। "यावत् जीवेत, सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा, घृतम् पींवेत।" यह तो ऐसी कहावत हो गई कि कर्जा लेकर घी पीओ।

सभापति महोदय, अब आप देखेंगे कि इन्होंने जो योजना निवेश किया है, पिछले वर्ष जो किया था उसकी तुलना में यह बजट कैसे प्रगतिशील है, यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। पटरियों के नवीनीकरण के लिए इन्होंने गत वर्ष 1680 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और अब इस इस वर्ष यह घट कर 1516 करोड़ हो गया। इसी तरह दोहरी लाईन बिछाने का जो काम था इसके लिए पिछले वर्ष इन्होंने 206 करोड़ का प्रावधान किया था और अब इस वर्ष यह घट कर 178 करोड़ रह गया है। इसी तरह आमान परिवर्तन का काम है।

अपराह्न 4.00 बजे

उसको यदि आप देखेंगे तो इसमें 102। करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले वर्ष था। इस साल 996 करोड़ रह गया। यहा कहां प्रगतिशील है, कहां विकासोन्मुख है, कैसे काम बढ़ेगा, यह समझ में नहीं आता। माननीय मंत्री महोदय इस बात में माहिर हैं और वे सब जगह से लोगों को खोज कर ताली मारने का काम कर रहे हैं। यह बजट संतुलित है, लोगों ने इसको देख कर खूब तालियां बजायीं, खूब मेजें थपथपायीं और उनकी प्रशंसा में काफी तारीफ की। यदि हम बजट को देखें तो क्षेत्रीय हिसाब से भारत के अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी उपेक्षा की गई है और जिनको काफी ऑबलाइज किया है, वे ऐसे राज्य हैं जहां इनके घटक के लोग मौजूद हैं। इन्होंने आन्ध्र प्रदेश को 210 करोड़ रुपया, असम को 294 करोड़, बिहार को 273 करोड़, जम्मू कश्मीर को 104 करोड़ और कर्नाटक को जो कि प्रधान मंत्री का प्रदेश है, उसको 240 करोड़ देकर उपकृत किया है। इसी प्रकार तमिलनाडु को भी उपकृत किया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सारा का सारा इन्होंने खेल किया है। अपने स्नेही राज्य के लोगों को विशेष रूप से उपकृत किया है। उत्तर प्रदेश जो कि महाराज जी का स्वयं का प्रदेश है जिनके प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता लेकिन उनके प्रभाव को कम करने का काम किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश की भी उपेक्षा की।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : ऐसी बात नहीं है। सर्वत्र रेल को बांटा गया है।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां 47 करोड़ और सात लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय : आप कहां के लिए क्या चाहते हैं, यह बोल दीजिए।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : मध्य प्रदेश को केवल 63 करोड़ रुपए दिए हैं। हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़, हरियाणा को 11 करोड़ रुपए, गुजरात को 35 करोड़ दिए हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में यदि कुछ करना है, वहां आवश्यकता है और किया गया है, उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई। यह भी आवश्यक है लेकिन अन्य प्रदेशों की बिल्कुल उपेक्षा की जाए, यह बात समझ में नहीं आती। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे यहां कई वर्षों से प्रतीक्षित सिंगरौली-ललितपुर रेल लाइन, उसका इन्होंने सर्वेक्षण करा कर बजट में सम्मिलित किया लेकिन जब मैंने उसको देखा तो पाया "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" मैं बताना नहीं चाहता कि कितना थोड़ा सा उसके लिए प्रावधान किया गया। आपने इस तरीके से लोगों की उत्सुकता को जगा दिया लेकिन आप काम कैसे करेंगे। एक लाख के प्रावधान से कहीं ललितपुर-सिंगरौली मार्ग बन सकता है? मैं इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए यह मांग करता हूं कि अभी जो बताया गया कि हमारे पास मिसलेनियस एमाउन्ट है, अगर उसका उपयोग उसके लिए करें और इस कार्य को जल्दी कराएं तो वहां के पिछड़े इलाके का भला हो सकता है। आपने छिंदवाड़ा वाली लाइन की चर्चा नहीं की।

मध्य प्रदेश की काफी उपेक्षा की गयी है। दल्ली-राजहरा मार्ग का संकल्प पारित हो चुका है लेकिन उस विषय में कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार इन्दौर-दाहोद-मकसी मार्ग के लिये बहुत कम प्रावधान किया गया है। आपने नये सर्वे का आश्वासन दिया था। पूर्व रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया ने भी कहा था और आपने पिछले साल इन्दौर-खातेगांव-नसरूल्लागंज-बुदनी तथा सलामतपुर-रायसेन-बेगमगंज-सागर मार्ग के सर्वे के लिये आश्वासन दिया था लेकिन उसको इस बजट में सम्मिलित नहीं किया गया। आपने जबलपुर-गोंदिया रेल लाईन को जरूर लिया है लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे ओस की बूंदों से प्यास बुझा रहे हैं। इसको तो क्षेत्रीय असंतुलन कहेंगे। यदि आपने इसको संतुलन का नाम दिया है तो इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, आपने जबलपुर को जोन बनाये जाने का उद्घाटन तो कर दिया, इसका काम-काज शुरू हो जाये, उस क्षेत्र का विकास हो। आपने समुचित विकास की बात की है तो बिलासपुर को जोन बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। आप अपने अन्य खाते में बिलासपुर को जोन बनाये जाने की बात को सम्मिलित करें तो उपकार होगा।

श्री राम विलास पासवान : उसके लिये रखा हुआ है।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र में गया था। अभी छिंदवाड़ा का परिणाम निकला है। चूंकि आपने छिंदवाड़ा-नागपुर रेल लाईन की ओर ध्यान नहीं दिया इसलिये जनता ने गुस्से का इज़हार करते हुये यह नतीजा दिया है। वहां की जनता से बार-बार वायदे भी किये गये लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि इस बार इस लाईन को भी सम्मिलित कर लें।

श्री राम विलास पासवान : यह मध्य प्रदेश बार-बार क्यों पिछड़ा रहा है? यह हर मामले में पिछड़ा हुआ है। सिंगरौली-ललितपुर रेलवे लाईन का बनाया जाना एक हिस्टोरिक काम हम लोगों ने किया है। इतने कम समय में यानि 4 महीने में सर्वे कर दिया गया और बजट में भी हो गया।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : सभापति महोदय, इसके लिये कल माननीय सांसद सुश्री उमा भारती ने ढेर सारी बधाईयां आपको दी हैं। हम भी देना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का रेल के मामले में जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां तक बन सके हम करेंगे। जो भी अच्छी चीज़ नजर में आती है और जहां-जहां सर्वे के मामले में टैक्नैलिटी खत्म होती जाये, उसमें हम अपने तरीके से ध्यान देंगे। जैसे बिश्रामपुर-बीघापुर मामले में किया है।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : हम आपको ढेर सारी बधाईयां दे रहे हैं। जब श्री पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के लिये संकल्प पारित किया गया था और उसके बाद जब श्री वी॰पी॰ सिंह प्रधानमंत्री हुये तो उस समय भी सर्वे के लिये कहा गया लेकिन हुआ नहीं। तब हम लोग श्री जाफर शरीफ जी के पास गये, योजना आयोग से बात की, श्री प्रणव मुखर्जी साहब से मिलकर बात कही कि इस लाईन का सर्वे कराया जाये। उसके बाद मैं, श्री अग्निहोत्री जी और उमा जी सब माननीय वाजपेयी साहब के पास गये कि इस लाईन का सर्वे कराया जाये लेकिन इस काम में गति नहीं आई। पिछले साल उमा जी, अग्निहोत्री समेत रेल भवन के सामने हम लोग अनशन पर बैठे तो माननीय श्री सतपाल महाराज ने आश्वासन दिया था और अब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह हो गया है।

ठीक समय पर 15 अगस्त को उसका सर्वेक्षण पूरा कराकर प्लानिंग कमीशन से निकालकर बजट में उसको लाए। इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। मैं कामना करता हूं कि अब उस रेल लाइन के लिए अच्छे बजट का प्रावधान भी करेंगे।

श्री सतपाल महाराज : बजट पास होने के बाद जो भी पैसा है, वह दिया जाएगा। रेल का विस्तारीकरण किया जाएगा।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि उसकी शुरूआत कराने के लिए आप चलें।

श्री सतपाल महाराज : चलेंगे।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : सभापति महोदय, गुना, इटावा नई रेल लाइन पर 35 करोड़ पिछले साल दिया था।

सभापति महोदय : अगर तेज गति की गाड़ी लेना चाहते हैं तो तेज गति से बोलिए। धीमी गति में बोल रहे हैं तो धीमी गति वाली गाड़ी मिलेगी।

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की छाती पर से सारी गाड़ियां चीखती-चिल्लाती हम लोगों को टाटा करती चली जाती हैं। हम लोगों से गुड मॉर्निंग या गुड ईवनिंग भी नहीं करती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि दक्षिण जाने वाली गाड़ियों को बीना में रोकें जो एक बहुत बड़ा जंक्शन है। सोनागिरी, दतिया, बसई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। यहां पर चंबल ऐक्सप्रेस और पंजाब मेल को रोक दें तो आपका राजस्व बढ़ सकता है और रेलवे को फायदा भी हो सकता है। इसी तरह से जबलपुर-मंडला-मुंगेली-बिलासपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन उसके बाद उस पर विचार नहीं किया गया। यह पिछड़ा हुआ आदिवासी इलाका है।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की चर्चा करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां से इंदौर-हावड़ा क्षिप्रा ऐक्सप्रेस चलती है और हफ्ते में चार दिन चलती है। चूंकि उज्जैन और इसके रास्ते में काफी तीर्थ स्थल पड़ते हैं और आवागमन काफी होता है, इसलिए यह फायदे वाली लाइन है। इसलिए इस ट्रेन को रोज चलाया जाए। इसी तरह से रीवांचल ऐक्सप्रेस चली है और यह केवल तीन दिन वहां से जाती है। मेरा निवेदन है कि इसको भी वहां से रोज चलाया जाए। जबलपुर से तो अनेक गाड़ियां चलती हैं और वहां पर इतनी भीड़ है कि इस गाड़ी को आने के लिए आउटर पर कई घंटे रूकना पड़ता है। जहां लोगों की जरूरत है, उस स्टेशन से यदि गाड़ी को चलाया जाए तो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इसे रीवां के लोग भी चाहते हैं क्योंकि दमोह-सागर होकर जाते हैं तो वे दो घंटे पहले पहुंच जाते हैं। जबलपुर से होकर उनको काफी इंतजार करना पड़ता है।

आप हर जगह रेल सुविधाएं बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे यहां सुविधाएं घटा रहे हैं। हमारे यहां संबलपुर ऐक्सप्रेस हफ्ते में चार दिन चलती थी जिसे आपने पिछले बजट में तीन दिन से बढ़ाकर चार दिन किया था। इस बार उसका एक दिन फिर कम कर दिया गया है और वह हफ्ते में तीन दिन चलने लगी है। इसी तरह से पंजाब मेल में मुंबई के लिए कटनी से एक बोगी लगती थी। मुंबई जाने के लिए कटनी, दमोह, सागर और बीना से कोई कनैक्शन नहीं है। मुंबई जाने के लिए हमारी सुविधा को कम से कम बहाल किया जाए। जो बोगी लगती थी, उसको लगाया जाए और यदि बोगी का प्रावधान नहीं है तो नयी

[डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया]

ट्रेन वाराणसी से मुंबई चलाई जाए ताकि हमारे यहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड का जो इलाका है, इसमें अनेक पर्यटन स्थल हैं। जैसे खजुराहो है, कलिंजर है, पन्ना में सारंग मन्दिर है, सकोर में शिव मन्दिर है। इस तरह के अनके पुराने ऐतिहासिक स्थल वहां हैं। यदि इन सभी पर्यटक स्थलों को हम रेलवे से जोड़ देते हैं, वहां तक रेलों का विस्तार कर देते हैं तो यात्रियों के आवागमन में काफी सुविधा हो जाएगी और इन क्षेत्रों में जो खनिज सम्पदा है, उसका दोहन भी सम्भव हो सकेगा। पर्यटन की दृष्टि से इन क्षेत्रों का विकास भी होगा, लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः अपने क्षेत्र की मांगों की तरफ रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि रीवांचल एक्सप्रेस को दमोह सागर से चलाकर वहां के यात्रियों को उपकृत करें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : सभापति जी, काफी इंतजार के बाद आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं एक पिछड़े इलाके को रिप्रेजेंट करती हूं, उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

रेल बजट पर बोलने के लिए मैं यहां खड़ी जरूर हुई हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका समर्थन करूं या विरोध करूं क्योंकि एक तरफ हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार एक दलित व्यक्ति देश के रेल मंत्री बने हैं जो बहुत विद्वान हैं और उनके साथ सतपाल जी महाराज भी काफी विद्वान हैं। पिछले साल से मैं अपने क्षेत्र के लोगों को रेल मंत्री जी की तारीफ सुनाती आ रही हूं लेकिन इस रेल बजट को देखकर, मैं सोचती हूं कि उनकी तारीफ करूं या नहीं क्योंकि उड़ीसा के लिए इसमें जो प्रावधान किया गया है, मैं मानती हूं कि पिछले साल की तुलना में इस बार उड़ीसा के लिए पैसा जरूर ज्यादा रखा गया है, लेकिन मैं एक पिछड़े इलाके को रिप्रेजेंट करती हूं। एस॰सी॰एस॰टी॰ के लोग बहुत स्ट्रगल करके आगे आते हैं। दिल्ली या किसी स्टेट में उनके कोई गौड-फादर नहीं हैं जो उन्हें खींचकर ऊपर ले आएं। मैं चाहती हूं कि सभी पिछड़े इलाकों को सही जस्टिस मिले अन्यथा हम लोगों के सामने काफी तकलीफ हो जाती है।

मैं 1986 से आज तक लगभग हर रेल बजट में पार्टिसिपेट करती आ रही हूं लेकिन मेरी एक मांग भी आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिए मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बजट का समर्थन करूं या विरोध करूं। अगर रेल मंत्री यहां कहें कि एक साल से तुम तारीफ करती आ रही थीं, आज गाली क्यों देती हो-मैं गाली आज भी नहीं दे रही हूं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब पासवान जी रेल मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अखबार में खूब बयान दिए कि साउथ-ईस्ट रेलवे को मैं ज्यादा महत्व दूंगा, इम्पौर्टेंस दूंगा, नौर्थ-ईस्टर्न रीजन के पिछड़े इलाके को मैं ज्यादा महत्व दूंगा। उस समय हम समझ सकते थे कि शायद उनके दिल में पिछड़े इलाकों के प्रति, एस॰सी॰एस॰टी॰ के लोगों के प्रति कुछ धड़कन है। लेकिन आज स्थिति यह है —

> किससे कहूं मैं अपनी बात, यहां किसी के पास दिल नहीं है,
> यहां पत्थर तो बहुत मिलते हैं, पर यहां दिल नहीं है।

मेरी समझ में नहीं आता कि अपनों से कहूं या परायों से कहूं। इस कुर्सी पर जो भी आता है, यहां आने के बाद सबकी समझ एक जैसी हो जाती है। मुझे खुशी इस बात की है कि एक दलित व्यक्ति आज हमारे रेल मंत्री हैं लेकिन जब पिछड़े इलाकों के विकास का कोई काम नहीं होता तो मुझे दुख होता है। मैं यहां पूरे उड़ीसा की बात आपके सामने रखना चाहूंगी और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने हमारे भाई-बहनों को बहुत समय दिया, मुझे भी 10-15 मिनट आप दे दीजिए। हमारे क्षेत्र उड़ीसा में 1904 से पहले कोई रेल लाईन थी या नहीं, वह तो रिकार्ड बताएगा लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 1904 में रेलवे लाइन बहुत कम थी।

लेकिन 1904 में हमारे जिले में पहली रेलवे लाइन रूपसा-बांगरी-पोसी थी। उस समय जब सेंटर की ओर से राज्यों को मर्ज करने का प्रस्ताव आया था, तो हमारे महाराजा पूर्ण चन्द्र भंजदेव साहब ने कहा था कि हमें यदि अपने राज्य को मर्ज करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मर्ज करना है। मैं दुख के साथ कहती हूं कि 1948 में जब मर्जर एग्रीमेंट हुआ था, तो हमारे राजा साहब ने साफ कहा था कि हमारी स्टेट का मर्जर उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा। यदि मर्जर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होगा। यह बात 1948 के एग्रीमेंट में लिखी हुई है। उस समय के हमारे गड़जात राज्य के राजा साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने मयूरभंज राज्य को मर्ज करने की बात स्वीकार की थी। अपने राज्य को उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ अपने राज्य के मर्जर से साफ इंकार कर दिया था। उन्होंने कुछ निश्चित समझौतों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में, को मर्ज कर दिया। उस एग्रीमेंट में रूपसा-बांगरी-पोसी रेलवे लाइन को ब्राडगेज करने, उसको डिवेलप करने की बात भी कही गई थी। उसको तालबंद करके, बादामपहाड़-गड़मोहीसानी के नीचे से रास्ता है, उसका सर्वे भी हो चुका है, जिस पर पैसा भी कम खर्च होगा, टाटा के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था और यह भी एग्रीमेंट में लिखा था कि मयूरभंज के राजा का उड़ीसा राज्य के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है।

सभापति महोदय, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम कोई उनसे दया की याचना नहीं कर रहे हैं। हम आपसे मांग कर रहे हैं कि उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको पूरा कीजिए। हम लोग इसी तरह से मांग करते चले जाएंगे और आप लोग हमें इसी तरह से बताते चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं और हम से पहले जितने भी मैम्बर पार्लियामेंट बने वे भी मांग करते रहे हैं और जितने भी रेल मंत्री या सरकारें आईं सब यही कहती रहीं और एश्योरेंस पर एश्योरेंस देती रही लेकिन किसी ने काम पूरा नहीं किया। हालत यह है कि 10 साल से तो सर्वे ही कर रहे हैं।

रिपोर्ट आ रही हैं। जब हम पूछते हैं तो हाउस में कहा जाता है कि सर्वे चल रहा है। 1986 के बाद से अलाटमेंट शुरू हुआ, तो कभी तीन करोड़, कभी पांच करोड़ और कभी सात करोड़ रुपए ही अलाट किए जाते रहे हैं। पिछली साल तो भाई साहब ने केवल 50 लाख रुपया ही दिया है। जब हम इनसे मिले, तो इन्होंने कहा कि हां, इसमें ऐप्रूवल की जरूरत है। ऐप्रूवल के बाद काम चालू कर दिया जाएगा, लेकिन उसको भी एक साल हो गया है और अब तक काम चालू नहीं हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : आप किस रेलवे लाइन की बात कर रही हैं?

कुमारी सुशीला तिरिया : भाई साहब में रूपसा-बांगरी-पोसी रेलवे लाइन के ब्राडगेज करने की बात कह रही हूं। मैंने आपको यह लैटर 6 अगस्त, 1996 को काम चालू करने के लिए दिया था। उसके बाद मैं आपसे आफिस में मिली। पार्लियामेंट में भी मिली थी। पिछले साल बजट के समय पर भी मैं इस बारे में बोली थी। उस समय मंत्री जी ने हमें बताया था कि दिसंबर के महीने में इसे चालू किया जाएगा और इस बारे में आपकी चिट्ठी भी मेरे पास है। वह अभी तक चालू नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, अब आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरी मांग यह है कि रूपसा-बांगरी-पोसी रेलवे लाइन के ब्राडगेज करने के काम को तुरंत चालू किया जाए। वह काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे, तो 1948 के महाराजा और सेंटर के एग्रीमेंट के मुताबिक उड़ीसा के मयूरभंज लोग कोर्ट में चले जाएंगे। वे अपने हक को हर हाल में प्राप्त करना चाहेंगे। फिर चाहे वह रास्ता लीगली हो, पार्लियामेंट के जरिए डैमोक्रेटिक हो। वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपने हक को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। आप इस एग्रीमेंट को देख सकते हैं। यह 1948 में मयूरभंज राज्य के सेंट्रल गवर्नमेंट में मर्जर के समय के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि रूपसा-बांगरी-पोसी रेलवे लाइन को बार-बार कहा जा रहा है कि वह इम्पार्टेंट नहीं है और अनइकनौमिकल है। मैं आज सदन में पूछना चाहती हूं कि जितना भी पैसा आज तक प्रधान मंत्री ने और रेल मंत्री ने पिछड़े इलाकों को इम्पोर्टेंस देने के लिए प्रायर्टी देने के लिए और

[अनुवाद]

'रेलवे मात्र एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है बल्कि यह एक लोक कल्याणकारी संगठन भी है।'

[हिन्दी]

जो है, तो मैं मांग करना चाहूंगी कि अब तो पिछड़े इलाके के लिए बजिटरी सपोर्ट भी पहले से 400 करोड़ ज्यादा हो गया है, तो मंत्री जी को हमारे पिछड़े इलाके के काम को भी प्रायर्टी के बेस पर करना चाहिए। मैं आज पूछना चाहती हूं मंत्री जी से कि इसको कब तक पूरा किया जाएगा। आज आप इसकी डेट फिक्स कर दीजिए कि रूपसा-बांगरी-पोसी रेलवे लाइन का काम आप कब करेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि इसका सर्वे भी हो चुका है। पुराने राजाओं के जमाने से यह है। तालबंद होकर लाइन जा सकती है। बादामपहाड़-मुड़ुमोहीसानी होकर जब तक इसको टाटा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक यह इम्पोर्टेंट और इकनौमिकल नहीं बन सकती है। यदि इसको टाटा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तो आप बार-बार यही कहते रहेंगे कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है। यह अनइकनौमिकल है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आज हिन्दुस्तान की कौन सी रेलवे लाइन है, जो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो। पहले तो सभी लाइनें अनइम्पोर्टेंट और अनइकानौमिकल होती थीं, लेकिन बाद में उन्हें इकनौमीकल बनाया गया है।

सभी पहले ऐसे ही अनइम्पोर्टेंट थे, पहले ऐसे ही अनइकोनोमिकल थे, उनको डवलप किया गया है। इसी तरह मैं भी मांग कर रही हूं कि जिस ट्राइबल इलाके, जिस बैकवर्ड इलाके में, जहां पर बच्चे अभी भी उसी स्थिति में हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हम लोग एस॰एस॰, एस॰टी॰ के नाम से फंड्स रिलीज करते हैं, वैलफेयर डिपार्टमेंट में भी फंड्स रिलीज करते हैं। जब-जब जनरल बजट आता है, हम बहुत पैसा उनके लिए देते हैं, लेकिन 50 साल के बाद भी अभी तक उनका डवलपमेंट नहीं हो पाता है। अभी भी हम लोग कोटे की, रिजर्वेशन की मांग करते हैं, 50 साल के बाद भी आज हम मेहरबानी से जी रहे हैं। दुख इसलिए है कि जरूर कहीं दाल में काला होगा। मैं मांग करना चाहूंगी कि जो भी आप करना चाहेंगे, एस॰सी॰, एस॰टी॰, पिछड़े इलाके के लिए, बैकवर्ड रीजन में डवलपमेंट करने के लिए, उनको मेनस्ट्रीम में जोड़ने के लिए, वह दिल से कीजिए। दिल से करेंगे तो जरूर उनका डवलपमेंट होगा, वह इलाका भी डवलप होगा-यह नम्बर एक पाइंट मैं आपको नोट कराना चाहूंगी। उस काम को जल्दी चालू कराकर उस सर्वेक्षण को एक्सटेंड करने की आप यहां से परमीशन दे दीजिए। पिछली बार भी आपके आफिसर लोग, जो डी॰आर॰एम॰ और जी॰आर॰एम॰ होते हैं, उनको आपकी मिनिस्ट्री से टेलीफोन करके काम चालू करने के लिए बताया गया कि सिंगल टेंडर भी हो सकता है, उस समय आपके आफिशियल्स ने कहा कि क्या मंत्री जी के बोल देने से सारा काम हो जाता है? मुझे समझ में नहीं आता है, डी॰आर॰एम॰ और जी॰आर॰एम॰ वह रिप्लाई देते हैं, क्या मंत्री जी के कह देने से सब काम हो जाते हैं तो हमको किसको कहना पड़ेगा? किसके बोलने से काम होगा?

श्री राम विलास पासवान : आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। रूपासा-बांगरी-पोसी की क्लियरेंस मिल चुकी है। तीन करोड़ रुपया मैंने तुरन्त डाल दिया है। उसका काम तुरन्त शुरू करवा दिया जायेगा और यदि जरूरत होगी तो और देंगे। अब आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब यदि कोई डी॰आर॰एम॰ और जी॰आर॰एम॰ कहता है तो आप हमको बतला दीजिए।

कुमारी सुशीला तिरिया : उस दिन आपने डैलीगेशन को कहा था, पिछले साल भी हम स्ट्राइक पर बैठे थे, इस बार भी सब डेलीगेशन लेकर गये थे तो आपने आफिस में तीन करोड़ रुपये की जगह 10 करोड़ रुपये देने के लिए कहा था। आप हाउस में भी उस चीज को एनाउंस कर दीजिए कि तीन करोड़ की जगह दस करोड़ कर दिया।

सभापति महोदय : हाउस में ही एनाउंस कर दिया है। अब तो तीन करोड़ रुपया हुआ न।

श्री राम विलास पासवान : मैंने तो कहा कि जब रियल रिप्लाई देंगे, उसमें लिखकर पूरी की पूरी सब चीज, जो-जो आप लोगों से बातचीत हुई है, सब चीज कर देंगे, लेकिन इनको बताना चाहिए था न, कि फिलहाल तीन करोड़ दे दिया गया है, क्लियरेंस हो चुकी है। ये क्यों नहीं बोल रही हैं?

सभापति महोदय : अभी तो मंत्री जी इंटरवेंशन कर रहे हैं।

कुमारी सुशीला तिरिया : मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि 10 करोड़ रुपया दिया है। हाउस में उत्तर देते समय भी वे हाउस में एनाउंस कर दें कि काम कब चालू करने का कार्यक्रम है, वह भी हाउस में एनाउंस कर दें।

इसके साथ-साथ जो-जो सर्वेक्षण के काम बाकी हैं, अभी कम से कम सर्वेक्षण तो करा दें। जैसे अभी एक भाई बता रहे थे, हमारे जो पहले वक्ता थे, कि काम न हो तो सर्वेक्षण के आर्डर दे दीजिए। भले ही हम लोगों का काम हो न हो, आर्डर तो दे दीजिए, ताकि हमको तसल्ली हो जाये कि सर्वेक्षण का आर्डर तो दे दिया, अभी सर्वेक्षण चालू हो जायेगा, आज नहीं तो कल हम लोगों का काम पूरा होगा। इस उम्मीद से तो हम लोग कुछ दिन आक्सीजन लेकर जी सकते हैं कि यह काम चालू करेंगे। उसके बाद उसको इकोनोमिकल बनाना भी बहुत जरूरी है। आज आप जिसको अनइकोनोमिकल कह रहे हैं, कल वह बहुत ही महत्वपूर्ण और इकोनोमिकल हो जायेगा। टाटा की लाइन और बालेश्वर की लाइन से सब ट्रेन ब्रॉडगेज में जाती हैं, वे रूपसा- बांगरी पोसी होकर गुरूमाइसानी मोड़कर मात्र 40-50 किलोमीटर दूर से जा सकती हैं।

दूसरी चीज, हमारे जिले में जितना भी रेवेन्यू हम देते हैं, अभी तक उसी रेवेन्यू से ही हमारा काम हो जाता। मैं कहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे प्रति जस्टिस जरूर किया है, क्योंकि जंगल जाति से हम लोग रेवेन्यू देते हैं, माइंस से रेवेन्यू देते हैं, जिस रेवेन्यू से आज तक काम हो रहा था, जो रेवेन्यू हमारे डिस्ट्रिक्ट से सैंट्रल गवर्नमेंट को आ रहा था, उसी पैसे से हम लोगों का डवलपमेंट का काम हो जाता तो मैं समझती कि हमारा इलाके को, ट्राइबल इलाके को हमने जस्टिस दिया है।

मैं बहुत खुश हूं कि नोर्थ ईस्ट के ट्राइबल हो या बैकवर्ड हो, इस क्षेत्र में आपने 300 करोड़ रुपया दिया है और जम्मू कश्मीर को 100 करोड़ रुपया दिया है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बाकी जो ट्राइबल, शैड्यूल कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड इलाके हैं, उन क्षेत्रों को भी वही दर्जा दीजिए, उस क्षेत्र में भी उसी तरह के बैकवर्ड इलाके हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट एरिया के बैकवर्ड नहीं हैं, वह बहुत जगह इधर-उधर रहकर बैकवर्ड हैं, इसलिए मैं आपके जरिये से मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगी कि रेल बजट में भी पिछड़े हुए इलाके बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में बहुत सारे हैं, जहां पिछड़े हुए, ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज हैं, महाराष्ट्र में भी है। इसलिए उसको भी नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर के बराबर का दर्जा दिया जाए। क्योंकि वह भी पिछड़ा हुआ इलाका है। नहीं तो हिन्दुस्तान के एक कोने में रहने वाले गरीब-गरीब ही रह जाएंगे और दूसरी तरफ रहने वाले अमीर-अमीर बनते चले जाएंगे और राष्ट्रीय धारा में बहुत आगे निकल जाएंगे।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैंने अपने क्षेत्र में अवस्थित स्टेशनों और फाटकों के बारे में पिछली बार भी मांग की थी, लेकिन अब उनको नहीं उठाऊंगी। जैसा ममता जी बोल रही थी कि एक ही चीज के लिए बोलो तो वह मिल जाएगी। इसलिए मैं अपने क्षेत्र की एक ही चीज की मांग आपसे करूंगी, जिससे आपको भी देने में आसानी हो। आपने बजट में रूपसा-बांगरीपोसी का नाम नहीं लिया। आपकी जो आइटम संख्या 36 और 38 है उसमें टीटलागढ़-लालखीगंज लाइन को डबलिंग करने के लिए पिछले साल मात्र दो करोड़ रुपये दिए थे और इस साल एक करोड़ रुपया दिया है। यह राशि बहुत कम है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए।

आपने रेल बजट में जो अच्छी बातें कही हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं और आपको बधाई देती हूं। आपने 1 जनवरी, 1997 तक जो 1700 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को स्पेशल रिक्रूटमेंट के तहत लाने की बात कही है, उसका भी मैं स्वागत करूंगी। अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग बेरोजगार हैं। बाकी अंडरटेकिंग्स में उनके लिए कई जगह पर आरक्षण है और कई में नहीं है। लेकिन वहां उनको काम मिलने में बहुत मुश्किल आती है। ट्राइब्ल एरिया में बच्चे और बच्चियां अच्छे स्कूलों में, कांवेंट में नहीं पढ़ सकते। उनको गांवों में रहकर पढ़ना पड़ता है और साइकिल पर शहर में कालेज पर जाना पड़ता है। यहां दिल्ली में बहुत से हमारे बच्चे परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आते हैं, लेकिन वाएबा में कई पास हो जाते हैं और कई नहीं हो पाते, क्योंकि यह बहुत दूर पड़ता है। इसलिए डिवीजन और सबडिवीजन मुख्यालयों में स्पेशल रिक्रूटमेंट सेंटर की स्थापना की जाए, जहां गांवों के बच्चे जाकर इंटरव्यू दे सकें। बैकलॉग पूरा करने के लिए आपकी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रोजगार देने की योजना है, वह सही है। आपके विभाग में 56,000 कैजुअल लेबर है। हमारे पास भी कई चिट्ठियां आती हैं। गांवों में छोटे-छोटे स्टेशनों पर फाटकों पर जो लोग आठ-दस साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। इनमें से अधिकांश लोग पिछड़े हुए एरिया से आते हैं और पिछड़े हुए क्षेत्र में ही ज्यादातर काम कर रहे हैं और एक तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन वे स्थाई नहीं हो पा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो अर्बन एरिया है, वहां कैजुअल लेबर का उतना महत्व नहीं है जितना का बैकवर्ड एरिया में और रूरल एरिया में है। इसलिए वहां आपके जो स्टेशंस हैं, कार्यालय हैं, जहां कैजुअल लेबर कार्यरत हैं, उनको स्थाई किया जाए। क्योंकि वे लोग अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने बताया कि रिटायर्ड लोगों को भी सेवारत कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी, यह बहुत अच्छी बात है इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं।

सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं आपको इसलिए देना चाहूंगी कि आपने खेल के क्षेत्र में पुरस्कृत बच्चों को सैकेंड क्लॉस में सिंगल पेरेंट के साथ पास देने का प्रावधान रखा है। उसमें मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि उसमें आपने केवल स्लीपर श्रेणी दी है। लेकिन वे बच्चे हैं, देश के भविष्य के नागरिक हैं। उनको उत्साहित करने के लिए कम से कम वातानुकूलित श्रेणी में ट्रैवल करने की सुविधा देनी चाहिए।

दूसरे, मैं ट्रेन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना चाहूंगी। हम लोगों ने स्टेट डेलीगेशन में उड़ीसा के जितने भी सांसद हैं, सभी ने मांग की थी कि भुवनेश्वर राजधानी अच्छी तरह से चल रही है, कभी-कभी लेट हो जाती है जैसे और दूसरे लाइनों की राजधानी ट्रेन लेट हो जाती हैं। हम उसके बारे में मांग नहीं कर रहे हैं। हम पिछले बजट सैशन से यह मांग कर रहे हैं कि इसको हफ्ते में तीन बार चलाया जाना चाहिए। लेकिन बजट में आपने इसको जगह नहीं दी है। पुरी-द्वारका तथा पुरी-पटना की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम कहते रहे हैं। लेकिन बजट में कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। भुवनेश्वर-राजधानी, पुरी-द्वारका, पुरी-पटना तथा संभलपुर-निजामुद्दीन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। इनके बारे में हमने पिछली बार भी निवेदन किया था। पिछले बजट से आज तक आपने यह कहा कि 1214 विशेष ट्रेन सर्दी तथा समर के सीजन में चलाई जाएंगी।

सभापति महोदय : आपको 25 मिनट से भी ज्यादा वक्त दे दिया। आपने कहा था कि आप 10-15 मिनट बोलेंगी।

कुमारी सुशीला तिरिया : सभापति जी, अभी पांच मिनट में खत्म कर रही हूं।

सभापति महोदय : इतनी देर बोलेंगी तभी पन्द्रह मिनट होगा।

कुमारी सुशीला तिरिया : मीटर गेज में भी ट्यूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए ट्रेन चलाई जानी चहिए जैसे राजस्थान में चल रही है। अभी आपने कहा कि 1214 विशेष ट्रेन समर वैकेशन में पर्यटकों के लिए चलाएंगे, तो उसमें हमें भी शेयर मिल सकता है। आपने 82 ट्रेन चलाने की बात कही है। इंटरसिटी में हावड़ा-भुवनेश्वर मॉर्निंग ट्रेन भी आपने लगाई, भुवनेश्वर-विशाखापट्टनम भी मॉर्निंग ट्रेन आपने लगाई है। आप पूरे हिन्दुस्तान में 82 नई ट्रेन लगा रहे हैं। भुवनेश्वर-कन्याकुमारी भी लोगों की मांग है। उसी के अन्तर्गत मैं सम्बलपुर मुम्बई वाया टिटलागढ़ के लिए भी निवेदन करना चाहूंगी। आप इनकी जांच कीजिए और इनमें से आपको कौन सा ट्रेन अच्छा लगेगा, इन 82 में से एक-दो ट्रेन हम उड़ीसा के लोगों को भी दे दीजिए। देतरीबाइंसपारी के बारे में कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्य मंत्री स्वयं सांसदों के साथ जाकर रेल मंत्री से मिले और बताया कि यदि आपके पास इतनी धनराशि नहीं है तो हम विदेशों से भी धनराशि मंगाएंगे।

इस बारे में एग्जिम बैंक के साथ बात हो चुकी है और उन्होंने सैन्टर की गारन्टी के बारे में कहा है। आप गारन्टी भी नहीं दे रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने विदेशों में बात कर ली है। विदेशों में इस लाइन पर इन्वैस्ट करने के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम रुका पड़ा हुआ है। इसी प्रकार दो लाइनें हैं-खुर्दा बोलांगीर और रुपसा-बंगरीपोसी-इनके लिए भी पिछली दफा रेल मंत्री जी ने कमिटमेंट किया था। सदन में जवाब देते हुए कहा था कि दोनों लाइनों को प्रायोरिटी देंगे। ये दोनों लाइनें पिछड़े इलाकों से जाती हैं। पिछली बार पांच करोड़ रुपया एग्री किया था और दिया था सिर्फ दो करोड़ रुपया और पचास लाख रुपया रुपसा-बांगरीपोसी लाइन के लिए दिया था। यदि आप रेल को पब्लिक वैलफेयर के लिए मानते हैं, तो आपको इन लाइनों का काम करना होगा। ये दोनों लाइनें उड़ीसा की लाइनें हैं, इसलिए प्रायोरिटी बेसेस पर आपको धनराशि देकर काम शुरू करना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि आप इस काम को कब तक पूरा करेंगे और रिप्लाई देते समय आपको समय सीमा भी बतानी होगी। हम उड़ीसा के सदस्य यहां रहें या न रहें, लेकिन इस काम को आपको करना होगा। इस लाइन की मांग हम सालों से करते आ रहे हैं। 93 साल पहले सैंग्शन हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप समय सीमा बता दीजिए कि आप कब तक इसको चालू करेंगे और सैंग्शन कब होगी। चालू करके आप कम्पलीट कब तक करेंगे।

अंत में, मैं आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहती हूं। हम लोगों को तसल्ली मिली, पीठ पर हाथ रख कर थोड़ा शाबाशी देने का काम किया और थोड़ा आपने मल्लहम लगाया। सांबलपुर-तालचर लाइन को आपने 1998 में पूरा करने का आश्वासन दिया है। दूसरी लाइनों से आपने प्रायोरिटी देने की बात कही है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। भुवनेश्वर में आप जोनल आफिस करने जा रहे हैं। वहां पर मात्र एक जी॰एम॰ है, उसको पूरा फंग्शन करने के लिए अधिकार दीजिए। इसके लिए कब आप कम्पलीट बिल्डिंग की सुविधा देंगे। यह मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि आपने पिछले बजट में इस जोनल आफिस के लिए एनाउन्स किया था। ...*(व्यवधान)* निजामुद्दीन-सम्बलपुर लाइन को टिटलागढ़ तक बढ़ाने की बात है। इस को भी मंत्री महोदय को देखना चाहिए।

अंत में, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहती हूं। दलितों के रेल मंत्री यहां पर नहीं बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूं। जब भी मैं रेल मंत्री जी से मिलने जाती हूं, तो वे कहते हैं कि गिरिजी व्यास वैल में बैठ गई, तो उनका काम हो गया, लेकिन तुम्हारा काम किस प्रकार हो। मैं भी आपसे वैल में बैठने के लिए परमीशन लेना चाहती हूं, ताकि मेरा भी काम हो जाए। जब भी मैं मिलने के लिए जाती हूं, तो वे यही बात कहते हैं।

सभापति महोदय : सब भेद सदन में नहीं खोलने चाहिए।

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री डी॰पी॰ यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रेल बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विशेषकर अपने क्षेत्र से शुरूआत करता हूं। उत्तर प्रदेश के सम्भल क्षेत्र से पहली बार मैं निर्वाचित होकर इस लोकसभा में पहुंचा हूं। सम्भल क्षेत्र की स्थिति यह है कि वहां आजादी से लेकर आज तक इन 50 वर्षों में जो भी सरकारें आईं वे अपनी बात कह

[श्री डी॰पी॰ यादव]

कर 21वीं सदी में छलांग लगाने की कोशिश तो करती रहीं लेकिन सम्भल लोकसभा क्षेत्र, सम्भल नगर में आज ढाई लाख की आबादी हैं उसके साथ में कई उप-नगर हैं जिनकी एक-एक लाख की आबादी है। वहां पर 12 ऐसी नगरपालिकाएं, कस्बें और शहर पड़ते हैं कि जिनको आज तक किसी भी रेल लाईन से, किसी भी बड़े स्टेशन से नहीं जोड़ा गया है। औद्योगिक दृष्टिकोण से उसकी हालत यह है कि इसको शून्य जिले का दर्जा दिया जा सकता है।

महोदय, एक तरफ मात्र दिल्ली से सौ किलोमीटर दूर का यह इलाका है और दूसरी तरफ यह सरकार, अब जो वर्तमान में आई, हम लोगों ने भी सोचा था कि यह सरकार शायद कुछ प्रावधान रखेगी। सम्भल लोकसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में रेल लाईन बिछाने का काम करेगी। लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर अपने फर्ज की शायद पूर्ति कर ली गई है। सर्वेक्षण के नाम पर तीन लाख रुपए देने के लिए मंत्री जी ने कहा है जो कि पिछली सरकारें 20-25 वर्षों से करती रही हैं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि सर्वेक्षण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं यह जरूर मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में जरूर आश्वासन दें कि जो उन्होंने सर्वेक्षण की बात कहीं है, सम्भल से गजरौला तक, उस सर्वेक्षण को पूरा कराने का काम जरूर करेंगे। सम्भल लोक सभा क्षेत्र, जहां से मैं चुन कर आया हुं, यह वह इलाका है। वह गंगा नदी, जिसका नाम भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इस गंगा नदी का 50 किलोमीटर किनारा इस लोक सभा क्षेत्र के साथ लगता है और वहां यह हालत है कि आने-जाने के नाम पर, आप लखनऊ और दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, देश के किसी भी नगर और महानगर के लिए रेल लाईन वहां नहीं है। पिछली सरकारों ने बार-बार एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, मेरे पास यह जवाब आया कि लोक सभा सम्भल नगर को गजरौला से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण के लिए बजट में पैसा दे दिया है। लेकिन यह आश्वासन तो पिछली सरकारें भी देती रही हैं तो मुझे इस बात का यकीन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो इस बात को जरूर अपने भाषण में मेंशन करें कि हमने जो कहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा और सम्भल नगर को बड़ी लाईन द्वारा गजरौला से जोड़ दिया जाएगा।

महोदय, मैं इस पर एक-दो बातें और कहना चाहूंगा कि बाकी मुद्दों को छोड़ कर अगर दो मुद्दों पर हमारे मंत्री जी विशेषकर ध्यान दें, वह है सुरक्षा और व्यवस्था। आज व्यवस्था के नाम पर जो आम आदमी है वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, कम्प्यूटर को खुलवाता है। स्टेशन पर पूछता है, रिजर्वेशन चार्ट और कम्प्यूटर का फिडिंग यह बताता है कि रेलवे में किसी दर्जे की कोई टिकट नहीं है। लेकिन स्टेशन और कम्पार्टमेंट में पहुंचने के बाद यह मालूम होता है कि वहां पर बहुत सारी सीटें खाली हैं। यह आम रोजमर्रा में हर स्टेशन पर हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े जो स्टेशन हैं, जहां पर कोई दूरसंचार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई यात्री वहां से अपने किसी रिश्तेदार या किसी अधिकारी से बात करना चाहे तो पीसीओ है। जब कि बार-बार हमारी सरकारें कहती रही हैं कि दूरसंचार की स्थिति में रेलवे के जो प्लेटफार्म्स हैं और रेलवे स्टेशन से हमने क्रांतिकारी योजना दी है और करीब हरेक स्टेशन को पीसीओ द्वारा जोड़ दिया है लेकिन मैं समझता हूं और विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं जिसके साथ एक दोहरा व्यवहार इस बजट में भी किया गया है।

कुछ विशेष जगहों को विशेष दर्जे दिए गए। इस सरकार ने भी अपना फर्ज उसी तरह अदा किया है जिस तरह पिछली सरकारें अपनी फर्ज अदा करती रही हैं। उन स्टेशनों को किसी भी बड़े महानगर और किसी भी दूसरे स्टेशन से दूरसंचार के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। मेरा विशेष अनुरोध है कि दूरसंचार व्यवस्था के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर पी॰सी॰ओ॰ लगाए जाएं।

दूसरी बात यह है कि रेलवे सुरक्षा के वास्ते अभी पिछले दिनों अखबार में पढ़ा और माननीय सदन में भी यह बात आ चुकी है कि अभी दिल्ली के एक इंस्पैक्टर की हत्या रेलवे में डकैती के दौरान हुई। महज कहने, भाषण देने तथा आश्वासन देने के नाम पर बहुत कुछ होता रहा लेकिन वास्तविकता क्या है, उसे हम रोजमर्रा की जिन्दगी में देख सकते हैं जितना दुर्व्यवहार, जितनी चोरी, डकैती, लूटमार आज रेलवे में है, मैं समझता हूं कि आम आदमी यात्रा करने से डरता है, विशेषकर महिलाएं जो रेल से यात्रा करती हैं जिनको रोज आना-जाना पड़ता है, बलात्कार की घटनाएं आज आए दिन अखबार में छपती रहती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से कोई न कोई यह कहकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं कि यह मामला राज्य सरकारों का है, हमने सुरक्षा बल का गठन कर दिया है लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई भी इंतजाम रेलवे स्टेशनों और रेलों में नहीं हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र यहां से मात्र सौ किलोमीटर दूर है। उसके एक तरफ जहां दिल्ली की चकाचौंध में आनेवाला हमारे गांव, कस्बे और शहर का आम आदमी जब दिल्ली आता है तो यह सोचता है कि हम मात्र सौ किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में बसे हुए हैं लेकिन आने-जाने के नाम पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है। महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि आज 50 वर्ष आजादी को हो गए हैं, विभिन्न सरकारें बार-बार आश्वासन देती रहीं लेकिन वहां के बेचारे लोग आज भी प्लेटफार्म की सुविधा से वंचित हैं और वे रेलों में बैठने के लिए तरसते हैं। कोई व्यवस्था ऐसी जरूर की जाए कि महज वी॰आई॰पी॰ डिस्ट्रिक्ट और वी॰आई॰पी॰ क्षेत्रों को तरजीह न देकर आम जनमानस जहां बसते हैं, पिछड़े, दलित लोग जहां बसते हैं, जिन गांवों के यहां कोई सुविधा नहीं है, जो परेशानी में हैं, वहां रेल की सुविधाएं दी जाएं।

सम्भलपुर में रेलवे स्टेशन नाम मात्र के लिए अंग्रेजों के वक्त से या उसके पहले से बना हुआ है। वहां से एक भी ट्रेन कहीं किसी नगर के लिए नहीं है। सम्भल-गजरौला मार्ग को बड़ी लाइन से जोड़ा जाए और वहां रेल की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री टी॰ नागरत्नम (श्रीपेरुम्बुदुर) : सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे डी॰एम॰के॰ की ओर से रेल बजट 1997-98 पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया गया है।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बजट की अनुदानों की मांगों से संबंधित वस्तुपरक मुद्दों पर बात की तथा उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों का भी उल्लेख किया। जहां तक मेरे भाषण का संबंध है, मैं रेल बजट में मांगों से संबंधित वस्तुपरक मुद्दों और विशेषकर रेल बजट के संबंध में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मांगों तक ही सीमित रहूंगा।

रेल बजट की सभी वर्गों ने सराहना की है। रेल मंत्री द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत रेल बजट से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित नहीं हुए थे। वर्तमान बजट ने भी माननीय रेल मंत्री की साख में वृद्धि की है। इसलिए अपनी ओर से, अपनी पार्टी डी॰एम॰के॰ की ओर से अपने प्रिय नेता डा॰ कालांग्नार करुणानिधि की ओर से मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं।

महोदय, लोग जानेंगे तथा सभा भी अच्छी तरह जानती है कि रेलवे नेटवर्क राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। निसंदेह, हमारी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार की सहयोगी है और हमारा राष्ट्रीय अखण्डता में विश्वास होना चाहिए। इसके साथ-साथ, क्षेत्रीय दलों को अपने संबंधित राज्यों के विकास हेतु बिना किसी असंतुलन के कार्य करना चाहिए। मैं बजट आबंटन तथा प्रत्येक राज्य को आबंटन के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं रेल मंत्री का स्वागत करता हूं जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों तथा उन्हें दी गई रेलवे सुविधाओं में सुधार को प्रथम प्राथमिकता दी है। जब से लार्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे लाईनों को प्रारंभ किया तब से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई भागों में पहुंच गई है। रेल मंत्री श्री पासवान की ओजस्विता के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे करोड़ों लोग, जिन्होंने आजादी के 50 वर्ष बाद भी रेल नहीं देखी है, अब इसे देख सकेंगे।

इससे रेलवे में क्रांति लाने के लिए उनके विचारों की नवीनता और कल्पना की साहसिकता प्रदर्शित होती है और उनके इस प्रयास को संकुचित, स्थानीय और क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं सभा में एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं सातवीं लोक सभा में तमिलनाडु के श्री पेरुमबैदूर का प्रतिनिधित्व कर रहा था और अभी भी उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खेद है कि कई वर्षों से तमिलनाडु की न केवल उपेक्षा की जा रही है अपितु उसको देय हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा है।

मैं तमिलनाडु की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। नई रेल लाइनों के लिए भी कोई समुचित आबंटन नहीं किया गया है और इसी तरह पर्याप्त नई रेलगाड़ियों की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अपराह्न 5.00 बजे

मेरी प्रमुख बात यह है कि चेन्नई में एक आर टी एस परियोजना है। यह मद्रास बीच से लूज तक यह परियोजना 16 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। इसकी लम्बाई 8.97 कि॰मी॰ है। लेकिन माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में बीच से चेपक तक एम आर टी एस परियोजना के बारे में उल्लेख किया। 5.4 कि॰मी॰ का काम मार्च, 1995 में पूरा हो गया है। लेकिन शेष 3.93 कि॰मी॰ की दूरी का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। 8.97 कि॰मी॰ मार्ग का कार्य पिछले 16 वर्षों से चल रहा है। चेन्नई बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन एम आर टी एस परियोजना से संबंधित कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी है।

माननीय रेल मंत्री ने पिछले वर्ष जब रेल-बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने यह घोषणा की थी कि लूज से वेलाचेरी तक एम आर टी एस से संबंधित कार्य शुरू किया जाने वाला था। लूज से वेलाचेरी तक की दूरी 10 1/2 कि॰मी॰ है, यह कार्य कब पूरा होगा? 10 कि॰मी॰ लम्बी परियोजना का कार्य पिछले 15-16 वर्षों से प्रगति पर है। अब उन्होंने इसे लूज से वेलाचेरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे दूरी 10 1/2 कि॰मी॰ हो गई है।

अपराह्न 5.02 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

रेल मंत्री ने एम आर टी एस परियोजना के लिए उदारतापूर्वक 10 करोड़ रु॰ आवंटित किए हैं। कुल परियोजना राशि 430.21 करोड़ रु॰ की है। 10 1/2 कि॰मी॰ की दूरी का कार्य अभी पूरा किया जाना है। उन्होंने केवल 10 करोड़ रु॰ आबंटित किए हैं। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि कार्य को पूरा करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। मैं इस सभा में यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने खासतौर पर तमिलनाडु में नई लाइनें बिछाने की घोषणा की थी। करूर से सलेम तक का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इस आबंटन को कुछ दूसरे राज्यों को दे दिया गया है। मैं रेल मंत्री पर आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैंने पहले ही उनकी प्रशंसा कर दी है। इसलिए मैं रेल मंत्री पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मेरा सभा में उनसे अनुरोध है कि हमें हमारा उचित हिस्सा दिया जाए। मैंने पहले ही कह दिया है कि हमारा एकता में विश्वास है। करूर से सलेम तक नई रेल लाइन की घोषणा इस सभा में की गई थी। लेकिन आबंटित राशि को अन्य दूसरे राज्यों को दे दिया गया।

महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि करूर से सलेम खंड पर कई रेल बिछाने के उद्देश्य से जो धनराशि आबंटित की गई थी, उसका उपयोग कुछ दूसरे राज्यों द्वारा किया गया है, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करें और करूर से सलेम तक नई लाइन बिछाने का काम शीघ्र शुरू करें।

महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि मैं जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पैरुमबदूर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उनसे न केवल यहां उपस्थित सभी लोग परिचित हैं अपितु पूरा विश्व इसके बारे में जानता है क्योंकि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की यहां हत्या की गई थी। यह सभी जानते हैं। मैं उस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हू जहां स्वर्गीय राजीव गांधी का स्मारक स्थित है। मैंने पहले ही रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि श्री पेरुमबदूर कस्बा चेन्नई शहर से बिल्कुल अलग-थलग है। लोग श्रीपेरुमबदूर में स्थित श्री राजीव गांधी स्मारक को देखने के बहुत इच्छुक होते हैं। इसलिए

[श्री टी॰ नागरत्नम]

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि तिरुबलूर, उथूकोट्टई, पेरियपालयम, अरानी, पोनेरुरी अंतिम स्थान पालिकट होते हुए चेंगलपट्टू से श्रीपेरुमबदूर तक नई रेल लाइन बिछवायें। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि पालिकट तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है जहां मुख्यतया मछुआरे समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें मछली को ले जाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि बरास्ता श्रीपेरुमबदूर चेंगलपट्टू से पालिकट तक नई रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि उन्होंने अधिकारियों से सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इस खंड पर नई रेल लाइन बिछाने पर विचार किया जाना चाहिए और तुरंत समुचित सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।

महोदय, सातवीं लोक सभा में मैंने इसी मुद्दे पर बोला था। चेन्नई और आरकोनम के बीच एक स्टेशन थीरुबलगाडु पड़ता हैं। यह स्टेशन मुख्य गांव से पांच कि॰मी॰ की दूरी पर अवस्थित है। सातवीं लोक सभा के दौरान श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खान चौधरी रेल मंत्री थे। मैंने उनसे रेल लाइन को थीरुवलनगाडु स्टेशन से थीरुवलनगाडु गांव तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। क्योंकि थीरुवलनगाडु ही मुख्य गांव है जहां एक सहकारी चीनी मिल भी है। समुचित परिवहन सुविधाओं का अभाव उनके लिए बाधा है। समुचित परिवहन सुविधा न होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए, इस ग्यारहवीं लोक सभा में मैं पुनः माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि थीरुवलनगाडु स्टेशन से मूल थीरुवलनगाडु गांव तक के इस पांच कि॰मी॰ के क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने पर विचार किया जाए।

मैं थीरुबलूर शहर का निवासी हूं। हमारे प्रिय नेता डा॰ कलाईंगर ने ज्यों ही मुख्य मंत्री का पद संभाला था, उन्होंने एक अच्छी घोषणा की थी। चेंगलपट एक बड़ा जिला है। जनता के लाभ के लिए इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। मूल जिले को अन्ना जिला कहा जाता है थीरुवलूर जिले को एम जी आर जिले का नाम दिया गया है। थीरुवलूर जिले का मुख्यालय है। थिरुवलूर मुख्य स्टेशन भी है और सभी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। मुख्य जंक्शन आरकोनम में है। थीरुवलूर में एक रेलवे समपार क्रासिंग है। लगभग सभी गाड़ियों बसों, लौरियों और कारों को इस फाटक से गुजरना पड़ता है। तिरूपति में स्थिति भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने वाले व्यक्तियों को भी थिरुवलूर को पार करके ही मद्रास पहुंचना पड़ता है। यदि रेल-फाटक बंद कर दिया जाता है तो आम जनता को परेशानी होती है। उन्हें लगभग डेढ़ घंटे तक इंतजार करना होता है। चाहे लोग पूजा करने के लिए जा रहे हों या रोगी को मद्रास लिया जा रहा हो, उन्हें मद्रास पहुंचने के लिए थीरुवलूर से गुजरना ही होता है। और रेल-फाटक खुलने के लिए उन्हें लगभग डेढ़ घंटे तक इंतजार करना होता है, मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। वहां एक उपरि-पुल बनाया जाए चूंकि यह मुख्य स्टेशन भी है और जिला मुख्यालय भी है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चेन्नई स्टेशन से थिरुबलूर तक एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला संकुचित क्षेत्र पड़ता है जिसे पट्टाभीराम नाम से जाना जाता है। वहां अधिकांश लोग रक्षा कारखाने में काम करते हैं। उन्हें भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहां भी एक रेल-फाटक है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां भी एक उपरि-पुल निर्माण करने पर विचार किया जाए।

महोदय, इसी तरह चेन्नई से शुरू होने वाली सभी गाड़ियां गुमीडीपुनडी होकर गुजरती हैं। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि गुमीडीपुनडी रेलवे स्टेशन पर एक उपरि-पुल के निर्माण की स्वीकृति दी जाए। मैंने पट्टाभीराम जो कि रेलवे-स्टेशन के बहुत नजदीक है, के बारे में पहले ही उल्लेख किया है वहां पर सह-शैक्षणिक हिंदू कालेज है और वह स्टेशन हिंदू कालेज न्यू स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन में कोई प्रतीक्षालय नहीं है और दोनों लिंगों के विद्यार्थी परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

पुथुलूर जो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है जो तिरुवलूर के काफी नजदीक है। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है पुथुलूर पर भी एक स्टेशन बनाया जाए। सात वर्ष पूर्व इस पर काम शुरू हुआ था लेकिन यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करें और संबंधित अधिकारियों को मामले पर शीघ्रता करने का निर्देश जारी करें।

थिरुवलूर रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। थिरुवलूर से कई विद्यार्थी, व्यापारी, कामगार, कार्यालय जाने वाले और अन्य यात्री चेन्नई जाते हैं। वहां से स्थानीय गाड़ियां भी चलती हैं। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि व्यस्ततम समय में अर्थात सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 11 बजे तक चेन्नई से थिरुवलूर और आरकोनम के लिए और यात्री गाड़ियां दें। इसी प्रकार, आने-जाने की यात्रा-सुविधा भी दी जाए। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वृदांवन एक्सप्रेस को थिरुवलूर पर रोकने का प्रबंध करें। हालांकि यह निहित स्वार्थ है फिर भी यह लोक हित में है। मेरे लोगों द्वारा मुझसे अनुरोध किया गया है कि वृदांवन एक्सप्रेस को थिरुवलूर पर ठहराव दिया जाए। क्योंकि थिरुवलूर को जिला मुख्यालय घोषित किया गया है, वृदांवन एक्सप्रेस को इस स्टेशन पर रोका जाए। थिरुवलूर पर वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को रोका जाए। चेन्नई से गुमीडीपुन्डी के लिए यात्री गाड़ियां हैं जहां सिपकोट कम्पनी स्थित है। निम्न स्टेशन इलावूर है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि यात्री गाड़ी को चेन्नई से इलावूर तक बढ़ाया जाए। इसी प्रकार ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, रेल मंत्री सभा में बैठे नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे नोट करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय सदस्य की बात कोई नहीं सुन रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं। कृपया माननीय सदस्य को बोलने दें।

[हिन्दी]

ड्राइवर नहीं है, गार्ड तो बैठा है।

[अनुवाद]

श्री टी॰ नागरत्नम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि 16000 अनियत मजदूरों को स्थायी किया जाए। मेरा अनुरोध है कि लगभग सभी अनियत मजदूरों के पदों को स्थायी किया जाए।

इंटिगरल कोच फैक्टरी, चेन्नई में समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए थे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि उन्हें, 1,000 मजदूरों की आवश्यकता है और 60,000 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। यह पिछली मई में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। साक्षात्कार के लिए 60 हजार अभ्यर्थियों को बुलाया गया और केवल एक हजार अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए गैर-सरकारी लोगों को नामित किया गया था। मुझे यहां यह कहने में संकोच नहीं है कि गैर-सरकारी लोगों द्वारा भर्ती में अनियमितताएं की गईं। मैं यह बात माननीय रेल मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया को बंद किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

श्री टी॰ नागरत्नम : जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संबंध है, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि समूह 'क' के पदों को नहीं भरा गया है। समूह 'ख' पदो और समूह 'ग' पदों को भी अभी नहीं भरा गया है। यहां स्वतंत्रता के समय से ऐसा ही चल रहा है। लेकिन पिछली बकाया रिक्तियों का ध्यान नहीं रखा गया है। मैं इस महान सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सफाईवालों के पदों को 150 प्रतिशत तक भरा गया था। इसका क्या तात्पर्य हुआ जब समूह क,ख और ग के पदों को नहीं भरा गया और समूह 'ग' के पदों को 150 प्रतिशत तक भर दिया गया। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए।

मैं माननीय रेल मंत्री को बजट में प्रस्तावित नई योजना के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। मैं अगले माननीय सदस्य को बुलाऊंगा।

टी॰ नागरत्नम : मेरा अगला मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति के वीरता पुलिस पुरस्कार के विजेताओं को दिया जाने वाला मानद पास मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार के विजेताओं को भी दिया जाए। इस पर विचार किया जाए।

अन्त में, मैं सभा का ध्यान राज्य में हमारे तमिलनाडु प्रिय मुख्यमंत्री डा॰ कालईंगर द्वारा सभी विद्यार्थियों को मुफ्त बस पास दिए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि विद्यार्थियों को ट्रेन के मुफ्त पास दिए जाएं। यदि इस स्कीम को शुरू किया जाता है तो इसकी सभी प्रशंसा करेंगे और संयुक्त मोर्चा सरकार पूरे देश की सद्भावना अर्जित करेगी। लाभार्थी संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे। मैं अपने इस अनुरोध को माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री को पुनः दोहराता हूं कि इस नई स्कीम को शुरू किया जाए। मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हू।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर कई दिनों से चर्चा चल रही है। मंत्री जी ने जब रेल बजट संसद के सामने रखा तो यह कहकर वाहवाही लूटने की कोशिश की कि हम दूसरे दर्जे का किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास, ए॰सी॰ फर्स्ट और सेंकड क्लास तथा रेलगाड़ी का मालभाड़ा उन्होंने क्रमशः 5, 10 और 12 प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया। रेल बजट आने के बाद सारे इलाके में प्रतिक्रिया है कि इससे मंहगाई बढ़ेगी। 12 प्रतिशत मालभाड़ा बढ़ेगा तो 25 प्रतिशत उसके ऊपर महंगाई बढ़ेगी।

लेकिन खेद इस बात का है कि रेल मंत्री या केन्द्रीय सरकार कोरी वाहवाह लूटने की कोशिश में लगी है। हम इसके खिलाफ हैं। रेल मंत्री जी ने बजट के बारे में बताया। देखने में आता है कि सारा का सारा विकास बजट या तो बिहार में खर्च किया गया या प्रधान मंत्री जी के इलाके में बंगलौर, कर्नाटक में खर्च किया गया या फिर जिन पार्टीज का समर्थन मिला हुआ है, उनके इलाकों में खर्च किया गया है।

हरियाणा प्रदेश भी दिल्ली के तीनों तरफ बसा हुआ है। मुझे खेद है कि लगातार पिछले तीन वर्षों से रेल मंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश के सांसदों की मीटिंग में कहा है कि जो जरूरी वाजिब मांगें हैं, उनको मैं जरूर मानूंगा। लेकिन इस बजट में भी कुछ नहीं किया गया। रोहतक से हिसार को मिलाना बहुत जरूरी था। वह इसलिए कि हरियाणा प्रदेश में रोहतक एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लोहे के बड़े-बड़े कारखाने हैं। लेकिन हिसार से दिल्ली आना हो तो वाया रिवाड़ी या वाया भिवाड़ी आना पड़ता है। रेल मंत्री जी ने पहले तो यह कह दिया कि यह इकोनॉमिक नहीं है। लेकिन हिसार शहर सैन्ट्रल एक्साइज के मामले में हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। इतना सैन्ट्रल एक्साइज कहां से आता है, इतना इनकम टैक्स कहां से आता है? हिसार से आता है। रेल लाइन की बात करें तो कहते हैं कि इकोनॉमिक नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इतना बड़ा शहर है, वहां पर केवल तीस-चालीस कि॰मी॰ की लाइनें यदि खींची जाएं तो केवल इतना करने से हिसार से दिल्ली का सीधा रास्ता बन जाएगा।

रोहतक-रिवाड़ी रेलवे लाइन को लेकर अभी तक बहुत बार यह कह दिया गया कि इसका सर्वे करवाया जा रहा है। मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सर्वे कितनी बार होगा। यह बात दूसरे सांसदों की भी ठीक है कि हर साल सर्वे होता है। यदि सांसदों के प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकनी हो तो अपना पीछा छुड़वाने के लिए रेल मंत्री कह देते हैं कि सर्वे करवाया जा रहा है। हिसार से

[श्री जय प्रकाश]

हरियाणा एक्सप्रैस चलती है। हिसार से बहुत ज्यादा व्यापारी दिल्ली आते हैं और दिल्ली से हिसार जाते हैं क्योंकि हिसार बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। हमने पिछली बार भी अनुरोध किया था कि इस रेलगाड़ी में एक ए-सी• प्रथम श्रेणी का डिब्बा चलाया जाए ताकि यात्रियों को उसकी सुविधा मिल सके। लेकिन आज तक हमें इसका भी कोई जवाब नही मिला है। हिसार के अंदर डबल फाटक के नाम से जाना जाता है। मेरी रेल मंत्री जी से इस बारे में चर्चा भी हुई थी। वहां पर ओवर-ब्रिज नहीं है। ओवर-ब्रिज के न होने की वजह से पांच से बारह व्यक्ति हर साल मरते हैं क्योंकि वह चौबीस घंटों में नहीं खुलता। केवल दस-बीस मिनट के लिए खुलता है और उसमें भी पैदल या साइकिल सवार नीचे से निकलते हैं और रेल आ जाती है तो कट जाते हैं। उस संबंध में भी हमें जवाब नहीं दिया गया। इसलिए डबल फाटक के ऊपर ओवर ब्रिज बनवाया जाए ताकि लोगों की जान बच जाए। उसी जगह पर वापस आने के लिए दस कि•मी• का वहां से चक्कर पड़ता है। इससे तेल की भी बचत हो सकेगी। इसी तरीके से रेल मंत्री कह रहे थे कि हमने फाटक को मेंड कर दिया। हिसार जिले में राजनी गांव है, मैंने बार-बार चिट्ठी भी लिखी थी कि रेलवे लाइनों के ऊपर रेल फाटक बनना है। वहां पर बैलगाड़ी पर किसान को यदि इधर से उधर जाना हो और उसकी बैलगाड़ी पर बोझ हो, अनाज हो, गन्ना हो तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर भी उसके ऊपर ठीक तरह से नहीं चल सकते। इस तरह की असुविधाएं हमारे लोगों को झेलनी पड़ती हैं। रेल मंत्री कहते हैं कि हमने हरियाणा के ऊपर 11 करोड़ खर्च किया है। केवल यह कहकर कि हमने सैकेंड क्लॉस का किराया न बढ़ाकर हमने मध्यम तबके के लिए बहुत बड़ी भलाई का काम किया है, इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं।

हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फर्स्ट क्लास में यदि कोई व्यापारी जाएगा, तो उसका भार भी वह माल पर ही लगाएगा, वह कौन सा अपने ऊपर भार डाल कर ले जाएगा।

मैं रेल मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। सरकार हमेशा दलितों और शोषितों की बात कहती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि रेल विभाग में जो डेली-वेजेज के लोग हैं, उनमें आज भी हरियाणा प्रदेश से महाराष्ट्र तक या राजस्थान के दूसरे क्षेत्र तक जाते हैं। वे सफाई कर्मचारी हैं या फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं। पिछले सैशन में भी आपने कहा था कि वे कर्मचारी यदि अपने प्रान्त में आना चाहें, तो उनकी रिक्वैस्ट पर उनको वापिस कर देंगे। लेकिन आज तक रेलवे विभाग की तरफ से इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई ह। मेरे क्षेत्र में एक रेलवे लाइन पर दोहरीकरण का काम हो रहा है। हम पिछले वर्ष से लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा है, खसो से लेकर बरसोला तक, यहां पर काम रुका हुआ है, यदि इसका भी दोहरीकरण हो जाए, तो दिल्ली से अमृतसर जो दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है, उससे हमारे इलाके के लोगों को राहत मिल सकती है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस काम को अवश्य शुरू करायें।

महोदय, कुरुक्षेत्र से नरवाना तक यूकेएल रेलवे लाइन चलती है, जो नरवाना तक रुक जाती है। यदि नरवाना से जिन्द तक इसको मिला दिया जाए, तो कुरुक्षेत्र से पिंडरा और रामगढ़ जो धार्मिक स्थल हैं, वहां तक लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सकती है। पिछले वर्ष दिल्ली से जिन्द तक के लिए आपने डीएमयू चलाई। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसको नरवाना तक बढ़ायें, क्योंकि नरवाना से कुरुक्षेत्र, नरवाना से जाखल और नरवाना से खुवाना तक का जो इलाका है, वह पूरा हो जाएगा और हमारे क्षेत्र के यात्रियों को रेल की एक सुविधा हासिल हो सकती है।

अंत में, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। रेल बजट से मंहगाई बढ़ेगी। पिछली बार हमने कहा था कि बार-बार रेलभाड़े या माल भाड़े में वृद्धि करने से रेल का घाटा पूरा नहीं हो सकता है। यह तभी हो सकता है, जब आप रेल में चोरी को रोकेंगे। रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की बेईमानी को रोका नहीं जाएगा। हम लोग जिन्द में देखते हैं, आरपीएफ के लोगों से मिल कर चोरी करते हैं। हमारे जिन्द से सबसे ज्यादा भैसों का लदान होता है। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, हर जगह पर भैसें जाती हैं और यहीं पर बहुत बेईमानी होती है। जहां पर कोयला है, वहां कोयला बेचा जाता है। और जहां पर लोहा है, वहां लोहा बेचा जाता है। आरपीएफ के लोगों से मिल कर इस प्रकार के काम होते हैं और रेल के समान की चोरी होती है। यदि आप इस पर काबू पा लेंगे, तो आपको किराया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही रेल का प्रशासन या रेल मंत्री जी केवल यह कह कर कि रेल में जो डकैती होती है, कहा जाता है कि उसमें प्रदेश सरकार भी जिम्मेदार है। मान लिया कि प्रदेश सरकार भी जिम्मेदारी है। लेकिन रेल विभाग या रेल मंत्री जी इस बात से पीछे नहीं हट सकते हैं कि जीआरपी के लिए आधा पैसा राज्य देती है और आधा पैसा केन्द्र सरकार देती है। मैं चाहता हूं कि जीआरपी की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के अधीन आनी चाहिए। एक की जिम्मेदारी होनी चहिए। इस बारे में जब हम रेल मंत्री जी से कहते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और रेल विभाग से पूछो, तो वे भी यही कहते हैं। पिछले दिनों जीरो आवर में हम रोज देख रहे हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। बिहार में इतनी डकैतियां हैं, उत्तर प्रदेश में इतनी डकैतियां हैं, इस बारे में रेल मंत्री जी से कहते हैं, तो कहा जाता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और वहां मुख्य मंत्री कहते हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानि, जब से यह सरकार बनी है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं बनता है। यदि सरकार जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है, तो सरकार छोड़ देनी चाहिए। आज के ही अखबारों में आया है कि डकैतियां बढ़ रही हैं।

श्री सतपाल महाराज : महोदय, जीआरपी में आधा पैसा केन्द्र देती है और आधा पैसा राज्य सरकार देती है।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : हमारे मित्र ने जो सवाल उठाया है, वह सही है। कम से कम रेलवे के जनरल मैनेजर्स को आरपीएफ का करैक्टर रोल लिखने का अधिकार मिलना चाहिए।

श्री जय प्रकाश : कहा गया है कि आरपीएफ के लोगों को पैरामिलिटरी फोर्स घोषित किया है। मैं कहता हूं कि पैरा मिलिटरी

फोर्स घोषित करने से लाभ नहीं होगा, जब तक लोकल लोगों को आरपीएफ में भरती नहीं किया जाएगा। यहां के लोगों को वहां पर और वहां के लोगों को यहां पर नहीं रखा जाएगा, तब तक इस तरह से चोरियां होती रहेंगी। मेरा सुझाव है कि आरपीएफ में जिस प्रदेश से हमारी सीमायें हैं, उनकी ड्यूटी के लिए उस प्रदेश के लोगों को ही भरती किया जाए।

महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि जीन्द से गोहाना एक रेल लाइन चलती है वह शहर के अंदर से जाती है। वहां पर बहुत बड़ी अनाज की मंडी है। उसके दूसरी तरफ अनाज मंडी है, वहां 10-10, 12-12 घंटे लगातार फाटक बंद रहता है। जब गेहूं का सीजन चलता है या मंडी में अनाज आता है तो फाटक नहीं खुलता है। उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों और यात्रियों को भी सुविधा हो। यह जो बजट है यह हरियाणा प्रदेश के खिलाफ है क्योंकि वहां एक नये पैसे का भी बजट में प्रावधान नहीं किया। न पिछले वर्ष किया और न ही इस वर्ष किया। इसलिए यह घोर किसान विरोधी है, क्योंकि जब फर्टिलाइजर का किराया बढ़ेगा और दूसरी चीजों का किराया बढ़ेगा तो उससे मंहगाई बढ़ेगी, मंहगाई बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति खराब होगी। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रेल राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। वैसे तो यह महाराज जी थे लेकिन यह रेल राज्य मंत्री बन गए। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि हरियाणा का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। वहां के लिए भी बजट में पैसा दिलवा दें।

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं रेल बजट का स्वागत करता हूं। गोरखपुर से इलाहाबाद की रेल विभाग ने बहुत उपेक्षा की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1970 के दशक में गोरखपुर के अंदर एक रेल डिब्बे का कारखाना स्वीकृत हुआ था। उसको कपूरथला में तबादला दिया गया। वाराणसी में भी पहिया और एक्सिल का कारखाना स्वीकृत हुआ था। इसे भी बंगलौर स्थानांतरित कर दिया गया। वाराणसी में ही कलपुर्जे का कारखाना स्वीकृत हुआ था इसे भी पटियाला में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच, जिसकी आबादी पांच करोड़ है उसकी बराबर उपेक्षा की जाती रही है और उसके कारण वहां की जनता में भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है। मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि स्टीम ईंजन, जो बंद हो गया है, तमाम बड़े-बड़े जो कारखाने बंद हो गए हैं उसके स्थान पर बिजली के ईंजन और डीजल के ईंधन, पूर्वांचल के गोरखपुर, भटनी, मऊ और बनारत में लगाए जाएं तथा जो कारखाने हटा दिए गए हैं उनके स्थान पर इन कारखानों की स्थापना करें।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहता हू। कुशीनगर भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल है। इसको गोरखपुर या भटनी से सर्वे करा कर रेल लाईन चालू की जाए। भटनी में सौ एकड़ जमीन है और जो रेल का डिब्बा प्रस्तावित था उसे हटा दिया गया। यहां भी रेल के पुर्जे का कारखाना स्थापित किया जाए। भटनी एक जंक्शन था, वहां चारों तरफ से ट्रेनें आया करती थी, यह टर्मिनल स्टेशन था उसकी महत्ता समाप्त कर दी गई है। मेरी मांग है कि वहां भी एक टर्मिनल स्टेशन चालू किया जाए। मैं बराबर यह मांग 25 साल से करता रहा हूं तथा मेरे पूर्व भी कई माननीय सदस्य करते रहे हैं। भटनी और सलेमपुर के बीच में अनुवापार नामक एक स्थान है, जहां दोनों तरफ 30 किलोमीटर पक्की सड़क पीडब्ल्यूडी की बन चुकी है। वहां आबादी करीब दो लाख है। वहां रेल ढाला न होने के कारण आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि वहां एक रेल ढाले की स्थापना करें।

भाटपरानी स्टेशन से होकर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस चलती है, वह पुरानी दिल्ली आती है, वहां इसका ठहराव कराया जाए। सलेमपुर रेलवे के दक्षिणी ढाले पर रोड पर एक ओवर-ब्रिज बनाया जाए। टाटा एक्सप्रेस टाटा से गोरखपुर चला करती थी। उसको टाटा से छपरा तक कर दिया गया है। गोरखपुर के हजारों आदमी टाटा में काम करते हैं। उनको आने-जाने में असुविधा हो रही है। वह ट्रेन 12 घंटे से ऊपर छपरा में रुकी रहती है, उसे गोरखपुर से टाटा तक चलाया जाए।

मेरी एक मांग यह है कि भटनी और भाटपरानी के बीच गोरखपुर से आगे छोटी गंडक नदी पर रेलवे का पुल था, वहां नया पुल बन गया है, वह करीब पचास मीटर की दूरी पर है, उसको पी॰डब्ल्यू॰डी॰ उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करने के लिए वहां की जनता मांग कर रही है। मेरी मांग है कि आप उस पुल को ट्रांसफर कर दें। इससे आवागमन की अच्छी सुविधा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार वहां पक्का पुल बना देगी। वाराणसी से शक्तिनगर पूर्वांचल के लोग लाखों की संख्या में हैं। वे शक्तिनगर में काम करते हैं। उनको बसों से आना जाना पड़ता है। काफी मजदूर आते-जाते हैं। वाराणसी से शक्तिनगर तक एक ट्रेन आप चलाने की कृपा करें, यह मेरी मांग है।

जब हम ट्रेन में चलते हैं तो टी॰टी॰ई॰ लोग हम से कहते हैं कि गार्ड और ड्राइवर रनिंग स्टाफ है लेकिन हमें रनिंग स्टाफ नहीं माना जाता। अगर हम कहीं ठहरते हैं तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी मांग है कि उनको भी रनिंग स्टाफ माना जाए।

मेरी एक और मांग है कि मऊ से फेफना बड़ी लाइन का सर्वे कराया जाए। भाटपरानी स्टेशन पर समता एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस और सलेमपुर कृषक एक्सप्रेस के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करायी जाए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि सलेमपुर के दक्षिणी ढाले में ओवर ब्रिज बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इस काम के लिए आधा पैसा देने के लिए तैयार है। भाटपरानी-बिलथरा रोड के पहले और तीसरे प्लेटफार्म के बीच एक ओवर ब्रिज बनाने का आप आदेश दें। इतना ही कहते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम कहां है?

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टी की तरफ से जिसके नाम आये हैं, उनको बुला रहा हूं। आप भी अपना नाम भिजवा दें।

[अनुवाद]

श्री एन॰एन॰ कृष्णादास (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रेल-बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। चूंकि अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले के वक्ताओं ने बोल दिया है। मैं केवल कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही बोलूंगा।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय रेलवे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह इस वृहत उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी, हमारे देश में रेल नेटवर्क का विकास संतोषजनक नहीं है। 1997-98 का रेल बजट का कुल आवंटन पिछले वर्ष के बराबर ही है।

महोदय, यह इस कारण है कि रेलवे की केन्द्रीय बजट सहायता कम कर दी गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य पूरे देश में रेलवे नेटवर्क के विकास और अनुरक्षण को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। महोदय, देश की मौजूदा परिस्थितियों में, रेलवे नेटवर्क का विकास जरूरी और अनिवार्य है। इसलिए केन्द्रीय बजट सहायता को बढ़ाना ही चाहिए। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में रेल नेटवर्क के विकास प्रस्तावों की सराहना करता हूं। मैं 56,000 अनियत मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के सुझावों का स्वागत करता हूं।

मैं कतिपय सामान्य मुद्दे उठाना चाहता हूं जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वे रेल-डिब्बों के रख-रखाव और यात्री सुविधाओं के विस्तार के बारे में है। अधिकांश गाड़ियों में समुचित बिजली जड़नार, प्रसाधन और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं, गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की दशा और स्वाद बहुत खराब होता है लेकिन फिर भी ऊंची कीमत वसूल की जाती है। रेलवे में कामगारों की भारी कमी है। रेलवे में हजारों रिक्तियां खाली हैं। लेकिन रेल अधिकारी इन रिक्तियों को नहीं भर रहे हैं। कामगारों की पर्याप्त संख्या के अभाव में रेलवे उचित ढंग से काम नहीं कर सकता। हमारे देश में करोड़ों नवयुवक, शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। मुझे आशा है कि रेल मंत्रालय इन रिक्तियों को भरने के मामले को गम्भीरता से लेगा।

अब मैं अपने राज्य केरल से संबंधित कुछ गम्भीर समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। कई वर्षों तक रेल अधिकारियों द्वारा केरल की उपेक्षा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप केरल राष्ट्रीय औसत से नीचे है जहां तक राज्य में रेलवे का विकास का संबंध है। इस बजट में फिर बड़ी निर्दयता से केरल की उपेक्षा की गई है। पिछले वर्ष के बजट में केरल के लिए 127 करोड़ रु॰ के कुल निवेश का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस वर्ष इसे घटाकर केवल 34 करोड़ रु॰ कर दिया गया है। यह केरल की घोर उपेक्षा है। मैं रेल अधिकारियों द्वारा किए गए भेदभाव के कारण को जानना चाहता हूं। केरल के विरूद्ध इस भेदभाव का क्या कारण है? इसके लिए रेल अधिकारी क्या औचित्य दे सकते हैं? पिछले वर्ष यह 127 करोड़ रु॰ था लेकिन इस वर्ष इसे कम करके केवल 34 करोड़ रु॰ कर दिया गया है।

महोदय, पिछले वर्ष के बजट में केरल में सोरानूर से निलमबूर तक नई 'पुश-पुल' गाड़ी का प्रावधान किया गया था। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस गाड़ी की अभी भी शुरू होने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है। इसे अभी शुरू भी नहीं किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में कूचीपुरम से प्रसिद्ध तीर्थ केन्द्र गुरूबयूर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए 29 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस वर्ष के बजट में इस प्रावधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। रेल अधिकारियों, माननीय रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को अभी भी पूरा नहीं किया गया है।

कोंकण रेलवे का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोंकण रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्माण कार्य छः महीने के अन्दर पूरा हो जाएगा।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मंगलौर से सोरनूर और क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक रेल लाइन के दोहरीकरण का काम अभी शुरू किया जाना है और इसके लिए बजट में केवल 34 करोड़ रु॰ की व्यवस्था की गई है। यह लाइन 306 कि॰मी॰ लम्बी है लेकिन बजट में केवल 34 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया है। यह क्या है? माननीय रेल मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन अभी भी पूरा नहीं किया गया है।

नए बजट में अंगाभत्वी से साबरीमाला तक नई रेल लाइन का प्रावधान किया गया है। साबरीमाला बहुत प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इसके लिए कुल अनुमानित राशि 540 करोड़ रु॰ की होनी चाहिए लेकिन बजट में केवल एक लाख रु॰ की व्यवस्था की गई है।...*(व्यवधान)*

श्री सतपाल महाराज : बजट के बाद हम इसे बढ़ा देंगे।

श्री एन॰एन॰ कृष्णादास : मैं बजट चर्चा में बोल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि बजट के बाद क्या होगा। हमें पिछले वर्ष के बजट का अनुभव है। पिछले बजट में आपने इतने आश्वासन दिए थे लेकिन ये आश्वासन अभी भी स्वप्न समान हैं, इसीलिए, मैं यह पूछ रहा हूं।

जैसा आप जानते हैं केरल के लाखों लोग पूरे देश खासतौर पर उत्तर भारत में काम कर रहे हैं। इसलिए केरल के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने की गम्भीर आवश्यकता है। इस वर्ष के बजट में कई राज्यों के लिए अनेकों गाड़ियां शुरू की गई हैं लेकिन केरल के लिए एक भी नई गाड़ी नहीं चलाई गई है।

इसलिए, केरलवासियों की ओर से, मेरी इस महान सभा से मांग है कि इस बजट में दी गई बंगलौर-कोयम्बटूर इंटर-सिटी एक्सप्रेस को कालीकट तक बढ़ाया जाए जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर है।...*(व्यवधान)*

पालघाट, दक्षिण रेलवे के महत्वपूर्ण मंडल मुख्यालयों में से एक है। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयम्बटूर केरल के बहुत समीप है और यह दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। कोयम्बटूर से चेन्नई और अन्य स्थानों के लिए कई गाड़ियां रवाना होती हैं। इसलिए, केरलवासियों की ओर से, मेरी मांग है कि चेरन एक्सप्रेस या कोवई एक्सप्रेस को पालघाट तक बढ़ाया जाए।

मैं एक और गाड़ी के बारे में कहना चाहता हूं। रेल मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय यह प्रावधान किया है कि एरनाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद हैदराबाद कोचीन एक्सप्रेस

को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया जाएगा। अब दोहरीकरण का काम कोलम तक पूरा हो गया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि हैदराबाद-कोचीन एक्सप्रेस को कोलम तक बढ़ाया जाए।

तत्पश्चात, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, केरल-त्रिवेन्द्रम-बंगलौर

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की राय चाहता हूं। आज बी•ए•सी• का फैसला है कि रेलवे का डिसकशन कल कनक्लूड होना है और परसों रेलवे मिनिस्टर का जवाब होना है। अगर आप चाहें तो आज नौ बजे तक बैठ सकते हैं ताकि कुछ सदस्यों के नाम आ सकें और वे बोल सकें।

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच• कोजलगी : हम नौ बजे तक बैठ सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्य : आज छः बजे तक ही बैठेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन•एन• कृष्णादास : महोदय, एक गाड़ी है जो त्रिवेन्द्रम से कन्नानोर तक चलती है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कल हर हालत में डिस्कशन को कन्क्लूड करना है। देर रात तक भी बैठना पड़े तो बैठकर डिस्कशन पूरी करनी है। आज कुछ माननीय सदस्यों को चांस मिल जाए तो अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, आज केवल 6.00 बजे तक बैठें। कल देर रात तक बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आज हाउस 6.00 बजे तक चलेगा। आप कन्क्लूड करिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस को ऑब्जैक्शन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं—मैं असहाय हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यदि आज सभा की कार्यवाही बढ़ाने के लिए मेरी आपत्ति है तो मेरा सुझाव है कि कल सुबह तक बैठने के बजाए इसे अगले दिन तक बढ़ाना अच्छा होगा ताकि कष्ट से बचा जा सके, हमको आज कुछ समय तक सभा की कार्यवाही बढ़ाने के लिए सहमत हो जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें कल रात तक बैठना होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हम आज एक या दो घंटे के लिए सभा की कार्यवाही बढ़ा सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, 8 बजे तक बैठने का निर्णय लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मुझे संदेश प्राप्त हुआ है कि यदि सभा बैठना चाहती है तो वह 8 बजे तक या रात तक बैठ सकती है। लेकिन सभा सहमत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, आज 6.00 बजे हाउस को एडजर्न कर दीजिए। जब कल देर रात तक बैठना है तो कल बैठेंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया है, श्री नाईक और श्री शर्मा उपस्थित थे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज 6.00 बजे तक हाउस चलेगा। कल रात को भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। अब उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन•एन• कृष्णादास : महोदय, रेल संख्या 6348, त्रिवेन्द्रम-कन्नानोर एक्सप्रेस को मंगलौर तक बढ़ाया जाए।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि केरल राज्य में रेल पर आधारित कोई भी उद्योग नहीं है। जब स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वे केरल गए थे और पालघाट केरल में रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का वायदा किया था। लेकिन आज तक भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के वायदे को पूरा नहीं किया है। अब हमारी समझ में आया है कि वायदा की गई कोच फैक्टरी को पंजाब में स्थानांतरित किया गया था। हम पंजाब के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन रोजगार सृजित करने के लिए, यह बिल्कुल जरूरी है कि केरल में यथाशीघ्र वायदा की गई कोच फैक्टरी स्थापित की जाए।

इस तरह, उपरोक्त विवरण और आंकड़े दर्शाते हैं कि रेल अधिकारियों ने जानबूझ कर केरल राज्य के विरूद्ध कितना भेदभाव किया है। मंगलौर से सोरनूर और क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक रेल लाइन का दोहरीकरण प्रमुख समस्या है। वास्तव में, यह केरल की जीवन-रेखा है। यह केरल की प्रमुख समस्या है जिसे अतिशीघ्र हल किया जाना चाहिए।

जहां तक कुट्टीपुरम से गुरूवयूर तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का संबंध है, इस नई रेल लाइन के लिए पिछले बजट में 29 करोड़ रु•

[श्री एन॰एन॰ कृष्णादास]

दिए गए थे। नई रेल लाईन को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए लाइन के दोहरीकरण और नई रेल लाइन के लिए बजट-आवंटन इस बजट में ही पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

केरल के लोगों के आम हित को ध्यान में रखते हुए केरल के लिए शीघ्र नई गाड़ी शुरू की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक निवेदन है कि क्या सदन को 10 मिनट के लिए एक्सटेंड करें क्योंकि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में ऐसा ही तय हुआ है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यह है कि एक घंटे के लिए सदन को बढ़ा दिया जाए, नहीं तो कल बहुत देर तक बैठना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ओ॰के॰ अब सब कल होगा।

[अनुवाद]

अब सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 12 मार्च, 1997/21 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।